खण्ड-256, अंक-10
सोमवार, 29 चैत्र, शक संवत् 1887
(19 अप्रैल, 1965 ई0)

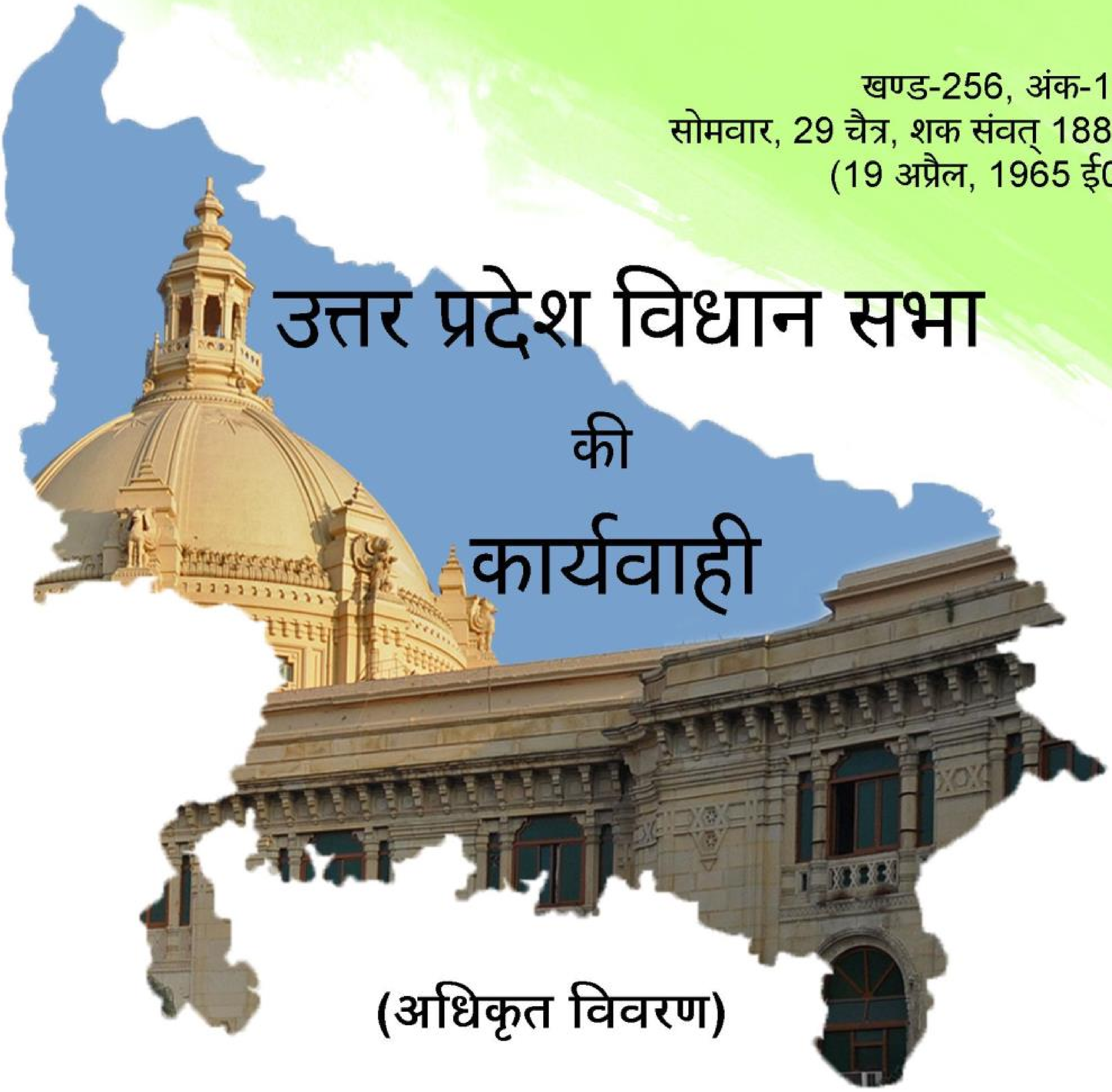

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | १०५७–१०६१ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | १०६१–११०६ |
| कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ ( विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया) .. .. | ११०६ |
| श्री बनवारीलाल विप्र की जमानत पर रिहाई की सूचना .. .. | ११०७ |
| विनियोग लेखे १९५९–६० और १९६०–६१ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों १९६१ और १९६२ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) .. .. .. .. | ११०७ |
| अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने पुल के पीपे बैठ जाने से हुई दुर्घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (सदन द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गयी) | ११०७–१११४ |
| जिला चमोली के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | १११४–१११९ |
| जन संघ विधान मंडल दल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के संबंध में सूचना | १११९ |
| श्री नेकराम शर्मा द्वारा श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना .. | १११९–११२० |
| लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् के ५ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | ११२० |
| प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | ११२० |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (प्रस्ताव कि विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय–जारी) .. .. .. | ११२१–११५४ |
| प्रदेश में रेल गाड़ियों और स्टेशनों पर डकैतियां पड़ने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | ११५४–११५५ |
| लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के संबंध में सूचना .. .. | ११५५ |
| विधायक, श्री नियामतुल्ला अन्सारी के साथ बलरामपुर अस्पताल में हुए व्यवहार के संबंध में मुख्य मंत्री का पत्र .. .. | ११५५ |
| साप्ताहिक कार्यक्रम के संबंध में जानकारी .. .. .. | ११५६ |
| उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (प्रस्ताव कि विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय––जारी) .. .. .. .. | ११५६–११६३ |
| तृतियां .. .. .. .. .. | ११६४–१२१६ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इस्तजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमारकरुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गणेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बाराबंकी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर , श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल ,श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल , श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन ,श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोलालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी, श्री
रक्षपालसिंह,श्री
रघुनाथ श्री,
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर , श्री
रघुवीरसहाय कंचवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रघोपाल, श्री
रणबहादुर सिंह श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
बकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियारम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनालाल, श्री
सुख देवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

---

## प्रश्नोत्तर

### सोमवार, १९ अप्रैल, १९६५

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

#### स्थानीय निकायों की चुनाव याचिकाओं के लिए ट्रिब्युनल

**१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के जो आम चुनाव कुछ दिन पूर्व हुये, उनके संबंध में दायर की गई चुनाव याचिकाओं के विचार के लिये अब तक ट्रिब्युनल नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

ट्रिब्युनल की नियुक्ति के लिये उच्च न्यायालय की सहमति तथा जजों के नाम मांगे गये हैं, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

**२—श्री हिम्मतसिंह तथा श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि ट्रिब्युलन कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उच्च न्यायालय से नाम प्राप्त होते ही ट्रिब्युनल नियुक्त कर दिये जायेंगे।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पत्र जो उच्च न्यायालय को लिखा गया वह कब लिखा गया और कब नाम मांगे गये और उनकी ओर से क्या उत्तर आया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर में सम्पन्न हुये। इसके बाद समस्त जिलों से याचिका की सूची मांगी गई थी। अब मार्च के महीने में सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को नाम और सहमति मांगने के लिये पत्र भेजा गया है।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी चुनाव के पहले ही उच्च न्यायालय से ट्रिब्युनल के नाम मांगने की कोशिश करेंगे जिससे चुनाव के बाद देरी न हुआ करे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

चुनाव से पहले नाम मांगने की बात में सही नहीं समझती हूं।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह सही है कि इस राज्य में न्यायालयों में जो पिटीशन दायर होती है उसके लिये सरकार ने यह आदेश दे दिया है कि वे उन पिटीशन की सुनवाई न करें, उनको रोक दिया है ? यदि यह सत्य है, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

ऐसी कोई बात नहीं है। उच्च न्यायालय को नाम और सहमति मांगने के लिये पत्र भेजा गया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगी कि ये नाम आने पर कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि ये सब पिटीशन फैसल हो जांय क्योंकि ये साल-ब-साल चला करती हैं और अगले चुनाव तक भी समाप्त नहीं होती हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह कार्यवाही हमारा डिपार्टमेंट करने जा रहा है और हाईकोर्ट को लिखा गया है कि जल्द से जल्द वह नाम भेज दें। हम भी यह चाहते हैं कि वह नाम जल्द आ जांय और काम शुरू हो जाय। अगर देर होगी तो उनको फिर लिखा जायगा। नाम आ जाने के बाद ट्रिब्युनल मुकर्रर हो जायगा और यह कोशिश की जायगी कि फैसला जल्दी हो।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जितनी एलेक्शन पिटीशन होती हैं उन तमाम की सुनवाई सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज के यहां होनी चाहिये यह कानून में प्रोवाइड है, तो क्या कारण है कि सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिये उच्च न्यायालय को आदेश नहीं देती कि इन एलेक्शन पिटीशन पर तुरन्त काम करना शुरू कर दे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रदेशीय सरकार नाम मांगती है। जब नाम आ जाते हैं तब सरकार ट्रिब्युनल की नियुक्ति करती है। इसलिये इस प्रकार का कोई आदेश देना उचित नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि जो पिटीशन दायर होती हैं उन पर निर्णय कई वर्ष तक नहीं होते हैं, यहां तक कि नया चुनाव आ जाता है ? क्या मंत्री जी ऐसा विचार करेंगे कि जो पिटीशन दायर हों उन पर जल्द से जल्द निर्णय हो जाया करे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसमें हम केवल हाई कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं। हाईकोर्ट ही स्वयं अपने जजों को आदेश दे सकता है कि वह जल्द से जल्द कार्यवाही करें। चूंकि हाईकोर्ट ही ट्रिब्यूनल बना सकता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम यह जरूर चाहते हैं कि ये फैसले जल्दी हों।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हाईकोर्ट को कब-कब नाम मांगने के लिये लिखा गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, दिसम्बर में चुनाव समाप्त हुए। समस्त प्रदेश से याचिकाओं की सूची मांगी गयी जनवरी-फरवरी में। ३ मार्च, १९६५ को हाईकोर्ट को पत्र द्वारा लिखा गया। कहां ऐसा विलम्ब हुआ जिसमें माननीय सदस्यों को शंका हो रही है।

## जिला परिषदों के लिए वित्त अधिकारी

**३—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ५१ जिला परिषदों में वित्त अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो इनकी नियुक्तियों का क्या आधार होगा और उनमें कितने अधिकारी सुरक्षित सीटों के आधार पर परिगणित जाति के लिये जायेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

जी हां, उत्तर प्रदेश के ५१ जिला परिषदों में ५१ वित्त अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। वित्त अधिकारियों के ये पद उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में सम्मिलित हैं। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से इन ५१ में से ३४ पदों पर आयोग द्वारा संचालित एक विशेष प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी तथा शेष १७ पदों पर निम्नलिखित कोटि के कर्मचारियों में से योग्यता के आधार पर विभागीय चयन द्वारा नियुक्तियां की जायेंगी :—

(१) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के वे कर्मचारी जिन्होंने भारत के कम्प-ट्रोलर तथा आडिटर जनरल द्वारा संचालित सबार्डिनेट अकाउन्ट्स सर्विस परीक्षा पास कर ली है ;

(२) उत्तर प्रदेश सचिवालय के वित्त विभाग में कार्य करने वाले वे सहायक जिन्होंने कोषाधिकारियों के लिये निर्धारित वैभागिक परीक्षा पास कर ली है ; तथा

(३) कलक्टरी के अधीक्षक तथा कोषागारों के मुख्य लिपिक।

उत्तर प्रदेश अकाउन्ट्स सर्विस रूल्स, १९४२ के नियम ५ के अधीन उक्त सभी कर्मचारी उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में पदोन्नति पाने के अधिकारी हैं। वित्त अधिकारियों की जिन ३४ पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जायंगी उनमें से ६ पदों पर सुरक्षित सीटों के आधार पर परिगणित जाति के अभ्यर्थी लिये जायेंगे।

श्री पातीराम अहरवार—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभाग से जो वित्त अधिकारी लिये जायेंगे उनमें परिगणित जाति को संरक्षण प्रदान किया जायगा अथवा नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

विभागीय प्रमोशन, जो चयन द्वारा दिये जायेंगे, उन नियुक्तियों में परिगणित जाति के लिये कोई संरक्षण नहीं है ।

## कानपुर के म्योर मिल में ताला बन्दी

**४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सत्य है कि ५-६ अप्रैल, १९६५ की रात्रि में कानपुर स्थित म्योर मिल को सरकार, द्वारा सील बन्द कर दिया गया जिससे कि हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये ? यदि हां तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

५ अप्रैल की शाम को कानपुर स्थित म्योर मिल में रूई व कपड़े के पांच गोदामों को सेल्स टैक्स के बकाया की अदायगी के संबंध में कलेक्टर, कानपुर, द्वारा सीलबन्द किया गया। लेकिन कोई श्रमिक बेरोजगार नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कोई श्रमिक बेकार नहीं है यह बात कहने का उनका आधार क्या है ?

श्री बनारसीदास—

वहां पर स्थिति यह थी कि पहली पाली के कुछ विभागों को छोड़ कर कुछ बंद हो गये थे। बाकी तीन बजे के बाद तो मिल खोल दी गयी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल पर सेल्स टैक्स का कितना रुपया बकाया है और क्या इसके पहले कोई कार्यवाही वसूली की की गयी थी ?

श्री बनारसीदास—

ठीक फीगर्स मेरे पास नहीं हैं क्योंकि इसकी घोषणा सदन में पहले की गयी थी कि करीब उन के ऊपर दो, ढाई लाख रुपया था या इससे अधिक था। जिस की वजह से यह मिल बंद की गयी थी। गवर्नमेंट के आदेश थे कि इस सेल्स टैक्स को वसूल करने के लिये कोर्ऋसिवं कार्यवाही की जाय। इस के फलस्वरूप यह किया गया। लेकिन जैसा जवाब में कहा गया कुल दस गोदाम थे जिसमें ५ कपड़े के थे और ५ रा मैटीरियल के थे और जब यह नोटिस के अन्दर लाया गया तो चूंकि रकम कुछ ज्यादा नहीं थी इसलिये केवल फिनिश्ड गुड्स का गोदाम रखा गया बाकी छोड़ दिये गये। फिर ३ बजे के बाद दूसरी शिफ्ट से काम नियमानुसार शुरू कर दिया गया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वसूलयाबी के लिए रिसीवर क्यों नहीं अप्वाइंट हुआ ताकि काम चलता रहे और रुपया भी वसूल हो जाय ?

श्री बनारसीदास—

रिसीवर के नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं होने वाला था क्योंकि जब माल सील कर दिया गया तो जब तक उसका डिस्पोजल नहीं होता तब तक वसूलयाबी कैसे होती ? थोड़ी रकम थी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ५ गोदामों को जिसमें रा-मैटिरियल शामिल था सील कर दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब यह चीज नोटिस में आयी तो जिसमें बकाया काम था उसको रखा, बाकी छोड़ दिये ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि म्योर मिल में सरकार का रुपया बाकी है ? साथ ही मजदूरों की ग्रेच्युटी का रुपया बाकी है जिसके फलस्वरूप १५ दिन की हड़ताल हो चुकी है और मालिकों ने एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, तो क्या इस मिल की जांच कराने के लिये इसके ऊपर कोई सरकारी आदमी बैठाने की कोशिश करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह सवाल विचाराधीन नहीं है कि सरकारी आदमी बैठाया जाय । जो ग्रेच्युटी की या दूसरी रकम बकाया है उसकी वसूलयाबी के लिये कार्यवाही पूरी की जा रही है । सन्तसिंह जी को मालूम होगा कि पहले मिल बागला के पास था, काफी बकाया था और जब उसको जे० के० ने अपने मैनेजमेंट में लिया तो एक फैसला किया गया जिसके मुताबिक १०–१२ लाख की जो बकाये की रकम थी वह बाकायदा किस्तों के अन्दर वसूल होनी थी । तो जो पुरानी बकाया रकम थी उसकी वसूलयाबी की कार्यवाही जारी है । ग्रेचुइटी और दूसरे केसेज में बराबर गवर्नमेंट सतर्क है और उनकी वसूलयाबी के लिये चेष्टा कर रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५–६ अप्रैल से जब से सेल्स टैक्स की बकाया की वसूली के सिलसिले में बन्दी की घोषणा की गयी तब से इन स्टेप्स का कोई असर पड़ा और कोई वसूलयाबी हुई या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

अभी तक एक गोदाम सील्ड है । गवर्नमेंट तो यही कर सकती थी कि जबतक रुपया वसूल न हो तब तक सील रखे ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सम्पूर्णानन्द अवार्ड के मुताबिक ९० दिन के अन्दर ग्रेचुइटी का पैसा मिल जाना चाहिये, लेकिन म्योर मिल में ढाई ढाई साल हो गये, आदमी मर गये, उनकी बेवायें मारी-मारी घूम रहीं हैं, हड़ताल भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ । एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वह पूरा नहीं किया गया, बहुत थोड़ी रकम वसूल कर रहे हैं । वह मजदूर जिसने २० साल काम किया, टी० बी० पेशेंट है । जिसके बारे में एग्रीमेंट हुआ वह पूरा नहीं किया जाता है तो क्या सरकार उसके बारे में कुछ कर रही है ? मजदूर कब तक इन्तजार करता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यहां सवाल यह है कि म्योर मिल में सीलबन्दी का क्या असर हुआ ?

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

रुपया वसूली का ही तो मामला है । म्योर मिल को कानूनन देना चाहिये, सरकार को उनको प्रासीक्यूट करना चाहिये—मिल को ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीलबन्दी हो जाने के बाद इस मिल से कुछ रुपया सेल्स टैक्स का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया कि जब ५ गोदामों को बन्द किया गया तो मिल के मैनेजमेंट की तरफ से इस बात का प्रतिनिधित्व किया गया कि कई साल पहले जब इस मिल को लिया गया था बागला से तो काफी बड़ी धनराशि बाकी थी और जो एग्रीमेंट हुआ उसके एरियर्स को साफ करने के लिये उनका कहना था कि वह उनको दे रहे थे। हमारा कहना था कि सारा रुपया अदा होना चाहिये। इसलिये जितनी रकम बाकी थी उसके लगभग दुगने से ज्यादा रुपये के लिये एक गोडाउन अभी तक सील्ड है। जिलाधीश प्रयत्न कर रहे हैं कि यह रुपया वसूल हो जाय, तभी उन गोडाउन्स को छोड़ा जाय।

## मलेरिया विभाग से सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टरों की बरखास्तगी

**५—सर्व श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़) आदि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से २६७ सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और उनको अन्यत्र रखाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं। मलेरिया विभाग से केवल २११ सर्वेलेन्स इन्सपेक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। इन इन्सपेक्टरों को इस पद के लिये अयोग्य समझा गया। इन को अन्यत्र रखने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या स्वास्थय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन इंसपेक्टरों में कौन-सी बात अयोग्यता को पाई गई और वे एक साथ निकाले गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

लोक सेवा आयोग की राय से कमेटी ने सेलेक्शन किया, इनके पुराने कार्य के ऊपर इनको जहां अयोग्य समझा गया, निकाले गये।

श्री झारखण्डेराय—

क्या सबका केस लोक सेवा आयोग के सामने गया था या केवल उन्हीं का गया था जिनके बारे में विभागीय अधिकारियों ने त्रुटि पाई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

लोक सेवा आयोग ने कमेटी बनाकर यहीं के लेविल पर तय करने की राय दी और उसके अनुसार कमेटी का निर्माण हुआ और उस कमेटी ने फैसला किया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि बहुत दिन तक काम करने के बाद ये लोग अयोग्य समझे गये और सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि शुरू में ही ऐसे लोग नौकरी में न आने पावें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इनमें से प्रत्येक सन् ६१ का या बाद का है। किसी का कार्य देखने के लिये कुछ समय की आवश्यकता होती ही है।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

क्या इन निकाले हुये लोगों को कमेटी के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया गया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इतने आदमियों का बुलाना सम्भव नहीं समझा गया ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मेरी सूचना है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि मेंटीनेंस वेज शुरु किया जाय और शायद २,४ महीने की ही देरी है । तो क्या सरकार तब तक के लिये इन लोगों को पुनः अवसर देगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

किसी नौकरी के लिये ये डिबार्ड नहीं हैं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या यह सही है कि इनमें से कुछ का काम बहुत अच्छा होते हुये भी उन्हें निकाल दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अच्छे कैरेक्टर रोल वालों को नहीं निकाला गया ।

श्री रामधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या उनके साथ यह शर्त थी कि जब यह विभाग समाप्त होगा तो उन्हें दूसरी जगह रखा जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अनुपयुक्त व्यक्ति ही निकाले गये हैं ।

श्री झारखण्डेराय—

क्या उन लोगों से जवाब तलब किया गया और कमेटी के सामने उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ये लोग अस्थायी थे । नियम के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं थी ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

किसी कर्मचारी के चरित्र का फैसला १ साल में होता है या ३,४ साल के बाद भी वह निकाला जा सकता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ये एक साल वाले या कम समय के लोग नहीं हैं ।

श्री कल्पनार्यासिंह (जिला गोरखपुर)—

ये इंस्पेक्टर यदि किसी दूसरे महकमे में जाते हैं और ओवर एज हो जाते हैं तो क्या सरकार ऐसा आदेश देने की कृपा करेगी कि उनकी इस विभाग की सेवा-अवधि काउन्ट कर ली जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नियम के अनुसार ही कार्य होगा ।

## हमीरपुर जिले में मफरूर लायक सिंह को पुलिस द्वारा छोड़ देने की जांच

**६—सर्व श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) आदि—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर के अन्तर्गत किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति का कत्ल करने वाले कुछ हमलावर बदमाश वार करने के पूर्व दिनांक २७ मार्च, १९६५ को जनता द्वारा पकड़ कर पुलिस के हवाले किये गये ? यदि हां, तो उन बदमाशों के नाम व पते क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

दिनांक २७–३–६५ को कोई भी व्यक्ति हमीरपुर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कातिलाना हमला करने के पूर्व जनता द्वारा पकड़ कर पुलिस के हवाले नहीं किया गया। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

**७—सर्व श्री उग्रसेन आदि—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि उन पकड़े हुये बदमाशों के विरुद्ध जिला फतेहपुर, थाना बिन्दकी व जहानाबाद से भी कत्ल, डकैती आदि संगीन जुर्मों में नामजद वारन्ट हैं ?

**८—क्या यह सही है कि उपर्युक्त कत्ल के षड़यन्त्र में कुछ स्थानीय पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे और वह उन बदमाशों को पनाह दिये गये थे ? यदि हां, तो उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि २७–३–६५ को एक बड़े भारी डकैत को पकड़ कर और कुछ देर हवालात में रख कर छोड़ दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उस समय तक यह मालूम नहीं था कि दूसरे जिले से उसके ऊपर वारन्ट है ।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या यह सही है कि लायकसिंह, ग्राम बिजौली उपाध्याय, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर, का रहने वाला है और हमीरपुर जिले के रहने वाले श्री अहिमर्दनसिंह एडवोकेट का कत्ल करने के लिये आया हुआ था और वहां भोलानाथ शुक्ल, चेयरमैन की सुरक्षा में जो चौकी तैनात थी वहां सिपाही, शिवदत्त पांडेय के यहां वह पकड़ा गया और उसे कोतवाली में ले गये जहां उसे महातम सिंह, सी आई० को दिया गया ? फिर पुलिस ने यह बहाना कर दिया कि वह भाग गया जब कि पुलिस ने उसे छोड़ा। तो क्या मंत्री जी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, अहिमर्दन सिंह ने यह इत्तला जरूर दी कि एक बदमाश यहां आया हुआ है। पुलिस उसको वहां से लायी और उससे बातचीत की और ऐसा मालूम हुआ कि उसका हमीरपुर में किसी घटना से संबंध नहीं था, न किसी घटना के लिये वह आया हुआ था, इसलिये पुलिस ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद यह मालूम हुआ कि वह थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर और बिन्दकी थाना से ३०२ के मुकदमें में मफरूर है, हिस्ट्री शीटर है और वहां से गायब है। लेकिन चूंकि हमीरपुर में उसके खिलाफ कुछ नहीं था और यह इत्तला उस समय तक नहीं थी और न फतेहपुर से कोई इत्तला वहां की पुलिस को उसके बारे में आयी थी, लिहाजा पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अहिमर्दन सिंह जो ऐडवोकेट हैं जिनकी ऐसी शिकायत थी कि मौदहा कस्बे में दिन दहाड़े उनके बाप को और दो आदमियों को कत्ल कर दिया गया था, उसमें जो मुलजिम छूट गये थे, वह लायक सिंह को कुछ रुपया देकर के अहिमर्दन सिंह का कत्ल करने के लिये बुलाकर लाये थे, क्या यह सही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अहिमर्दन सिंह का कहना यह जरूर था लेकिन जांच के फलस्वरूप यह सिद्ध नहीं हुआ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, इस व्यक्ति का, लायकसिंह का वहां घर नहीं, घाट नहीं, बिना किसी धंधे के वह वहां पकड़ा गया घूमता हुआ और पुलिस के सुपुर्द किया गया तो पुलिस ने १०९ में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि किसी थाने में अगर कोई आदमी कुछ साल तक फरार रहे तो उसकी सूचना पूरे और थानों में भी दे दी जाती है, यदि यह सत्य है तो क्या इसकी सूचना वहां थी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब तो दे दिया, कि नहीं थी।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा कहना यह है कि कानून में है कि कोई व्यक्ति अगर डकैती या कत्ल ऐसे अपराध में फरार है कुछ दिनों से और उसकी गिरफ्तारी न हो रही हो तो उसकी सूचना सभी स्थानों में दे दी जाती है, तो क्या यह फरार था तो इसकी सूचना पहले से वहां थी और यदि नहीं थी, तो क्यों नहीं थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उत्तर इसका दे दिया कि उस वक्त तक हमीरपुर की पुलिस को यह इत्तला नहीं थी। ८८ और ८७ की कार्यवाही लायकसिंह के घर पर हो रही थी।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो महातमसिंह सी० आई० हैं जिन्होंने लायकसिंह को छोड़ दिया यह इससे पहले भी जहां पर तैनात थे, वहां इनके खिलाफ शिकायत थी कि नैपाली कोठी में एक लाख रुपये की चोरी की रिपोर्ट इन्होंने दर्ज नहीं की और इनका यही काम है कि मुलजिमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज न होने दिया जाय, क्या इसकी जांच कराकर सही स्थिति का स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या एक विशेष व्यक्ति को अकारण छोड़ दिया गया जबकि वह पुलिस के के कब्जे में आ गया। मंत्री जी का कहना है कि उस थाने में इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं थी कि वह ३०२ में मफरार है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन् इसमें एक बात और जोड़ दें कि जिस अफसर ने इसको छोड़ा वह आज से नहीं अनेकों वर्षों से यही काम करता चला आता है। कुछ दिन पहले नैपाल कोठी में जबरदस्त चोरी हुई उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, क्या मंत्री जी इसकी जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कह दें कि ऐसा आदमी है लेकिन इस मौके पर तो आप प्रश्न ही करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह पुलिस कार्यकर्ता का कर्तव्य नहीं है कि जिस व्यक्ति को कोई व्यक्ति पकड़ कर थाने में भेजे और शुबहा जाहिर करे कि यह व्यक्ति इस तरह का है। उसके बारे में फतेहपुर से पता लगाते, ऐसा करके पुलिस ने जो उसको छोड़ दिया, तो यह कार्य क्या पुलिस कर्त्तव्यों से विपरीत नहीं किया गया? यदि हां, तो उस पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक गलतफहमी श्रीमन् मालूम होती है। श्री अहिमर्दन सिंह जी ने जब इत्तला की तो पुलिस ने उसको कपड़ा नहीं, वह थाने में ले आया गया, और उसने यह बताया कि हम फलां-फलां कान्स-टेबिल के रिश्तेदार हैं। जब कांस्टेबिल से पूछा गया, तो उसने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इस वजह से वह छोड़ दिया गया। लेकिन जो ब्योरा आप दे रहे हैं, कि फतेहपुर से यह इत्तला मंगा ली गई थी, और बावजूद उस इत्तला के छोड़ा गया तो इस बारे में ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब वह फरार था, और फरार होने की इत्तला सभी थानों को दे दी जाती है, तो क्या इस मामले की भी रिपोर्ट थाने में की कि नहीं कि फलां व्यक्ति के खिलाफ यह चार्जेज हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बताया कि उस वक्त तक हमीरपुर की पुलिस के पास ऐसी इत्तला नहीं थी, कि यह फतेह-पुर से फरार है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबिल ने उसको अपना रिश्तेदार बताया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह सही है कि लायक सिंह, बदमाश और डकैत है, इसको जानते हुये जिन कांस्टेबिलों ने अपना रिश्तेदार कहकर छोड़वा दिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस केस की जांच हो रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं कहना चाहता हूं कि जब जरा सी साधारण जांच के पहले लोगों को ससपेंड कर दिया जाता है, अतः इस मामले में भी जिनके खिलाफ जांच हो रही है, उनको पहले ससपेंड करना चाहिये था और तब जांच होनी चाहिये थी।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## इलाहाबाद में चीनी के जाली परमिट

*१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में जाली परमिटों पर चीनी, मैदा तथा अन्य कन्ट्रोल की सामग्रियां लेने के भीषण षड़यन्त्र का पता इस फरवरी तथा मार्च में लगा है, जिसके फलस्वरूप जनता में घोर असन्तोष की भावना व्याप्त है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

मैदा तथा अन्य कन्ट्रोल की सामग्रियों में तो नहीं, हां, चीनी में जाली परमिटों के कुछ मामले पकड़े गये हैं ।

*२—श्री सत्यनारायण पांडेय—

यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिला सहकारी संघ के यहां ४७२ बोरी चीनी तथा अन्य पांच थोक विक्रेताओं के यहां ६३ बोरी चीनी के जाली परमिट अब तक पकड़े जा चुके हैं । जिला सहकारी संघ का लाइसेन्स निलम्बित करके मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है । अन्य चीनी के थोक व्यापारियों के विरुद्ध अभी वैभागिक कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन्होंने परमिट जाली काटे और जिन्होंने उनको यूटिलाइज किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और उनका क्या नाम है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिला सहकारी संघ की एक दूकान में जो सेल्समैन थे, श्री मिश्रा, इनके जरिये होने का शक है, लेकिन ये भाग गये हैं, इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही का सवाल नहीं उठता है । लेकिन इस दूकान का लाइसेंस निम्बित कर दिया गया है और दूसरों के खिलाफ कार्यवाही चालू है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों का इसमें हाथ है, उनको सप्लाई दफ्तर की मोहर आदि कहां से प्राप्त हुई और क्या इसमें सप्लाई विभाग के कर्मचारी का भी हाथ था, जिनकी साठ-गांठ से यह जाली परमिट इशू हुये ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

इस बात को जानने की कोशिश की जा रही है । जब यह प्रश्न हुआ है तो पूरी जांच की जायगी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति भाग गया है, उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी तो सूचना नहीं है कि केस रजिस्टर किया गया है या नहीं । लेकिन उस सोसायटी का लाइसेन्स निलम्बित किया गया है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

सोसाइटी का लाइसेन्स कैंसिल करने का क्या कारण था, क्योंकि उनको तो इसके बारे में पता नहीं हो सकता था कि जाली परमिट है या नहीं, वह धोखा खा सकते हैं ? लेकिन जिनके यहां कई परमिट पकड़े गये हैं, उनको क्यों हीं पकड़ा गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसमें देखने की बात यह है कि एक तो इतनी मात्रा में जाली परमिट काटे गये थे, जिनका टोटल ४७२ बोरे आता है। इसके अलावा जो होल-सेलर्स थे, इनके यहां १२–१२, १५–१५ और ९ इस प्रकार का है और जब इनसे छानबीन की गई, तो उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। तो उसकी जांच हो रही है, वह अभी छोड़ नहीं दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मंत्री जी बतायेंगे कि यह वाकया फरवरी और मार्च का है। तो जिन सप्लाई विभाग के लोगों ने इस जाली परमिट में हिस्सा लिया, और कागज परमिट की किताब तथा मोहरें इसके लिये दी थीं, उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही न होने का क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला स्तर पर यह बातें हुई हैं। सरकार के सामने यह मामला तब आया जब आपने प्रश्न किया। अब इसकी जांच पड़ताल होगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन अधिकारियों के विरुद्ध अगर कोई केस इस समय तक रजिस्टर नहीं किया है, तो इस संबंध में कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो उचित होगा, वह जरूर किया जायगा।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि सप्लाई विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध भी पुलिस में कोई रिपोर्ट की गई है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

## सहारनपुर में लावारिस कुत्तों को मारने का आदेश

*३—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर), श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिला अस्पताल में इस समय ५०० से अधिक पागल कुत्तों के काटे व्यक्तियों को प्रति दिन टीके लगाये जा रहे हैं और इसी मर्ज से कई व्यक्ति मर भी चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त सरकारी आदेश देकर नगर में आवारा कुत्तों को समाप्त करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मार्च में प्रति दिन औसतन ७७ व्यक्तियों को टीका लगाया गया और फरवरी, मार्च में किसी व्यक्ति की पागल कुत्ते के काटने से मरने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लावारिस कुत्तों को समाप्त करने के लिये आवश्यक शासकीय आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ७७ आदमी को टीके लगाये गये। तो क्या यह बात आपकी जानकारी में है कि ७७ नहीं, बल्कि १७० तक भी एक-एक दिन में वहां पर टीके लगे हैं, और तादाद ६० से १२० तक रही है पिछले महीने में ? तो इसकी तुरन्त जानकारी हासिल करके उचित आदेश वहां की नगरपालिका को देंगे ताकि कुत्ते मारने का काम तुरन्त जारी हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो संख्या ७७ की प्रति दिन बतलाई गई है, उसको माननीय सदस्य पढ़ लें, वह औसतन बताई गई है न कि प्रति दिन की । जहां तक कुत्तों को मारने की व्यवस्था करने का प्रश्न है, सूचना से विदित हुआ है कि नगरपालिका को जिस प्रकार से वह काम करना चाहिये, उसके करने में असमर्थ रही। अतः सरकार तुरन्त आदेश दे कर कार्यवाही करेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पिछले १ वर्ष में वहां के एम० ओ० एच० ने तीन दफा नगरपालिका को लिख भेजा कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिये और उचित धन उपलब्ध कीजिये, लेकिन वहां के अध्यक्ष नगरपालिका और ई० ओ० ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना के आधार पर ही कहा गया है वह इस कार्य को नहीं कर पाये जैसे कि उनको करना चाहिये था, इसीलिये अब सरकार आदेश देने जा रही है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

यह देखते हुये कि सरकार ने स्वीकार किया है कि नगरपालिका सहारनपुर कार्यवाही नहीं कर रही है और न कुत्तों को मरवा रही है, तो क्या सरकार स्वयं कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिन कुत्तों के मालिक न हों वह सब मरवा दिये जायं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका कोई काम नहीं कर रही है । यह मैंने नहीं कहा कि वह कुत्तों को मरवाने में असमर्थ हो रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

## बर्डपुर विकास खण्ड में कृषि बीज भण्डार का बकाया

*१--श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़, विकास खण्ड बर्डपुर नं० ९, के किन किसानों के ऊपर कृषि बीज भंडार का बकाया है तथा किसानों पर वह बकाया कब से चला आ रहा है और बकाया पड़ा रहने का क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

बकाया की सूची बनाने में जो समय परिश्रम तथा व्यय लगेगा, वह इतना लाभप्रद नहीं प्रतीत होता है । माननीय सदस्य बकाया की सूची मेरे कमरे में देख सकते हैं। बर्डपुर नं० ९ में किसानों पर कृषि बीज भण्डार का बकाया सन् १९५८-५९ से १९६१-६२ तक पड़ा है । अधिकांश किसान अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बकाया अदा करने में अपनी विवशता दिखाते हैं ।

*२—श्री चन्द्रपाल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त कृषि बीज भंडार में किसानों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई ?

श्री चरणसिंह—

कृषि बीज भंडार, वर्डपुर नं० ९ बें किसानों के कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुये हैं । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

## वाराणसी कारागार से श्री बासदेवसिंह को छोड़ने की सिफारिश

*३—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि करीब-करीब सभी केन्द्रीय कारागारों में विशेषतः केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में लम्बी अवधि के अनेकानेक ऐसे बन्दी है जिनकी अवस्था ७० और ९० वर्ष के बीच है, जिनमें से अधिकतर बन्दी शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल बेकार हो चुके हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां। सब केन्द्रीय कारागारों में कुल मिलाकर १८६ ऐसे बन्दी हैं किन्तु उनमें केवल २४ बन्दी शारीरिक दृष्टि से बेकार बतलाए गए हैं ।

*४—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कारागार में श्री वासदेव सिंह नाम का एक ऐसा बन्दी है जिसकी अवस्था करीब ९० वर्ष के हो चुकी है और शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल बेकार हो चुका है और जो न चल सकता है, न सुन सकता है और न हंस सकता है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उक्त कारागार में श्री बासदेव सिंह नाम के एक बन्दी हैं परन्तु उनकी अवस्था ७० वर्ष है। वे शारीरिक दृष्टि से बेकार मालूम होते हैं, परन्तु वे चल सकते हैं, सुन सकते है और हंस भी सकते हैं ।

*५—श्री बृजबिहारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त श्री वासदेव सिंह के रिश्तेदारों की तरफ से उन्हें छोड़ देने के लिये कई प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, किन्तु वे सब शासन द्वारा विचार करने के पश्चात् अस्वीकृत कर दिये गये ।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि नवम्बर मास में जब प्राक्कलन समिति जी जेल उप समिति के सदस्यगण उक्त कारागार में गये थे तो वासदेव सिंह नाम का बन्दी उनके सामने स्ट्रेचर पर लाया गया था और यह देखा गया था कि वह न बोल सकता है, न सुन सकता है और न देख सकता है और जेल अधिकारियों ने भी स्वीकार किया था कि ऐसे बन्दी को जेल में रखना बेकार है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सूचना माननीय सदस्य ने मुझे दी थी कि वह लोग वहां गये थे और उन्होंने ऐसा देखा था। उसके बारे में हमने इत्तला मांगी है लेकिन जो रिपोर्ट आई उससे मालूम हुआ कि वह एक खतरनाक बन्दी है और उसने भयानक जुर्म किया था और इसीलिये जो कार्यवाही यहां से हो चुकी है उसके अनुसार उनके छोड़ने की प्रार्थना अस्वीकृत हुई है ।

श्री बृजबिहारी—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिस जुर्म में उसको सजा हुई थी उसके सब साथी ५ साल की अवधि समाप्त कर के जेल से रिहा हो चुके हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अन्य साथियों की तो सूचना नहीं है लेकिन वासुदेव को आजीवन सजा कत्ल के जुर्म में हुई थी ।

श्री बृजबिहारी—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह बन्दी पिछले १४ वर्षों से जेल में है और जैसा कि प्रश्न ४ के उत्तर में कहा गया है, वह व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बेकार मालूम होता है तो क्या सरकार उसे रिहा करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह बन्दी खतरनाक साबित हुआ है और उसके खतरनाक होने के कारण उसको नहीं छोड़ा जा सकता है । २ वर्ष पूर्व बोर्ड में इस प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु जिलाधीश और पुलिस के अधिकारियों की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि यह बन्दी अशक्त नहीं है और उसका छोड़ना उचित नहीं होगा । इसलिये यह प्रश्न २ वर्ष के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

श्री झारखण्डे राय—

श्री वासुदेव सिंह जी के सम्बन्ध में, मेरा अपना खयाल है, माननीय सदस्य ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय सदस्य के प्रश्नों पर बार-बार जो उत्तर दिया जा रहा है क्या यह सही है कि सरकार ने यह सोचा है कि चूंकि उनके लिये बाहर खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और वे और भी कष्ट में रहेंगे इसलिये यही अच्छा होगा कि वे अभी जेल में ही रहें ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया । )

## देवरिया जिले की न्याय पंचायतों में सस्ते गल्ले की दुकानें

*६—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला की खोट्ठा लेहनी, बेन्दुआर, बरसैना, मिसरौली, चिउरापाली, टुर्कहा तथा रोहुआ न्याय पंचायतों में अब तक सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

खोट्ठा, लोहनी, बरसैना, मिश्रली, चिउरापाली तुर्कहा तथा रोहुआ में दुकानें खुली हुई हैं और चल रही हैं । बेन्दुआर में भी दुकान खोली गई थी, परन्तु वहां के दुकानदार ने त्यागपत्र दे दिया है । उसके स्थान पर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये है और शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जावेगी ।

*७—श्री बांकेलाल—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त न्याय पंचायतों में कब तक सस्ते गल्ले की दुकानें खुल जायेंगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बांकेलाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन तारीखों में ये दुकानें खोली गयी ह और प्रत्येक दुकान पर कितना कितना गल्ला पहुंचा है ?

श्री हरीदत्त कडांपाल—

अभी तक कितना-कितना गल्ला दिया गया, यह तो सूचना मेरे पास नहीं है। जहां तक दुकानों के खोलने की तारीख का सम्बन्ध है, वह यह है कि बरसैना में १७–४–६५ को दुकान खोली गयी, मिसरौली में ८ सितम्बर, १९६४ को, चिरापाली में २–१–६५ को, तुर्कहा में ७ फरवरी, १९६४, को रोहुआ में १५–२–६५ को, खोट्ठा लेहनी में ६–२–६५ को। कितना-कितना राशन पहुंचा है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

## मुर्गी पालन योजनाओं पर व्यय

*८—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुक्कुट पालन योजना पर कितना रुपया १ अप्रैल, १९६३ से ३० मार्च, १९६४, तक व्यय किया गया है और सरकार द्वारा सहायता पाने वाले फार्म प्रदेश में कहां-कहां है, उनकी सूची तथा उक्त समय में दी गयी सहायता की धनराशि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

१ अप्रैल, १९६३ से ३० मार्च, १९६४, तक मुर्गी पालन योजनाओं पर १६,५६,४७१ रुपये खर्च किये गये। सरकार द्वारा सहायता पाने वाले फार्मों एवं सहायता में दी गई धनराशि की सूचना एकत्रित की जा रही है।

*९—श्री विजयसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि १९६३–६४ वित्तीय वर्ष में उपरोक्त योजना में जो रुपया कर्ज के रूप में दिया गया है उस पर कोई ब्याज भी लिया जायगा या नहीं ?

श्री चरणसिंह—

४.५० रु० प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा।

## झांसी–मऊरानीपुर सड़क पर मध्य प्रदेश की चुंगी चौकियां

*१०—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में झांसी मऊरानीपुर रोड पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अपनी जगह-जगह चुंगी चौकी बना रखी है और मऊरानीपुर तहसील के गांव वासियों को गल्ला, सब्जी आदि चीजें लेकर आने-जाने में इन चुंगियों पर दो-दो दिन तक रोके जाने से परेशान होना पड़ता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी हां, झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में झांसी मऊरानी रोड पर मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है जहां पर करीब एक माह पूर्व मध्य प्रदेश सरकार की ओर बैरियर लगा दिया है, जिससे तहसील मऊरानीपुर के निवासियों को बरवासागर-मऊरानीपुर की मंडियों में गल्ला सब्जी आदि लाने ले जाने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सरकार मध्य-प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है।

श्रीमती बेनीबाई—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश से पत्र व्यवहार कर रही है तो जिस समय तक कोई निर्णय नहीं होता, उस समय तक क्या सरकार कोई व्यवस्था करने का कष्ट करेगी कि जिससे गांव वासियों को गल्ला व सब्जी आदि चीजे लेंकर आने-जाने में कोई असुविधा न हो ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

वह दूसरे प्रदेश की बात है। हमारे पत्र का उत्तर आने के पूर्व कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

श्रीमन्, यह प्रश्न अधिकांश गल्ले से सम्बन्धित है जिसके लिये कठिनाई हो रही है सीमा क्षेत्र के लोगों को खास तौर से। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को मध्य प्रदेश भेजेगी या मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ अधिकारियों को यहां आमंत्रित करेगी जिससे इस प्रश्न का फैसला शीघ्र से शीघ्र हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमने पहले भी जो लोग मजदूरी में गल्ला लाते हैं उनके विषय में मध्य प्रदेश को लिख दिया है। अगर आवश्यकता समझी गयी तो वैसा भी किया जायगा लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री कृष्णचन्द्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन तिथियों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्रीमती बेनीबाई—

इस नियंत्रण के अन्तर्गत कितने लोगों के ऊपर मुकदमे चलाये जा रहे हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार जारी है ।

श्री लखपत राम शर्मा—

झांसी जिला चारों ओर मध्य प्रदेश की सरहद से घिरा हुआ है और इस तरह की दुर्घटनायें होती रहती हैं कि यू० पी० की हद से, बुन्देलखंड से गल्ला लेकर चलते हैं तो मध्य प्रदेश के इलाके में जबरदस्ती उसे छीन लिया गया और जबरदस्ती वहां उसे बिकवा दिया गया, तो सरकार ने इस कानूनी अपराध को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह हमारा कानून था कि ५ मील की पेटी जो सरहद पर होती है उसमें कोई एक मात्रा से अधिक गल्ला नहीं ले जा सकता लेकिन जो जेनुइन केसेज हैं उनके सम्बन्ध में हमने मध्य प्रदेश को लिख दिया है और उनके पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपु )--

क्या सरकार के पास कोई आंकड़े हैं कि कितना गल्ला झांसी जिले में मध्य प्रदेश से आता था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। जो बात आप कह रहे हैं अगर निश्चित मात्रा से ऊपर कोई गल्ला ले जाता है तो दोनों तरफ जुर्म आयद होता है, यहां भी और वहां भी।

## धान की उपज

*११--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में इस वर्ष धान की फसल कितने एकड़ भूमि में जिलावार बोई गई तथा कुल कितनी उपज धान की हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

१९६४-६५ में इस प्रान्त में १,०९,३३,७८६ एकड़ों में धान बोया गया। इसका जिलेवार ब्योरा संलग्न है।

उपज के आंकड़े भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। उनको वही प्रकाशित करते हैं और जब तक वह ऐसा नहीं करते आंकड़े अन्तिम नहीं माने जा सकते और भारत सरकार की आज्ञानुसार गोपनीय रहते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११६४-११६६ पर)

श्री ब्रह्मदत मायर--

जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं आज तक और आपकी सूचना के अनुसार उनमें और पिछले साल के आंकड़ों में अन्तर है, तो वह कितना है ?

श्री चरणसिंह--

अगर पूरा अन्तर बतला दूंगा तो वे आंकड़े गोपनीय नहीं रहते। यह बात जरूर है कि पिछले साल की अपेक्षा धान कुछ ज्यादा हुआ लेकिन धान के अलावा और भी फसलें रबी की कही ज्यादा हुई।

## गंजरिया फार्म, लखनऊ से प्राशिक्षित लाइव-स्टाक सुपरवाइजर

*१२--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९५८-५९ एवं १९६०-६१ ई० में गंजरिया फार्म, लखनऊ, के लाइव-स्टाक सुपरवाइजर का प्रशिक्षण पाकर कितने युवक निकले और वे किस पद पर तथा किस वेतन दर से कार्य कर रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

गंजरिया फार्म लखनऊ से प्रशिक्षण पाकर १९५८-५९ एवं १९६०-६१ में कुल १९१ लाइवस्टाक सुपरवाइजर निकले, जिसमें से १८ इस समय उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा, में बी० वी० एस० सी० तथा ए० एच० का प्रशिक्षण पा रहे हैं। एक युवक नौकरी से विलग हो गया है और शेष १७२ सुपरवाइजर सामुदायिक विकास और पशुपालन विभागों के अधीन भिन्न-भिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११६७ पर।)

*१३--श्री उमाशंकर--

क्या यह सच है कि दो साल के बाद ही कुछ लाइव-स्टाक सुपरवाइजर की पदोन्नति करके उन्हें १२०-२५० रुपये का वेतन-क्रम दे दिया गया और कुछ ७५-५-१२० में ही पड़े हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जैसा कि प्रश्न १२ के उत्तर से प्रकट है, कुछ लाइव-टस्टाक सुपरवाइजरों को १२०-२५० रुपये के वेतन-क्रम में पदोन्नत किया गया है । अधिकतर यह पदोन्नति १९६१-६२ में की गई । प्रत्येक सुपरवाइजर की पदोन्नति की निश्चित तिथियां इस समय उपलब्ध नहीं है ।

*१४--श्री उमाशंकर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक ही प्रशिक्षण केन्द्र से एक ही पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले युवकों की सेवा में इतना भेद क्यों है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

लाइवस्टाक सुपरवाइजरों का स्वीकृत मूल वेतन क्रम ७५-५-१२० रु० है और इसी वेतन क्रम में उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की गई थी । कुछ युवकों को उनकी कार्य क्षमता एवं सेवाकाल के आधार पर १२०-२५० के वेतनक्रम में पदोन्नति किया गया । शेष युवकों की पदोन्नति शासन के विचाराधीन है ।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १०० कार्यकर्त्ताओं, जो कि ७५-५-१२० के वेतनक्रम में हैं, उनकी पदोन्नति कितने दिनों में हो जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, यह प्रश्न आयुक्त, कृषि उत्पादन, के सम्मुख विचाराधीन है ।

श्री उमाशंकर--

श्रीमन्, मैंने यह पूछा है कि कुछ अन्दाज है कि कितने दिनों तक यह प्रश्न और विचाराधीन रहेगा ।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि विकास विभाग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है इसलिये निश्चित तिथि या समय बताना सम्भव नहीं है ।

## सहारनपुर नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*१५--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुये-जैसा कि उसे २५० रुपये तक के बिल पास करने का बिना बोर्ड की मंजूरी के अधिकार है, हजारों रुपये की एक-एक मद के भिन्न-भिन्न बिल ढाई-ढाई सौ रुपये के बना-बना कर स्वयं दिनांक ४ जनवरी, १९६४ से ३० नवम्बर, १९६४ तक पास किये हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ण सूची महीनेवार क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो सूचना एकत्र की जा रही थी, वह अभी एकत्र नहीं हो सकी है । एकत्र होते ही उसे सदन में प्रस्तुत कर दिया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को मानने के लिये तैयार हैं कि जितनी सूचना है वह सारी की सारी तैयार है, लेकिन वह सदन में इस सत्र में मौजूद नहीं हो पायेगी और जानबूझ कर यह रोकी जा रही है ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि ३–४ दिन में ही सूचना दे दी जायगी ।

## मऊरानीपुर नगरपालिका की जल संभरण योजना

*१६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर (झांसी) की नगरपालिका की जल योजना पर कितने लाख रुपये सरकार द्वारा व्यय किये जा रहे हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मऊरानीपुर (झांसी) की नगरपालिका को जल संभरण योजना के लिये सरकार द्वारा १०,०३,४०० रुपया ऋण के रूप में दिया गया है ।

*१७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि मऊरानीपुर नगरपालिका ने अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा इस आशय की शिकायत की है कि उक्त जल योजना के कार्य में बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं ? रुपया गलत ढंग से खर्च किया गया और जनता को कोई सुविधा नहीं मिली ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई व शिकायतों की विशेष जिम्मेदारी किस पर है व प्रमुख आरोप क्या-क्या हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां । प्रस्ताव की एक प्रति† संलग्न है । इस संबंध में मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग, से पूछ तांछ की गई तो मालूम हुआ है कि अधिकांश शिकायतें निराधार हैं और स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग किसी भी शिकायत के लिये जिम्मेदार नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीया मंत्री जी ने बताया कि अधिकांश शिकायतें निराधार हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ शिकायतें सही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि रिजरवायर की साइट गलत चुनी गई और वाटर वर्क्स इंजीनियर के क्वारटर्स तथा आफिस की छतें बनने के साथ ही लीक करने लगीं, यदि ऐसा है तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

श्रीमन्, यह जो लीकेज का प्रश्न किया गया है, कुछ वर्ष हुये, अधिक वर्षा हुई और शिलाखंड कुछ पाइप लाइन्स पर गिरे जिसके कारण वह संधि हो गई है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, साइट गलत चुनी गई, इसका जवाब नहीं आया ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नगर महापालिकाओं के अभियंताओं की भी कुछ जिम्मेदारियां थीं ।

---

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

† छापी नहीं गई ।

## राजकीय उद्यान, सहारनपुर से वृक्षों का निर्यात

*१८—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५–५६ तथा ५७, १५ फरवरी, १९६५, के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में कितने रुपये के पेड़ सहारनपुर के राजकीय बाग से प्रान्त के बाहर भेजे गये ?

श्री चरणसिंह—

१९६१–६२ में ८८,५२७ रुपये १४ पैसे के मूल्य के तथा १९६२–६३ में २७,२९२ रुपये ६७ पैसे के मूल्य के पौधे प्रदेश के बाहर भेजे गये ।

## रायबरेली नगरपालिका को अनुदान

*१९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में नगरपालिका, रायबरेली, को कितने रुपये का अनुदान किन-किन मदों में दिया गया है ?

*२०—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन अनुदानों से नगरपालिका में कौन-कौन सा काम हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिका, रायबरेली, को वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत और शिक्षा कार्यों के लिये अनुदान दिये गये । सड़कों के लिये दिये गये अनुदानों से संबंधित सूचना संलग्नक में दी हुई है । शिक्षा कार्यों के लिये दिये गये अनुदानों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११६८ पर । )

## कृषि फार्मों की उपज

*२१—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कृषि फार्म में कितनी एकड़ जमीन है और उन फार्मों में कितना क्विन्टल गेहूं तथा चना प्रति वर्ष पैदा होता है?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश में सरकारी फार्मों में १८,५०० एकड़ जमीन है उनमें से बीज सम्बर्धन फार्मों पर ११,१३७.२६ क्विंटल गेहूं तथा १,६०४.४९ क्विंटल चना वर्ष १९६३–६४ में पैदा हुआ ।

*२२—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति क्विटल गेहूं तथा चना पैदा करने पर सरकार का कितना व्यय होता है और इन दिनों खाद्य संकट की विभीषिका को देखते हुए इन सरकारी फार्मों में क्या गल्लों की पैदावार बढ़ी है ? यदि हां, तो किस-किस खाद्यान्न की ?

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६३–६४ में प्रति क्विंटल गेहूं तथा चना पैदा करने पर औसत लागत निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| गेहूं | .. | ५५.७६ रुपया |
| चना | .. | ५४.१८ रुपया |

वर्ष १९६२–६३ में गेहूं और जौ की औसत पैदावार गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ी है तथा चना, मटर और धान की पैदावार घटी है परन्तु १९६३–६४ में १९६२–६३ की अपेक्षा धान की पैदावार बढ़ी है एवं अन्य मुख्य खाद्यान्नों की कम हुई है ।

## ब्लाक थानाभवन में सस्ते गल्ले की दुकानें

*२३—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर ब्लाक थानाभवन में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें हैं और वे किस तारीख में खुलीं तथा उन पर कितनी बार गल्लों का कोटा पहुंचा और क्या ऐसी दुकानें भी हैं जिन पर ३१ जनवरी, १९६५, तक एक बार भी गल्ला नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी हैं और क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११६९ पर)

## बाराबंकी जिले में सीमेंट वितरण

*२४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले का सीमेंट का वार्षिक कोटा क्या है और १९६४ वर्ष में प्रत्येक तिमाही कितनी-कितनी सीमेंट उसे प्राप्त हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलों का कोई निर्धारित सीमेंट का वार्षिक कोटा नहीं है । प्रत्येक त्रैमास में जिले की तथा प्लानिंग की मांग तथा उपलब्ध प्रादेशिक कोटे के अनुसार जिलों का कोटा घटता बढ़ता रहता है । जिला बाराबंकी को वर्ष १९६४ में प्रत्येक त्रैमास में जो सीमेंट एलाट की गई तथा जो जिले में प्राप्त हुई उसके आंकड़े निम्नलिखित है :—

| त्रैमास | | | | एलाटमेंट मी० टन में | प्राप्ति मी० टन में |
|---|---|---|---|---|---|
| १/६४ | .. | .. | .. | ९६६ | ६६५ |
| २/६४ | .. | .. | .. | ८७४ | ५३८ |
| ३/६४ | .. | .. | .. | १०५८ | ९८३ |
| ४/६४ | .. | .. | .. | १०८१ | ५०८ |
| | | योग | .. | ३९७९ | २६९४ |

*२५—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त जिला में सीमेंट के कौन-कौन व्यापारी कहां-कहां हैं और १९६४ वर्ष में प्रत्येक को कितनी-कितनी सीमेंट वितरणार्थ प्राप्त हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११७० पर)

*२६—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त जिला में १९६४ वर्ष में आई हुई सीमेंट का कितना-कितना प्रतिशत नियोजन विभाग को तथा शहरी और देहाती क्षेत्र में मकान बनाने के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वर्ष १९६४ में जिले में प्राप्त सीमेंट का ७०.५ प्रतिशत नियोजन विभाग को १४.५ प्रतिशत शहरी और ९ प्रतिशत देहाती क्षेत्र में मकान बनाने हेतु दिया गया ।

## कानपुर महापालिका की ग्रीन बेल्ट स्कीम नं० ४०

*२७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर महापालिका में "ग्रीन वेल्ट स्कीम नं० ४०" कब बनाई गई है तथा इस स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम अर्जित (एक्वायर) कर लिये गये हैं, और कौन-कौन ग्राम अर्जित (एक्वायर) किये जावेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कल्याणपुर पंकी पांडु विस्तार तथा ग्रीन वेल्ट स्कीम नं० ४० सर्वप्रथम सन् १९५१ में विज्ञापित की गई थी और भूतपूर्व विकास बोर्ड कानपुर द्वारा १९५६ में स्वीकार की गई थी। उस समय इस योजना में भूमि अर्जन करने का कोई प्रस्ताव नहीं था । केवल उस क्षेत्र के अनधिकृत विस्तार पर रोक लगाने के आशय से यह योजना बनाई गई थी ।

महापालिका के सुझाव पर इस योजना का संशोधन शासन ने सन् १९५९ में किया जिसमें ५,०२७ एकड़ भूमि महापालिका द्वारा विकास हेतु अर्जन किया जाना स्वीकार किया गया ।

इसी प्रकार इस योजना का पुनः संशोधन शासन द्वारा सन् १९६३ में किया गया, जिसमें उक्त ५,०२७ एकड़ भूमि के अतिरिक्त ९,७१३.९४ एकड़ भूमि का विकास हेतु और अर्जन किया जाना स्वीकार किया गया ।

इस प्रकार इस योजना में निम्न ग्रामों की निम्न वर्णित भूमि अर्जन की जायगी:—

| ग्राम | भूमि एकड़ में |
|---|---|
| १—गुजैनी .. .. .. .. | ७१८.४० |
| २—नौरइया खेड़ा .. .. .. .. | ५७४.०० |
| ३—शाहपुर मोहसिनपुर .. .. .. | ७१०.०० |
| ४—पंकी गंगागंज .. .. .. .. | २०६७.०० |
| ५—पंकी भाऊ सिंह .. .. .. | ५२५.०० |
| ६—जमुई .. .. .. .. | ३४६.०० |
| ७—कपली .. .. .. .. | ५१०.०० |
| ८—भूरपुर मछरिया .. .. .. .. | ३२०.०० |
| ९—बारा सिरोही .. .. .. .. | १५५१.६० |
| १०—कल्याणपुर कलां .. .. .. | २५९.६० |
| ११—कल्याणपुर खुर्द .. .. .. | १३१.१० |
| १२—मिर्जापुर .. .. .. .. | ४५३.८० |
| १३—मसवानपुर .. .. .. .. | ९७८.३० |
| १४—दौलतपुर .. .. .. .. | १५२.५० |

| ग्राम | भूमि एकड़ में |
|---|---|
| १५—बेरी अकबरपुर बांगर .. .. .. | १३७.१० |
| १६—हसनपुर .. .. .. .. | २१७.५० |
| १७—बिनायकपुर .. .. .. .. | २०६.६० |
| १८—राबतपुर .. .. .. .. | ४२६.६० |
| १९—खजोरी .. .. .. .. | ३५.८० |
| २०—दबोली .. .. .. .. | ८८.५० |
| २१—बर्रा .. .. .. .. | ८८०.२० |
| २२—जरौली .. .. .. .. | ६८८.४० |
| २३—अर्रा .. .. .. .. | ५६१.०० |
| २४—खाड़ेपुर .. .. .. .. | २५१.५० |
| २५—बिन्गवां .. .. .. .. | ७२१.७० |
| २६—नौबस्ता .. .. .. .. | ६३०.६० |
| २७—हसंपुर .. .. .. .. | ३३३.६० |
| २८—तौधकपुर .. .. .. .. | ५३.७० |
| २९—लखनपुर .. .. .. .. | १०.८४ |
| कुल .. | १४,७४०.९४ |

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक केवल निम्नलिखित भूमि अर्जित की जा सकी है:—

| | |
|---|---|
| १—शाहपुर मोहसिनपुर .. .. .. | ४८१.२४ |
| २—पंकी गंगागंज .. .. .. .. | १४४.१८ |
| कुल .. | ६२५.४२ |

*२८—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नगर महापालिका ने "ग्रीन वैल्ट स्कीम नं० ४०" के अन्तर्गत अर्जित (एक्वायर) की गई भूमि में से कितनी-कितनी भूमि, पनकी थरमल प्लांट (बिजली घर) और इंडिया आयल कारपोरेशन व अन्य संस्थाओं को बेंची हैं तथा किस कीमत व शर्तों पर ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस योजना की अर्जित भूमि में से अभी तक निम्न भूमि बेची जा चुकी है:—

| | |
|---|---|
| १—सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स को वैगन फैक्ट्री बनाने हेतु .. | ९७.८६ |
| २—(१) पन्की थरमल स्टेशन .. | २७.६४ |
| (२) पन्की थरमल रेलवेसाइडिंग के लिये .. | २२.४० |
| ३—इंडिया आयल कारपोरेशन .. .. | ४०.०० |
| कुल | एकड़ १८७.९ |

यह तीनों योजनायें बड़े महत्व की थीं, इसलिये इन्हें बिना विकास मूल्य के किये हुये भूमि दे दी गई थी। इनसे उचित जमानत लेकर इस तरह का मोहदा कर लिया गया है कि यह भूमि का मूल्य विकसित भूमि के आधार पर निर्धारित मूल्य देंगे।

अब महापालिका ने इंडिया आयल कम्पनी से भूमि का मूल्य १५,००० रुपये प्रति एकड़ लेना निश्चय किया है और उन्हें यह मूल्य सूचित किया जा चुका है । सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स के पक्ष में जो भूमि वैगन फैक्ट्री के लिये दी गई है उसकी शर्तें संलग्न विवरण में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११७१ पर)

*२९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्कीम के अन्तर्गत जो भूमि किसानों की कानपुर नगर महापालिका ने अर्जित कर ली है, उसका मुआवजा आज की महंगाई को देखते हुये बढ़ी हुई दर (रेट) पर कब तक देने की व्यवस्था कर रही है और यहां से किसानों की जीविका व पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्तमान कानून को ध्यान में रखते हुए जितना भी उदारतापूर्ण मुआवजा दिया जा सकता है उतना देने की चेष्टा की जा रही है ।

इस योजना में किसी आबादी के मकानों को अर्जन नहीं किया जा रहा है । अतः किसानों की पुनर्वास की कोई समस्या ही नहीं है । जिनके खेत अर्जन किये गये हैं उन लोगों को थरमल स्टेशन के निर्माण में यथासम्भव काम पर लगा लिया गया है ।

## देवरिया तथा अन्य जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानें

*३०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जून, १९६४ को प्रदेश के प्रत्येक जिले में नगर और ग्रामीण स्तर पर कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं और १९ फरवरी, १९६५ को उक्त जिलों के नगर और ग्रामीण स्तरों पर कितनी कर दी गई ? क्या यह सच है कि १ जून, १९६४ को जितनी दूकानें देवरिया नगर और ग्रामों में थीं उतनी १९ फरवरी, १९६५ को नहीं रह गयी थीं ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में दी हुई है ।

जी हां । गल्ले की कमी के कारण तथा जिला खाद्य सलाहकार समिति के परामर्श से ऐसा कर दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११७२–११७३ पर)

## गोरखपुर में गीता प्रेस द्वारा गेहूं का विक्रय

*३१—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री द्वारकाप्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर गीता प्रेस को नवम्बर व दिसम्बर १९६४ ई० में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लागत की कीमत पर बेचने के लिए गेहूं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कितना और किस रेट पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां । अगस्त, १९६४ में केन्द्रीय सरकार ने रुपये ३७.५१ प्रति क्विन्टल की दर से १०,००० क्विन्टल गेहूं का आवंटन गीता प्रेस को दिया ।

*३२—श्री रामसूरतप्रसाद तथा श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त गेहूं गीता प्रेस को देने के पूर्व प्रदेशीय सरकार से कोई पूछताछ की थी ? यदि हां तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। सर्व प्रथम भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे जिस से गीता प्रेस को, खुले बाजार से, पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते दामों पर वितरण के लिये, खाद्यान्न प्राप्त हो। तदनुसार क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर को आदेश भेज दिये गये थे कि गीता प्रेस को खुले बाजार में खाद्यान्न खरीदने में मदद करें। उसके पश्चात् भारत सरकार ने राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि वह कुछ चावल, गेहूं, और आटा, गीता प्रेस द्वारा संचालित सस्ते गले की दूकानों को वितरण हेतु प्रदान करें। राज्य की पूर्ति स्थिति अच्छी न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हुआ। तदुपरान्त भारत सरकार ने राज्य सरकार को १०,००० क्विन्टल अतिरिक्त गेहूं, गीताप्रेस के निमित्त देने को कहा। किन्तु राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध यह किया कि वह उपर्युक्त गेहूं गीता प्रेस को सीधे अपने स्टाक से दें। अन्ततोगत्वा भारत सरकार ने ऐसा ही किया।

[१९ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[उत्तर दिया जा चुका है।]

## गाजियाबाद में गृह निर्माणार्थ भूमि वितरण

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार जानती है कि कन्ट्रोलिंग अथारिटी रेगुलेटेड एरिया ने, गाजियाबाद ने दिनांक १६ अप्रैल, १९६२ को सप्लीमेंटरी एजेन्डा के नं० ३ व (२) के (ए) (बी) (सी) और (डी) पर, कोई प्रस्ताव निम्न से सम्बन्धित नीति की घोषणा करने के लिये सरकार से रिफरेंस किया था :

(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज अथवा व्यक्तिगत निजी भूमि एक्वायर करने के विचार से मुक्त करने (रिलीज फ्राम एक्यूजीशन प्रपोजल) (२) कोआपरेटिव सोसाइटियों को नगरपालिका की सीमा के अन्दर अथवा बाहर भूमि का एलाटमेंट करने ?

*४—यदि यह सच है, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस की घोषणा कब किस सरकारी गजट में हुई है तथा क्या सरकार सम्बन्धित १६ अप्रैल, १९६२ की कन्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा स्वीकृति कार्यवाही की प्रतिलिपि जिसकी पुष्टि दिनांक २३ मई, १९६२ को की गई थी, सरकार मेज पर रखेगी ?

*५—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा अथारिटी ने कुछ लोगों के निजी मकान निर्माण हेतु नक्शे पास करने और उनकी भूमि एक्वायर न करने का प्रस्ताव भी उक्त तिथि को किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और किन-किन लोगों को भूमि को छोड़ने के लिये प्रबन्धक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व अधिकृत अधिकारी ने उन व्यक्तियों के निजी मकान निर्माण हेतु उक्त भूमि को एक्वायर करने से मुक्त कर दिया है और कब और किस गजट विज्ञप्ति द्वारा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

## गुड़, राब और शीरे का भाव

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन पर कर बढ़ाये जाने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यदि उत्पादन कर का तात्पर्य एक्साइज ड्यूटी (Excise duty) से है तो इस कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हां, केन्द्रीय सरकार द्वारा खांडसारी पर लगे करों को मानंकित (Standardnzed) अवश्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त यदि उत्पादन कर का अभिप्राय उस कर से जो चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्रों (Reserved areas) में गुड़, राब और खांडसारी इकाइयों को गन्ने के क्रय करके रूप में देना होता है तो इस कर में वृद्धि का मुख्य कारण शक्कर की मिलों में गन्ने के सम्भरण की बिगड़ती दशा को रोकना है।

*७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से राब और शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शीरे के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। हां, राब के निर्यात पर अवश्य प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिसका मुख्य कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धि सुनिश्चित करना था अतिरिक्त इसके राब के निर्यात से खांडसारी उद्योग को भी क्षति पहुंच रही थी।

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में गुड़, राब और शीरे का भाव क्या-क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वांछित सूचना, जिन प्रदेशों से प्राप्त हो चुकी है संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ११७४ पर)

## जखीरेबाजों के विरुद्ध कार्यवाही

*९—श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री कमला सिंह यादव, (जिला गाजीपुर), श्री भीखा लाल तथा श्री विजय सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में १९६४ में कितने लोगों को फूड ग्रेन्स होर्डिंग तथा कितने ऐसे व्यक्तियों को डी० आई० आर० के अधीन जेल भेजा या जो सरकारी खाद्य पदार्थों की ब्लैक मार्केट में बिक्री करते पाये गये ? आज के दिन उनमें से कितने जेल में हैं या उनके विरुद्ध अदालतों में मामले चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश में १९६४ में ७५५ लोगों को फूड ग्रेन्स ऐन्टी होर्डिंग आर्डर तथा ११५४ व्यक्तियों को डी० आई० आर० के अन्तर्गत जेल भेजा गया। फरवरी २८, १९६५ तक प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से केवल ५ व्यक्ति जेल में हैं तथा ७२१ व्यक्तियों के विरुद्ध अदालतों में मामले चल रहे हैं।

## भूमि-सुधार व्यय

*१०—श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री कमलासिंह यादव, श्री भीखालाल तथा श्री विजयसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, १९६३ के बन जाने के बाद दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ तक किन-किन जिलों में जिलावार कितनी-कितनी भूमि का सुधार किया गया है और उसमें जिलावार कितना-कितना व्यय सरकार तथा बेनीफीशरीज का हुआ ?

श्री चरणसिंह—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११७५ पर)

## श्री रियासत हुसैन, विधायक का खाद्य सलाहकार समिति से इस्तीफा

*११—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला खाद्य सलाहकार समितियों के निर्माण का आधार क्या है तथा उनके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

अभीष्ट सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ११७६ पर)

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री को कोई इस्तीफा रियासत हुसैन एम० एल० ए०, सदस्य, खाद्य सलाहकार समिति से प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो वह इस्तीफा किन-किन कारणों से दिया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। त्याग पत्र का कारण शहरी व देहाती क्षेत्रों में समान रूप से गल्ला न देने की नीति थी। विधायकगण जिला खाद्य सलाहकार समिति के पदेन सदस्य होते हैं। उक्त समिति से त्याग पत्र देने तथा उसे स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह सदस्य की इच्छा पर है कि वे समिति की बैठक में सम्मिलित होवें या न होवें।

## मुरादाबाद जिले में जखीरेबाजों को सजा

*१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितने और किन-किन जखीरेबाजों के यहां माल बरामद हुआ और उनको क्या सजा दी गई और उस माल का क्या हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला मुरादाबाद में १४ जखीरेबाजों के यहां से गल्ला बरामद हुआ जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके खिलाफ अदालत में मुकदमे दायर कर दिये गये हैं जिनका फैसला अभी नहीं हुआ है। पकड़े गये गल्ले का निस्तारण अभी नहीं हुआ है पर अदालत में इस सम्बन्ध में प्रार्थना कर दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ११७७ पर)

## सहारनपुर जिले में सीमेंट तथा अन्न की अनुचित बिक्री

*१४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में सीमेंट तथा अन्न की अनुचित बिक्री करने के कितने मामले दिनांक १ जनवरी, १९६५ से पकड़े गये तथा उन में क्या हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सहारनपुर जिले में १ जनवरी, १९६५ से सीमेंट की अनुचित बिक्री के दो मामले पकड़े गये। एक मामले में पुलिस जांच कर रही है तथा दूसरे मामले में अदालत में मुकदमा चलाया गया और अभियुक्त को सजा मिली। इसी प्रकार उक्त अवधि में अन्न की अनुचित बिक्री के छः मामले पकड़े गये। इनमें से चार मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं तथा दो मामलों में पुलिस जांच कर रही है।

## मेरठ तथा रुहेलखंड क्षेत्रों में गन्ने के बीज का वितरण

*१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना की काश्त के सम्बन्ध में मुक्त क्षेत्रों में कृषकों को वही सुविधायें उपलब्ध क्यों नहीं हैं जो कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में कृषकों को दी जाती हैं ?

श्री चरणसिंह—

सीमित साधनों के कारण।

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ डिवीजन में तथा रुहेलखंड डिवीजन में कितना-कितना गन्ने का उन्नतिशील बीज कृषकों को हर जिले में सन् १९६३ तथा १९६४ में मुक्त क्षेत्रों में बोने के लिये मूल्य पर या उधार सरकार की ओर से दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

कथित डिवीजनों के अन्तर्गत जिलों में सन् १९६३ तथा १९६४ में जितना-जितना गन्ने का उन्नतिशील बीज बांटा गया उस की सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। साधारणतया बीज नकद मूल्य पर ही दिया गया। विशेष परिस्थितियों में मूल्य तुरन्त न ले कर शीघ्रातिशीघ्र वसूल किया गया।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ११७८ पर)

## स्थानीय निकायों की चुनाव याचिकाओं के लिए ट्रिब्युनल

*१७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में टाउन एरिया व नगरपालिकाओं के जो चुनाव हुए हैं और प्रदेश के जिलों में टाउन एरिया व नगरपालिका के सदस्य एवं अध्यक्षों के विरुद्ध चुनाव याचिकायें दायर हुई हैं उनकी सुनवाई के लिये क्या व्यवस्था किन-किन स्थानों पर की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

याचिकाओं के निर्णय के लिये ट्रिब्युनल के रूप में जजों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की सहमति तथा जजों के नाम मांगे गये हैं। जजों के नाम प्राप्त होने पर सभी जिलों में आवश्यकतानुसार ट्रिब्युनल बनाये जायेंगे।

*१८—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त याचिकायें जो न्यायालय में दाखिल की जाती हैं, कई-कई वर्ष प्रथम अदालत के ही निर्णय नहीं हो पाते जिसके कारण चुनाव याचिका का महत्व ही समाप्त हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात का कोई प्रबन्ध करेगी कि चुनाव याचिकाओं के निर्णय प्रान्त के हर जिलों में अधिक से अधिक छः माहों में हो जाया करें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

निर्णय के लिये समय आदि का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता ।

## आगरा में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध अभियान

*१९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २० जनवरी से २५ जनवरी, १९६५ के मध्य आगरा नगर में मुहल्ला यमुना ब्रिज, नगला पत्तरी तथा कटरा वजीर खां में महापालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने, महापालिका मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिलाधीश, सुरक्षा तथा अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट के साथ मकानों, दूकानों को तोड़ा गया, सामान लूटा गया तथा पुलिस द्वारा हवाई फायर किये गये ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

आगरा नगर में बड़े पैमाने पर बढ़े हुए अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण को हटाने हेतु नगर महापालिका व सार्वजनिक निर्माण विभाग आगरा द्वारा एक सम्मिलित अभियान (drive) दिनांक २० व २१ जनवरी, १९६५ को किया गया । जनता की ओर से पथराव होने पर और स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अपनी सुरक्षा में हवाई फायर किये । यह कहना ठीक नहीं है कि दूकानों व मकानों को तोड़ा अथवा लूटा गया ।

*२०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या इस घटना की जांच किसी जिला अधिकारी द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या उस जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

घटना की जांच अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) कर रहे हैं । चूंकि जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है अतः सदन की मेज पर रिपोर्ट रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

## गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

*२१—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र से प्रांत में मकान निर्माण सम्बन्धी कार्यों के लिये कितना धन प्राप्त हुआ और उसमें से अब तक कितना खर्च किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम चार वर्षों में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११७९ पर ।)

*२२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि इस धनराशि का तिहाई भाग भी खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितना और क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। सदन की मेज पर प्रस्तुत विवरण को देखने से स्पष्ट होगा कि स्थिति ऐसी नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ११७९ पर।)

*२३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस रुपये को वितरण करने का कार्य कोआपरेटिव बैंक से हटा लिया गया है ? यदि हां, तो अब किसके द्वारा इसका वितरण कराया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

राज्य में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इन गृह निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। इनमें से उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक भी एक एजेन्सी है, जिसके माध्यम से अल्प-आय-वर्ग गृह निर्माण योजना तथा मध्यम-आय-वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन जनता में ऋण वितरित किया जाता रहा है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा इन योजनाओं के अधीन ऋण-वितरण कार्य किये जाने पर आपत्ति उठाये जाने के कारण कोआपरेटिव बैंक को नये ऋण देना स्थगित कर देना पड़ा। भविष्य में इस कार्य को किस एजेन्सी को दिया जाय, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

## नगर प्रमुखों का चुनाव तथा महापालिकाओं में ग्रामीण क्षेत्र

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की महापालिकाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं उनमें जल, सफाई सड़क तथा स्कूलों को इमारत बनाने हेतु सरकार कोई विशेष सहायता करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की महापालिकाओं के नगर प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने पर जब तक उनका दूसरा चुनाव जो अप्रैल में होने जा रहा है, दूसरा प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। नगर प्रमुखों का वार्षिक निर्वाचन नियत दिनांक तक कराया जायेगा।

## छाता तहसील में सस्ते गल्ले की व्यवस्था

*२६—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या खाद्य मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या ७६–७७, दिनांक २२ फरवरी, १९६५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की छाता तहसील में सस्ते गल्ले गल्ले की १०९ दूकानों में से न्याय पंचायत जाव व खायरा तथा गिंडोय व नरी व लाडपुर व दहगांव को कितना राशन दिया गया ? इन क्षेत्रों में गर्की क्षेत्र कितने हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

केवल १७२ बोरी आटा जून, १९६४ से मार्च, १९६५ तक की अवधि में दिया गया ।

छाता तहसील में न्याय पंचायत जाब, खायरा, गिडोंय, नरी, लाडपुर तथा दहगांव में कुछ ग्रामों को छोड़कर शेष गर्की क्षेत्र हैं ।

## स्थानीय निकायों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

*२७--श्री रघुवीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका, महानगरपालिकाओं के मेहतरों तथा और छोटे-छोटे कर्मचारियों को क्वार्टर सरकार की तरफ से दिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी नहीं ।

*२८--श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

[हटा दिया गया ।]

*२९--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०--श्री अनुसीर्रहमान (जिला नैनीताल)--

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## भलिया ग्राम में बीज के रुपये की वसूली

*३१--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भलिया, विकास क्षेत्र, काकोरी, जिला लखनऊ के किन-किन लोगों के जिम्मे किस-किस वर्ष का और कितना-कितना पैसा कृषि बीज भंडार, डालीगंज, लखनऊ का बीज की कीमत के रूप में बकाया है और उसकी वसूली के लिये अब तक क्या प्रयास किये गये और बकया वसूल न होने के कारण हैं ?

श्री चरणसिंह--

ग्राम भलिया के जिन लोगों पर बीज का रुपया बकाया है उसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है । वसूली के संबंध में निग्रह प्रसर भी जारी कर दिये गये हैं । इन बकायादारों में से कुछ प्रतिशत बकायादार नादेहन्द हैं । जिले का कलेक्शन विभाग वसूली के लिये सतत प्रयत्न कर रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ११८० पर)

*३२-३४--श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)--

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३५-३६--श्री श्रीराम--

[हटा दिये गये ।]

## दरियाबाद टाउन एरिया के अवैध सदस्य तथा सदस्यों पर बकाया कर

*३७—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले की दरियाबाद टाउन एरिया में जो सदस्य अवैधानिक रूप से काम कर रहे थे, वे कब हटाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

टाउन एरिया कमेटी दरियाबाद में केवल श्री गुलाम मुहम्मद एक ऐसे सदस्य हैं जो अवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं क्योंकि वे टाउन एरिया के सदस्य होने के साथ-साथ जिला परिषद् के अध्यापक भी थे ।

उनको अभी अपने पद से हटाया नहीं गया है क्योंकि उनको टाउन एरिया ऐक्ट की धारा ७-क (१) के अन्तर्गत आरोपित किया गया था और उनसे जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने यह व्यक्त किया है कि उन्होंने अध्यापक पद से इस्तीफा दे दिया है जिसकी पुष्टि जिला उप-विद्यालय निरीक्षक ने भी की है । अतः अब जिलाधीश सब तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे ।

*३८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

टाउन एरिया मैनुअल के अनुसार उनके हटने के पश्चात् दुबारा चुनाव सरकार कब तक करायेगी ? क्या सरकार उन समस्त कर्यवाहियों को अवैध घोषित करेगी जिनमें उपर्युक्त सदस्य अवैधानिक रूप में सम्मिलित रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

(१) यदि उपरोक्त सदस्य को हटाया गया तो टाउन एरिया मैनुअल के नियम ७५ के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जावेगी ।

(२) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि श्री गुलाम मोहम्मद की नियुक्ति जिला परिषद के अध्यापक पद पर निर्वाचन के बाद हुई थी और अब उन्होंने अपने अध्यापक पद से इस्तीफा भी दे दिया है ।

*३९—द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार, दरियाबाद टाउन एरिया के वर्तमान चेयरमैन व सदस्यों में से प्रत्येक का कितना-कितना टैक्स बाकी है, बताने की कृपा करेगी ? सन् १९६२–६३, १९६३–६४ के टैक्स के असेसमेंट के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट बाराबंकी या एस० डी० एम०, राम सनेही घाट के पास दरियाबाद को किन किन लोगों ने अपील की ? और कब की ? उनके निर्णय क्या हुए और संबंधित व्यक्तियों को कब सूचना दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

(१) दरियाबाद टाउन एरिया के वर्तमान चेयरमैन पर कोई टैक्स बाकी नहीं है । सदस्यों में से निम्नलिखित के ऊपर उनके नामके सामने लिखी हुई कुल धनराशि बकाया है :—

| | रु० पै० |
|---|---|
| १—श्री देबी प्रसाद .. .. .. | १०७.२५ |
| २—श्री प्यारे लाल .. .. .. | ११४.२५ |
| ३—श्री मदनलाल .. .. .. | ३१.५० |
| ४—श्री गुलाम मोहम्मद .. .. .. | २१.०० |
| ५—श्री हामिद अली .. .. .. | ७.५० |
| ६—श्री बुद्धू राम .. .. .. | २७.०० |

(२) किसी ने अपील नहीं की ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

## घास तथा वन कटने से बाढ़

*४०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि हिमालय की तराई के उस क्षेत्र से जहां से राप्ती, छोटी व बड़ी गंडक तथा घाघरा नदियों में हिमालय का पानी आता है प्राकृतिक रूप से उगी हुई बड़ी-बड़ी घास तथा झाड़ियों को कटाया गया जो घास व वन बरसाती पानी के रोकने में सक्षम थीं तथा जिसके कारण राप्ती आदि नदियों की बाढ़ नियन्त्रण में रहती है ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्नान्तर्गत क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगी हुई ऐसी बड़ी-बड़ी घास तथा झाड़ियों को नहीं कटाया गया है जो वन बरसाती पानी को रोकने में सक्षम थी तथा जिनके कारण राप्ती आदि नदियों में बाढ़ नियंत्रण में रहती है ।

*४१—श्री मतोलासिंह—

क्या कृषि मंत्री को यह भी जानकारी हो गई है कि घास व वन कट जाने से प्रदेश में बार-बार बाढ़ आने का एक मुख्य कारण है ? यदि हां, तो इस गलती को दूर करने के लिये सरकार क्या किसी योजना पर विचार कर रही है ? उस योजना की पूरी-पूरी रूप-रेखा क्या है ?

श्री चरणसिंह—

यह सत्य है कि घास व वन कट जाने से बार बार बाढ़ आती है परन्तु उत्तर प्रदेश के वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में इस प्रकार घास व बन का कटान नहीं किया जा रहा है जिससे बाढ़ आये । बाढ़ नियंत्रण के लिये वन विभाग द्वारा न तो कोई विशेष योजना चालू की गई है और न किसी विशेष योजना पर विचार किया जा रहा है । अतएव योजना की रूप-रेखा देने का प्रश्न हीं नही उठता है ।

## करनैलगंज नगरपालिका कर्मचारियों का वेतन तथा फण्ड

*४२—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के अन्तर्गत करनैलगंज नगरपालिका के कर्मचारियों का वेतन गत ७ मास से नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगरपालिका करनैलगंज के समस्त कर्मचारियों का फरवरी, १९६५ तक का पूरा-पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

*४३—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजकल उपरोक्त नगरपालिका के स्थायी कर्मचारियों से प्राविडेंट फंड नहीं काटा जाता है और कुछ वर्ष काटा गया प्रावीडेंट फंड किस मद में कहां जमा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फंड उनके वेतन से बराबर काटा जाता रहा है । परन्तु उक्त धन कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फन्ड पास बुक में बोर्ड के निधि से निकाल कर जमा नहीं किया गया ।

## कानपुर में श्रमिक बस्तियों के किरायेदारों पर भूमि भवन-कर की नोटिस

*४४—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के श्रमिक बस्तियों के किरायेदारों पर भूमि भवन—कर की वसूली की नोटिस जारी की गई है ? यदि हां, तो क्यों जबकि यह मकान सरकारी सम्पत्ति है जिन पर भवन भूमि अधिनियम की धारा ६ के अनुसार यह टैक्स नहीं लगने चाहिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ की धारा ६ के खंड (१) के उपखंड (क) के अनुसार राज्य सरकार के स्वामित्व की वही भूमि या भवन इस कर से मुक्त है जो किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पट्टे पर अथवा अनुदान के रूप में न दिये गये हों । चूंकि यह श्रमिक बस्तियां किराये पर उठी हुई हैं, इसलिये इन पर भूमि भवन कर ठीक ही लगाया गया है ।

*४५—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस संबंध में श्री एस० एस० युसूफ, कांग्रेस एम० पी०, श्री अर्जुन अरोड़ा के नेतृत्व में कानपुर जिलाधीश से दो बार प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुके हैं ? यदि हां तो क्या सरकार यह वसूली रोकने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्री अर्जुन अरोड़ा को जिलाधीश, कानपुर ने सूचित कर दिया था कि श्रमिक बस्तियों से भूमि और भवन कर की वसूली उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ के प्राविधानों के अनुसार की जा रही है । चूंकि वसूली वैधिक है इसलिये इसे रोकने का प्रश्न नहीं उठता ।

## जिला पूर्ति कार्यालय, फतेहपुर में क्लर्कों का चुनाव

*४६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

दिनांक २२ फरवरी, १९६४ के प्रश्न ३७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अभी जनवरी, फरवरी, १९६५ में पुनः कुछ क्लर्कों आदि को रखने का चुनाव जिला पूर्ति कार्यालय, फतेहपुर में हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किन पदों पर कौन-कौन व्यक्ति रखे गये हैं और कौन हरिजन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, एक क्लर्क रखने के संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय, फतेहपुर में फरवरी में चुनाव हुआ था । उस स्थान पर हिन्दी टाइप जानने वाले एक कुर्मी जाति (पिछड़ी जाति) के एक व्यक्ति को नियुक्ति हुई है । हरिजन की नहीं ।

*४७-४८—श्री विजयसिंह तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## कोंच तहसील में गुड़ व शक्कर के व्यापारी

*४९—श्री विजय सिंह तथा श्री मुन्नूसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जालौन जिले में कोंच तहसील में कितने गल्ले के व्यापारी ऐसे हैं जो खाद्यान्नों के अलावा गुड़, शक्कर तथा रूई का भी व्यापार करते हैं ? यदि हां, तो उन फर्म्स की एक सूची सन् १९६४ की देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जालौन जिले की कौंच तहसील में १५ ऐसे व्यापारी हैं जो खाद्यान्नों के अतिरिक्त गुड़ व शक्कर का भी व्यापार करते हैं । इन फर्म्स की सूची संलग्न है । इस तहसील में कोई फर्म ऐसी नहीं है जो खाद्यान्न के साथ रुई का भी व्यापार करती हो ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ११८१पर)

## भेड़ चराने की सुविधायें

*५०--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जैसा कि २० फरवरी, १९६५ को ऋषिकेश टेहरी, चमोली, पौरी और उत्तरकाशी में भेड़ पालकों ने अपनी बैठक में जो एक निर्णय लिया कि यदि राज्य वन विभाग उन्हें उत्तराखंड, सहारनपुर और देहरादून में राज्य के रक्षित वन क्षेत्रों में भेड़ों को चराने की सुविधा न देगा तो वे भेड़ पालन के कार्य को छोड़ देंगे, वन विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--

यद्यपि २० फरवरी, १९६५ को ऋषिकेश में भेड़ पालकों ने जो निर्णय लिया है उसकी सूचना वन विभाग में प्राप्त नहीं है फिर भी जहां तक भेड़ों के चरने की सुविधा का संबंध है उनको कथित स्थानों में वही सुविधायें प्राप्त हैं जो उन्हें पहले दी जाती थी और इनमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई गई है । उत्तराखंड में भेड़ चराने की सुविधायें जितनी अधिकतम संभव हैं उतनी निश्चित चरान शुल्क लेकर दी जा रही है । सहारनपुर और देहरादून के रक्षित वन क्षेत्रों में बाहर भेड़ पालकों को अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वहां पहले से ही दूसरे लोगों को चराई की सुविधा अधिक से अधिक दी जा रही है । रक्षित वनों में यह सुविधा विभिन्न स्थानों में वन की क्षमता के अनुसार दी जाती है । उससे अधिक बढ़ाने पर वन को हानि पहुंचने की संभावना है ।

## मोटे अनाजों के भाव

*५१--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मोटे खाद्यान्न सरकार के मूल्य नियन्त्रण नीति के बाहर है, ३१, जनवरी, १९६५ के अन्त तक राज्य की विभिन्न मंडियों में अलग-अलग उनके भाव में कितना-कितना अन्तर था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जनवरी, १९६५ के प्रथम और दूसरे पखवारे में राज्य की असेम्बलिंग और कन्ज्यूमिंग मंडियों में मोटे आनाजों के औसत भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है जिससे उनका अन्तर व्यक्त होगा ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ११८२ पर)

*५२--श्री रघुनाथ सिंह--

क्या सरकार गल्ले के व्यापारियों द्वारा इन मोटे अनाजों को राज्य में प्रायः समान भाव से बेचे जाने की कोई ठोस कार्यवाही करेगी जिससे मोटे अनाज का उपयोग करने वाले सामान्य और निर्धन लोगों को भयंकर मंहगाई से थोड़ी राहत मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सम्प्रति ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

## तहसील कर्मचारियों के लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था

*५३—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने तहसीलों में सरकारी कर्मचारियों को गल्ला देने की कोई उचित व्यवस्था कर रखी है, तो वह कौन-सी व्यवस्था है ?

*५४—सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान पर क्या इनका कार्ड है या नहीं ? यदि नहीं, तो किस प्रकार यह लोग राशन लेते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शहरी क्षेत्रों में तहसीलों के सरकारी कर्मचारी साधारण जनता की भांति सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से राशन कार्ड पर राशन लेते हैं, किन्तु देहाती क्षेत्रों में तहसीलों के सरकारी कर्मचारियों के लिये यह सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि देहाती क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा गल्ले का वितरण केवल अतिनिर्धन जनता के लिये सीमित है ।

*५५—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६—श्री बालोजी अग्रवाल—

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## चकिया तहसील में वन क्षेत्र में लिये गये खेत

*५७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव बैरगाढ़ में खेत नं० ६५, ७८, ७९, १०९, ११०, १५१, १५५ मगरही, ४८, १३६, २७१, २७३, २७४, २७५, २७६, २८७, २८८, २८९, ३०५, ३०८, ३३४, गांव चिकनी, १२, १३, ७०, सोनेफूल, १६, १८, ४१, ४४, ४५, ५३ पड़हरिया, ९६ सुखदेवपुर १२,२३, २६, २७, २८, ३०, ३५, ४३, ४४, ५२, ५४, डुमरियां, २८, २९, ८९, ९८ जरहर १०६, १०८, १०९, १३६, बसौली २८, १५, ४४, १४८, बिजेपुर बिजौरा २, ६, २६, २७, ४२, बोदलपुर, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, ७५, मलवरिया ८१, ८२, ६३ गोलाबांध, १२, ३१०, ३११, ३४३, ३४४, ३४७, मरवटिया, ११३, ११४, बेवरी कलां, १६, १९९, २०६, २०९, देवरी खुर्द १, २, ३, २२, २३, २८, ३२, ३३, ३८, अवरवां टांड १८, १९, २०, ९२, पंडी १२, १३, १५, १, २, जमसोत ८, ९, १२, १३, १४, १६, ४२, ५७, पथरौर, २, ४, ६, ८, १०, ११, १२, १३, सैमासाधोपुर २८३, ४३४, ४३८, ४९४, ४९९, धोबही ७१, ७१, ७५ के काश्तकारान जो १९६२ फ० के पूर्व से सीरदार तथा भूमिधर हैं और तहसील चकिया, जिला वाराणसी में इन नम्बरों का क्लेम नहीं कर सके हैं और इन नम्बरों को पत्थर गाड़ कर वन विभाग ने घेर दिया है, तो क्या सरकार इन नम्बरों के काश्तकारों को अपना क्लेम दाखिल करने के लिये और समय देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

कथित ग्रामों के सम्बन्धित खेत सितम्बर, १९५४ में इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ की धारा ४ के अधीन संरक्षित वन बनाने के लिये घोषित किये गये थे । वन बन्दोबस्त अधिकारी ने उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत मई, सन् १९५५ तक क्लेम दायर करने की घोषणा की । उसके उपरान्त उक्त अधिकारी ने जांच व निरीक्षण के बाद इन खेतों के विषय में जो निर्णय किया उसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है । यदि सम्बन्धित काश्तकारों में समय के अन्दर क्लेम दायर नहीं किया और अपील भी नहीं की तो उस पर और समय देने के विषय में केवल न्यायालय ही समर्थ है । वन बन्दोबस्त की कार्यवाही एक न्यायिक (Judicial)

कार्यवाही है, अतः सम्बन्धित काश्तकारों को क्लेम दाखिल करने के लिये सरकार द्वारा समय देना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ११८३ पर)

## जिला बहराइच को सीमेंट

*५८—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री दलजीत सिंह (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि—

(क) वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में जिला बहराइच को कितना सीमेंट का कोटा कब-कब दिया गया ?

(ख) उस कोटे में से कितना नियोजन के लिये था तथा कितना सामान्य जनता में वितरण हेतु ?

(ग) उक्त विभिन्न मदों में दी गई सीमेंट का वितरण किन-किन अधिकारियों के द्वारा कराया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

(क) वित्तीय वर्ष ६४–६५ में जिला बहराइच को निम्नलिखित सीमेन्ट का कोटा दिया गया—

| तिमाही | एलाटमेंट सं० मी० टनों में |
|---|---|
| २–६४ । अप्रैल-जून .. .. .. | १,१९६ |
| ३–६४ । जुलाई-सितम्बर .. .. .. | १,९७८ |
| ४–६४ । अक्तूबर-दिसम्बर .. .. .. | २,३९२ |
| १–६५ । जनवरी-मार्च .. .. .. | २,४३८ |
| योग .. | ८,००४ |

(ख) उक्त ८००४ मी० टन में से ७०६१ मी० टन नियोजन के लिये तथा ९४३ मी० टन सामान्य जनता के लिये एलाट किया गया था ।

(ग) नियोजन कार्य हेतु दी गई सीमेंट का वितरण जिला नियोजन अधिकारी तथा विकास क्षेत्र अधिकारियों द्वारा एवं जनता को दी गई सीमेंट का वितरण तहसीलदारों व जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया गया ।

## मवेशी अस्पतालों में कर तथा पशुओं की चिकित्सा

*५९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मवेशी अस्पतालों में बड़े और छोटे जानवरों के इलाज के लिये पैसा टैक्स के रूप में लगाने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—

देश में राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति होने के कारण सरकार द्वारा आय के नये साधन जुटाने के लिये ऐसी आवश्यकता पड़ी ।

*६०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उपरोक्त टैक्स द्वारा कितना धन १९६२, १९६३, १९६४ में प्राप्त किया गया और कितने छोटे तथा बड़े मवेशियों का इलाज किया गया ?

श्री चरणसिंह—

यह शुल्क १ जून, १९६३ से लागू किया गया था अतः १९६२ में इसके द्वारा धन प्राप्ति का प्रश्न नहीं उठता। १ जून, १९६३ से मई, १९६४ तक सरकार को इस शुल्क से १,६४,०११.०० रुपये की आय हुई। इलाज के लिये पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | बड़े पशु | छोटे पशु |
|---|---|---|
| १९६१–६२ .. .. | १७,६०,१८७ | ३,३०,८५४ |
| १९६२–६३ .. .. .. | १७,०८,८२७ | ३,५५,४६७ |
| १९६३–६४ .. .. .. | ११,३६,४७८ | २,५५,५६२ |

## सादात अस्पताल में सांड़ों के लिए स्थान

*६१—श्री कमला सिंह—

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले के सादात अस्पताल में साड़ों का रखने का कोई स्थान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

## कानपुर महापालिका में मतदाता

*६२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में अर्मापुर में स्थित डिफेंस कर्मचारियों की कालोनी के निवासी नगर महापालिका के किस चुनाव क्षेत्र के मतदाता हैं और अनवरगंज, जूही, बाबू पुरवा तथा फजलगंज में स्थित रेलवे क्वार्टरों के निवासी नगरमहापालिका के किन चुनाव क्षेत्रों के मतदाता हैं ? यदि उपरोक्त मतदाता किसी भी चुनाव क्षेत्र में नहीं पड़ते, तो उन्हें किस कानून के अन्तर्गत मताधिकार से वंचित किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अर्मापुर स्टेट कानपुर नगर की सीमा से बाहर है और नगर महापालिका में सम्मिलित नहीं है इसलिये अर्मापुर ए स्टेट के निवासी नगरमहापालिका निर्वाचन में किसी कक्ष के मतदाता नहीं है।

अनवर गंज व फजलगंज रेलवे क्वार्टर्स चक नं० ८४ में है यहां के निवासी पुराने कक्ष नं० १५, जरीब–की–चौकी से मतदाता हैं ।

बाबू पुरवा व जूही रेलवे क्वार्टर्स, कानपुर नगर सीमा के बाहर है अतः यहां के निवासी किसी कक्ष से मतदाता नहीं है । जूही मिलिट्री कम्पाउन्ड के रेलवे क्वार्टर्स चक नं० ८३ ए० में है । यहां के निवासी पुराने कक्ष नं ० १५ जरीब–की–चौकी से मतदाता हैं ।

## गोरखपुर जिले को सीमेंट

*६३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय, श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर) तथा चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ महीनों में गोरखपुर जिले का सरकारी कोटा सीमेंट का कितना एलाट हुआ तथा कितना अलग-अलग माहवार या एलाटमेंटवार दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गत ६ महीनों में गोरखपुर जिले को कुल ७,७२८ मी० टन सीमेंट एलाट किया गया। इसमें सन् १९६४ के ४ थी तिमाही (यानी अक्तूबर से दिसम्बर, १९६४) में ३७९५ मी० टन तथा सन् १९६५ की पहली तिमाही (यानी जनवरी से मार्च, १९६५) में ३,९३३ मी० टन किया गया।

## करनैलगंज नगरपालिका के सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश

*६४—श्री गंगाप्रसाद तथा श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नगरपालिका करनैलगंज, गोंडा ने सेक्रेटरी को उसके पद से हटाने की सिफारिश २२ नवम्बर, १९६४ ई० को सरकार से की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां। दिनांक ३० नवम्बर, १९६४ से लागू यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६४ द्वारा संशोधित यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ६९ ए(४) के अन्तर्गत उक्त मामला विहित प्राधिकारी, आयुक्त, फैजाबाद मंडल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था किन्तु इसी बीच नगरपालिका ने उक्त सेक्रेटरी को बहाल कर दिया और संबंधित पत्रादि आयुक्त से वापस मांगे हैं। अतः अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

## गोंडा जिले में फारेस्ट मुहर्रिरों का वेतन

*६५—श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिला में फारेस्ट मुहर्रिरों के वेतन में उत्तरी और दक्षिणी डिवीजन में कुछ अन्तर है ? अगर हां, तो अन्तर कितना और क्यों है ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, गोंडा जिला में उत्तरी और दक्षिणी गोंडा डिवीजनों के फारेस्ट मुहर्रिरों के पारिश्रमिक ( wages ) में ५ रु० प्रति माह का अन्तर था। इस अन्तर का कारण यह है कि इस विषय में उप-अरण्यपाल, दक्षिणी गोंडा डिवीजन ने अरण्यपाल पूर्वी वृत्त से कुछ स्पष्टीकरण मांगा और इस पर पत्र व्यवहार होता रहा। अब इसका समाधान हो गया है और उत्तरी तथा दक्षिणी गोंडा डिवीजनों के फारेस्ट मुहर्रिरों का पारिश्रमिक ( wages ) एक कर दिया गया है।

## बदायूं जिले को सीमेंट

*६६—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं को एक साल में कितनी बोरी सीमेंट मिलती है और उसमें मकानों के नवनिर्माण के लिये किस किस तहसील को कितनी दी जाती है और कितनी बोरी प्लानिंग के काम को दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलों के लिये सीमेंट का कोई स्थाई सालाना कोटा निर्धारित नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित कोटा के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। वर्ष १९६४ की चारों तिमाहियों में जिला बदायूं को १,१२,४६० बोरी सीमेंट एलाट किया गया। इसमें से प्लानिंग के काम के लिये ७६,५०० बोरी सीमेंट एलाट की गयी थी तथा मकानों के नव-निर्माण और मरम्मत के लिये जिले की तहसीलों को निम्न प्रकार सीमेन्ट वितरित की गयी :

| तहसील | | | | सं० बोरों में |
|---|---|---|---|---|
| १—बदायूं | .. | .. | .. | ७०० |
| २—दातागंज | .. | .. | .. | ८०० |
| ३—गुन्नौर | .. | .. | .. | २,३०० |
| ४—सहसवान | .. | .. | .. | १,८५० |
| ५—बिसौली | .. | .. | .. | १,६५० |

*६७—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला बदायूं को जो सीमेंट का कोटा मिलता है वह जिला मुरादाबाद व अलीगढ़ जिला से कितना कम है ? यदि कम है, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वर्ष १९६४ में जिला बदायूं का सीमेंट का कोटा जिला मुरादाबाद से ४१,८८० बोरी व जिला अलीगढ़ से १,९५,८४० बोरी कम था। जिलों को सीमेंट का एलाटमेंट विभिन्न जिलों की वास्तविक आवश्यकता, नियोजन के अन्तर्गत निर्माण कार्य, आर्थिक अवस्था व शहरी जन संख्या तथा उपलब्ध पब्लिक तथा प्लानिंग कोटा के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर बदायूं जिले का कोटा अलीगढ़ तथा मुरादाबाद के बराबर नहीं है। अतिरिक्त इसके जिला अलीगढ़ में वृहद कृषि योजना के कारण वहां सीमेंट विशेषतः अधिक एलाट किया गया।

*६८—श्री सूरजपालसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में जो सीमेंट का कोटा पहुंचता है उसमें से कितनी बोरी बदायूं शहर व उझानी को दी जाती है और कितना अन्य कस्बों को और कितनी बोरी देहात में मकानों के लिये दी जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वर्ष १९६४ में जो सीमेंट बदायूं जिले का एलाट की गयी उसमें से बदायूं शहर को १५,६२० बोरी, उझानी को ४,४०० बोरी तथा अन्य कस्बों व देहाती क्षेत्रों को १५,९४० बोरी सीमेंट मकान बनाने के लिये दी गयी।

## दहगवां ब्लाक में खाद्यान्न की दूकानों का निरीक्षण

*६९—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २० जुलाई, १९६४ को विकास खण्ड दहगवां, जिला बदायूं को खाद्य निरीक्षक द्वारा किन-किन सस्ते गल्ले तथा शकर आदि की दूकानों का निरीक्षण किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२०—७—६४ को खाद्य निरीक्षण ब्लाक, दहगवां ने श्री बांके लाल, चीनी विक्रेता, श्री गनेशीलाल आटा विक्रेता और श्री तसदीक अहमद, आटा विक्रेता (बागवाला) की दूकानों का निरीक्षण किया ।

*७०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या शासन को कोई ऐसी सूचना मिली है कि २० जुलाई, १९६४ को जब खाद्य निरीक्षक दहगवां ब्लाक में निरीक्षण हेतु गये, तो दूकानदारों ने दूकानें नहीं दिखायीं ? यदि हां, तो ऊपरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

२०—७—६४ को जब खाद्य निरीक्षण ब्लाक, दहगवां में सस्ते गल्ले व चीनी की दूकानों के निरीक्षण हेतु गये तो श्री बांके लाल और श्री गनेशीलाल की दूकानें बन्द पायी । श्री बांके लाल चीनी विक्रेता, खाद्य निरीक्षण के समय मौजूद थे, परन्तु उन्होंने राशन सम्बन्धी दूकान के कागजात खाद्य निरीक्षक को दिखाने से मना किया । खाद्य निरीक्षक ने राशन सम्बन्धी चीजों के वितरण के बारे में गांव के निवासियों से जांच की और लिखित बयान लिये । निरीक्षण की रिपोर्ट पर उपरोक्त दूकानदारों को राशन सम्बन्धी कागजात लेकर जिला पूर्ति कार्यालय में बुलाया गया । श्री गनेशीलाल के बिक्री रजिस्टर का चेंकिंग करने पर कुछ गलतियां मिली, किन्तु अभियोग इतने गम्भीर नहीं थे कि कानूनी कार्यवाही की जाती । श्री गनेशीलाल ने त्याग पत्र दे दिया । साथ ही श्री बांके लाल ने भी त्याग पत्र दे दिया और दोनों मंजूर कर लिये गये हैं । आटा न उठाने की शिकायत पर जब तसदीक अहमद की दुकान का निरीक्षण किया तो स्टाक शून्य पाया गया । इस लिये उनकी दूकान २४—१—६५ को रद्द कर दी गई ।

## कानपुर जिले में पट्टे पर दी गयी नजूल भूमि

*७१—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में नजूल विभाग की कितनी जमीन जिला बोर्ड के माध्यम से पट्टे पर किसानों को दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला परिषद्, कानपुर के माध्यम से पट्टे पर १९ बीघा, १४ बिस्वा तथा १० बिस्वानसी नजूल भूमि किसानों को पट्टे पर दी गई ।

*७२—श्री नत्थाराम रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो किसान पिछले १० वर्षों से उपरोक्त जमीन पर काबिज हैं उन्हें सीरदार बनाने का वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । नजूल भूमि पट्ट की शर्तों के अनुसार दी जाती है । सीरदारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## अल्प-आय-वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत वितरित ऋण

*७३—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६४—६५ में राज्य सरकारी बैंक (गृह निर्माण शाखा) ने गृह निर्माणहेतु प्रत्येक श्रेणी (लो इनकम ऐंड मिडिल इनकम इत्यादि) प्रत्येक जिले में कितना रुपया कर्जा दिया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ११८४–११८६ पर)

## सीतापुर जिले में सीमेंट का अभाव

*७४—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सीमेंट पूर्ति के लिये सीतापुर जिला चुर्क सीमेंट फैक्ट्री व सतना सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

*७५—श्री गनेशीलाल चौधरी—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सतना सीमेंट फैक्ट्री में गत कुछ दिनों से हड़ताल चल रही है जिससे सीतापुर जिले में सीमेन्ट बहुत कम मात्रा में आता है और सारे सरकारी प्लान रुके पड़े हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, सतना सीमेन्ट फैक्टरी में कुछ दिन हड़ताल रहने के कारण सतना से संबंधित सभी जिलों की सीमेंट की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ा है लेकिन अब वहां से सीमेंट की सप्लाई प्राप्त हो रही है ।

*७६—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या सरकार सीतापुर जिले की किसी दूसरी सीमेंट फैक्टरी से जोड़ने की कृपा करेगी जब तक सतना सीमन्ट फैक्ट्री में हड़ताल रहती है जिससे सीतापुर में सीमेन्ट की पूर्ति हो सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है अतः इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

*७७–७८—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडड़ी (जिला चमोली)—

[नवें गुरुवार के लिये-प्रश्न संख्या ८–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## कानपुर में 'मरे' रेलवे क्रासिंग पर 'ओवर ब्रिज' न बन सकना

*७९—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में "मरे" क्रासिंग के ऊपर अभी तक ओवरहेड पुल न बनने के क्या कारण हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

"मरे" रेलवे लेविल क्रांसिंग पर एक "ओवर ब्रिज" बनाने के डिजाइन व नकशे तैयार किये गये थे, परन्तु इस स्थान पर उचित एप्रोच (Approach) न मिलने के कारण ओवरब्रिज का बनाया जाना सम्भव न हो सका ।

*८०—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

[तेरहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८१—८३ श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—

[नवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८४—श्री केदारनाथ भार्गव—

[स्थगित किया गया । ]

## झांसी में कृषि कालेज स्थापित करने का सुझाव

*८५—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार बुन्देलखंड के चारों जिलों की प्रगति के लिये उसके केन्द्र में स्थित झांसी में कृषि कालेज की स्थापना का विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—

झांसी में कृषि कालेज की स्थापना की आवश्यकता नहीं है ।

## गैन्जेज फ्लोर मिल, कानपुर के विरुद्ध मुकदमा

*८६—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा नियुक्त श्री गेंदासिंह समिति गैन्जेज फ्लोर मिल, कानपुर के कांटे का निरीक्षण किया और उसको असली मापक से कम पाया ? यदि हां, तो क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

वजन में अनियमितताओं के बारे में पुलिस में मुकदमा तुरन्त दर्ज करा दिया गया ।

सरकार ने एक असिस्टेन्ट फूड कमिश्नर को मिल के निरीक्षण के लिये भेजा । उनकी रिपोर्ट आने पर मिल से अनियमितताओं के बारे में जबाब मांगा गया । जवाब आने पर यह निश्चय किया गया कि भारत सरकार को लिख दिया जाय कि इस मिल को क्षमता के आधार पर जो गेहूं का कोटा साधारणतः मिलना चाहिये वह न देकर एक वर्ष तक इस मिल को उसका आधा कोटा दिया जाय । परन्तु इसका निर्णय भारत सरकार पर ही निर्भर है ।

*८७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गेंदा सिंह समिति ने कानपुर की गैन्जेज फ्लोर मिल के अतिरिक्त अन्य आटा मिलों का निरीक्षण करके भी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है जिसमें इन मिलों के विरुद्ध चोर बाजारी के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की और क्या उस रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कमेटी ने स्वयं तो निरीक्षण नहीं किया किन्तु जो शिकायतें उन्हें अन्य मिलों की मिलीं उनके आधार पर सुझाव दिया है कि सभी मिलों के हिसाब की जांच करा ली जाय । जांच के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

## अतारांकित प्रश्न

### बिचपुरी फार्म पर मुर्गियों के मरने की जांच

१—श्री झारखण्डेराय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा के बिचपुरी कुक्कुट पालन केन्द्र पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से २,००० से ऊपर मुर्गी-मुर्गे अकाल मृत्यु के शिकार हुए हैं ?

श्री चरणसिंह—

माह दिसम्बर, सन् १९६४ में बिचपुरी फार्म पर १४२ मुर्गी और और ३०७१ चूजों की मृत्यु "रानीखेत" और "काकसिपोशसिस" बीमारियों से हुई ।

२—श्री झारखण्डेराय—

यदि हां, तो उसके कारणों और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ? इन पर मंत्री जी सदन में प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरणसिंह—

इस घटना में कहां तक सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं, इसकी जांच की जा रही है ।

### आजमगढ़ जिले में ऊसर सुधार योजना

३—श्री उमाशंकर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों में ऊसर सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ?

श्री चरणसिंह—

तृतीय पंच वर्षीय योजना में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के अतरौलिया परदहा, लालगंज, रानी की सराय, बिलरियागंज, महाराजगंज, ढुकामा, कोयलसा, साढ़ीपान, रानीपुर, जहानागंज, कोपागंज तथा मुहम्मदाबाद विकास खंडों में ऊसर सुधार कार्य प्रारम्भ किया गया है ।

४—श्री उमाशंकर—

क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि ऊसर सुधार योजना के अन्तगत उक्त कार्य के लिये नहर विभाग रियायती दर पर या मुफ्त पानी देता है ? यदि हां, तो किस शर्त पर ?

श्री चरण सिंह—

इस योजना के अन्तर्गत वह ऊसर भूमि जो नहर से सींची जाती हैं, नहीं ली गई है।

५—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार एक आदेश देकर के आजमगढ़ जिले में टांडा कैनाल के क्षेत्र में जो ऊसर हैं, उसके सुधार हेतु मुफ्त पानी की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जैसा प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में कहा गया है, ऊसर सुधार योजना नहरी क्षेत्र में नहीं चलाई जा रही है ।

## बस्ती जिले में चीनी व गल्ल कीं दुकानों के विरुद्ध शिकायतें

६—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले की पंचायती अदालत, खिरिया, विकास खंड नाथनगर के अन्तर्गत ग्राम सभाओं के प्रधान (१) श्री तेज बहादुर सिंह, (२) सुखदेव यादव, (३) राजमंगल सिंह, (४) काशीराय, (५) रामबुझ, (६) खुड़बुड़ तथा (७) राम अवध तिवारी ने फरवरी, १९६५ में जिलाधीश बस्ती के पास अपने पंचायती अदालत के अन्दर के मोलनापुर बाजार के चीनी के सरकारी दूकानदारों के विरुद्ध शिकायती आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां ।

७—श्रीमती गेंदादेवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायती आवेदन-पत्र क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

शिकायत यह थी कि श्री चन्द्र भूषण ओझा, सरकारी फुटकर चीनी विक्रेता, मोलनापुर अनियमित एवं अवैधानिक रूप से चीनी बेचते हैं ।

८—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायती आवेदन-पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यथोचित जांच के उपरान्त दूकानदार के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सिद्ध होने पर उसकी दूकान निरस्त कर दी गयी ।

९—श्रीमती गेंदा देवी—

क्या यह सही है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत ब्लाक नाथनगर में कालेजगदीशपुर नामक स्थान के लिये एलाट की हुई सस्ते गल्ले की दूकान को कालेजगदीशपुर में न रखकर वहां से लगभग ६ मील की दूरी पर ब्लाक हेडक्वार्टर नाथनगर में ही रखकर बराबर जनता को राशन वितरण किया जा रहा है, जिसकी वहां की जनता में बहुत बड़ी शिकायत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकारी सस्ते गल्ले की एक दूकान पहले काले जगदीशपुर में खोली गई थी । परन्तु ग्राम प्रधानों ने अनुरोध किया कि काले जगदीशपुर के बजाय नाथनगर से गल्ले का वितरण करने से जनता को विशेष सुविधा है । परगनाधीश, तहसीलदार एवं खंड विकास अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि काले जगदीशपुर गल्ला ले जाने का सुगम मार्ग नहीं है । अतः परगनाधीश के मतानुसार नाथनगर से गल्ला वितरण का आदेश दिया गया । काले-जगदीशपुर के निवासियों की इस संबंध में कोई शिकायत जिलाधिकारियों के यहां नहीं आई है ।

## कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११८७–१२१६ )

## श्री बनवारीलाल विप्र की जमानत पर रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना प्राप्त हुई है। माननीय बनवारीलाल विप्र बन्दीकृत किये गये हैं, अब वह जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

## विनियोग लेखे, १९५९-६० और १९६०-६१ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों १९६१ और १९६२ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन*

सभापति, लोक लेखा समिति—

मैं आपकी आज्ञा से १९५९-६० तथा १९६०-६१ के विनियोग लेखे और १९६१ तथा १९६२ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

## अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने पुल के पीपे बैठ जाने से हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, जिनका संबंध अयोध्या की दुर्घटना से है। ये माननीय नेता विरोधीदल, माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी, माननीय हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, माननीय करूण कृष्ण नायर, माननीय झारखंडेराय, माननीय रघुनाथ राम, माननीय झिलमिट राम व माननीय रामसुन्दर शास्त्री, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी, माननीय कृष्ण, माननीय उग्रसेन, माननीय शिवनाथ सिंह, माननीय राधेश्याम शर्मा के हैं। नियम ५२ के अन्तर्गत भी कई एक सूचनाएं आयी हैं। कार्य-स्थगन के प्रस्तावों के संबंध में....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, जरा मेरा पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़कर सुनाये देता हूं, अब माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव पढ़कर सुनाये देता हूं—

"राज्य कर्मचारियों द्वारा बरती गई स्पष्ट अदूरदर्शिता, असावधानी, कुप्रबन्ध एवं जनविरोधी नौकरशाही प्रवृत्ति के कारण दिनांक १० अप्रैल, १९६५ चैत्र रामनवमी के दिन प्रातः ८ बजे अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने हुए पीपे के पुल से अकस्मात ३ पीपे बैठ जाने के परिणामस्वरूप हुई एक लोमहर्षक दुर्घटना से लगभग ३०० आबाल बृद्ध नर नारियों के मर जाने से जनता में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजनाजन्य अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई है।

(२) उपरोक्त दिन सरयू स्नान के लिये लाखों नर नारी वहां एकत्र हो रहे थे। पीपे के पुल पर एक बड़ी भीड़ गुजर रही थी। अकस्मात् ३पीपे बैठ जाने से सैकड़ों व्यक्ति नदी की बीच धार में निरीह अवस्था में डूब कर दिवंगत हो गये।

---

*छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

(३) सरकार को पताहोने के बाद भी कि उक्त दिन प्रति वर्ष लाखों व्यक्ति स्नान के लिये आते हैं और उस कमजोर पुल से निकलते हैं, पुल की अवस्था की पूर्व जांच नहीं की गयी। रस्सों की मजबूती और परीक्षा नहीं की गयी। प्रतिवर्ष वन-वेट्रैफिक की व्यवस्था रहती थी परन्तु इस वर्ष उसका भी ध्यान नहीं दिया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस बिलकुल नहीं थी। सभी राजकीय अधिकारी श्री राज्यपाल के स्वागत तथा जो हजूरी में लगे हुए थे। एक भी सुरक्षा नाव तथा तैराक की व्यवस्था नहीं थी। कुछ थी वह बड़े आदमियों के लिये आरक्षित थी। गाटरों के बोल्ट ढीले तथा जंग लगे हुए थे। कई पीपे तो कीलों से रोके गये थे। यह भी ज्ञात हुआ कि श्री राज्यपाल की सवारी पुल के नीचे से निकालने के लिये बोल्ट ढीले रक्खे गये थे।

(४) इस प्रकार सरकार के स्पष्ट दोष से सैकड़ों व्यक्ति मर गये उनको बचाया भी न जा सकता।

(५) परन्तु घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नौकरी से न निकालने, न्यायिक जांच के आदेश न देने, तथा आहत व्यक्तियों के परिवार वालों को समुचित सहायता न देने से जनता में सरकार के प्रति उत्तेजना बढ़ रही है। जनता में यह धारणा घर कर रही है कि वह दोषी राजकीय कर्मचारियों को संरक्षण देकर अपराधी वृत्ति को प्रोत्साहन दे रही है।

(६) अस्तु उक्त लोमहर्षक दुर्घटना से उत्पन्न लोक महत्व की इस सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या पर विचार करने के लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप हम लोगों का भी पढ़ दीजिये क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से इनके कुकर्मों को देखा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, (श्री हुकम सिंह विसेन से) आपको कुछ कहना है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

हमारे पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब आज इस विषय में अपर हाउस में वक्तव्य दे रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो कल इस सदन में भी वक्तव्य देने में हमें आर नहीं होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह इतने महत्व का प्रश्न और सिर्फ यह कह कर टाल दिया जाय कि कल वक्तव्य देंगे, यह तो उचित नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमने इन्क्वायरी भी बिठा दी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सिर्फ इंक्वायरी से मामला हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं आप से बतला दूं कि वक्तव्य स्वीकार करना न करना यह तो अध्यक्षीय विवेक पर है। ऐसा हो सकता है कि उनके वक्तव्य के बाद हम निश्चय करें कि इस पर बहस हो अगर आप राजी हों तो कल इस को ले लिया जाय ....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं ऐसा समझता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लीजिये और अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो कल सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक इस पर बहस हो जायगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

नहीं, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कुम्भ की दुर्घटना के बाद इस से बढ़ कर आज तक सरकार की भयंकर भूल और नहीं हुई है । सारे देश की निगाह इधर लगी हुई है । आपके अधिकारी चाहे मैजिस्ट्रेसी के हों, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों और चाहे पुलिस के हों, सबने ऐसा कल्पेबिल नेग्लीजेंस आफ ड्यूटी किया है, जो अक्षम्य है । लेकिन आज भी सरकार की ओर से जब केवल वक्तव्य देने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि उनके कुकृत्यों को ढांकने का प्रयास किया जा रहा है । सरकार का कर्तव्य है कि अगर दरअसल उसे पीड़ितों से सहानुभूति है, अगर दरअसल विधवाओं के प्रति आपके हृदय में आह है तो सत्य लेकर वे सामने आ जाते और जो दंड के भागी होते उनको दंड दिया जाता, पीड़ितों की सहायता की जाती । श्रीमन्, हम भी मौके पर गये थे और हमने सब देखा है । वह अत्यन्त करुण कहानी है । अब उसके लिये सिर्फ यह कहकर टाल देना कि वक्तव्य दे देंगे तो उससे इसका महत्व ही गायब हो जाता है । हम लोग इससे कदापि संतुष्ट नहीं हो सकते ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमारी बात भी तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

हम आपकी भी सुन लेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वह अपनी राय जाहिर कर देंगे और उसके बाद बात खत्म हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, खत्म नहीं हो जायगा । अगर कामरोको प्रस्ताव पर वह आपत्ति नहीं करते तो कोई प्रश्न नहीं उठता, बहस हो जायगी । लेकिन पहले आप उनको सुन लें तो उसको फिर से लिया जायगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मुझे निवेदन कर लेने दीजिये .... ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह मामला बड़े महत्व का है, इस पर आप दो दिन की बहस कराइये ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रीमन्, मैं शुरू में यहां नहीं थी इसलिये मुझे नहीं मालूम कि क्या-क्या बातें हुई। पर अभी माननीय माधव प्रसाद जी जो बातें कर रहे थे उसके ऊपर मैं एतराज करती हूं। जो दुर्घटना हुई उसके बारे में अगर गवर्नमेंट को ख्याल न होता, उसके लिये गवर्नमेंट को परेशानी और खेद न होता तो मैं खुद वहां जा कर न पहुंचती....

श्री उग्रसेन—

आप तो वहां ८ दिन बाद गईं। हमारे सैकड़ों लोग मर गये और माननीय मुख्य मंत्री वहां ८ दिन बाद पहुंचती हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, आप कृपा करके बैठें।

श्री उग्रसेन—

माननीय मुख्य मंत्री तुरन्त वहां क्यों नहीं गयीं? यह हमारा चार्ज है। हमारे लोग मरे हैं और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आफिसर लोग तो बैठकर ताश खेल रहे थे और माननीय मुख्य मंत्री वहां १० दिन बाद पहुंचती हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जो लोग मरे हैं वे हमारे ही आदमी मरे हैं और इसके लिये हमको दुख है..

श्री उग्रसेन—

मैं वहां गया था और अपनी आंखों से जाकर मैंने देखा है। जो लोग मरे हैं....

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर हमारी यह ख्वाहिश न रहती कि सम्पूर्ण रूप से उस मामले की जांच हो तो मैं खुद वहां न पहुंचती। इसकी पूर्णरूप से जांच होगी और यह किसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर पर्दा न डाला जाकर, जिसकी गल्ती समझी जायेगी उसके ऊपर कार्यवाही होगी। मुझे केवल यही निवेदन करना है कि अगर उसे छिपाने का इरादा रहता तो मुझे खुद वहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक दिन पहले रावत जी के जिम्मे यह काम सौंप कर मैं दिल्ली चली गयी थी। इस सम्बन्ध में कैबिनेट की बैठक में विचार किया गया और विचार करके ही एक मिनिस्टर को भेजना तय हुआ। मैं यह एश्योर करना चाहती हूं कि गवर्नमेंट को इसका बहुत दुख है और यदि कोई बात गवर्नमेंट की तरफ से हो जाय, जो नेग्लीजेंस की वजह से या और किसी कारण से हो, तो उसे छिपाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि जांच कमेटी जांच करने के लिये बैठा दी गयी है। फिर भी अगर आप इस पर बहस करना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह समझ लीजिये कि जांच के लिये आर्डर जा चुका है...।

श्री उग्रसेन—

पहले तो एक कलेक्टर जांच कर रहे थे। आप फैजाबाद के उस कलेक्टर को पहले मुअत्तल करें जिसने गलत विज्ञप्ति निकाली कि इतने कम लोग मरे.....।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल लीजियेगा, इस तरह से आप बीच-बीच में रोकते क्यों हैं? जो नियम हैं उनका तो पालन कीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर बहस होनी ही चाहिये, तो इसमें मुझे कतई कोई एतराज नहीं है ।

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

यही तो दिक्कत हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें आपको क्या दिक्कत होती है ? मुझे तो पहले यह देखना है कि जो यह प्रश्न है, नियमानुसार है या नहीं और दूसरे यह कि अगर नियमानुसार है तो मैं आप से कहूं कि खड़े हो जाइये । तो इसके आगे आपको क्या कहना है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दिक्कत यह आ जाती है कि आप तो हमें सुनते ही नहीं । वहां जो अधिकारी नियुक्त किये गये थे और जिनकी वजह से यह गड़बड़ी हुई, उसका एक तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से समर्थन किया गया है ।....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । इस वक्त कोई बहस का मौका नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ही कोई निर्णय होना चाहिये .....

श्री उग्रसेन—

कलेक्टर तथा दूसरे अधिकारी तो वहां गवर्नर के पीछे-पीछे चल रहे थे .....

श्री अध्यक्ष—

यह आउट आफ आर्डर है, आप बैठ जायं, यह तरीका आपका बिलकुल नियम के विरुद्ध है और इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है ।

श्री उग्रसेन—

मैं बैठ रहा हूं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

श्रीमन्, इस तरह से श्री उग्रसेन जो बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है ।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, अगर आप यहां खामोश नहीं बैठना चाहते तो कृपया करके सदन छोड़ दें । यह कौन-सा तरीका है जो आप बीच-बीच में टोकते हैं । आप खामोश रहें ।

श्री उग्रसेन—

ये क्यों बीच में टोकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

शुरूआत आप ही करते हैं।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि माननीय माधवप्रसाद जी ने इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि न्यायिक जांच का आदेश होना चाहिये। एक जांच आयुक्त भेज दिया गया है। उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता पर बहस हो सकती है बावजूद इसके कि नियम ६० उसको बाधित करता है। उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता के प्रक्रम आदि सब के ऊपर विचार हो सकता है। चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी अनुपयोगिता पर बहस हो। इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। अब आप कृपया इसके लिये सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस कामरोको प्रस्ताव के लिये सदन से अनुज्ञा मांगता हूं। श्रीमन्, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे बड़े दुख का विषय यह है कि इतने गम्भीर कांड की रिपोर्ट सुनने के बाद भी हमारी सरकार ने कोई आयोग इसके लिये नहीं बैठाया। यह सरकार के लिये कोई नई बात नहीं कि उसको यह मालूम न हो कि वहां पर ९ लाख आदमी इकट्ठा होंगे। इस सरकार के लिये यह भी कोई नई बात नहीं थी कि वहां पर वन-वे ट्रैफिक होना चाहिये। सरकार के लिये यह भी नई बात नहीं थी कि जितना संभव हो सकता है उतना वहां पर पुलिस का इन्तजाम होना चाहिये। वहां पर ३ पुलिस के आदमी मौजूद थे। यह भी नई बात नहीं थी कि वहां पर मजिस्ट्रेसी मौजूद रहेगी। यह सब अधिकारी वहां पर ताश खेल रहे थे। हमारे वी० आई० पी० जब इस प्रकार के मेलों में जाते हैं तो जरूर इस प्रकार की घटनायें घटित हो जाती हैं। इस प्रकार के मेलों में जितनी हमारी सर्विसेज होती हैं इस तरह के लोगों के आने पर उनका अटैन्शन डाइवर्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वहां पर एक भी नाव मौजूद नहीं थी। एक भी तैराक वहां पर नहीं था, एक भी बोट मौजूद नहीं थी, एक भी पुलिस का आदमी मौजूद नहीं था जो उनकी उस समय पर रक्षा करता। इस से भी बड़ी महत्व की बात यह है कि आपने इसकी जांच को एक ऐसे आदमी के हाथ में सुपुर्द किया है जो आपके बोर्ड का एक मेम्बर है। वह एक साइड का आदमी है जिस पर जनता का विश्वास नहीं हो सकता है कि वह एक सीधी-सादी बात सरकार के सामने रख सकेगा। अगर सरकार इस तरह के आदमी से इस तरह की घटना की जांच कराती है जिस पर लोगों को आशंका है और सन्देह है तो उस से हमको संतोष नहीं हो सकता है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच ऐसे व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिये जिस पर हम लोगों का विश्वास हो। हमारे यहां बस्ती के बच्चनलाल वकील १० मिनट तक पानी में छटपटाते रहे, लेकिन उनको कोई निकालने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। उनको कोई वहां पर बचा नहीं सका। इन बातों को आपके समक्ष रख कर मैं सदन से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो इसके पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जांय।

(सदस्यों के खड़े होने पर)

इसके पक्ष में ३६ सदस्य हैं जो कि द्वादशांश से अधिक है, अतः इसकी अनुज्ञा प्राप्त हो गयी। इसलिये मैं इस पर ४ बजे से ६ बजे तक का समय निश्चय करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसको कल के लिये रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इसको कल के लिये रख दिया गया है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

इस पर बहुत कम समय रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो हमारे नियम हैं हम उनके अनकूल ही कार्य कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप कायदे को कभी-कभी स्थगित करते हैं । श्रीमन्, आप भी वहीं के निवासी हैं और आप भी इन सब बातों को जानते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन के अधिकारी वहां पर बैठे रहे । इसमें उनका ही दोष है । इस प्रकार की घटना जब हमारे प्रदेश में बार-बार घटे तो फिर यह विषय बहुत महत्व का हो जाता है । पहले इस प्रकार की घटना इलाहाबाद में घटी और फिर उसके बाद अयोध्या में घटी तो इसके लिये २ घंटे का समय देना बहुत कम है । इतने समय में केवल प्रत्यक्षदर्शी ही अपनी बात कह सकेंगे । मैं समझता हूं कि इस पर एक दिन का समय मिलना चाहिये, तभी सभी बातें सदन के समक्ष उपस्थित हो सकती हैं । जो हम लोगों की भावना है उसको हम एक दिन से कम समय के अन्दर प्रकट नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय रामसुन्दर जी पांडेय की भावनाओं का आदर करता हूं, किन्तु हमको यह स्मरण रहना चाहिये कि जो हमारे नियम हैं उनसे हम बिलकुल बंधे हुए हैं । ४ बजे के पहले इसको नहीं लिया जा सकता और ४ बजे के बाद भी इसको नहीं लिया जा सकता है । नियम यह है कि अगर ६ बजे तक इस पर बहस होती रहे तो उसके बाद समाप्त समझी जायगी । इस पर कल ४ से ६ बजे तक बहस होगी । दूसरी बात मैं यह आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारा विवाद का विषय होगा "समान परिस्थितियों को देखते हुए जो बातें सुनी जाती हैं या मालूम हुई हैं उनके आधार पर उचित यह है कि इस घटना की जांच न्यायिक हो ।" इस पर बहस होगी ।

श्री उग्रसेन--

मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । मुझे जितना दुख है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा आपको दुख है । आप वहीं से चुन कर आते हैं । राम नवमी के दिन हमारे मां-बाप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने गये थे और वहां इस तरह काम आ गये । मैं आप से कहता हूं कि कल जो लोग बोलना चाहें उन सबको आप मौका दीजिये और यदि समय कम हो तो आप समय निर्धारित कर दीजिये । जो अनर्गल बातें बोले उसे बैठा दीजिये । लेकिन वहां की हालत यह है कि बच्चन लाल जी की लाश मिली तो पुलिस वालों ने उनकी घड़ी ही चुरा ली । अगर कोई सभ्य सरकार हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे जो शंका है सरकारी पक्ष पर उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । उस दिन यहां रवीन्द्रालय में शहनाई बजती है और उसी दिन फैजाबाद और अयोध्या

[श्री गयाप्रसाद]

में यह घटना होती है। इसलिये मेरी आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम इन दिनों वह शहनाई का बजना तो रोक दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में देख नहीं पाया हूं। ३ बजे उन पर निर्णय दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस कांड के विषय में जो नियम ५२ की सूचनाएं हों उनको इसी के साथ जोड़ दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष--

वह तो जुड़ेंगी ही, इसमें क्या बात है।

## जिला चमोली के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन्, उत्तरा खंड डिवीजन का निर्माण फरवरी २४, १९६० को हुआ। वहां की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये वहां पर तैनात सभी शासकीय कर्मचारियों को उनके ओहदे के अनुसार १ अप्रैल, १९६० से विशेष वेतन दिया जा रहा है। शासकीय कर्मचारियों की यह सुविधा जिला परिषद् के अध्यापकों के लिये असंतोष तथा क्षोभ का एक चिरस्थायी कारण बन गया है। अतः उनसे तथा उनकी ओर से शासन से बराबर यह मांग की गयी है कि यह सुविधा उनको भी दी जाय।

ऐसे केवल अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक ही नहीं हैं जिनको यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी है बल्कि अन्तरिम जिला परिषद् के अन्य कर्मचारी तथा अन्य अर्द्धशासकीय, कर्मचारी जैसे पंचायतराज मंत्री तथा सहकारी सुपरवाइजर भी इस विशेष वेतन का उपभोग नहीं कर रहे हैं। फिर भी शासन अपने कर्मचारी तथा अन्तरिम जिला परिषद् इत्यादि के कर्मचारियों के बीच इस भिन्नता को मिटाने के इच्छुक है। क्योंकि ये कर्मचारी भी इस सैनिक महत्व के क्षेत्र के विकास के लिये कठिन हालातों में योगदान दे रहे हैं।

राज्य सरकार की कठिनाई यह है कि संकुचित साधन होने के कारण उनके लिये इन अर्द्ध-शासकीय कर्मचारियों के लिये विशेष वेतन पर अनुमानित लगभग ११ लाख रुपया प्रति वर्ष के व्यय को वहन करना असंभव है। अतः भारत सरकार से जो उत्तराखंड की विकास योजनाओं के लिये सहायता दे रही है, एक बार १९६० में तथा दो बार १९६१ में प्रार्थना की गयी कि वे इस मामले में भी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दें परन्तु उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

फिर भी राज्य सरकार अपने सीमित साधनों में जो कुछ संभव हो सकता था, कुछ अन्य प्रकार की सुविधायें जैसे कुछ अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों के लिये स्कूल के अहाते में रहने के आवास, नये स्कूलों के लिये भवन, लिखाई पढ़ाई तथा खेल का सामान इत्यादि लगभग उसी माप से अन्तरिम जिला परिषद् के स्कूलों को देती रही जिस माप से शासकीय स्कूलों को दिया जाता है।

चमोली जिले के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक फिर भी सीमान्त विशेष भत्ते के लिये बराबर मांग करते रहे। उन्होंने सामूहिक रूप से कार्य छोड़ देने की धमकी भी दी। गत अक्तूबर माह में जब शिक्षा मंत्री चमोली गये तब उनके समक्ष भी उन्होंने अपनी यही मांग रखी तथा उसके पूर्ण न होने पर कार्य न करने की धमकी की बात भी कही। उन्होंने अध्यापकों को

ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी तथा उनको यह विश्वास दिलाया कि शासन उनकी शिकायत को दूर करने के लिये हर प्रकार की कोशिश करता रहेगा। इसके फलस्वरूप चमोली जिले के अध्यापकों ने अपने उस निर्णय को जिसके अनुसार उनको दिसम्बर, १९६४ में हड़ताल करना था, १९६५–६६ के बजट अधिवेशन तक स्थगित करने का निश्चय कर दिया।

गत दिसम्बर माह में मैंने केन्द्रीय गृह मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी को राज्य सरकार की उस कठिनाई को समझाने के हेतु मदद देने के लिये व्यक्तिगत रूप से लिखा। मुझे इस बात को बताते हुए हर्ष होता है कि उन्होंने उपर्युक्त कर्मचारियों को विशेष वेतन देने में जो खर्च होगा उसका ५० प्रतिशत स्वयं वहन करना स्वीकार कर लिया है। यद्यपि उन्होंने यह व्यवस्था केवल इस वर्ष के लिये ही स्वीकार की है।

२३ मार्च, १९६५ को जिलाधीश चमोली को यह आदेश दे दिये गये थे कि वे अध्यापकों को हड़ताल न करने के लिये समझावें क्योंकि भारत सरकार, जिसके पास यह मामला विचारार्थ भेजा गया था, कुछ मदद देने के लिये उद्यत मालूम पड़ती हैं। बावजूद इसके चमोली जिले के अध्यापकों ने उसी दिन (२३ मार्च, १९६५) से हड़ताल कर दी। पुनः १ अप्रैल, १९६५ को एक रेडियोग्राम जिलाधीश चमोली को भेजा गया था कि वे अध्यापकों को यह सूचित कर दें कि शासन अपनी पूर्व निश्चय से हटा नहीं है और वे हड़ताल को तुरन्त समाप्त कर दें जिस से शासन इस मामले में शीघ्रता से निर्णय ले सके। इस प्रकार सूचित किये जाने पर अध्यापकों ने ७ अप्रैल, १९६५ को अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाने का निश्चय किया। उनको सुमति आयी और उसी दिन (७ अप्रैल, १९६५) से उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी और ८ अप्रैल, १९६५ से अपना काम करने लगे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, शासन का उस मामले में रुख सदा सहानुभूतिपूर्ण रहा है। अतः जब चमोली के अन्तरिम जिला परिषदीय अध्यापकों ने हड़ताल की तो उनको दुख हुआ। वस्तुतः केवल वे ही ऐसे अशासकीय कर्मचारी नहीं थे जो उस मामले से प्रभावित थे। पिथौरागढ़ तथा उत्तरकाशी के अन्तरिम जिला परिषदीय अध्यापक, अन्तरिम जिला परिषद् के अन्य कर्मचारी, सहकारी सुपरवाइजर तथा पंचायतराज मंत्री भी हैं जो विशेष वेतन का उपभोग नहीं कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि उन कर्मचारियों ने कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया और अपने मामले को आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह तथा वैधानिक रूप से अभिव्यक्त किया है।

चूंकि अब अध्यापकों ने हड़ताल समाप्त कर दी है, इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् इत्यादि के कर्मचारियों को विशेष वेतन की सुविधा देने के प्रश्न पर शासन सक्रियरूप से विचार कर रहा है। यह आशा की जाती है कि उनके द्वारा इस मामले में चन्द दिनों के अन्दर अनुकूल निर्णय लिया जावेगा।

मैं यह भी बता दूं कि विशेष वेतन जो शासकीय कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६० से एक साल के लिये दिया गया था वह अस्थायी रूप से साल व साल चालू किया जा रहा है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद, चमोली, के अध्यापकों ने निर्णय किया है और उसकी सूचना आपको भी दी होगी कि यदि जून, १९६५ तक उनकी सब मांगों को पूरा न कर दिया जायगा तो वह फिर हड़ताल करेंगे —क्या यह सही है?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

ऐसी सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हम तो इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और क्योंकि भारत सरकार भी कुछ इस पर राजी हो गयी है इसलिये मैं आशा करता हूं कि हम इसमें जल्दी ही कुछ निर्णय कर लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—

क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालेगी कि जो स्थिति जिला चमोली में है वही पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में जिला परिषद् की है, लेकिन वहां के अध्यापकों ने हड़ताल नहीं की जब कि चमोली के अध्यापकों को हड़ताल के लिये बाध्य होना पड़ा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप वहां उनके बगल के हैं, आप ज्यादा जानते होंगे ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या मंत्री जी को सूचना है कि उत्तरकाशी के जो अध्यापक है उनको १९६०–६१ तक बोर्डर एलाउन्स मिलता रहा, फिर बन्द कर दिया गया, तो पहले क्यों मिलता रहा और बाद में क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे सूचना चाहिये, लेकिन जहां हम चमोली के बारे में सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के बारे में भी सोच रहे हैं कि उनको भी सुविधा देने का प्रयत्न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वजह है कि दो कैटेगरी के स्कूल चमोली जिले में चल रहे हैं –एक जिला परिषद् के और एक सरकार के? क्या सरकार दोनों का एकीकरण नहीं कर सकती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

साफ बात है कि पहले कुछ स्कूल चालू कर दिये थे, फिर एक नया ढांचा बना जिसमें भारत सरकार ने कुछ खर्चा दिया तो दोनों स्कीमें अलग हैं, दोनों को मिलाने की बहस नहीं है। जहां तक एलाउन्स देने की बात है, हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लिया जायगा ।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

प्रश्न तो यह है कि जब कि सारा जिला चमोली एक बोर्डर एरिया करार दिया गया है, तो उसी के अन्दर सरकार यह फर्क क्यों करती है कि जोशीमठ और ऊपर के स्कूलों में अध्यापकों की तनख्वाह और है और दूसरी जगह के अध्यापकों की और है ? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो चमोली में है ही नहीं फिर सरकार अपने हाथ में उनको लेकर उचित तनख्वाह देने का प्रबन्ध क्यों नहीं करती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वहीं बातें आपने भी मिला दीं । असल में जो बोर्डर के, किनारे के जिले हैं उनमें भत्ता ज्यादा दिया जाता है । जो पास के जिले हैं उनमें सरकार के दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाता है । जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात है . . . .

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि चमोली में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अन्तरिम जिला परिषद् है । उसके अध्यापकों को अलग दिया जाता है और जो सरकारी हैं उनको अलग दिया जाता है ।

श्री गंगाधर मैठाणी—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि चमोली जिले के अन्तरिम जिला परिषद् के स्कूलों में बार्डर एलाउन्स दिया जाता है और वह सन् ६० से पहले भी दिया जाता था और उत्तर प्रदेश सरकार ही उसको देती है, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह बार्डर एलाउन्स नहीं था, वह और एलाउन्स पहले का कोई होगा। उसकी मेरे पास सूचना तो नहीं है। लेकिन जो एलाउन्स पहले से मिलता था अलग परिस्थिति के कारण वह तो हम दे ही रहे हैं। जब से बार्डर बना है तब से हम इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक जो हैं और जो दूसरे अध्यापक हैं उनमें भेदभाव कम से कम रहे।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

क्या माननीय मंत्री जी बार्डर की परिस्थिति को देखते हुए वहां के अध्यापकों के ग्रेड इत्यादि के मामले में जो भेदभाव है उसको दूर करके जो सरकारी अध्यापक हैं और अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक हैं सब के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट और डीयरनेस एलाउन्स एक करने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह तो सब मैंने अपने स्टेटमेन्ट में पढ़ा ही है कि हम बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इसको देख रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

बार्डर डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके अलावा जैसे टेहरी है, वहां भी यही फर्क है कि जो जिला परिषद् में स्कूल विलीन हो गए उनके अध्यापकों की तनख्वाह और जो सरकार की तरफ से स्कूल चल रहे हैं उनकी तनख्वाह में काफी अन्तर है, तो क्या सरकार इस विषय के ऊपर भी विचार करेगी, क्योंकि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में टेहरी नहीं आता है, लेकिन वहां भी भेदभाव है, तो उस भेदभाव को दूर करने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

टेहरी का तो यह सवाल नहीं है। वह तो एजूकेशन वालों से बात कीजिए।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब प्रदेश के कोने कोने में जिला परिषद् कानून लागू है तो चमोली में अन्तरिम ही क्यों रह गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह तो साफ ही है क्योंकि वह बार्डर जिला है और वहां बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिये ऐसा करना पड़ा।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुए कि चमोली हमारे सीमान्त अन्चल का जिला है जिसकी सरहद तिब्बत से मिलती है, सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी कि पहाड़ी क्षेत्रों से आये हुए विधायकों, और वहां के सरकारी अधिकारियों की एक कमेटी बनायी जाय जो पूरे सीमान्त अंचल के जो जिले हैं उनके मसलों और दूसरे पर्वतीय जिलों, जैसे

[श्री झारखंडे राय]

टेहरी वगैरह है, उनके मसलों पर विचार करके ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे किसी भी प्रकार का असन्तोष कभी भी वहां न होने पाये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी आवश्यकता नहीं है। जो मांग है उस पर हम बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। माननीया मुख्य मंत्री ने अपने आप कई बार प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है और बहुत सी चीजे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया द्वारा मान भी ली गई हैं। तो उसके लिये कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंचायत राज के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनकी भी तनख्वाह कम है। तो उनकी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारे अध्यापक हैं, उनकी स्थिति तो विशेष है, क्योंकि हमारी भावी सन्तति उनके हाथों में है जैसे कि संगतराश के हाथ में बेडौल पत्थर होता है और उनको बनाने का काम उसका होता है, उसी प्रकार से अध्यापकों के हाथ में जो हमारे बच्चे हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी उनकी होती है इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वह बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। अतः मेरी यह मांग है कि जो अध्यापक लोग हैं जिला परिषद् चमोली के, उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार शीघ्रातिशीघ्र किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह तो वह कह ही रहे हैं।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम ५२ को आपके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिये हुई कि सीमान्त खन्ड के प्रथम निर्माण के पश्चात एक विषम परिस्थिति इस सीमा तक पहुंच गई है कि जिसने ईर्ष्या, द्वेष समान कार्य करने वालों में पैदा कर दिया। अध्यापकों की मांग है कि अन्तरिम जिला परिषद् की जो दोनों प्रकार की पाठलालाएं हैं, उनका शासकीयकरण कर दिया जाय। क्या सरकार उनकी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो आप से अर्ज कर दिया कि हम शांति पूर्वक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनको भी बार्डर एलाउन्स दें, क्योंकि उनके देने में भारत सरकार को भी कुछ देना था और ११ लाख रुपये की बात है, इसलिये भारत सरकार को हमने लिखा और वह इस बात के लिये तैयार हो गई है। अब हम उस पर जल्दी से जल्दी सहानुभूति के साथ कोई निर्णय लेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)—

जिला परिषद् जब नहीं बनी हुई है, तो अन्तरिम जिला परिषद् के स्कूलों को चलाने के लिये क्या खास कारण हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आप स्वयं जानते होंगे, क्योंकि आप वहां के एम० एल० ए० हैं,।

गंगाधर मैठाणी—

क्या प्रदेश की सरकार भारत सरकार से अनुरोध करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् की जितनी पाठशालाएं हैं, उनको उत्तराखन्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जो यहां दो किस्म के स्कूल रहने की वजह से लोगों के मन में क्षोभ पैदा हुआ है, यह परिस्थिति इसलिये हो गई कि बार्डर के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने वहां अच्छे स्कूल खोले हैं जिसकी वजह से पुराने स्कूल के कर्मचारियों में इस प्रकार का रोष और विषमता हो गई है जो डिजायरेबिल नहीं है। इसलिये हम प्रयास कर रहे हैं कि उनमें जो अन्तर है, उसको घटाएं। मगर एक साथ सारा का सारा सरकार अपने हाथ में ले ले इसमें बहुत से फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष और जिला परिषद् के अध्यक्ष के अधिकारों में तो कोई फर्क है नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह विषय समाप्त हुआ।

## जन संघ विधान मण्डल दल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना यह देनी है कि जनसंघ द्वारा हमें यह सूचना मिली है कि उनके नेता विधान सभा दल के माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी हैं, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद उपनेता विधान सभा दल श्री कृष्ण पाल सिंह मंत्री, श्री हिम्मत सिंह, सह मंत्री, श्री हरीश कुमार गंगवार, सह मंत्री, श्री हरिनाथ तिवारी, ऐडवोकेट, मुख्य सचेतक श्री राजेन्द्र सिंह, सचेतक तथा श्री रक्षपाल सिंह, सचेतक हुए हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

बस्ती जिले के आज कल लीडर हो रहे हैं।

## श्री नेकराम शर्मा द्वारा श्री कन्हैयालाल मिश्र, एडवोकेट जनरल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, आपने हमारे ऐडवोकेट जनरल का भाषण जो उन्होंने अपर हाउस में दिया, पढ़ा होगा और मैं स्वयं अपर हाउस में मौजूद था, उन्होंने यह कहा कि आपने मुख्य मंत्री के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बहस न करने दी और मुख्य मंत्री ने शायद उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बहस न कीजिये। यह सत्य है कि या असत्य है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमने उनको कभी नहीं रोका और हमने उनसे प्रार्थना की थी और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार रिजोलूशन अमेन्ड कराया था। बहस करने के लिये उन्होंने कहा था कि मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एडवोकेट जनरल की हैसियत से बुलाया है—

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर दे दीजिएगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं इसका नोटिस दिये दे रहा हूं और बाकी लिखकर भी दे दूंगा आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की आज्ञा दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

कानूनी कमेटी ने कहा था कि हमारे बयान पर बहस कीजिएगा और आप अपनी बहस न कीजिएगा। भला वह कानून का जानने वाला इनकी क्या बहस करेगा?

श्री अध्यक्ष--

यह विषय इस समय सदन में नहीं है।

## लोक लेखा समिति के लिए विधान परिषद् के ५ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को विधान सभा की वित्तीय वर्ष १९६५-६६ की लोक सेवा समिति में सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करें। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को विधान सभा की वित्तीय वर्ष १९६५-६६ की लोक लेखा समिति में सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो तो ऐसे ५ सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## प्रतिनिहित विधायन समिति के लिए विधान परिषद् के ४ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सभापति, विधान परिषद् से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६५-६६) में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सभापति, विधान परिषद से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६५-६६) में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ४ सदस्यों को मनोनीत करके उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

(प्रश्न उपास्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

# †उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

श्री चतुर्भुज शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, यह बहुत दिनों से विचार था कि इस प्रकार की परिषद् इस प्रदेश ही में बनाई जाय । नागरीकरण बढ़ रहा है और उसका बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जहां शहरों और नगरों की तादाद बढ़ती है वहां मकानों का अभाव रहता है, उतनी तेजी से मकान नहीं बन पाते हैं । मकानों की समस्या सब से पहले उसके बाद शहरों का और नगरों का डेवलपमेन्ट सही तरीके से हो, यह भी जरूरी है । यह काम अभी महानगरमहापालिका या नगरपालिकाएं करती थीं, लेकिन यह देखा गया कि जिस तरह से यह काम तेजी से चलना चाहिए, उस तरह से नहीं चल पाया है। खासतौर से मकानों के बनाने में काफी दिक्कत आई और भी डेवलपमेन्ट के काम कोई नहीं हुए । जब डेवलपमेन्ट बोर्ड था, उसमें कुछ काम किया था, लेकिन नगरमहापालिकाओं के बनने के बाद बड़े बड़े शहरों में खास तौर से यह काम नहीं हुआ । इसके लिये यह विचारणीय बात थी कि एक हाउसिंग और डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाया जाय। विभिन्न प्रदेशों के आवास मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है, उसमें यह सिद्धान्त मूल रुप से माना गया और हर साल यह जोर दिया जाता रहा कि हर प्रदेश में इस तरह की परिषदें हों और तजुर्बे ने यह बताया कि जिन प्रदेशों ने ऐसी परिषदें कायम कीं वहां भवन निर्माण का और विकास का भी काम अधिक हुआ है । बम्बई महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन सब में यह परिषदें बन गई हैं । पंजाब और बिहार में भी शायद इस तरह के विधेयक पास हुए हैं । खास तौर से महाराष्ट्र में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत तेजी से काम हुआ । गत वर्ष में बाम्बे शहर में ही साढ़े चार हजार के लगभग मकान बने और उनकी १९ हजार मकान बनाने की योजना है। इस तरह के बोर्ड और प्रदेशों में भी है । इस संबंध में हमारे मंत्री परिषद् की बैठक हुई और उसकी उप-समिति की भी कई बैठकें हुई । इस विषय में विचार किया गया और यह तय हुआ कि यह विधेयक सदन में लाया जाय । इसलिये आज यह विधेयक व इस सदन में विचार के लिये रखा जा रहा हैं ।

इसकी मोटी मोटी बातें ये हैं । यह परिषद् तीन साल के लिये हुआ करेगा इसमें मुख्तलिफ सदस्य होंगे । इसका एक अध्यक्ष होगा । राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जायगा । इनमें से एक नगर महापालिका का नगर प्रमुख होगा । एक आर्किटेक्चर होगा या जहां इंजीनियर होगा, वहां इंजीनियर होगा क्योंकि नगर प्रमुख का कार्यकाल १ वर्ष का होता है इसलिये वह एक साल के लिये ही हुआ करेगा । एक सचिव, वित्त विभाग होगा । एक सचिव निवास, विभाग होगा । एक सचिव, स्वायत्त शासन विभाग होगा, मुख्य अभियंता, नगर तथा ग्राम नियोजन तथा मुख्य अभियन्ता, अभियंत्रण विभाग और अगर निवास आयुक्त होगा तो वह भी होगा । ये पदेन सदस्य होंगे । इस बोर्ड का मुख्य काम भवनों का निर्माण और नगर का विकास करना होगा ।

यह बोर्ड बड़ी जिम्मेदारी का बोर्ड होगा । इसके खास खास कामों में भवन निर्माण की योजनायें बनाना होगा। मलिन बस्तियों का काम भी इसके सिपुर्द होगा । मलिन बस्तियों को गिराना और नये तरह से उनको बनाना होगा । इसके अलावा कुछ

---

†८ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दिनों से हाउसिंग के लिये कर्जा देने में बैन्कों की तरफ से कुछ अड़चन पैदा हो रही है। अतः परिषद् का यह काम भी होगा कि वह लोगों को मकान बनाने के लिये कर्जा दे और जो छोटी आय वालों और मध्यम आय वर्ग को जो कर्जा बैन्कों से दिया जाता था, वह अब इस बोर्ड के द्वारा दिया जाया करेगा। इसके अलावा इस परिषद् को यह भी अधिकार होगा कि वह अपने आप बाजार में कर्जे की मांग करके कर्जा लेकर अपनी योजनाओं को पूरा करे।

इसके अलवा शहरों में जो सरकारी संपत्ति है उसकी ठीक प्रकार से देख भाल नहीं हो पा रही है। नजूल लैन्ड के बारे में माननीय सदस्यों को ज्ञात ही होगा। वह संपत्ति भी इसके अधिकार में होगी। परिषद् उसको भी पट्टे पर उठा सकेगा। इसके अलावा विकास और डेवलपमेन्ट का काम भी परिषद् के पास होगा। इसके साथ साथ योजना बनाना, प्लान और नक्शे बनवाना आदि कार्य भी वह करेगा, उन सब का वर्णन इस विधेयक में है और उस पर अधिक विचार विस्तारपूर्वक तब होगा जब कि.....

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब हरिजनों और छिड़े वर्ग के लोगों की जो मकानों की समस्या है वह सारे सूबे में है, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व का कोई प्राविजन इसमें नहीं है। ऐसी कोई बात उनके लिये रखी जाय, मंत्री जी इस पर भी जरा प्रकाश डालें कि उनके प्रतिनिधि रखें जायेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

अभी तो मंत्री जी का यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय यह मौका सब को मिलेगा, वहां भी सुझाव दिये जा सकते हैं। अभी यहां पर जो बहस होगी उसमें भी आप सुझाव दे सकते हैं और समिति से वापस आने पर यहां फिर विचार होगा, तब भी आप सुझाव दे सकते हैं। अभी आप उन्हें कहने दीजिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

बहुत ठीक आपने कहा, यह भी हमारे विचाराधीन है जो भी हरिजनों के आवास निर्माण के कार्य होंगे उन सब पर इसमें विचार होगा, यह सवाल बाद में पैदा होगा। पहले उसके गुणों पर और तमाम बातों पर हम विचार कर लें। मैं यह बता रहा हूं कि उसके मोटे मोटे कार्य क्या होंगे। आवास और सुधार योजनाओं का बनाना, उनका कार्यान्वियन करना, विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्राविधिक परामर्श देना, अचल संपत्तियों का प्रबन्ध करना जो राज्य सरकार की, भवनों के शीघ्र निर्माण और अन्वेषण कार्य जिससे व्यय कम हो, इमारती, सामान का निर्माण और उत्पादन की व्यवस्था आदि उसके कार्य होंगे। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जिस तरह से इसकी जरुरत होगी यह परिषद् अपने साधन मौहैया करेगी। यह विधेयक इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अपने प्रदेश में ५ महानगरपालिकायें हैं और १७-१८ ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर है और इन स्थानों पर कोई न कोई विकास के कार्य हो रहे हैं और कोई न कोई योजना आ रही है इसलिये यह आवश्यक है कि कोई ऐसी एजेन्सी हो जो इन कामों को जल्दी और सुचारु रुप से कर सके। इसीलिये इसमें रखा गया है कि यह परिषद् अपना स्टाफ रखेगी, उसके अपने इंजीनियर्स होंगे, अपने अधिकारी होंगे और उनके द्वारा यह निर्माण के कार्य जल्दी से जल्दी कराये जायेंगे। इसमें यह प्राविधान भी है कि अगर पी० डब्लू० डी० से और स्थानीय निकायों या महानगरपालिकाओं के इंजीनियर्स से कोई काम करना चाहे तो परिषद् करा सकेगी। इसमें उसको कोई दिक्कत न होगी।

एक बात मैं और बता दूं कि अभी शुरु शुरू में यह परिषद् सारे सूबे में काम चलाने में समर्थन न हो सकेगी। इसलिये अभी कुछ चुने हुए नगरों में हो जहां काम की अधिक आवश्यकता है परिषद् का काम होगा और जैसे-जैसे उसकी सामर्थ्य बढ़ती जायगी उसका काम आगे बढ़ाते जायेंगे। जिन जगहों पर जो योजनायें चल रही हैं उनके लिये इस परिषद् के पास अपना स्टाक वगैरह होगा और आशा ऐसी की जाती है कि जैसा कि और प्रदेशो का तजुर्बा है कि इस परिषद् के कायम होने पर हमारा काम अच्छी तरह से और तेजी से चलेगा। अर्ज किया कि बंबई में और महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहां केवल आवास और हाउसिंग बोर्ड है पर हमने मद्रास के पैटर्न पर यह विधेयक तैयार किया है, वहां पर अन्वेषण और विकास दोनों कार्य परिषद् करती है। उसी के आधार पर हम ने इस बिल में कुछ बातें रखी हैं और कुछ बातें हमने अपने विचार से इसमें ऐसी रखीं हैं जो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आवश्यक थीं। मैंने तो ये मोटी मोटी बातें, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन में मैंने रखीं और मैं यह चाहूंगा कि इस विधेयक पर इस सदन के माननीय सदस्यगण अपनी राय हमें दें। मेरी प्रार्थना यह भी है कि यद्यपि इसमें कोई बहुत जल्दी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जल्दी जो है वह इसलिए है कि यह काम छोटा सा है—हाउसिंग का काम और लोन्स आदि का। जितनी जल्दी हमारा बोर्ड बन जायगा, उतनी ही जल्दी कर्ज देने का सवाल निपट जायगा और दूसरे काम भी शुरू हो जायेंगे, जो अभी तक नगरपालिकाएं नहीं कर रहीं हैं। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि दोनों सदनों की ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी इस पर शीघ्र विचार करे और उनके जो सुझाव हों उन पर विचार किया जा सके। आज इस विधेयक पर सदन में विचार किया जा सके और फिर विशेष रूप से संयुक्त प्रवर समिति में इस पर विचार हो। इसलिए मैंने यह अर्ज किया ताकि जल्दी से भी हो सके और इस विधेयक पर पूरा पूरा विचार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के संमुख प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगी।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५" को जनमत संग्रह के लिए भेजकर १ मास तक घुमाया जाय।

श्रीमन्, यह एक ऐसा विधेयक है जिसको माननीय चर्तुभुज शर्मा, जिन्होंने इस विधेयक को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, सदन में प्रस्तुत न करते। मैं तो यह चाहता कि अगर माननीय बनारसी दास जी इसको सदन में प्रस्तुत करते तो ज्यादा सुन्दर होता। इसका कारण यह है कि माननीय चर्तुभुज शर्मा जी तो देहात के रहने वाले हैं, देहात से उनकी जानकारी है। उनका देहात से प्रेम है, किसानों से प्रेम है। इसलिए मैं और भी चाहता था कि अगर माननीय बनारसी दास जी ने इस विधेयक को पेश किया होता तो ज्यादा उपयुक्त होता।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, आरंभ से अन्त तक इसको मैंने पढ़ा है। मुझे आश्चर्य हुआ इसको देखकर कि इस स्वतंत्रता के युग में भी, जब कि हमारा देश स्वतंत्र है, ऐसा विधेयक इस सदन में लाया गया है।

नेहरू जी जब जिन्दा थे तब उन्होंने यह कहा था कि हिन्दुस्तान लाखों गांवों में है और जब तक ये लाखों गांव नहीं उठते, नहीं जगते, नहीं बढ़ते तब तक देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। यह चीज हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने रखी थी। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब यहां पर हिन्दी का प्रश्न आया तो उनकी दुहाई देकर यह कहा गया है कि नेहरू जी ने आश्वासन दिया था कि जबरदस्ती हिन्दी को किसी के ऊपर नहीं लादना चाहिए। माननीय मंत्री जी, जो कि कांग्रेस पक्ष से हैं, को स्मरण होगा कि नेहरू जी ने भी यही कहा था कि गांवों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

उन्नति हमें करनी चाहिए और जब तक गांव नहीं उठते, नहीं जगते और नहीं बढ़ते तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं होगा। एक ओर यह माना है कि नेहरू जी की नीति तो यह है। दूसरी नीति जो आपकी इस पुस्तिका में है जिसे अनमोल बोल कहते हैं, इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जब सरकार से पूछा जाता है कि ये अस्पताल हमारे खाली पड़े हुए हैं तो माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि डाक्टरों की कमी है। इतना ही नहीं, यह भी बतलाया जाता है कि शहर के लोग गांव जाना पसन्द नहीं करते हैं और आज यह बिल इसलिए लाय जा रहा है कि गांव के लोग शहरों में ज्यादा जा रहे हैं इसलिए उनको बसाने का प्राविधान किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसी प्रवृत्ति क्यों पैदा करना चाहते हैं कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों में बसें जब कि नेहरू जी की प्रेरणा थी, नीति थी, आवाज थी कि हमारे गांव ऊंचे हों और वहां के रहने वालों को वह चीजें प्राप्त हो सकें जो शहर के रहने वालों को प्राप्त हैं। जब आपने समाजवादी व्यवस्था स्वीकार कर ली है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें हर आदमी को आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता मिले और हर एक को समान अवसर अपनी प्रगति का मिल सके। फिर इसका क्या कारण है कि आपकी दृष्टि शहरों की ओर अधिक जा रही है और देहात को भुलाया जा रहा है? यह भी निर्विवाद सत्य है कि जितनी हमारे देश की आमदनी है उसका ३/४ हिस्सा गांव से आता है और खर्चा जाता है शहरों में। जहां की आबादी २० प्रतिशत है, वहां अधिक खर्चा किया जाता है और जहां ८० प्रतिशत आदमी रहते हैं वहां खर्चा बहुत कम होता है। जो सांख्यकी विभाग है सरकार का उसकी रिपोर्ट से स्पष्ट ज्ञात होता है कि पर कैपिटा इन्कम शहरों में बढ़ती जा रही है जब कि देहात में घटती जा रही है। लेकिन शहरों की अपेक्षा देहातों पर टैक्सेसन अधिक होता जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स का बकाया है और उसकी वसूली के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करती, लेकिन देहात में मालगुजारी के नाम पर किसी किसान पर कुछ भी बकाया रहा जाता है तो डंडे के बल पर उससे वसूली की जाती है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने यह बात कही थी कि गांव को स्वर्ग बनाइये। तो क्या वजह है कि आप शहरों को स्वर्ग बनाना चाहते हैं?

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है शुरू से आखिर तक अगर पढ़ा जाय तो यह मालूम होता है कि टायरेंट रूल बनाया गया है। कमेटियों के संबंध में जो परिषद् होगी उसके कई मेम्बर्स होंगे। खंड ३ के उपखंड ५ में परिषद् के कांस्टीट्यूशन का जिक्र किया गया है और उसका गठन जिस प्रकार किया गया है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा यह सिर्फ सरकारी कमेटी बनाई गई है। नाम मात्र को उसमें एक नगरपालिका का प्रतिनिधि मजबूरन रख दिया गया है, वर्ना मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जितने सरकारी अफसर हैं उनको ही उसमें रख देते।

मैं यह चाहता था कि अगर मंत्री जी नगरपालिका के अध्यक्ष को रखना चाहते हैं तो जो अच्छा हो उसको इलेक्शन के जरिए आने देना चाहिए। अगर नामीनेशन से रखा जायगा तो जिसका दबाव मंत्री जी के ऊपर पड़ेगा या सरकार के ऊपर पड़ेगा वही आदमी चुना जायगा। इसलिए मैं समझता हूं कि नाम निर्देशन की प्रथा बिलकुल गलत है और इस जमाने में जबकि हर प्रकार के दबाव सरकार पर पड़ सकते हैं तो यह प्रथा बिलकुल नहीं होनी चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि नामीनेशन में यह भी रखा है कि एक अभियन्ता भी होगा। जब मुख्य अभियन्ता, नगर तथा ग्राम, नियोजन विभाग और मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन विभाग रख रहे हैं, तो फिर अभियन्ता के रखने की क्या जरूरत है? (व्यवधान) मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक का अभियन्ता हो तो पब्लिक का तो कोई अभियन्ता होता नहीं है। अभियन्ता तो सरकारी नौकर ही होता है, अगर वह रिटायर हो जाय तो उसको मौका दे रहे हैं। वही बात होगी जो रिटायर्ड जजेज के लिए कर रहे हैं। किसी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिया

है और किसी को हाई कमिश्नर बना दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इस तरह से प्रलोभन देना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात मंत्री जी को नहीं करनी चाहिए।

अब श्रीमन्, खंड ४ को देखें उसमें एक अजीबोगरीब चीज है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह ड्राफ्टिंग किस प्रेरणा से की गई है? इसमें यह दिया गया है कि "अध्यक्ष या सदस्य, आदि होने के लिए अनर्हताएं--कोई भी व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष या सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह--

(क) नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिए सिद्ध दोष हो;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो; ...."

यह सब चीजें इसमें दी गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कर्मचारी भी आते हैं या अन्य पदों पर भी हैं, जैसे इसमें अध्यक्ष के लिए आया है कि आवास आयुक्त भी अध्यक्ष चुना जायगा। यदि वह अध्यक्ष चुना जायगा तो जो मंत्री जी रख रहे हैं कि पागल हो या दिवालिया हो, ये चीजें किस पर एप्लाई करेंगी क्योंकि आपकी सारी कमेटी सरकारी होगी। एक आध को आपने कहीं भेज दिया तो उसके लिए यह है, यह बात दूसरी है। नियमों में ऐसा होना चाहिए कि कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके लिए यह लागू हों तब तो ठीक है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि यह सरकारी कमेटी है, तो यह कैसे लागू किए जायेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी?

एक बात यह भी है कि यदि आवास आयुक्त अध्यक्ष हो गया तो वह जन्म जन्मान्तर के के लिए हो जायगा। बाहर का आदमी तो केवल तीन वर्ष के लिए रहेगा लेकिन अगर आयुक्त हो गया तो जब तक वह नौकरी में रहेगा या जब तक आयुक्त रहेगा तब तक बराबर वह अध्यक्ष बना रहेगा। श्रीमन्, हर चीज की कोई सीमा होती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मंत्री जी का इधर ध्यान कैसे गया कि आयुक्त को हमेशा के लिए अध्यक्ष बना दिया जाय?

श्रीमन, तीसरी बात यह है कि खंड ५ में प्रतिबंध यह है कि "प्रतिबंध यह है कि ऐसे सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट नगर प्रमुख की दशा में, सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल तब समाप्त हो जायगा जब वह नगर प्रमुख के पद पर न रह जाय।" एक बार जब वह कमेटी के मेम्बर हो गये और जब वे कंटीन्यू नहीं करेंगे तो फिर तीन वर्ष की मियाद आप किस पर एप्लाई करेंगे? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अधिकारियों की नियुक्ति की ओर। जहां तक उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल है, अगर हम देखें, नगर महापालिका के जो नियम १९५९ में बने उसकी संख्या १६० की तरफ में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि २०० रुपये से कम नहीं होगी। यानी जिन लोगों का इनीशियल वेतन २०० रुपये या उससे अधिक होगा, उनका अप्वाइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होगा। जबकि आप नगर महापालिका के जरिए इस विधेयक को लागू करना चाहते हैं, तो फिर ५०० रुपये या उससे ऊपर के लोग होंगे, उनके लिए ही आप लोक सेवा आयोग के परामर्श की बात क्यों कर रहे हैं? लोक सेवा आयोग से ही परामर्श करने की बात है, तो क्या वजह है कि २०० रुपया या इससे ऊपर के जो अधिकारी होंगे उनके लिए आयोग से परामर्श नहीं होगा, उनका अप्वाइन्टमेंट और कन्फर्मेशन उनकी सिफारिश से नहीं होगा? क्या वजह है कि आपने इसमें २०० रुपये की सीमा को ५०० रुपये तक बढ़ा दिया है?

अब पावर्स के बारे में भी बहुत सी बातें हैं, उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सवाल है, आप जब एक परिषद् स्थापित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि परिषद् एक ठेकेदार नहीं है, उसका काम ठेकेदारी का नहीं है। उसका काम तो यह होना चाहिए कि जहां पर आवास

[श्री कमलासिंह यादव]

की लोगों को जरूरत है, वहां पब्लिक में उनके पास भूमि है तो उनको पब्लिक को यह पावर देनी चाहिए कि ठीक तरीके पर वह अपनी भूमि पर भवन वगैरह बना सकें और इसके बाद वह जो रुपया कर्ज के रूप में दें उसको धीरे-धीरे वसूल करें। असल में यह उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं---अभी माननीय मंत्री जी ने मद्रास की बात की, बांबे की बात की। तो उसके बारे में श्रीमन्, एक किताब छपी है---"हाऊसिंग दी होमलेस", उसके पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि हमारी गवर्नमेंट इस मामले में बिलकुल असफल रही है शुरू से आखिर तक और रुपये का बिलकुल वेस्टेज हुआ है। उसका एक कारण यह भी है कि माननीय मंत्री जी का कण्ट्रोल उनके अधिकारियों पर नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि मुझे अभी मालुम हुआ है, श्रीमन्, टाउन और विलेज प्लानर जो हैं, जो कि मुख्य इंजीनियर हैं, उनको वहां पी० डब्लू० डिपार्टमेंट से लाया गया है और ६ महीने हुए माननीय मंत्री जी को आदेश दिये कि वह अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जायें, किंतु वह वापस नहीं जा रहे हैं, छुट्टी लेकर छुट्टी पर ही रहे हैं। लेकिन अभी तक माननीय मंत्री जी उन्हें वापस नहीं कर पाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कमजोरी माननीय मंत्री जी की तरफ से क्यों है? क्यों आदेश का पालन नहीं हुआ है? क्या कारण है कि ६ महिने बीत जाने के बावजूद भी वह नहीं जा रहे हैं और छुट्टी पर बराबर चल रहे हैं। एक ज्वलन्त उदाहरण जो कि आवास मंत्रणा की यह परिषद बनाई जा रही है, उसके बारे में है। अभी मैंने यह बताया कि यह एक सरकारी कमेटी बन रही है, सरकारी हुकूमत इसमें कायम की जा रही है और जिसकी जमीन चाहे यह कमेटी छीन सकती है, जिस तरीके पर चाहे उससे रोजगार कर सकती है, लोगों पर शासन कर सकती है, पैसा पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर गाजियाबाद में प्लान योजना के अन्तर्गत ४१ कालोनीज है जिनकी सैंक्शन ३१ दिसम्बर, १९५९ से ८ अगस्त, १९६४ तक थी। अगर सी० आई० डी० और विजीलेंस कमीशन के द्वारा उसकी जांच हो जाय तो पता चलेगा कि लाखों करोड़ों की वसूली हुई है। माननीय मंत्री जी को एक पत्र २७ अक्तूबर, ६४ को वहां के लोगों ने भेजा था, पता नहीं उनको मिला या नहीं, लेकिन उसकी एक प्रतिलिपि मेरे पास है और मैं दावे से कह सकता हूं कि विजीलेंस कमीशन को दे दिया जाय यह मामला, तो लाखों रुपयों की गड़बड़ी का पता चलेगा। कितनी गन्दगी है? मकान का नक्शा बन गया और वह प्लान मुख्य अभियन्ता को गया, और बारबार वापस आया और अभियन्ता जी जब खुश हुए तब सैंक्शन मिली। अगर हम इस तरह की गन्दगी को बरदाश्त करते हैं तो अच्छा नहीं होगा।

एक बात और है। सचिव की बात इसमें दी हुई है। मैं कहता हूं कि अगर सचिव, लि० एस० जी० (कन्सर्न्ड) की जांच कर लें तो पता चलेगा कि २ लाख रुपये की उनकी बलडिंग देहरादून में बनी हुई है और वह उस वक्त बनी थी जब सीमेंट की कमी थी।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

इस तरह से अगर आरोप किये जायेंगे जिनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है तब तो बहस का स्तर कहां पहुंचेगा, यह सोचने की बात है।

श्री अधिष्ठाता--

वे बैठ जायें तब आप कुछ कहिए। जब तक वह नहीं बैठते हैं मंत्री कुछ न कहें। कमलासिंह जी क्या आप मंत्री को सुनना चाहेंगे?

श्री कमलासिंह यादव--

अब क्या सुनूं? उन्होंने कह तो दिया है। मैं इस बात को कह रहा था कि इसमें सचिव को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन सचिव भी निर्दोष नहीं है, इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया। अगर सीमेंट की इन्क्वायरी करा ली जाय तो सारा भंडा फोड़ हो जायगा। लेकिन माननीय मंत्री जी का भी दोष नहीं है, क्योंकि यह तो सरकार की परिपाटी ही है। श्रीमन्, अगर मैं एक उदाहरण देने में इस विधेयक से बाहर जाऊं तो मुझे क्षमा किया जाय। हमारे यहां एक नेशनल होम्योपैथिक कालेज है। उसके प्रिंसिपल शर्मा जी हैं। मैंने इस

सदन में एक प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया था कि उसने प्रमाण-पत्र बड़े फ्राड से आबटेन किया था और होम्योपैथिक बोर्ड ने भी यही कहा था कि वह प्रिंसिपल नहीं हो सकते, लेकिन इस डिक्लेरेशन के बाद भी वह आज तक ऐज प्रिंसिपल कंटिन्यु कर रहे हैं और ८ सौ रुपया उनको वेतन दिया जा रहा है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस समय सामान्य विवाद चल रहा है किन्तु क्या विधेयक के बाहर की बातों का इस विधेयक के संबंध में उल्लेख किया जा सकता है? क्या यह संगत है ?

श्री अधिष्ठाता—

कोई उदाहरण दिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मिश्र जी से एक बात जानाना चाहता हूं कि इस विधेयक की जरूरत ही क्या है ? मेरे खयाल से तो यह विधेयक ही अनावश्यक है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरी बात से मिश्र जी को थोड़ी तकलीफ हुई, हालांकि मैं चाहता नहीं था कि इस तरह की कोई बात कहूं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं तो उनके पास मैं यह भेज दूंगा जो गाजियाबाद की चीज है। अगर माननीय मंत्री जी वाकई चाहते हैं कि कोई भी आपका प्लान सुव्यवस्थित ढंग से चले तो उसके लिए सबसे पहली चीज यह होगी कि वह रुपया जो हम प्लान चलाने के लिए देते हैं वह किसकी जेब में रुकता है, उसको टटोलना होगा। यह रुपया किसी एक की जेब में या दो की जेब में गैरनियमित तरीके से पहुंचता है तो जब तक आप इस रोग पर कुछ रोक नहीं लगायेंगे तब तक आपकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकेगी।

एक बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि यह भेज दें, तो मैं भेज दूंगा। जहां तक इस विधेयक का संबंध है आप देखें कि माननीय मंत्री जी को आमदनी कैसे होगी। आमदनी के बारे में माननीय मंत्री जी ने दो तीन तरीके अपनाये हैं। पहला तो यह है कि एक टैक्सेशन लगायेंगे आसुधार शुल्क जो इस विधेयक के अध्याय ४ के सेक्शन ५० में दिया गया है। वह इस प्रकार है—

> (१) "जब परिषद् की राय में, किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र मे किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायगा तो, परिषद् योजना बनाते समय यह घोषणा कर सकती है कि योजना के निष्पादन के फलस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के संबंध में भूमि के स्वामी या उसमें स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आसुधार शुल्क देय होगा।"

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि गाजियाबाद के बारे में एक चीज खास तरीके से की गयी है और वह यह कि जो प्लानर थे उनको आपने १ करोड़ ८९ लाख रुपया दिया और जो शहर के बाहर की जमीन आपने ली उसका मुआविजा ६ करोड़ रुपया हो गया। तो आपकी कैपिटल आमदनी तो है १ करोड़ ८९ लाख रुपया और ६ करोड़ सिर्फ जमीन का कम्पेनसेशन दिया जायगा। तो आखिर आप उसे कहां से अदा करेंगे ? इसलिए जितना काम आप कराना चाहते हैं उतनी ही जमीन एक्वायर करें या उतना ही प्लान बनावें। प्लान तो आपने ६ हजार एकड़ जमीन लेने का बना दिया जिसका कम्पेनसेशन ६ करोड़ होता है और आपकी कैपिटल १ करोड़ ८९ लाख है, जिससे लोगों में असन्तोष ही असन्तोष है क्योंकि आप उनको कम्पेनसेशन समय से नहीं दे पा रहे हैं। इस जमाने में जब कि इतनी उपयुक्त और कीमती

[श्री कमलासिंह यादव]

जमीन को जब से आपने एक्वायर कर लिया है तब से उसमें खाद्यान्न का उत्पादन भी बन्द हो गया। इतना ही नहीं, शहर के करीब की जमीन में हम कुछ सब्जी वगैरह बोते थे जिससे हजारों रुपए पैदा करते थे, उस सब्जी का बोना भी खतम हो गया, जिसका नतीजा यह है कि आज शहरों में सब्जी के भाव बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं। एक तो खाद्यान्न की कमी और दूसरे सब्जी के भाव इतने ऊंचे हो गए हैं कि उसका प्रभाव खाद्यान्न पर फिर पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि अगर आपने इस विधेयक के जरिए से नगरपालिका या महापालिका को लेने की कोशिश की और उसकी सारी जमीन पर मकान बनाने का काम शुरू किया तो मैं समझता हूं वही दशा होगी जो कि गाजियाबाद में हुई है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जितनी आपके पास आमदनी है, जितना पैसा है और जितना काम कर सकें, उतनी जमीन ही आपको एक्वायर करनी चाहिए और उतने ही प्लान को कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि जो डिसेन्ट्रलाइज पालिसी थी उसको ही आप अमल में लाते। हर नगरपालिका के पास और हर एक नगर महापालिका के पास अपने इंजीनियर होते हैं तो हर जगह के लिए प्लान बनवा कर आप भेज देते और उस प्लान को आप इन्फोर्स करते। अगर उस परिषद् का यह काम होता तो मैं इसकी तारीफ करता क्योंकि अब स्वतन्त्रता के बाद युग बदल रहा है। जितने मकान बन रहे हैं वह नए प्लान के मुताबिक बन रहे हैं और बनने भी चाहिए। आज तो ऐसे प्लान बनने चाहिए कि जिनमें जमीन कम से कम लगे और लोगों को अधिक से अधिक रहने का साधन इकट्ठा हो जाय, लेकिन बात उलटी जा रही है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि यह जो परिषद् बना कर मकान बनाने की योजना है और नगरपालिका और नगर महापालिका के सब कामों को आप एक बाडी को देना चाहते हैं यह बड़ी गलत बात होगी। अच्छा तो यह था कि जिस तरह से डिसेन्ट्रलाइज हो रहा है वह चलता और अगर उनके पास पैसे की कमी होती तो उसमें उनको अधिक से अधिक पैसा देते, ताकि वे अपना सुधार कर सकतीं और उनकी आमदनी भी बढ़ती, लेकिन मन्त्री जी उलटी नीति पर जा रहे हैं। मैं समझता हूं यह टोटल फेल्योर होगी। मन्त्री जी ने उद्देश्य और कारणों में भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने यह कहा है कि "उक्त स्थानीय निकायों के संसाधन तथा उनका ज्ञान सीमित होने से और कुछ अन्य कारणों से भी वे मकानों की कमी को दूर करने तथा भूमि का आवश्यक विकास कार्य आरम्भ करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।" तो जो उद्देश्य और कारणों में स्वीकार किया गया है वह सही बात है, लेकिन तब भी आप सफल नहीं होंगे क्योंकि आपकी योजना एक आदमी के जरिए से चलाई जायगी। इतनी नगरपालिकाओं का काम एक आदमी कर ले यह नामुमकिन है क्योंकि गाजियाबाद का उदाहरण आपके सामने है। आगरा में भी इसी तरह की गड़बड़ हो रही है जिसको बालोजी अग्रवाल बतलायेंगे।

मलिन बस्ती की बात इसमें कही गई है कि उनको खत्म किया जायगा। मन्त्री जी, मैं बतलाउं, कि आप मलिन बस्तियों को गिरवा तो देंगे लेकिन जो लोग उनमें रहते हैं उनका ठिकाना अगर आप नहीं करेंगे, [उनको कम्पेनसेशन नहीं देंगे, उन जमीनों का जिनमें उनके मकान बने हैं और वे रहते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप उनको ठिकाना दे सकें और उनको रोजी दे सकें तो ठीक है वरना यह एक तरह से तानाशाही होगी। अगर उनके लिए कोई साधन नहीं मिलता है तो फिर इस देश को आप चीन और रूस बनाना चाहते हैं। हमारे यहां तो संविधान के अन्दर यह दिया हुआ है कि किसी की जमीन ली जायगी तो उसको पूरा प्रतिकर दिया जायगा। जबरदस्ती आप किसी की जमीन नहीं ले सकते हैं। कई बार मैंने इस सदन में कहा है और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारे गाजीपुर जिले में एक-एक एकड़ जमीन के दाम २०, २९ और ४० रुपए लैंड एक्वीजीशन के अन्तर्गत है। सैदपुर टाउन एरिया में किसानों के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन लेकर उनको पूरा पैसा नहीं देते सकते हैं तो ऐसे विधेयक को फाड़ कर आग लगा दीजिए।] लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के बारे में भी बार-बार मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ देना है तो आप विशेष तरीके से दीजिए। वहां की बात को वहां के एम० एल० ए० तेजा सिंह जी ज्यादा बतला सकते हैं और

मैं चाहता हूं कि वह सदन को उसकी पूरी जानकारी करावें। हमारा यह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ है। उनको हमने भगा दिया। गाजियाबाद में जैसा आपने स्पेशल कम्पेंसेशन दिया है वैसी व्यवस्था आप यहां इस विधेयक में करिये, दस रुपए की जगह बीस रुपए दीजिए ताकि खुशी से आदमी जमीन छोड़ कर चला जाय। अगर ऐसा करते हैं तो यह लाभदायक होगा वरना गाजियाबाद जैसी लड़ाई यहां भी शुरू हो जायगी, और हर जगह होगी। इसलिए आप पहले से ही इस प्रकार का प्राविधान इसमें कर दीजिए कि कोई दिक्कत आगे न हो और जनता के सामने समस्या न आए।

मकान वगैरह गिराने के बारे में इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही इसमें यह है कि जब तक योजना न चलेगी, उस समय तक दो वर्ष के अन्दर किसी को वहां मकान बनाने का हक न होगा। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी नीति है? आपको सोचना चाहिए कि जितनी जमीन में आपकी योजना चलने वाली है उसको घेर कर आप बाउन्डरी बना दीजिए। यदि उसमें कोई अनाधिकार चेष्टा करे, प्रवेश करे या मकान बना ले तो आप उसके लिए उचित कार्यवाही करें, लेकिन दो साल तक कोई मकान न बनायें यह बिलकुल गलत चीज है। आपका जितना एरिया हो उसे आप बाउन्डरी से घिरवा दें और अगर उस पर इंक्रोचमेंट हो तो उस के लिए आप कार्यवाही करें।

अभी तक केवल सदन में एक कानून बना था कि हमारा सार्जेन्ट जहां जायगा, तो उसे कोई भी सिविल या दूसरे अधिकारी उसकी मदद करेंगे। लेकिन यह विधेयक इस विधान सभा से भी ऊंचा हो गया है। इसमें लिखा है कि पुलिस के अधिकारी उनकी मदद करेंगे। चाहे वह गलत करें या सही करें, उनकी मदद की जाय। कहीं ऐसी बात नहीं है कि वह किस तरह समझेंगे कि काम विधिवत् हो रहा है अथवा नहीं। अगर उन्होंने गलत काम किया और पुलिस की सहायता ली तो व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था फैल जायगी।

श्री अधिष्ठाता--

मेरे विचार में खंडों पर बाद में विवाद होगा।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं तो नीति पर ही आ रहा हूं। खंड में नहीं पढ़ रहा हूं। जनमत संग्रह के लिए यह जाय, उसी के लिए मैं बोल रहा हूं। हमारी और उनकी नीति में विरोध है।

तो मैं टाइरेन्ट होने का जिक्र कर रहा था। इसके लिए आपने पुलिस को अधिकार दे दिया कि वह सही करें या गलत, उसकी मदद करो। पुलिस के सामने यह बात नहीं आयेगी कि वह सही काम कर रहे हैं या गलत। जो हमारे सार्जेन्ट को अधिकार था वह हम उनको देने जा रहे हैं। तो यह बात उचित न होगी। दूसरी चीज यह है कि आसुधार शुल्क जो आपने रखा, तो जहां आपने डेवलपमेंट किया है या आपने जहां पर मकान बनाया है उस जगह से वसूल करने की बात कर देते तो कुछ हद तक ठीक होगा, क्योंकि जमीन का मूल्य डेवलपमेंट करने के बाद ही बढ़ता है। जैसे पहले कोई जमीन ३०० की थी, फिर ४०० की हो गयी डेवलपमेंट के बाद तो १०० रुपया जो बढ़ोत्तरी हुई उसका एक तिहाई आसुधार शुल्क हो गया, लेकिन आप यह भी कहते हैं कि जो संलग्न भूमि होगी उससे भी वसूल करेंगे। सरकार ने अपनी सड़कें बनायीं और उनके आस-पास के गांव भी उसके कारण डेवलप हो गया, तो अगर इसी प्रकार की लेवी वहां भी लगायी जायगी तो यह अन्धेर हो जायगा। इसीलिए जो संलग्न भूमि के लिए कहा गया है उसको खत्म करें।

फिर आपने रखा है कि जजेज जब फैसला करेंगे उसकी तो कापी डिस्ट्रिब्यूट करेंगे, मगर आपका अधिकारी जो आदेश देगा उसका क्या होगा? अपील जब जज के पास जायगी तो वह कहेगा कि कोर्ट फीस ऐक्ट के मुताबिक फीस दो। तो उसका आर्डर वह निःशुल्क करने जा रहे हैं, लेकिन अगर अपील करेगा तो सवाल है कि कोर्ट फीस लगेगी या नहीं? तो इस कोर्ट फीस को आप एग्जेम्प्ट करें ताकि जो कर-ग्रसित है, जिस पर ज्यादा टैक्स आपने लगा दिया

[श्री कमलासिंह यादव]

वह अगर अपील करता है तो कोर्ट फीस नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए स्पेसिफिक प्रावीजन होना चाहिए। आसुधार शुल्क १० साल में अदा होना है। लेकिन पहले तो जिस भूमि का सुधार हुआ है उसी पर आसुधार शुल्क लगाया जाय, संलग्न भूमि पर नहीं।

उसके बाद मैं भूमि-भवन कर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब तक यह था कि म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया, नगरपालिकाओं को मौका था कि भूमि-भवन कर लगाकर अपनी कुछ आमदनी कर लेते थे, लेकिन करीब २ से १५ परसेंट तक आमदनी तो सरकार ने ले ली, अगर अब कोई नगरपालिका तरक्की करना चाहे तो उसके पास पैसा नहीं रहा। जनसंघ वाले भी आन्दोलन करने लगते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो जैसी गलती भूमि-भवन कर के सम्बन्ध में सरकार ने की है उसको अब मत दोहराइए। जिस डेट को वह वाजिब-उल-अदा होगा उस रोज एक नोटिस भेजा जायगा या जो अधिकारी होगा वह नोटिस भेजेगा कि फलां तारीख तक आपको रुपया अदा करना था, इसलिए चूंकि आपने अदा नहीं किया तो शास्ति क्यों न लगा दी जाय। लेकिन यह ६ परसेंट सूद लेने की पालिसी उचित नहीं है। आप कम दाम पर पट्टे पर जमीन लेकर ऊंचे दाम पर बेच दें, यह भी उचित नहीं है। १२।। परसेंट मकान के खर्च के अलावा और आपको चाहिए। यह तो वही हाल है कि २ बिल्ली बन्दर के यहां रोटी का बटवारा कराने गई तो बन्दर सारी रोटी खुद खा गया। आपकी पालिसी तो नो-प्राफिट नो-लास की होनी चाहिए। इसमें सुपरवीजन चार्ज नहीं होना चाहिए। इस्टैब्लिशमेंट चार्ज मुश्किल से १ या २ परसेंट आता है और आप १२।। परसेंट वसूल किया चाहते हैं। यह बहुत ही गलत नीति होगी, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं।

एक तरह से कुछ थोड़ी सी राहत माननीय मन्त्री जी ने उन लोगों को दी है जो कि इस पोजीशन में नहीं थे कि मकान का शुल्क दे सकें। लेकिन उसमें भी एक बन्धक लगा दिया है कि वह परिषद् को ६ परसेन्ट सूद सालाब-साल दिया करे। लेकिन जो सूद भी अदा नहीं कर सकता तो उसका ओरीजिनल शुल्क में जुड़कर प्रथम भार हो जायगा उस जमीन पर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां मकान बने तो उसका भार अगर किसी की जमीन रायल होटल में है तो उस पर भी हो जायगा। यह कुछ अच्छी नीति नहीं है।

माननीय मन्त्री जी ने यह भी रखा है कि २ से ५ परसेन्ट तक हम उन चीजों पर इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट द्वारा टैक्स लगावेंगे जो कि ट्रांसफर या मार्टगेज होंगी। ट्रांसफर या मार्टगेज वही आदमी करता है जो मजबूर होता है। रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के द्वारा अभी तक जो फीस ली जाती है वही इस सदन द्वारा काफी बढ़ा दी गई है। अब इस विधेयक के द्वारा २ के ५ परसेंट तक अतिरिक्त कर लेने की बात उचित नहीं है। इस बात को तो हम नहीं कह सकते हैं कि जनता इसको बर्दाश्त करेगी या नहीं, क्योंकि हमने देख लिया कि खाद्य समस्या के बारे में हम लोगों ने सब कुछ किया, जेल भी गए, लेकिन जनता ने वोट आपको ही दिया, तो उसके लिए मैं क्या कहूं। लेकिन एक वक्त आवेगा कि जब जनता समझने लगेगी और इस कांग्रेस हुकूमत को बदल देगी।

अपराध और शास्ति जो अध्याय ८ में दिया गया है, वह तो बिल्कुल श्वेत-पत्र है। अगर कोई आदमी इस योजना के निष्पादन की कालावधि में भवन वगैरह बना ले, २ साल के भीतर या और भी बहुत सी बातें इसमें दी हैं जो २३, २४ वगैरह में हैं, तो उस आदमी को सजा हो सकती है। यह सजा १ हजार रुपए या ६ महीने की सजा या दोनों हो सकती हैं। और अगर वह कन्टीन्यू करता है तो ५०० रुपए प्रति दिन रखा गया है। अगर सरकार डंडे के बल पर तानाशाही हुकूमत करना चाहती है, इस तरह से, तो ठीक है। तो बात वही हो जाती है कि सरकार ने खून तो चूस ही लिया और अब हड्डी भी ले ले तो ठीक है।

इस विधेयक में यह भी रखा जा रहा है कि अगर ठेकेदार के काम में कोई रुकावट डाले तो उसके लिए भी १ हजार रुपया जुर्माना या ६ महीने की सजा का प्राविजन है या दोनों का है। उसके लिए कम से कम ५०० रुपए की सजा रखी गई है। उल्लंघन करने पर २५ रुपया पर डे

रखा गया है। अब आप सोच लें कि ये बातें कितनी अधिक हैं। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे जनता को बजाय तकलीफ के कुछ राहत मिले।

काला कानून में इस विधेयक को इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसे जेल और जुर्माना दोनों सजायें इसमें रखी हैं। लेकिन इन दोनों से भी पिन्ड नहीं छूटेगा। इस कानून के अन्दर परिषद् को भी हमें कम्पेंसेशन देना होगा और वह भी हजारों में देना होगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ब्लैक ला इस सदन से पास हो और वह भी इस स्वतन्त्रता के युग में, तो हम इससे बढ़कर कोई बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं।

अब देखें कि आप इस विधेयक के जरिए डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं। अगर एक साधारण पब्लिक का आदमी कोई गुनाह करता है जो कि उसकी जानकारी में भी नहीं है या मालिक रोकना चाहता है कि ऐसी गलती न करो तो भी उसे १ हजार रुपया जुर्माना और ६ महीने की सजा रखी गई है, या दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कम्पनी कर दे और वह कहे कि इसकी जानकारी में नहीं है तो वह एग्जेम्प्ट हो जायगी। हमारे कांस्टीट्यूशन में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो मन्त्री जी ने इस विधेयक में क्यों रखा है? अब मैं खंड ९० की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसमें दिया है कि कोई भी कर-निर्धारण अगर होगा तो उसकी प्रतिलिपि लोगों को दी जायगी। लेकिन यह क्या अफसरियत चल रही है? वही नादिरशाही फरमान है कि जब तक आवास आयुक्त परमीशन नहीं देगा तब तक वह नहीं दी जायगी। हम तो देखते हैं कि टाउन एरिया वगैरह में कर निर्धारण की जो सूची होती है उसकी जानकारी हर एक को होती है। यह समझ में नहीं आता कि यहां आवास आयुक्त में कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है कि जब तक वह आदेश नहीं देगा तब तक उसकी सूचना किसी को नहीं मिलेगी? यह तो वही हालत है तानाशाही हुकूमत जो आने वाली है झारखंडे राय वाली, उसमें तो गोली के शिकार होते हैं, लेकिन यहां तो खून चूस-चूस कर मारा जायगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आपका विधेयक इतना शर्मनाक है कि डंडे के बल पर सारा काम आपका हो रहा है। जैसा मैंने गाजियाबाद का एग्जाम्पिल दिया कि आपकी जो इनकम है वह तो है १ करोड़ ८९ लाख और ६ करोड़ कम्पेंसेशन आपको देना है। इस तरह से आज आप लोगों को मार रहे हैं कि जमीन पर कब्जा तो आपने कर लिया लेकिन कम्पेंसेशन अदा नहीं किया क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। तो क्या दशा आपकी होगी? अगर पांच नगर महापालिकाओं को ही आप ले लें तो भी मैं समझता हूं कि आपकी कामयाबी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय शर्मा जी इसको पेश न करें बल्कि वह माननीय बनारसीदास को दे दें कि वह अपने डंडे के बल पर इसको सदन से पास करा लें। शर्मा जी जैसे आदमी को तो यह विधेयक पेश नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके अधिकारियों में भ्रष्टाचार भर जाय। ऐसे विधेयक को आप वापस लीजिए और अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास न हो तो इसे जनमत जानने के लिए भेज दीजिए। उससे आपको मालूम पड़ जायगा कि जनता इसके पक्ष में है या नहीं और ऐसा कानून इस सदन से पास होना चाहिए या नहीं।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज आपके सामने किसी जाति पांति का का सवाल नहीं है, ऊंच नीच का सवाल नहीं है, समाज वादी व्यवस्था जब आपने अपनायी है तो सबसे पहला कर्तव्य आपका है कि हरएक को रहने के लिए मकान आप बनवावें। उसमें यह होना चाहिए कि जो प्राइवेट इस काम को करने वाले हैं उनमें कम्पटीशन कराइए, जिनकी जमीनें हैं शहरों के अन्दर उनको मौका दीजिए। लोन दीजिए ताकि वह अपनी जमीन पर उसी आधार के ऊपर और उसी प्लान के मुताबिक जो आपका है मकान बना सकें और अधिक से अधिक मकान बना सकें, जिससे लोग आसानी से स्वस्थ तरीके से रह सकें और जो गन्दी बस्तियां हैं उनसे भी छूटकारा हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी मकान आप बनवावें वह लो इनकम के जो कर्मचारी हैं चा राज्य सरकार के हों। चाहे नगरपालिकाओं के हों या मजदूर हों, उनके लिए सबसे पहले छोटे-छोटे मकान आप बनवावें और उसका किराया भी इतना कम होना चाहिए कि जिसको वह आसानी से दे सकें।

[श्री कमलसिंह यादव]

एक चीज के लिए मैं माननीय मन्त्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई वेज पर काम करने वाला आदमी है या लो इनकम वाला है, या कहीं भी वह नौकरी करता है अगर वह लिख दें कि हमारी तनख्वाह से यह काट लिया जाय, तो उसे एक राहत है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि आज उनके मकानात छोटी-छोटी वैल्यूएशन के आप बनवाइए और कम से कम किराए पर लोगों को दीजिए, ताकि ये लोग सुचारु रूप से समय पर किराया अदा कर सकें और कोई गड़बड़ी न हो। साथ ही यह भी है व्यवस्था कर दें कि कुछ साल बाद यदि किराए से उस मकान की लागत मिल जाय, और उसमें रहने वाला आदमी उसका मालिक हो जाय, तो मैं समझता हूं लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और आपकी तारीफ करेंगे। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उसको जनमत के लिए सदन भेजेगा।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने आवास एवं विकास परिषद् विधेयक सदन में प्रस्तुत करते समय इस बात को कहा कि इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शहरों में नगरों में मकानों की कमी है और जो विकास कार्य महापालिकाएं कर रही हैं, वह जल्दी नहीं कर पाती हैं। मायन्वर, इस बिधेयक के द्वारा.....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री बालोजी अग्रवाल—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को भेजा जाय, जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का अधिकार हो। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

मान्यवर, आजकल राज्य में विकास कार्य इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कर रहे हैं। जब तक महापालिकाएं नहीं बनीं थीं तब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्वतन्त्र रूप से विकास कार्य करते रहे और जब से नगर महापालिकाएं राज्य के ५ नगरों में बन गई हैं, तब से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नगर महापालिकाओं के अन्तर्गत कर दिए गए हैं। जब हम इस परिषद् का निर्माण कर देंगे, तो किसी भी प्रकार के किसी कार्य को करने में जल्दी हो नहीं सकती। आज भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोई योजना बनाता है, वह महापालिका की विकास समिति में जाती है, उसको वह पास करती है, उसके पश्चात् वह योजना सरकार के पास आती है और टाउन और विलेज प्लावर उसको देखता है, सरकार उसको देखती है, उसके पश्चात् सरकार की स्वीकृति के साथ योजना महापालिका में जाती है। महापालिका उस योजना पर विचार करती है। महापालिका उसको जब स्वीकृत कर देती है, तो अन्तिम रूप से फिर राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए वह जाती है और राज्य सरकार उस पर स्वीकृति देती है। योजना स्वीकृत हो जाने के बाद जो बाधाएं, नगर महापालिका को, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को होती है इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् आवास और विकास परिषद् को भी आएंगी। आज कल जब आप किसी को नोटिस देते हैं दो महीने का, उसके अन्दर वह अपील कर सकता है। आज अपील वह विकास समिति के सामने करता है। विकास समिति उन एतराजों को सुनती है और अपना निर्णय देती है। उसके पश्चात् भी यदि अपील करता उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वह सरकार के पास अपनी अपील भेजता है, सरकार उसको सुनती है और उस प्रकार से योजना में परिवर्तन या परिवर्द्धन करती है। इस विधेयक में भी यह बात है कि जो योजना बनाई जायगी, और नोटिस जाने के पश्चात् ६० दिन का इसमें समय दिया गया है, उसके पश्चात् जिसकी भूमि या मकान योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है, वह अपील कर सकता है। अपील सुनने का अधिकार परिषद् को है। यदि परिषद् के निर्णय से अपील कर्ता सन्तुष्ट नहीं है, तो वह सरकार के सामने अपील कर सकता है और सरकार उस पर विचार करके योजना में परिवर्तन कर सकती है। तो समय तो जितना आज लगता है, उतना तब भी लगेगा।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गण-पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बालोजी अग्रवाल—

अधिष्ठाता महोदय, योजनाओं को चलाने में जो दिक्कत आज महापालिकाओं या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हो रही है, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है न्यायाधिकरण की, यानी किसी भी योजना के चलाने में यदि कोई व्यक्ति परेशान है, तो वह सीधा कचेहरी जाता है और स्टे लेकर चला जाता है और जब एक बार उसको स्टे मिल गया, तो कई वर्ष लग जाते हैं, और वह योजना किसी प्रकार से पूरी नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति को स्टे मिलने पर भी सारी योजना रोक दी जाती है। यदि उस योजना को हमें कार्यान्वित करना है और जल्दी पूरा करना है, तो यह जो सबसे बड़ी बाधा है, योजनाओं को चलाने में जो रुकावट है, उसको हमें दूर करना पड़ेगा और वह रुकावट इस विधेयक के द्वारा भी दूर नहीं होती है।

मान्यवर, जो विधेयक आज सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका यदि रूप देखा जाय, तो मैं कहूंगा कि गाजियाबाद में जो सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा कार्य किया है, वह यही रूप है, जो सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही के हाथ में सारे प्रदेश और राज्य का विकास कार्य सौंप देना चाहते हैं। इसके अलावा जो आज और दूसरे विकास कार्य हो रहे हैं, वह नगर महापालिकाओं द्वारा हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो अधिकार माननीय मन्त्री जी इस सदन के द्वारा इस परिषद् को दिलाना चाहते हैं, वही अधिकार यदि जन प्रतिनिधियों को महापालिकाओं में दिलाए जायं, तो यह कार्य सुचारु रूप से और जल्दी भी हो सकता है।

हम गन्दी बस्तियों का सुधार करना चाहते हैं। अब आप देखिए कि गन्दी बस्ती सुधार योजना के नाम से योजना बनाई जाती है, वहां जितने मकान हैं, उनको नोटिस जाते हैं कि इनको तोड़ा जायगा, इनके प्लाट बनायें जायेंगे। यहां सड़कें बनेंगी या नालियां बनेंगी, यहां नल लगेंगे, यहां बिजली लगेगी। अब आप देखें कि उन गंदी बस्तियों में अधिकतर कौन रहते हैं ? भंगी या मजदूर। यही दो कौमें गंदी बस्तियों में रहती हैं, या जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह इनमें रहते हैं। अब आपने एक योजना बनाई और उनको नोटिस दिया गया कि आपकी जमीन ले ली जायगी, मकान ले लिया जायगा और यहां पर विकास कार्य करके प्लाट बना करके उनका नीलाम किया जायगा। आप उनकी जमीनों को, उनके मकानों को कौड़ी के मूल्य में लेते हैं।

कहीं चार आने का और कहीं दो आने का मुआवजा दिया गया है। आगरे में एक एक व्यक्ति को १००–१००, २००–२०० रुपया मुआवजा दिया गया है और जब उन जमीनों को नीलाम किया गया तो २०–२०, ३०–३० रुपया गज पर नीलाम किया गया। जिन गरीबों को वहां से निकाला गया उनको कोई जमीन नहीं दी गयी, न समय पर मुआवजा दिया गया, न ऋण दिया गया जिसके द्वारा वे अपने मकान बना सकते। मान्यवर, होता क्या है ? मुआवजे की एक रकम लैण्ड एक्वीजीशन आफीसर द्वारा निश्चित कर दी जाती है। उसकी अपील होती है जिसमें सालों लग जाते हैं, तब तक आप उसको निकाल कर फेंक देते हैं। कोई मकान उसको नहीं दिया जाता है। अगर आज आप कोई सुन्दर योजना बनाते हैं, गंदी बस्तियों को आप हटाना चाहते हैं, तो उसको निकालने से पहले आप उनको मुआवजा दीजिये, उनको प्लाट दीजिये, ऋण दीजिये, इस प्रकार से उनको रहने के योग्य मकान बनाने के साधन दीजिये और जब तक वे उन मकानों में रहें उनसे किसी प्रकार का कोई किराया न लीजिये। नगरमहापालिका बनने से पहले क्या हालत थी, उसका रूप मैं आप के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे यहां एक राजामंडी विकास योजना बनायी गयी। वहां से जो लोग निकाले जा रहे थे उनको रहने के लिये दो मील पर मकान बनाये गये। एक चीज और बता दूं। गरीब लोगों का संयुक्त परिवार होता है। उनके यहां ऐसा नहीं होता कि लड़के की शादी के बाद

[श्री बालोजी अग्रवाल]

वह अलग हो जाय । सब लोग कमाते हैं और एक साथ ही रहते हैं । ऐसे संयुक्त परिवार के रहने के लिये जो मकान बनाये गये उनमें एक कमरा और एक बरामदा और कमरा भी कैसा जिसे केवल कोठरी कहा जा सकता है । वहीं सब काम किये जायें । नतीजा यह हुआ कि उन मकानों में एक भी व्यक्ति नहीं गया । छः साल तक वे खाली पड़े रहे, दरवाजे भी उनके टूट गये, मकान गिर गये, तब म जबूर होकर सरकार ने दूसरे लोगों को किराये पर उनको दिया । इस तरह की योजना नौकरशाही की योजना होती है । क्योंकि बड़े-बड़े आफीसर लोग विदेशों में जाते हैं । टाउन प्लानर मिश्रा जी भी अभी विदेश होकर आये हैं । वहां की जैसी योजनायें ही अपने देश में लागू करना चाहते हैं । यह नहीं सोचा जाता कि देश के वातावरण के अनुसार उसको व्यावहारिक बनाया जाय ।

इसके अलावा जो परिषद् बनाया जा रहा है उसमें जनता के बहुत कम प्रतिनिधि रखे गये हैं । प्रजातंत्र के जमाने में जबकि विकेन्द्रीकरण की ओर जाना चाहिये, इसमें अधिक से अधिक सत्ता शासन को सौंपी जा रही है । इस विधेयक में ही बताया गया है कि वित्त सचिव, निवास विभाग के सचिव, स्वायत्त शासन के सचिव, मुख्य अभियन्ता, नगर तथा ग्राम नियोजन और मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग होंगे । कुल पांच व्यक्ति जनता में से लिये जायेंगे जिनको भी राज्य सरकार मनोनीत करेगी । उनमें से एक नगर महापालिका का नगरप्रमुख होगा । और एक सुझाव यह है कि इसमें इंजीनियर होना चाहिये, तो बाकी ३ रह जाते हैं, इस तरह से यह सारे के सारे राज्य सरकार के नौकरशाही के हाथ में तमाम अधिकार हम दे रहे हैं और उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा । इसके अन्दर जो इकाई बनाने का और आवास समिति बनाने का सुझाव है वह भी नौकरशाही के हाथ में ही सब कुछ होगा । आवास समिति जो केवल एक परामर्शदात्री समिति ही होंगी उसमें नगरपालिका का अध्यक्ष या महानगरपालिका का नगरप्रमुख रहेगा, जनता का कोई प्रतिनिधि उसमें न होगा और वह भी केवल परामर्शदात्री समिति ही होगी । इस विधेयक के द्वारा जो अधिकार नौकरशाही को दिया जा रहा है वह नहीं दिया जाना चाहिये । यदि आप परिषद् बनाना चाहते हैं तो उसमें अधिक से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व रखना चाहिये चाहें वह नगरपालिकाओं के अध्यक्षों द्वारा हो, चाहे नगरप्रमुखों के द्वारा हो, या सदन के चुने हुये नुमाइन्दों के द्वारा हो ।

इसमें एक बात और है कि जितने भी सचिव इस परिषद् के सदस्य होंगे उन के लिये यह आवश्यक नहीं रखा गया है कि वे स्वयं ही परिषद् की बैठक में उपस्थिति हो, अपने प्रतिनिधि को भी बैठक में भाग लेने के लिये भेज सकते हैं । सरकार के सचिवों को उसे रखने का सुझाव इसलिये है कि वे अधिक से अधिक सुन्दर विचार परिषद् के सामने रख सकें और उनके अनुसार सुचारु रूप से काम चलवा सके, लेकिन जब वह स्वयं न आकर अपने नुमाइन्दों को भेजेंगे तो वह किसी को भी भेज सकते हैं और इससे मतलब हल न होगा । इसलिये यह प्रतिनिधि भेजने की छूट देना उचित न होगा ।

आज भी मंत्री जी कहते हैं कि मकान नहीं बन पा रहे हैं और उनके बनाने में बहुत सी अड़चनें हैं । तमाम तरह की बन्दिशें आज मकान बनाने में हैं, पहले तो नगरपालिका से नक्शा पास होने में दिक्कत होती है, फिर टाउन प्लानर के यहां परेशानी होती है और उसके बाद प्रेसक्राइब्ड अथारिटी है जिसके कारण कोई भी काम नगर में नहीं हो पा रहा है । उसका इतना भयंकर आतंक है कि उसके कारण से न कोई मकान और न कोई कारखाना बनने पाता है ।

जहां तक गन्दी बस्तियों को सुधारनें की बात है जैसा कि मंत्री जी जब बिल प्रस्तुत कर रहे थे एक सदस्य ने बीच में कहा था कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिये कोई योजना नहीं है और कोई उनका प्रतिनिधित्व परिषद् में नहीं है । आज नगरों में बाल्मीकी क्वार्टर्स बन रहे हैं, उनके लिये राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को अनुदान और ऋण दोनों देती है । उससे उनके रहने के लिये क्वार्टर्स बनाये जाते हैं, सरकार उनके नक्शे पास करती है

और नियोजन अधिकारी और सब लोग देखकर नक्शे पास करते है, लेकिन जो क्वार्टर्स उन के बनाये गये हैं उनकी दशा वैसी ही है जैसी कि गन्दी बस्ती में पहले से थी। जब वह मकान बनाये गये तो पहले से उनकी सड़कें और नालियां बनाना चाहिये थीं, प्रकाश का प्राविधान होना चाहिये था लेकिन वह नहीं किया गया। १२०० रुपये पर बाल्मीकी क्वार्टर बने, लेकिन फिर भी वह उन पुरानी गन्दी बस्ती की तरह ही रहे, बस एक जगह से दूसरी जगह हट गये। जो रुपये सरकार हरिजनों के क्वार्टर्स के लिये देती हैं उस का उपयोग नहीं होता है और वह बेकार जाता है। यदि इन बातों को ध्यान में रखा जायगा तो आवास की समस्या भी सुलझेगी और गन्दी बस्तियों का भी सुधार हो जायगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा में १२ डबल स्टोरीड क्वार्टर्स बनाये गये हैं। उनको कोई ले नहीं सकता। वे ३–३ क्वार्टर्स के फैल्ट्स है। यदि नीचे के क्वार्टर को लेगा तो ऊपर के खाली पड़े रहते हैं। इन क्वार्टरों में दो नीचे हैं और एक क्वार्टर ऊपर है। इस प्रकार से ये क्वार्टर्स २ वर्ष से खाली पड़े हुये हैं। उन क्वार्टरों के बनवाने में कोई जन प्रतिनिधित्व नहीं था। अगर भविष्य में जो पुनर्वास की योजना का प्राविधान किया गया है, उसके अन्तर्गत इस प्रकार के क्वार्टर बनेंगे तो न तो वहां पर कोई जा कर रहेगा और वह पैसा व्यर्थ में बरबाद हो जायेगा। जिस प्रकार से आज ये क्वार्टर्स व्यर्थ में बेकार पड़े हुये हैं उसी प्रकार से इनकी दशा होगी। अतः मेरा सुझाव है कि आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या नगर महापालिका को अधिक से अधिक अधिकार दें। नौकरशाही के द्वारा क्या होगा, जैसा अभी माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि गाजियाबाद में सब मामला नौकरशाही के हाथ में रहा। उन्होंने क्या किया ? जो वहां के इंचार्ज श्री मिश्रा जी हैं, उनके खिलाफ इन्क्वायरी बैठी हुयी है। ऐसे ऐसे ठेके दे दिये गये हैं जिनमें लाखों रुपये ठेकेदारों को मिट्टी उठाने और भूमि को समतल करने के लिये दिये गये और उसी ठेकेदार को एक गड्ढा भरने के लिये मिट्टी डालने का ठेका दे दिया। एक ही काम के लिये अर्थात् एक स्थान से मिट्टी उठाने और एक स्थान पर डालने के लिये ठेकेदारों को २–२ ठेके दे दिये गये। योजनाओं में किस प्रकार से बदल कर दी गयी। जो रैजीडैन्शियल एरिया था उसे नौकरशाही ने इन्डस्ट्रियल एरिया में बदल दिया और जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसे रैजीडैन्शियल एरिया में बदल दिया। दूसरे यह भी देखा गया कि अगर किसी सड़क को सीधी ले जाने की योजना है और उस सड़क के बीच में किसी लखपति की बिल्डिंग आती है तो वह सड़क टेढ़ी कर दी जाती है और गरीबों को उजाड़ दिया जाता है। यह क्यों हुआ ? यह इसलिये हुआ कि उस समय तक नगरपालिका नहीं बनी थी और सब कुछ नौकरशाही के हाथ में था। इस विधेयक में जितने अधिकार आपने आवास आयुक्त को दिये हैं उतने अधिकार इस सदन को भी नहीं हैं। वह जैसे चाहे रद्दोबदल कर सकता है।

इसके साथ ही साथ इस विधेयक के द्वारा एक आसुधार शुल्क देय होगा। किसी आवास या सुधार योजना के निष्पादन से योजना में समाविष्ट क्षेत्र में किसी ऐसी भूमि का, जो उसके निष्पादन के लिये अपेक्षित न हो, मूल्य बढ़ जायगा तो आप देखेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत उस बस्ती के मकानात या जो वहां पर खाली जमीन होगी उस पर आप आसुधार शुल्क लगा देंगे। यह कौन सा न्याय है ? एक योजना बनी। उसके अन्तर्गत विकास हुआ और अगर उसके अन्दर कीमत बढ़ती है तो उस पर आप शुल्क लगा दें तो मेरी समझ में यह कोई व्यावहारिक योजना नहीं है। जहां तक मकान बनाने का सवाल है, मकान तो बन रहे थे। लेकिन डेढ़ साल से कोआपरेटिव बैंक जो लोगों को ऋण देता था, उस ऋण को नहीं दे रहा है। आपने उनकी भूमि को तो बन्धक रख लिया है और उस भूमि को वह छुड़ा नहीं सकते और ऋण आप देते नहीं, तो वे अब मकान कैसे बनायें ? इस प्रकार यह रुकावट आपके जरिये ही होती है। आपने कहा कि परिषद् से ऋण दिलायेंगे तो जल्दी से जल्दी मकान बनेंगे। इसमें भी कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ऋण दिलाने की व्यवस्था कीजिये। अल्प-आय वालों को, मध्यम आय वालों को आप ऋण देते हैं। जहां तक ऋण का ताल्लुक है, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि जो लोग मकान बनाना चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी ऋण दिलाने की सुविधा

[श्री बालोजी अग्रवाल]

पैदा करें । इससे मकान अपने आप बनते चले जायेंगे । लोग मकान बनाने के लिये लालायित हैं ।

एक सुझाव मेरा यह है कि केन्द्रीय सरकार ने जिस तरह से काला धन निकालने के लिये एक योजना यह निकाली कि जो काला धन डिक्लेयर करेगा उसका ६० प्रतिशत सरकार ले लेगी और ४० प्रतिशत डिक्लेयर करने वाले के पास रह जायगा, उसी तरह से प्रान्तीय सरकार भी यह घोषणा कर दे कि प्रान्त में जो लोग काले धन को डिक्लेयर करते हैं वे साल या दो साल के अन्दर अपने काले धन को मकान बनाने में लगा दें तो उनको अमुक प्रकार की छूट दे दी जायगी । इससे बहुत तेजी से मकान बन सकेंगे । मंत्री महोदय से अंत में मेरा यह निवेदन है कि नौकरशाही के हाथ में आवास परिषदों को न छोड़ें । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बृजबिहारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हर एक कल्याणकारी राज्य का यह प्रथम कर्त्तव्य होता है कि वह जनता के भोजन, वस्त्र तथा आवास की व्यवस्था करे । मैं तो निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिये था । इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय कमला सिंह जी ने जहां बहुत सी बातें कहीं हैं जिनका उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता किन्तु एक बात का उल्लेख करना मेरे लिये आवश्यक हो गया है । उन्होंने इस विधेयक को काले कानून की संज्ञा दी है । बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी भी कहीं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं था जिस पर मैंने आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया था ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बृजबिहारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को "काले कानून" की संज्ञा दी थी । मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ । यदि माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्य तथा कारणों का अध्ययन कर लिया होता तो मैं समझता हूं कि उनकी इस शंका का समाधान अवश्य हो गया होता ।

एक बात और माननीय सदस्य ने कही और वह यह थी कि इसमें ग्रामीणों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इस विधेयक के अध्याय ३ की २४वीं धारा को यदि पढ़ा जाय तो इसमें स्पष्ट है कि "जब कभी परिषद् की यह राय हो कि किसी नगर, कस्बा या ग्राम का भविष्य में प्रसार या विकास करने पर नियंत्रण करना और उसकी व्यवस्था करना इष्टकर हो, तो परिषद् प्रसार योजना बना सकती है" तो इस धारा के अन्तर्गत ग्रामीणों के आवास की जो समस्यायें हैं उनके निराकरण के लिये भी यह परिषद् कार्य कर सकता है । इसमें कोई रोक नहीं रहेगी ।

एक बात और ध्यान देने योग्य है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में निवेदन किया था कि वे इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं । मैं यह नहीं कहता कि इसमें खामियां नहीं हैं और इसको यहां बताने की भी आवश्यकता नहीं है । इसमें बहुत सी खामियां हो सकती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है । संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का अर्थ ही यह होता है । दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति रहेगी जिसमें सदस्य विचार कर सकते हैं, और इसकी परिधि को भी बढ़ा सकते हैं ।

माननीय अग्रवाल जी ने जो इस आदरणीय सदन में संशोधन उपस्थित किया है वह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को भेजा जाय, जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करने का अधिकार हो।" माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि प्रवर समिति में बैठ कर इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन करने का अधिकार समिति को होना ही चाहिये। इसमें कई बातें आई हैं जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें विशेष कर माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे कि परिषद् के कृत्य और अधिकार के बारे में खन्ड तीन में वर्णन किया गया है.....

श्री प्रेमसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बृजबिहारी—

एक और प्रश्न उपस्थित किया गया था कि इसमें हरिजनों के लिये कोई विशेष सुविधा का वर्णन नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करूंगा कि यदि हमारे सम्मानित सदस्य अध्याय ३ में खण्ड १७ का अध्ययन करेंगे तो उसमें (ठ) पर लिखा है "किसी भी वर्ग के निवासियों के लिये निवासस्थान की व्यवस्था," यह भी इसके अन्दर दिया हुआ है। तो इस तरह से मैं आपके द्वारा सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें बहस की ज्यादा गुंजायश नहीं है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसे वे प्रवर समिति मे भेज रहे हैं। इसलिये अभी से इसमें खामियों को बताकर समय नष्ट करना ठीक नहीं है, प्रवर समिति में यह इसीलिये भेजा जा रहा है कि जो इसमें कमियां हों, वह सूक्ष्म विचार विमर्श के द्वारा दूर हो सकें। ऐसे विधेयक की परम आवश्यकता रही है और सदन का प्रत्येक सम्मानित सदस्य इसको महसूस करता रहा है। विधेयक आ गया है, प्रवर समिति में जा रहा है, इसमें जो संशोधन भी उचित होंगे, आप लोग लायेंगे और फिर सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। इसलिये इस पर जो आशंकायें और आपत्तियां उठाई गयी हैं, उनके सम्बन्ध में जो सुझाव दिये गये हैं, उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे सब असामयिक हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हू कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन विपक्ष की तरफ से पेश हुआ है, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले तो, जैसा मिश्र जी ने कहा जो उद्देश्य दिये गये हैं यदि उनको देख लिया जाये तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इस पर कहना है कि जैसा यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसके देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिछले समय से जो हमारी आशायें थी कि एक परिषद् बनेगी और उससे आवास की समस्या हल होगी, वह सारी आशायें धूमिल होती हुई दिखाई देती हैं। उद्देश्य अवश्य ऐसे रखे गये हैं कि ग्रामों से नगरों की ओर लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं और विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने के कारण आवास की समस्या गम्भीर होती जा रही है, और इसके कारण नगरों की स्थिति सुधरी हुई नहीं है और इसे देखते हुये हमें आवास समस्या को हल करना है।

पहली बात जो इसके संघटन का तरीका है, जो व्यक्ति इसमें रखे गये हैं, उसे देखते हुये हमारी यह पूर्ण आशंका है कि जिस उद्देश्य के लिये यह परिषदें बनाई जा रही हैं वह उद्देश्य कदापि पूरा नहीं हो पायेगा। मुझे कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है कि संघटन का यह तरीका ठीक नहीं है। पहले तो आज हर स्थान पर विकेन्द्रीकरण की बात हो रही है और ग्राम सभा, ब्लाक परिषद् और जिला परिषद् सभी में चुने हुये प्रतिनिधि रखे गये हैं जो जनता का अधिक से अधिक हित कर

[श्री दयाराम शाक्य]

सकें, परन्तु वहां जो हमारे सामने संघटन रखी गयी है, जो अधिकारी और सदस्य इत्यादि रखे गये हैं, उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता कि जो परिषद् बनेगी, उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। सरकार इस विधेयक के द्वारा परिषद् को अपने हाथ में रखना चाहती है जिससे वह अपनी मनमानी कर सके। इस परिषद् की रचना का तरीका ऐसा है कि जो भी इसमें सदस्य होंगे वह सरकार की तरफ से होंगे और वे सरकार के इशारे पर काम करेंगे और जो गैर-सरकारी आदमी रखे गये हैं वह भी सरकार के पक्ष के आदमी होंगे, क्योंकि उनका मनोनयन सरकार ही करेगी, जनता द्वारा उनका चुनाव नहीं होगा। नगरमहापालिकाओं का एक मेयर उसमें जो रखा जायेगा, उसमें भी यही है, सरकार जिसे मनोनीत करेगी वह रहेगा। इस पर मुझे हंसी आती है। इसलिये इसमें जो रखा गया है कि गैर सरकारी सदस्य भी होंगे वह केवल दिखावे की चीज है। वास्तविकता तो यह है कि जो व्यक्ति भी रहेंगे उनपर सरकार का नियंत्रण रहेगा और जिसे चाहेगी उसे रखेगी। अपने दल के लोगों को ही चुन-चुन कर इसमें रखा जायेगा। इस प्रकार सरकार का उस पर, उसके दल का पूर्ण प्रभुत्व रहेगा, उसमें जनता का किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। वही आदमी रखे जायेंगे जो सरकार के इशारे पर काम करेंगे वरना वह बदल दिये जायेंगे। इसमें ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिये था जो जनता से आते। मेरा सुझाव है कि विधान सभा और विधान परिषद में चुनकर जो लोग आते हैं वे यहां विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की संख्या परिषद में बढ़ाई जाय। जब जनता के वहां प्रतिनिधि होंगे तभी जनता की बात रखेंगे और परिषद में जो भी खामियां होंगी। वह दूर हो पायेंगी।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि यह काला कानून है। इसमें अनेक बातें ऐसी हैं जिनको देखकर मेरा भी यह विश्वास है कि यह सचमुच काला कानून है। आज लैन्ड ऐक्वीजीशन के अन्तर्गत जो विभिन्न स्थानों पर कार्यवाहियाँ होती हैं उसमें जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है कि बाहर के प्रान्तों के मूल्य के आधार पर उनको पैसा नहीं मिलता है। इसमें भी वही बात है। इसमें एक विकास शुल्क की बात कही गयी है। हम एक विशेष क्षेत्र में जो चाहे डेवलपमेन्ट करें और उस पर हम कुछ पैसा खर्च करें लेकिन हमको क्या अधिकार है कि जहां पर विकास नहीं कर रहे हैं उन स्थानों से भी उस शुल्क को वसूल करें। इसका क्या औचित्य है कि जिन स्थानों को हमने छुआ भी नहीं है उन पर भी टैक्स लगावें? हमें एक सड़क निकालना है और हमने उसके लिये जमीन लेने के लिये नोटिस दे दी जमीन के स्वामियों को, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि हम उस स्थान का विकास कब करेंगे। अनेक वर्षों की अवधि के पश्चात हम उनको कहेंगे कि तुम उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम उस स्थान का विकास करने जा रहे हैं। इस प्रकार हमने उन स्वामियों को बन्धित तो कर दिया, लेकिन अवधि नहीं बताई। उसके लिये हमें चाहिये कि हम कोई अवधि निश्चित करें जिसके लिये उसको नोटिस हो वह छोटी अवधि हो और यदि वह अवधि निकल जाय तो फिर वह स्वामी स्वतंत्र हो कि जिस प्रकार चाहे अपनी भूमि का उपयोग करे।

सरकार का कहना है कि विकास गृहों की कमी है। लेकिन उस समस्या के हल के लिये यही एक रास्ता है कि धन सरकार उपलब्ध करावे। पिछले समय यह देखा गया है कि जनता उपलब्ध धन के आधार पर स्वयं विकास करने के लिये उद्यत भी हुई तो कुछ दिनों के पश्चात पैसा मिलना बन्द हो गया और हमारे सामने यह समस्या विकराल रूप धारण करके खड़ी हो गयी। हम चाहते हैं कि स्वायत्त शासन की संस्थाओं को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपने अनुकूल विकास के लिये स्वयं नियम बनावें, प्लान बनावें और विकास गृहों का निर्माण करें। सरकार उनको पैसा देने की व्यवस्था कर दे और

स्वामी को स्वयं अधिकार दे कि वह अपने स्थान पर विकास करे, यदि वह न करे तब सरकार अपनी ओर से उसे विकास में लावे। होना यह चाहिये कि जो व्यक्ति जहां का रहने वाला है उनको यह अधिकार दिया जाय कि यदि वह बने हुए प्लान के आधार पर स्वयं विकास करे तो वह उसे कर सके, पहले उसको अधिकार होगा उसके बाद सरकार या परिषद उन पर अधिकार अपना करें और जो विकास करना चाहे करे। यदि हम ऐसा कर सकते है और वहां के रहने वालों को प्राथमिकता दे सकते है तो मैं समझता हूं कि वे लोग प्लान के आधार पर मकान बनाने के लिये तैयार हो सकते है।

देखा यह जाता है कि साधरण मूल्यों पर जमीनें लेकर थोड़ा विकास करने के पश्चात बहुत बड़े मूल्यों पर उठाते हैं, यह कई स्थानों पर देखा जाता है। होना तो यह चाहिये कि जो वहां के रहने वाले हैं, जिनका जमीन पर स्वामित्व रहा, विकास कार्य करके जो खर्च हुआ तथा जमीन को अधिग्रहण करने में जो कुछ भी आपने पैसा खर्च किया है, उसी अनुपात में जमीन उन स्थानीय व्यक्तियों को देने की व्यवस्था करें। इससे मैं समझता हूं कि स्थानीय लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है। ऐसी बातें हमारे सामने लायी गयी है और कहा जाता है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार बहुत बड़ा विकास कार्य प्रान्त के विभिन्न स्थानों में करने जा रही है। लेकिन मेरा खयाल यह है कि देहातों के लिये इसमें कुछ प्राविधान नहीं किया गया है। केवल वे देहाती क्षेत्र जो शहर से लगे हुए हैं, केवल उनको दृष्टि में रखते हुए कि आगे चल कर कभी शहर का फैलाव हो सकता है, नगर बड़ा हो सकता है, यह प्रोविजन रखा गया है कि देहात वालों के लिये भी प्रसार व विकास कार्य इसके जरिये किया जायगा। यदि इस विधेयक के उद्देश्य को देखें तो कहीं भी देहात व गांव के विकास के लिये कोई चीज इसमें नहीं दिखलायी देती है। देहात के वे लोग जो कि कुछ पढ़े लिखे है और शहरों में रहते हैं या रहना चाहते हैं उन्हीं को प्रोत्साहन देने की धारणा इसके अन्दर है। अगर वास्तव में सरकार की धारणा देहातों में भी आवास संबंधी विकास कार्य करने की है तो उसे चाहिये कि वह वहां के प्लान के आधार पर जो स्थानीय ग्राम सभायें या स्थानीय निकाये है उनके सुपुर्द इस योजना को कर दें ताकि वे अपनी योजना के अनुसार मकान व आवास की व्यवस्था करने में परिषद को पूरा सहयोग दें। जो विधेयक का उद्देश्य है उससे स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार अपने हाथ में ही सारे विकास कार्य को रखना चाहती है और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वहां रख कर उस पर पूरा नियंत्रण करना चाहती है। सरकार को चाहिये था कि वह महापालिकाओं। नगरमहापालिकाओं व स्थानीय निकायों से अच्छे से अच्छे सुझाव मंगाती ताकि वे अपने यहां विकास कार्य कर सकते, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन न करके एक प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया गया है कि सारे विकास कार्य पर सरकारी अधिकारियों का नियंत्रण रहे, जिसमें समझता हूं कि यह बिलकुल असफल साबित होगा। मैं समझता हूं कि हठवादिता के आधार पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। विरोधी दल कोई संशोधन प्रस्तुत करता है तो कोई अच्छी बात होने पर भी उसको स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि वह विरोध पक्ष की ओर से उपस्थित होता है। इस विधेयक को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को सरकार ने मान लिया है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जनता को आप यह अधिकार क्यों नहीं देते कि इस संबंध में वह अपनी राय दे सकें? जनता में भी बहुत से पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके बीच आप इसे प्रसारित करें तो वे अच्छे से अच्छे सुझाव दे सकते हैं और अच्छे से अच्छे संशोधन मिल सकते हैं। जल्दी में और छोटे दायरे में इस विधेयक को पास कराने के बजाय, जनता के सुझावों से लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। तो माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उनसे मैं आशा करता हूं कि विरोधी दल की तरफ से जो एक महीने के लिये जनता में इस विधेयक को प्रसारित करने का संशोधन है, उसे वे स्वीकार करेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन विरोधी दल के माननीय सदस्यों की तरफ से उपस्थित किये गये हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। विरोध इसलिये नहीं करता कि ये विरोधी दल की तरफ से आये हैं। विरोध इसलिये करता हूं कि इन संशोधनों की जरुरत नहीं महसूस होती। इसलिये कि मंत्री महोदय ने पहले ही इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो भी बातें विरोधी दल की तरफ से इस विधेयक के संबंध में उपस्थित होंगी, उनका समावेश प्रवर समिति में किया जा सकता है। जो कोई उचित बात होगी उसकी व्यवस्था उसमें की जा सकती है। जो कोई कमी होगी उस कमी को दूर करने के लिये भी उसमें व्यवस्था की जा सकती है। मैं इन सब बातों का समादर करते हुए माननीय मंत्री जी को बधाई इसलिये देता हूं कि इस बिल की बहुत जरूरत थी। हमारे उत्तर प्रदेश में जो नागरिक व्यवस्था है, वह बहुत सड़ी गली है और पुरानी है। उस गन्दगी को दूर करने के लिये और सेनीटेशन के रूल्स को लागू करने के लिये मौजूदा व्यवस्था के अन्दर सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। उन उजड़ी हुई बस्तियों को सही तौर पर बनाने के लिये, वहां के रहने वालों के खोये हुए स्वास्थ्य को फिर से वापस लाने के लिये और उन नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रदान करने की व्यवस्था के लिये जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं।

मैं यह समझता हूं कि जो माननीय सदस्य नगरों में रहते हैं, जो नगरों से आते हैं और जिन्होंने नगरों का निरीक्षण किया है उनको यह मालूम है कि वहां पर ला आफ जंगिल लागू है। जो जैसा चाहता है उसी प्रकार का मकान बना लेता है। न वहां पर रास्ते हैं, न वहां पर सैनिटेशन की व्यवस्था है, गली कूचे सड़े और गले हैं, गन्दगी भरी है। मैंने लखनऊ के चौक को देखा है जो कि इस प्रदेश का एक प्रीमियर सिटी है। उसमें जो व्यवस्था है मैं समझता हूं वह किसी भी स्वतंत्र मुल्क में या जहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हों, वहां पर नहीं हैं और न यह आदर और सम्मान की सूचक है। वह इस बात का सबूत है कि किस प्रकार से मुल्क के अन्दर लोग रहते हैं। आज बहुत स्थानों पर इस मुल्क में स्वच्छता और सुन्दरता को लाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहां पर बहुत गन्दगी है। यह बड़ी भारी कमी है जो हमारे प्रदेश में महसूस होती थी। उस कमी को दूर करने के लिये यह विधेयक आया है। यह बात जरूर है कि यह देर से आया है, इसको बहुत पहले आना चाहिये था।

इसमें दो राय कैसे हो सकती हैं। विरोधी भाइयों ने इसका विरोध किया। क्या वे यह समझते हैं कि जो बस्तियां इस प्रकार से बसी हुई हैं उनके अन्दर सेनीटेशन का प्रबन्ध है? मैं यह समझता हूं कि जब तक वहां पर कुछ मकानों को तोड़ा नहीं जायगा और सड़कों को बनाया नहीं जायगा तो वे प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब तक वहां पर बिजली की व्यवस्था न हो जाय, जब तक वहां पर पानी की व्यवस्था न हो जाय वे बस्तियां रहने के काबिल नहीं हो सकती हैं। क्या ऐसी बस्तियां ऊंचे विचार के लोग पैदा कर सकती हैं और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है? मैं समझता हूं हरगिज नहीं। उसमें दो राय नहीं हो सकती कि जो व्यवस्था इस बिल के अन्दर की गई है वह बहुत उचित है। लोग शहरों के अन्दर काफी बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उनके रहने की जो व्यवस्था है वह बिलकुल खराब है और खासकर जो लोग गरीब हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिये मौजूदा व्यवस्था में रहना अभिशाप है और उन बस्तियों को एकदम हटा देना चाहिये। वहां पर जो नई बस्तियां बनें उनमें उन लोगों को ही रहने का स्थान देना चाहिये जो वहां पर पहले रहते थे। सरकार को इसमें अपने संबंध मे दिमाग को बिलकुल साफ कर लेना चाहिये। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि यदि सरकार यह समझती है कि केवल सरकारी

अधिकारियों के हवाले कर देने से इस प्रकार का विकास हो जायगा और मुल्क का विकास हो जायगा तो यह गलत बात है। स्वच्छता, सुन्दरता और स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार ही हमारा विकास का काम आगे बढ़ना चाहिये। जो लोग यह समझते है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा पर इसको छोड़ दिया जाय और लोग स्वतंत्रता से जिस प्रकार अपनी व्यवस्था करना चाहें करें तो यह उचित नहीं होगा। यह कोई बुद्धिमता की बात नहीं ह। हम बेकारी और इग्नोरेंस को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते और हम समझते है कि हमारे समाज और बस्तियों में इनके लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। अगर कोई गन्दगी में रह सकता है तो वह हमारे मुल्क के सेनिटेशन को गिराता है और वह बीमारियों के लिये एक फर्टाइल बेड है। आप जिन्दा भले ही रहें, लेकिन आपको मुल्क में बीमारी पैदा करने का कोई अधिकारनहीं है। जो इंसान इस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते है वह हमारे मुल्क और नागरिकों के लिये अभिशाप है। मैं चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने को मुल्क के लिये हानिकारक साबित न करे। हम व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लाकर उसे अभिशाप से बचाना चाहते है, उसे मुल्क के लिये आशीर्वाद बनाना चाहते है। इस बिल के पास होने से जो उज्जवल भविष्य की रुपरेखा बनेगी उसमें हमारा और आपका, सभी का सहयोग होना चाहिये। हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिये। आप मुल्क की जरुरियातों को देखकर, उनके अनुसार इस बिल को चलाइये और इसकी कमियों को सामने लाइये। अगर किसी बात को आप सही नहीं समझते तो आप सरकार को कोसने का अधिकार नहीं रखते है, लेकिन अगर सरकार जानबूझ कर कोई गलत बात बिल में नहीं रखता चाहती तो भी उसका विरोध करना उचित नहीं है। सरकार की कोई ऐसी पालिसी नहीं है जो गलत हो। मेरे एक मित्र ने इस बिल के क्लाजेज के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म किया। मैं समझता हूं कि वह समय से पहले ही अपनी बात कह गये। उसका स्टेज अभी आया नहीं है। जब क्लाजवाइज बिचार होंगे उस समय वह अपनी बात कह सकते थे और उस समय ही वह बात कहना अच्छा होता। मैं समझता हूं कि इस समय तो हम को उन नियमों, सरकार की नीतियों तथा भावनाओं पर ही विचार करना है जिनके तहत वह यह बिल लायी है। अगर उन विचारों, नीतियों तथा भावनाओं में कोई बात आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली है तो हमको जरुर उसे प्रकाश में लाना चाहिये ताकि वह हमारे मुल्क का उत्थान करने के बजाय विनाश न कर सके।

चूंकि यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है, इसलिये जो कमियां तथा खामियां हमारी आपकी नजरों में हों उनके लिये हमारे पास एक मौका होगा और हम प्रवर समिति में उन पर विचार करके उन्हें सुधार सकेंगे। जो माननीय सदस्य बहुत उत्सुक है जो इसमें काफी दिलचस्पी रखते है, जिनको शहर की गन्दी बस्तियों का अनुभव है, उनको मौका होगा प्रवर समिति को सुझाव दे सकने का। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल में हमें पार्टीबाजी से दूर रहना चाहिये। क्या सुधार के संबंध में दो राय हो सकती हैं? क्या मुल्क की सुन्दरता के बारे में दो मत या दो रायें हो सकती है? क्या मुल्क में स्वच्छता सुन्दरता पैदा करने में दो रायें हो सकती हैं? क्या उसमें कांग्रेस का एक विधान होगा, पी० एस० पी० का दूसरा और कम्युनिस्टों का तीसरा विधान होगा? यह तो नियम है, कानून है, यह तो डेवलपमेन्ट है---डेवलपमेन्ट आफ इंटेलेक्ट, डेवलपमेन्ट आफ मारेल्स, डेवलपमेन्ट आफ सैनीटेशन, डेवलपमेन्ट आफ आवर ब्यूटी, तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री ब्रह्मदत्तमायर (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूं माननीय चन्द्रसिंह रावत से कि चौक में उन्हें खूबसूरती नजर नहीं आती। मैने तो लखनऊ में आकर सुना था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त माथुर]

कि सारे शहर की खूबसूरती वहीं पर है। तो भी सहानुभूति के साथ-साथ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह प्रयत्न करें कि खूबसूरती अगर कहीं छिपी हुई है तो उसका प्रदर्शन करने की कृपा करें। वह स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जा सकता है।

(इस समय ३ बजे, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इस बात में दो रायें नहीं हो सकतीं कि देखते हुए नजर के सामने गली कूचों का हाल, मकानों का, उनमें रहने वालों का हाल ऐसा हो कि जो अच्छा न मालूम देता हो, इसके लिये प्रयत्न करना हर अच्छी सोसाइटी, समाज का कर्त्तव्य हो जाता है। प्रश्न यह है कि भावनाएं अच्छी होते हुए भी हम किस हद तक अपने कार्य को पूरा करने के लिये प्रयत्न करत हैं। गन्दी बस्तियां देश के लिये कलंक हैं, गरीबी कलंक है, अनपढ़ होना भी देश के लिये बड़ा भारी कलंक है। लेकिन ये तमाम चीजें दूर करने के लिये जहां समय चाहिये, वहां धन जुटाने की ताकत भी चाहिए। जहां तक इस तरफ कदम बढ़ाने का सवाल है, जो भी कदम बढ़ेगा वह अगर सही तरीके से उठाया जाय तो आम जनता को उससे लाभ हो सकता है। नगरपालिका या नगर महापालिका में गन्दी बस्तियों का होना, बेढंगे तरीके से मकानों का बढ़ना अच्छा मालूम नहीं देता है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी जनता की गरीबी और उसकी परम्पराओं का ध्यान भी रखना पड़ता है। आज देश की जो हालत है, बावजूद इसके कि आप चाहें कि गन्दी बस्ती खत्म की जायं, जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, रहने-सहने के लिये मुनासिब साधन नहीं जुटाये जायंगे, जनता के लिये स्कूल का, दवाई का, खाने पीने का अच्छा इंतजाम नहीं होगा, उनके लिये काम-काज मुहइया नहीं किये जायंगे तो यह कहने से कि एक कमरा या दो कमरों का मकान उनके लिये मुहइया कर दिया जाय और उससे उनकी जिन्दगी सुधर जायगी, यह बिलकुल गलत बात है। जिस व्यक्ति के पास ४ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, खाने के लिये साधन जुट जाता है वह स्वयं इच्छा रखता है कि मेरे पास मकान भी अच्छा हो, रेडियो हो, शिक्षा हो, सफेद कपड़ा हो। लेकिन उससे पहले जब न उसके पास खाने का साधन हो, न काम धंधा हो, न पहिनने के लिये कपड़ा हो, और आप कहें कि हम तेरा मकान अच्छा बनवाना चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह उनके साथ अन्याय होगा।

किसी भी बस्ती को उजाड़ने से पहले आप यह देख लें, उसके इर्द-गिर्द हजारों ऐसी जगहें आपको मिलेंगी जो खाली पड़ी होंगी। आप एक परिवार को, एक बस्ती को उजाड़ने से पहले उनके लिये जो धन आपके पास मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हुए एक नयी बस्ती खड़ी कर दीजिये, उस बस्ती में उन्हें ट्रांसफर कर दीजिये जो कि उस गन्दी बस्ती में रहते हैं, ताकि वह उजड़े हुए नजर न आयें, उनके कार्यकाल में बाधा न पड़े और उनके खाने पीने, रहने का इन्तजाम व्यवस्थित रूप से चलता रहे। जब आप ऐसा इन्तजाम करेंगे तो कोई भी गन्दी बस्ती में रहना पसन्द नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यह चाहें कि उन्हें उनकी झोपड़ियों में से उजाड़ कर सड़कों पर डाल दें जहां वे निराश्रित पड़े रहें, उनके पास सिर छिपाने को कोई जगह न हो और आप उन्हें ख्वाब दिखायें कि एक साल दो साल या चार साल बाद हम आपके लिये मकान बनवा देंगे, तो आप भली भांति सोच सकते है कि उनकी हालत उस वक्त क्या होगी? क्या बीतेगी उन पर और उनके बाल बच्चों पर जिनके पास रात को सोने के लिये इन्तजाम न हो, सुबह शाम खाना बनाने के लिये, अपने चौथड़ों को रखने के लिये भी जिनके पास स्थान न हो। तो मेरी प्रार्थना है कि उनकी बस्ती उजाड़ने से पहले नयी बस्ती का बनाया जाना लाजिमी है।

उसके लिये मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं। आज गन्दी बस्तियां ऐसी जगहों पर है कि जो शहर के अन्दर हैं। शहर बढ़ते चले गए, उसकी हदें बढ़ती गई जिससे ये गन्दी बस्तियां शहर के भीतरी इलाकें में आ गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका

सुधार होना चाहिये। लेकिन उस जमीन की कीमत इन दस सालों के अन्दर कई गुना बढ़ी है। अगर आप यह सोचे कि एक साल बाद या दो साल बाद नीलाम कर के या प्लाट बनाकर उसे बेचकर आप धन इकट्ठा करेंगे तो इतना धन तो आप जरूर जुटा लीजिए कि जिससे जहां सस्ती जमीन मिल सके, वहां उतने ही रुपये में उन गन्दी बस्तियों में रहने वालों को मिल्कियत दे दीजिये और वह रुपया आप जुटायें उन गन्दी बस्तियों को बेचने से। मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं। यहां सदन में मैंने सवाल उठाया। बिशनपुरा एक मुहल्ला हमारे यहां है। वहां भंगी और मोची लोग रहते हैं। वह जमीन आज चूंकि शहर के अन्दर आ चुकी है, उसकी कीमत २० और २५ रुपये प्रति मुरब्बा गज हो गई है। म्युनिसिपैलिटी को एक लाख रुपया सन् ६० में सरकार ने दिया था बस्ती बनाने के लिये। म्युनिसिपैलिटी ने उस जमीन को एक्वायर करने का भी आदेश जारी कर दिया और कार्यवाही भी जारी हो गई। यहां सदन में जबाब दे दिया गया। पिछले आश्वासन को भूलते हुए कि उन लोगों को तो उठाया ही जायगा। मैं श्रीमन् आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप उठा तो देंगे, आपके पास पुलिस है, आपके पास दूसरा डंडा है, अदालतें है, उन्हें खींचकर सड़कों पर डाल तो देंगे लेकिन उनकी सुनने वाला कौन है? उन्हें कहां से पैसा मिलेगा? कहां-कहां ठोकरें खायेंगे? किस-किस के दरवाजे पर जायंगे? कहां से मुकदमा लड़ेंगे। कहां से वकील को पैसा देंगे? यह जो दो चार छः वर्ष का समय बीतेगा उसके अन्दर उनकी क्या हालत होगी? म्युनिसिपैलिटी ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि अच्छे मकान बन जाने के बाद आपको प्राथमिकता दी जायगी। ठीक है। मकान बन जायेंगे म्युनिसिपैलिटी के। तीन चार साल तक तो वह दरबदर घूमते रहे, उसके बाद किराया तय कर दिया कि २५ रुपया, ३० रुपया या ४० रुपया किराया होगा।

वह गरीब आदमी जो दो चार रुपया रोज कमाने वाला है, वह २५–३० या ५० रुपया किराया कहां से आपको देगा? वह तो उजड़ गया। जो रुपया चार साल बाद आप देंगे, उस वक्त तक उनके सर पर कर्जा हो जायगा और उधार देने वाला अदालत से ही कुर्की ले लेगा, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ पायेगा। अगर इन तमाम चीजों का ध्यान प्रवर समिति कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी मुनासिब संशोधन स्वयं ही स्वीकार कर लें। इस तरह की गन्दी बस्तियां उजाड़ने से पहले आल्टरनेट जगह उन्हें दे दें, ताकि वे लोग वहां बस जायं, जो नई बस्ती बने, उसकी आप कीमत लगाकर उन्हें दे दें। उन्हें मिलकियत दे दें, और जितना रुपया उनकी जमीन बेचने के बाद हाथ लगे, अगर उससे वह कीमत न पूरी हो पाये, तो बकाया उनसे लोन के तौर पर किस्तों में वसूल कर लिया जाय। लेकिन बसने वाले को इतना संतोष तो जरूर होना चाहिए कि वह अपनी जमीन का मालिक है, जैसे पहले उनकी मिलकियत थी, वैसे ही जारी रहे, तो उस जगह से उसे मुहब्बत होगी, वह उसकी देखभाल करेगा। लेकिन अगर उसे पता है कि वह किरायेदार ही है और पता नहीं पहले की तरह यहां से भी निकाल दिया जाय, तो उसे उस जगह से कोई मुहब्बत नहीं होगी, वह एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा।

दूसरी चीज आप देखिए, जितनी बस्तियां इस तरह की नई बनाई जा रही हैं, उनके लिए म्युनिसिपैलिटियों को रुपया दे दिया कि वह भंगी बस्ती बनायें, या तो लो पेड इन्कम ग्रूप के मातहत लाखों करोड़ों रुपया बरबाद कर दिया और जिन म्युनिसिपैलिटीज को आपने वह रुपया दिया, वह जिस बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ, माननीय मंत्री जी उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो यह तमाम दिक्कतें अगर आप हल कर सकें, इन परेशानियों का हमें आप जवाब दे सकें, उसके लिए कोई हल तलाश कर सकें, तो हम बखुशी आपके हर कदम को स्वीकार कर लेंगे, समर्थन करेंगे।

एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय राममूर्ति जी यहां पर बैठे हुए हैं, और माननीय चतुर्भुज शर्मा जी यहां पर बैठे हुए हैं। इन दोनों के सामने मैं एक

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

चीज रखना चाहता हूं, क्योंकि गांवों में जो तमाम नियोजन का कार्यभार है, वह माननीय राममूर्ति जी पर है। अगर वह दोनों मिलकर इस तरफ ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं है कि शहरों को बढ़ा-बढ़ा कर इतना बड़ा कर दें, जिस तरह से आप बरेली की हालत आज देख रहे हैं। जितना शहर बढ़ता जा रहा है, उतनी ही गुंडागर्दी और बदमाशी बढ़ती चली जा रही है। दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। जितनी बदमाशी आज शहरों में फैलती जा रही है, वह इसलिए है कि हर किस्म का आदमी शहर में आकर बसना चाहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय राममूर्ति जी इस बात का इंतजाम करें कि शहर के इर्द गिर्द दो से पांच मील के फासले पर जितने गांव हैं, उन्हें टाउनशिप का दर्जा दें, जितने नये मकान बनें, वह खूबसूरती के साथ उन गांवों में बनें। उन गांवों के अन्दर पंचायत या कोआपरेटिव सोसायटीज बनाकर उन मकानों को बनवाइये ताकि गांव के पढ़े लिखे लोग, जो शहर की तरफ भागते हैं, वे न भागें और अपनी बस्तियों को उज्जवल स्वच्छ और आकर्षक बनाने की तरफ ध्यान दें। यह जरूरी नहीं है कि ५ मील के फासले पर रहने वाला अच्छा मकान छोड़कर शहर की गंदगी में आना पसंद करेगा। अगर हर गांव में अच्छी सड़कें बनें, पानी और बिजली का इंतजाम हो, जबकि हमारे प्रांत में सबसे ज्यादा बिजली उपलब्ध है और सरकार पोज करती है कि हम बिजली के मामले में सबसे कामयाब हुए हैं। तो क्या वजह है कि पावर हासिल करने के लिए आदमी शहर में जाना पसन्द करेगा, जबकि उसको बिजली गांव में ही मिल जाय। साथ ही जितने किराये पर शहर में उसको एक कमरा मिलता है, यदि उसी कीमत पर गांव में उसको चार कमरे का मकान बिजली तथा पानी की सहूलियतों के साथ मिल जाय, तो वह गांव में रहना क्यों नहीं पसन्द करेगा? जो जमीन शहर में १०–२० या ५० रुपये गज की उपलब्ध होती है, वह जमीन गांव में ८ आने, १२आने या १ रुपये तक हो सकती है। जो आदमी एक कमरे का मकान शहर में बनाता है, वह चार कमरे की कोठी अपने गांव में उतने ही धन में बना सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गांव के विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय और माननीय नियोजन तथा स्वायत्त शासन मंत्री इसकी तरफ गौर करें। आज आप गैर मुल्कों में देखिए, आपने देखा भी होगा कि यह जरूरी नहीं है कि शहर गांवों से ज्यादा खूबसूरत हो। वहां जिन लोगों के १०–२० या ५० कुनबे जिस गांव में रहते हैं, वहां उनकी जिन्दगी, और ज्यादा अच्छी है, दूसरी सहूलियतें उन्हें उपलब्ध हैं। शहर में दूध का इंतजाम नहीं है। दूसरा और कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन गांव में हर आदमी गाय, भैंस रख सकता है और खाने के तमाम धंधे रख सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि शहरों को छोड़कर आप यह कोशिश करें कि गांवों की जिन्दगी शहरों की निस्बत ज्यादा अच्छी हो और गांवों को अगर जोड़ना है, तो रोजाना के आने जाने का प्रबंध कीजिए। हमारे यहां स्कूटर रिक्शाओं का प्रचलन ज्यादा नहीं हुआ है। देहली में देखिए कि बस्तियां बसती चली जा रही हैं और १०–२० मील की दूरी पर जो नगर बसता है, वह एक मोहल्ला समझा जाता है। अगर ५–१० मील की दूरी पर बसें गांवों में स्कूल बन जायं और दूसरी सुविधायें वहां मिल जायं, तो कौन चाहेगा कि शहर में ही जाकर बसें। इसलिए मैं चाहता हूं कि शहर की तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय। गांव की जिन्दगी सुधारी जाय। वहां तमाम सामान मोहइया किया जाय ताकि शहरों में जो गुंडागर्दी और अराजकता बढ़ती जा रही है, उन दोनों में भी सुधार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दूसरे मकान बनाने का सवाल है। हमारे माननीय सदस्य बालोजी अग्रवाल ने जो एक सुझाव सदन के सामने रखा है, कि हालैंड के अन्दर जिस तरह से हमारे देश के अन्दर ब्लैक मनी है, इतना शाई मनी पड़ा हुआ है, नोटों की भरमार है, बुलियन उसके पीछे है या नहीं। यह क्यों हो रहा है? एक तो जहां भी आप मकान बनाने की तरफ ध्यान देते हैं, आपके पास सीमेंट नहीं है, ईंट नहीं है और दूसरा सामान नहीं है। इसलिए सामान न होने की वजह से कोई काम पूरा नहीं हो पाता। सहकारी भवन को ही आप

देख लीजिए चार पांच साल पहले उसकी नींव डाली गई है, लेकिन आज उसकी क्या दुर्दशा है, आपने देखा होगा कि उसमें ७ लाख रुपया खर्च हो चुका है। पर न जाने किन कारणों से वह अभी अधूरा है। अगर सरकारी इमारतों का यह हाल है, तो आप जो रुपया लोगों को मकान बनाने के लिए देते हैं, वह सामान के अभाव में कैसे बना पायेंगे? आप शहरों में और देहात में देखिए, जो जो कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिए, प्लानिंग के जरिए लिए या म्युनिसिपैलिटीज के जरिए, उसके अन्दर ज्यादा नहीं, तो ५५ फीसदी सामान ब्लैक में बिक रहा है। जितना सिवेज का काम हो रहा है, उसके अन्दर ६०–७० फीसदी सीमेंट ब्लैक में जा रहा है। अगर आपको वह काम करना है या आपको मकान बनवाने हैं, तो आप कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाइये, उस बस्ती के रहने वालों से कहिए कि वह अपनी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें और उन लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक मदद कीजिए, तो इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो हरिजन या डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें सरकार की तरफ से साढ़े बारह सौ रुपया एक मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जाता है। साढ़े सात सौ रुपया अनुदान के रूप में देते हैं। कोई कोआपरेटिव बनाकर आप इंतजाम कीजिए, उनको सीमेंट दीजिए, सस्ते भाव पर उनको ईंट दीजिए, उन्हें कहिए कि वह नक्शा है आप मेहनत करके अपना मकान बनाओ, अपनी मैन पावर लगाकर, अपना मकान खड़ा कर लीजिए। बजाय इस तरह से इम्दाद करने के आप एक रुपये की चीज को चार रुपये में बना कर उसको देते हैं लेकिन अगर वह अपना मकान समझकर उसमें जुट जायगा तो वह ८–१० आने में ही बना लेगा। इसी प्रकार की चीजों से आप देश को ऊंचा उठा सकते हैं। इससे लोगों में भावना पैदा होगी कि वे अपना मकान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी पोजीशन, अपना पैसा और अपना मकान देख कर खुश होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितने धर्म हैं चाहे वह हिन्दु हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो कोई धर्म यह नहीं सिखाता है झूठ बोलो, चोरी करो, लेकिन सब ऐसा करते हैं। सारी जमात की यही हालत है। फिर आप ही सोचिए कि आपकी इच्छा कितनी ही प्रबल हो, कितनी ही आपकी भावना अच्छी हो, लोगों को चाहे जितना ऊंचा आप उठाना चाहते हों, मकान उनको देना चाहते हों, शिक्षित बनाना चाहते हों, या उनको कोई काम धंधा ही क्यों न देना चाहते हों, लेकिन जिन लोगों की आप भलाई चाहते हैं, उनकी भलाई उस तरह से हो नहीं पाती है जिस तरह से आप करना चाहते हैं। आपको इस ओर सोचना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मायर जी, आप समय का ध्यान रखें। अच्छा हो और लोगों को भी मौका मिल जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप इशारा कर दें तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट कोई काम सीधे अपने हाथ में न ले, जिन लोगों के लिए आप सहूलियत पैदा करना चाहते हैं वे लोग उसका इंतजाम स्वयं करें। आप उनको इम्दाद देने के लिए पैसा लगाते हैं, लेकिन उसका उनको रुपये में चार आने भी लाभ नहीं मिल पाता है। पचास जगह उसको धक्के खाने पड़ते हैं और वह ऊब जाता है। इसलिए जब यह बिल प्रवर समिति में जाय तो माननीय मंत्री जी, कार्यकर्त्ताओं ने जो इस बिल का स्वरूप रखा है, उसी पर न अड़े रहें, कठोरता को छोड़कर और असलियत को सामने रखकर उस पर विचार करें तो मेरा विश्वास है कि इस बिल से उनकी जो मंशा है वह पूरी हो जायगी। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय मंत्री जी लाये हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अच्छा होता इसको माननीय मंत्री जी कुछ वर्ष पूर्व ही ले आते। तमाम शहरों की हैपहेजर्ड ग्रोथ हो रही है खासतौर से स्वाधीनता के बाद जो बिल्डिंग्स बनी हैं, वे न बनतीं, यदि चन्द वर्षों पूर्व यह विधेयक यहां पेश हो जाता।

[श्री बृजभूषण शरण]

मेरी समझ में यह नहीं आ सकता कि इतने अच्छे बिल की कोई मुखालफत भी हो सकती है और माननीय कमलासिंह की काबलियत में तो मुझे पूरा विश्वास है, वह बड़े अध्ययनशील आदमी हैं, लेकिन उन्होंने इसमें यह टालू मिक्शचर क्यों लगा दिया कि इसको जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाय ? ऐसा मालूम होता है कि शायद इसके महत्व को वह स्वीकार ही नहीं करते हैं। अगर इसको जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाय तो इसके माने हैं कि अभी इस को पास ही न किया जाय। लेकिन माननीय बालोजी अग्रवाल ने जो संशोधन दिया है मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, लेकिन चूंकि मंत्री जी इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहते ही हैं इसलिए मैं उन से आग्रह करूंगा कि वह बालोजी के संशोधन के इतने भाग को मान लें कि समिति को इस विधेयक में परिवर्तन और परिवर्द्धन करने का अधिकार हो। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और अभी तो हमने इसको केवल एक सरसरी नजर से ही देखा है और हम अभी यह नहीं कह सकते कि हमने इस का पूरे तौर पर मनन कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा देखने से समझ में यह बात आई कि यह बड़ा जरूरी बिल है और थोड़ी सी गलती रहने से बड़ा मिसचिफ हो सकता है जिसका अनुमान इस वक्त लगाना कठिन है। इस समय तो हमारे सामने केवल प्रवर समिति का प्रस्ताव है और उसी पर हमें बोलना है। पूर्ण विचार तो इसमें बाद में होगा या प्रवर समिति में विचार होगा, लेकिन दृष्टांत के रूप में मैं कहूंगा जिस तरह से कि डेवलपमेंट लेवी या बैटरमेंट लेवी लगाने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड को या उस की समितियों को होगा, उससे मेरे पर यह रिएक्शन हुआ कि अगर इसमें यह संशोधन हो जाय कि....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है। वह देख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है।

श्री बृजभूषण शरण—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि वैसे तो बैटरमेंट लेवी लगाना ठीक ही है उसूलन, लेकिन मंत्री जी ने जो प्राविधान किया है वह यह है कि अगर किसी जगह की तरक्की हो जाती है और उस से मालिक को अधिक आय होने लगती है और जमीन की कीमत बढ़ जाती है तो उसको अवश्य ही कुछ भाग बोर्ड को देना चाहिए। इसमें इतना संशोधन अवश्य ही होना चाहिए कि अगर किसी आदमी की एक ही जमीन है और दूसरी उसकी कोई प्रापर्टी नहीं है और उस पर आपने अगर यह बैटरमेंट लेवी लगा दी तो ऐसा न किया जाय कि मालिक को उसे भी बेचना पड़ जाय। यह इंसाफ की बात न होगी और उसमें उनकी दुर्भावनायें होंगी, जबकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं।

इस समय हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि बता सकें कि इसमें क्या संशोधन होने चाहिए क्योंकि अभी इसको एक सरसरी नजर से ही हमने देखा है। जब यह संयुक्त प्रवर समिति में जायगा तो वहां इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा। एक बात समझ में नहीं आई कि श्री बालोजी ने सजेशन दिया कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल हाउसिंग में कराया जाय और अभी मायर जी ने कहा कि जितना काम सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है उनका ५० प्रतिशत सीमेंट ब्लैक में जाता है। अगर श्री बालोजी के उसूल को मान लिया जाय यह भी संशोधन लाना पड़ेगा कि जो ब्लैक मार्केट में सीमेंट जाता है उससे मकान बनवा दीजिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कभी प्रिंसिपिल्स के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं होता है। जहां तक ब्लैक मनी का ताल्लुक है वह हमारे क्षेत्र की बात नहीं है। वह केंद्रीय सरकार के क्षेत्र की बात है।

एक बात माननीय मायर जी ने कही, मैं उसको बल देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा जो तरीका है किसी स्कीम को लागू करने का वह बिल्कुल गलत है। जितने आदमी

वहां पर रहते हों अगर उनकी जमीन एक्वायर करायी जाय तो उन लोगों के रहने का प्रबंध होना चाहिए। यह न हो कि उनके घरों पर पहले ही फावड़ा फिरवा दिया जाय। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मलिन बस्तियों का सुधार किया जाय मगर जब तक मकान बनें उस समय तक वहां के रहने वालों का प्रबंध होना चाहिए। कम से कम अगर इंसान की तरह से नहीं तो जानवरों की तरह तो रहने का उन्हें अवसर दीजिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसमें इसका प्राविधान कर दिया जाय।

माननीय मायर जी ने दूसरी बात यह कही कि माननीय मंत्री जी को इसमें अपनी हठधर्मी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से उनके अफसरों ने बना दिया वे उसे पास करवाना चाहें..

कुंवर पालसिंह—

श्रीमन्, कोरम नहीं है। अगर यही हालत है तो बन्द कीजिए सदन की कार्यवाही।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कम से कम ५ बार कोरम की घंटी बजायी जा चुकी है और फिर भी कोरम पूरा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब यह प्वाईंट रेज किया गया था, उस समय नहीं था। अब हो गया है।

श्री बृजभूषणशरण—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय ब्रह्मदत्त मायर ने एक शंका प्रकट की और उन्होंने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन किया कि उनके अधिकारियों ने जैसा बिल दिया है उसे हठधर्मी से पास न करावें। इस सबंध में मैं माननीय मायर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट ऐक्ट प्रवर समिति के सामने आया उस वक्त माननीय मायर जी ने अवश्य देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने किसी अपने अधिकारी की राय के खिलाफ भी उनकी बात मान लेते थे तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी जितने उदार उस समय थे वे अब भी वैसे ही हैं। इन शब्दों के साथ में मंत्रीजी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर —

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजभूषणशरण जी ने मेरे बारे में एक बात कही है। उस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी का पूरा सहयोग तो मिला पर वहां पर सदस्यता के प्रश्न पर उन्होंने यह कहा था कि लोकल एम० एल० ए० जो होंगे उनके बारे में मैं सदन के सम्मुख रख दूंगा, लेकिन यहां आकर उनकी राय बदल गयी और वह प्रश्न हाउस में नहीं रखा गया।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ पेश करते हुए माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि इस विधेयक को पेश करने की जरूरत इसलिए महसूस हुयी कि हमारे सूबे के अन्दर ५ महा नगरपालिकायें स्थापित हो चुकी हैं। लगभग १८ ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी १ लाख से ज्यादा है। इन तमाम नगरों के अन्दर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, पुराने मकानात जो रहने के काबिल नहीं है, उनके सुधार की आवश्यकता को देखते हुए, गन्दी बस्तियों के सुधार की आवश्यकता को देखते हुए, सड़कों के निर्माण तथा यातायात की सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

हुए यह आवश्यक समझा गया कि राज्य स्तर पर एक ऐसा परिषद् स्थापित किया जाय जो नियोजित ढंग से इस कार्य को संपादित कर सके। हमारे देश के अन्दर कुछ दूसर राज्य इस संबंध में अग्रणी रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार की परिषदों की स्थापना पहले करके कुछ काम किया फलस्वरूप स्वायत्त शासन मंत्रियों की कांन्फ्रेंस हुई जिसमें यह राय हुई कि इस प्रकार का विधेयक हर प्रदेश क अन्दर पेश किया जाय और एसा कानून बनाया जाय जिस से इस गंभीर समस्या का निराकरण हो सके। हमारे प्रदेश क अन्दर तो खास तौर से आज मकानों की समस्या एक गम्भीर समस्या बन गयी है। चाहे बड़े शहर हों, चाहे छोटे कस्बे हों हर जगह आबादी बढ़ रही है, घनी आबादी है और रहने के काबिल मकान नहीं हैं। कानपुर में तो ऐसी गन्दी बस्तियां हैं जिसमें इन्सान का रहना सोचा भी नहीं जा सकता और वहां पर हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर-लाल नेहरू ने एक ऐसी गन्दी बस्ती का निरीक्षण किया था और कहा था कि इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती कि २०वीं सदी के अन्दर इंसान ऐसी गन्दी बस्तियों में रह रहा हो और जैसा उनका स्वभाव था उन्होंने झल्लाते हुए कहा कि "ऐसी गन्दी बस्ती को मेरा बस चलता तो जला देता, इंसान कैसे इसमें रहता है जिसमें जानवर भी नहीं रह सकता ?" मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूंठकि हमारे राज्य के अन्दर जो आबादी शहरों के अन्दर रहती है पूरी आबादी में कम से कम ५० फीसदी ऐसे मकानों के अन्दर रहती है जो रहने के काबिल नहीं हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, दूसरी जो आवश्यक सुविधायें हैं इंसान के रहने के लिए उनकी दृष्टि से और जो नवीनतम जरूरियात हैं आज के युग में उनकी दृष्टि से।

इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए यह कोई पहला प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि जैसा कि इस विधेयक के अन्दर स्वयं बतलाया गया है १९१९ से लगातार इस प्रकार के कानून बनते रहे हैं इस सूबे के अन्दर। जिनमें इस बात की कोशिश की जाती रही कि हम अपने कस्बों की हालत को सुधारें। उनको इंसान के रहने के काबिल बनायें। जो जरूरियात हैं, सुविधायें हैं आज के औद्योगिक युग के अन्दर, जिनके बिना काम नहीं चल सकता हम उनके आधार पर कुछ सुधार करें और आखिरी प्रयास जो सरकार ने किया था सन् १९६२ में मलिन बस्तियों का कानून बनाकर, उसके जरिए यह प्रयास किया गया कि अपने सूबे में जो स्लम्स हैं, जो आधुनिक समाज के लिए एक कलंक की बात हैं उनको समाप्त किया जाय, नये मकान बनाये जायं और जो गरीब तथा साधन विहीन लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको सुविधायें रहने की दी जायं, अच्छे मकानात दिए जायं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार को जो सफलता मिली है वह नगण्य सफलता है और उसको एक अवलोकन करने के बाद, उस पर एक नजर डालने के बाद संभवतः सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि आज जरुरत इस बात की है कि इन तमाम कामों को एक इंटेग्रेटेड तरीके से राज्य स्तर पर किया जाय और एक साधिकार बोर्ड की स्थापना की जाय जो इस काम को ज्यादा तेजी और मुस्तैदी के साथ अंजाम दे कर लोगों को सुविधा मुहइया कर सके। मैं समझता हूं, मेरी यह धारणा है कि यह विधेयक जो इस सदन के सम्मुख पेश किया गया है यह उस मंशा को पूरा नहीं करता और यह उस जरूरत के मुताबिक नहीं है।'

जो जरूरत हमारे सूबे के नागरिक की है। इसका सर्वप्रथम लक्ष्य जो होना चाहिये था, वह यह कि तेजी के साथ नये मकान बनाये जायं। वे मकान सस्ते होने चाहिये थे, जो गरीब जनता को उपलब्ध हों, जो मजदूरों को उपलब्ध हों, मध्यम वर्ग के लोगों को उपलब्ध हों और ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध हों जो छोटी-छोटी तनख्वाह पाते हैं। तीसरी शर्त यह है कि वे मकान ऐसे हों, जो इन्सान के रहने के काबिल हों। जो कम से कम इन्सान की जरूरियात को पूरा करते हों। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस प्रकार से इसे पेश कर रहे हैं उससे इसका मकसद हल नहीं हो सकता है। जो आयुक्त होगा वह ऐसा होगा कि जिसको ग्रामों से लेकर बड़े नगरों तक, जैसे मकान चाहें, उनको ध्वस्त करें या बिगाड़ें या बनायें। शहरों के विस्तार के लिए जो हम परिषद् बनाने जा रहे हैं, वह इसके हाथ की कठपुतली बन कर रह जायेगा। इतने विस्तृत अधिकार आयुक्त को दिये जा रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह बड़ी गलत चीज होगी। जब हम इस बात को करने जा रहे हैं, योजनायें बनाने जा रहे हैं तो जरूरत थी कि ऐसी कमेटी के अन्दर ज्यादा से ज्यादा जनता के चुने हुये नुमाइन्दे होने चाहिये थे, ऐसी कमेटी के अन्दर गैर सरकारी लोग ज्यादा से ज्यादा होते जिनको अपना अनुभव होता और जो जनता की भावना को समझते होते और जनता की जरूरियात को समझते होते और उनकी आवश्यकता के अनुसार योजनाओं को तैयार करते और उन को लागू करने के लिए कदम बढ़ाया जाता। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बात की इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

दूसरे इसका मकसद यह होना चाहिये था कि नये मकान इसलिए नहीं बनाये जाते कि उनको बेचा जाता या उनको हायर परचेज सिस्टम पर दिया जाता बल्कि इसलिए बनाये जाते कि उनको सस्ते से सस्ते किराये पर गरीब जनता को दिया जायगा। इसका एकमात्र यही लक्ष्य होना चाहिये था। लेकिन आज स्थिति क्या है ? इन समाजवादी समाज की बात करते हैं और यह मानी हुई बात है कि सूबे क अन्दर इन्सान को अपनी आमदनी का ३० से ले कर ४० परसेंट मकान के किराये में चला जाता है। आज, श्रीमन्, देखिये कि १०० रुपये पाने वाले आदमी को ४०/४५ रुपये से कम किराये का मकान नहीं मिलता है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि आज दूसरे देश के लोगों की इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? सोवियट यूनियन में १५ वर्षों में बहुत से मकान बने हैं और उन्होंने तो इसे एक उद्योग ही बना दिया है। उन्होंने एक हाउसिंग इन्डस्ट्री बना दी है जिसका काम है सस्ती जमीन लोगों को देना, सस्ते मकान देना, मकान बनाने की सुविधायें देना। वहां एक आदमी को अच्छी से अच्छी साज-सज्जा का मकान देते हैं और उसकी आमदनी का २,३,५ परसेंट अधिक से अधिक लेते हैं। ये मकान ऐसे होते हैं कि जो आधुनिक सुविधाओं के साथ सम्पन्न होते हैं। लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस मकसद को पूरा नहीं कर सकता है। जब तक उसके पीछे योजनायें न हों, जब तक इसके पीछे इरादा न हो और उस इरादे को अमल में लाने के लिए कायदे और कानून और मशीनरी न बनायें तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

कानपुर से आने वाली माननीया सुशीला जी यहां बैठी हैं। क्या वे कह सकती हैं कि आज से तीन साल पहले कानपुर से स्लम्स को हटाने के लिए हमने जो कानून बनाये थे, उन में कुछ परिवर्तन हुआ है ? जो पहले एक बड़े पैमाने पर वहां स्लम्स थे वे आज भी हैं क्या यह सही नहीं है कि इस दिशा में जो हम कायदे कानून बनाते हैं वे हमें आगे नहीं बढ़ाते हैं ? छोटी आय वालों के लिए यह किया कि मकान बनाने के लिए बैंक से कर्जा दिया जाय और इसके लिए एक हाउसिंग बोर्ड बना दिया।

उसके जरिये उनको कर्जा मिलेगा, कुछ दूसरे हरिजन विभाग के जरिये कहा गया कि गरीबों को कर्जा मिलेगा, बहुत सारी एजेंसीज बनायी गयीं, लेकिन यदि एक गरीब आदमी चाहे कर्जा मिल जाय मकान बनवाने के लिएतो यह बिलकुल असम्भव है। गरीबों को और वास्तविक जरूरतमन्दों को इस बात का पता नहीं चलता कि किस ऐजेंसीज से किस प्रकार उन्हें कर्जा मिलेगा, जल्दी से किस तरीके से मिलेगा, उसके कानून कायदे, जो बहुत ही मुश्किल हैं, समझ में नहीं आते हैं। यदि सौभाग्य से खुदा न ख्वास्ता मिल भी जाये तो इतना सीमित, इतना कम मिलता है, कभी ईंट नहीं मिलती है तो कभी सीमेंट नहीं मिलती है, जिनके कारणों से उसके लिए मकान बनवाने का काम एक बड़ी भारी मुसीबत के रूप में खड़ी हो जाती है और वह समझता है कि कर्ज लेकर हम ने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली है। इस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के अन्दर है। मैं समझता हूं कि इन सारी गड़बड़ियों, अभावों और सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए इस विधेयक में जो व्यवस्था होनी चाहिये थी वह नहीं है। इसलिए जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह परिषदें स्थापित की जा रही हैं, उसको पाने में यह बिलकुल असमर्थ होंगी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दूसरी बात मैं आपसे यह कह रहा था कि आज कितने अधिकार दिये गये हैं हाउसिंग बोर्ड को। पहली बात तो उन में बहुमत होगा अधिकारियों का उच्चाधिकारियों का। ६-६ विभाग के सचिव उसके सदस्य होंगे और उसका अध्यक्ष हाउसिंग कमिश्नर होगा, जो एक सरकारी अधिकारी होगा। इसे और इन सरकारी अधिकारियों को अधिकार है कि धारा १२ के अनुसार जितने वे चाहें अधिकार ले सकते हैं। विभागीय अधिकारी, सचिव आदि ऐसे ही इतना कम समय पाते हैं, उनकी मेजों पर फाइलें जमा रहती हैं और मीटिंगों के समय मालूम पड़ता है कि वे कितना अधिक कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें इस बात का समय कभी नहीं मिलने वाला है कि वह इस ओर भी देखें कि गरीब जनता को मकान मिलें, मलिन और पशुवत गरीब बस्तियों को दूर किया जाय और उनके स्थान पर स्वस्थ और मनुष्योपयोगी मकान बन सकें, गरीबों और हरिजनों को सुविधायें मिलें, उन्हें किभी समय नहीं मिलेगा और समयाभाव के कारण वह इस कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे और इस तरह से गरीबों के लिए कुछ होने वाला नहीं है। हाउसिंग कमिश्नर उनका अध्यक्ष जो होगा उसको सारा कार्य देखना होगा और वह लखनऊ में बैठा हुआ, फाइलों में उलझा हुआ उनके हित में कोई वास्तविक काम करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, यदि सरकार चाहे तो वह हाउसिंग कमिश्नर को धारा १२ के अन्तर्गत अन्य अधिकारियों के भी अधिकार दे सकती है। इस तरह से एक तानाशाह की हैसियत, एक सर्वाधिकार सम्पन्न की हैसियत आवास आयुक्त की बन जायेगी। इस विधेयक के अन्दर ही सारी अव्यवस्था को रोकने के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिये थी जो नहीं है।

यदि आप वास्तव में इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं और इसकी सफलता देखना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में शीघ्र गरीबों के रहने के काबिल मकान होने चाहिये तो एक गैर सरकारी, एक अनुभवी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो, उसको इसका अध्यक्ष होना चाहिये, अन्यथा होगा क्या? गरीबोंकी जमीनें ली जायें गी और लोगों को उसका जो मुआवजा दिया जायगा वह वास्तव में मुआवजे के नाम पर गरीबों की खुली लूट होगी। और आप कहेंगे कि लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत और बाजार दर के मातहत ही हम उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। जबकि उन्हें थोड़ा भी उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि हो यह रहा है कि अमीर लोगों की जमीनें छोड़कर गरीबों की जमीनें ली जाती हैं, जो गरीब और छोटे काश्तकार हैं उन्हें ही इसका शिकार बनाया जाता है और उसे जो मुआवजा दिया जाता है वह २० पैसे से लेकर २०-३० रुपये तक होता है। यह मुआवजे की दर में कितनी बड़ी विषमता है, कितना गलत इन्टरप्रिटेशन होता है नियम का? आप कहते हैं कि हम तो बाजार दर से देंगे। यहां भी इस प्रकार की गड़बड़ियों के अनेक बड़े-बड़े उदाहरण हैं। गाजियाबाद में सरकार द्वारा किसानों की भूमि हस्तगत की गयी और उसके बदले जो उन्हें मुआवजा दिया गया वह नगण्य था। उन बेचारों ने त्रिमूर्ति में जाकर नेहरु जी के बंगले, के सामने प्रदर्शन किया, अनशन किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि यहां की सरकार को गाजियाबाद के किसानों को ढाई सौ गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ा। कोई अनुपात है, ? कोई सीमा है? कितना बड़ा अन्तर है यहां की सरकार के निश्चय में और केन्द्रीय सरकार के ख्याल में कि आपको उसको ढाई सौ गुना मुआवजा देना पड़ा। इसी प्रकार से माताटीला बांध के लिए मध्य प्रदेश के किसानों की जमीन जो ली गयी, उसका भी यहां के किसानों को २५-३० फी सदी अधिक यहां से मुआवजा दिया गया और उसी योजना के अन्तर्गत जो यहां के किसानों को कम मुआवजा दिया गया था उसके लिए जब बार-बार कहा गया तो उनका मुआवजा थोड़ा बढ़ाया गया।

इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आप लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक सारे अधिकार एक अधिकारी को देते हैं यह अनुचित है। जनता का अगर नुमाइन्दा होगा, अगर गैर सरकारी आदमी होगा तो कम से कम उसे जनता के सामने जाना पड़ता है, जनता को फेस

करना पड़ता है, इस लिए वह ऐसे कायदे कानून बना करके जनता के सामने नहीं जा सकता। वह उन की दिक्कतों का देखेगा और वह दुस्साहस नहीं करेगा कि इस प्रकार से मुआवजे के रेट को तय करें।

इस के साथ ही, आप ने यह भी कहा है कि पांच सौ रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार की अनुमति पर पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी और ५ सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए बोर्ड यानी हाउसिंग कमिश्नर का अधिकार होगा। हमारे प्रदेश में ५ सौ रुपये या उससे अधिक पाने वाले अधिकारी अधिकतर गजेटेड आफिसर्स ही होंगे। इस प्रकार के लोगों की नियुक्ति करने का अधिकार जिनकी तनख्वाह ५ सौ से कम हो बोर्ड को देने का अर्थ होता है ऐसे आदमियों की नियुक्ति जिनके जरिये से वहां के अधिकारी अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि २ सौ रुपये से ऊपर के सारे कर्मचारियों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगी। मैं समझता हूं कि बोर्ड का वह अधिकार नहीं मिलना चाहिये जो आप देने जा रहे हैं।

दूसरा पक्षपात, जिसका कि मुझे भय लगता है वह यह है कि कुछ समितियां होंगी, जैसे जहां विकास करना होगा, वहां सलाहकार समितियां होंगी। नगरपालिका में विकास करना है तो नगरपालिका का अध्यक्ष उस सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा, अगर महापालिका का विकास करना है तो वहां की सलाहकार समिति का अध्यक्ष उस महापालिका का अध्यक्ष होगा, किन्तु टाउन एरिया के लिए आपने वह बात नहीं रखी है। वह इसलिए कि टाउन एरियाओं के अन्दर आप की बहुमत पार्टी है के, शासक पार्टी के लोग बहुत बड़ी संख्या में पराजित हुये हैं। इसलिए आपने नगरपालिकाओं और महापालिकाओं के लिए जो पद्धति अपनायी है उस के बिलकुल विपरीत टाउन एरियाओं के लिए आप ने यह कर दिया है कि वहां की सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरकार जिन को चाहेगी नामिनेट कर देगी। इसके अंदर सिवाय इस भावना के और कोई भावना हो नहीं सकती कि आप टाउन एरिया के अध्यक्षों जो शासक पार्टी के अधिकतर नहीं हैं उनको वह अधिकार देना नहीं चाहते हैं को महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के अध्यक्षों को जो शासक पार्टी के अधिकतर हैं, देना चाहते हैं।

इसी प्रकार से आप देखें अगर कोई नगरपालिका अपनी योजना बनाना चाहे उसके लिए परिषद् को तो यह अधिकार है कि जिस नगर में चाहे उसका विस्तार बगैर वहां की नगरपालिका की राय मशविरे के लिये अपने अधिकार से योजना तैयार कर सकता है, लेकिन अगर नगर पालिका स्वतः इस बात की दरख्वास्त करें कि हम चहाते हैं कि हम अपने नगर विस्तार अमुक लाइन्स पर करें तो परिषद् को अधिकार है कि वह उस योजना से इन्कार कर सकती है और उससे परिषद् को राय लेने की भी आवश्यकता नहीं है। वह नगरपालिका को यह भी नहीं बतलायेगी कि हम क्यों तुम्हारी योजना को अस्वीकार करते हैं।

इस प्रकार की बहुत सी कमजोरियां इस विधेयक में हैं। अभी तो मैंने मोटी-मोटी बातें रखी हैं, इस विधेयक पर जब खंडशः विचार होगा तब अपने संशोधन प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस समय तो बुनियादी नीतियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की मैंने कोशिश की। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त प्रवर समिति में यह विधेयक जा रहा है और वहां पर इस के ऊपर सविस्तार विचार होगा, लेकिन फिर भी हमारा जनतांत्रिक ढांचा है उसमें इस प्रकार के विधेयक जिनका सम्बन्ध आम नागरिकों से है, उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार जनता के लिए चुने हुये प्रतिनिधियों को देना चाहिये और इस प्रकार के कायदे-कानून बनाने चाहिये जिससे हमारे समाज के जो सबसे कमजोर अंग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, साधन नहीं है अपने रहने के लिए मकान बना सकें और सस्ते मकान के अन्दर रह सकें, उन अंगों को ले करके चल सकें, क्योंकि आपका लक्ष्य वेलफेयर स्टेट है। छोड़िये समाजवाद की बात, समाजवादी समाज की रचना और उसकी नीति की बात तो बहुत दूर की है। आप चाहे शब्दों के अन्दर जितनी घोषणा करें, लेकिन फिर भी कल्याणकारी राज्य में यह नितान्त आवयश्क है कि एक आदमी के रहने के लिए सस्ता, रहने के काबिल,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

सारी सुविधाओं से सम्पन्न, मकान हों और साफ सुथरी बस्ती हो। इस बात को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक के रूप में परिवर्तन करेंगे ताकि सही माने में जो हमारे प्रदेश की आवश्यकतायें हैं जिनको दूसरे प्रदेश पिछले ५–६ वर्ष से ऐसे कानून बना कर तेजी से हल कर रहे हैं, हमें भी अपने मकसद को हासिल करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इन त्रुटियों की ओर आकर्षित करते हुये आशा करता हूं कि इन सुझावों के आधार पर इस विधेयक के अन्दर आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है, उसको मैंने बहुत ध्यान पूर्वक प्रारम्भ से लेकर अन्त तक पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि ऐसा अप्रजातांत्रिक विधेयक कम से कम इस सत्र में जबसे हम लोग आये हैं, तो नहीं आया, उससे पहले कभी आया हो तो उसकी बात दूसरी है। श्रीमन्, यह जो अप्रजातांत्रिक वाली बात है वह तो है ही, लेकिन आवास कमिश्नर के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने उल्लेख किया, उसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार होगा। साथ ही साथ परिषद् के गठन का जो प्रकार है, उसमें भी एक बड़ी ही विचित्र सी स्थिति है। उससे सरकार की यही मंशा प्रकट होती है कि सरकार जिसे चाहेगी उसे आयुक्त नियुक्त करेगी और परिषद् के अन्दर जो ५ गैर-सरकारी सदस्य होंगे उनको भी मन्त्री महोदय की तरफ से नियुक्त किया जायगा। उनमें जनता का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह का यह पहला ही बोर्ड या संस्था है जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कोई न हों। यह पहला बोर्ड बनाया जा रहा है जिसके अध्यक्ष को मन्त्री महोदय नियुक्त करेंगे और जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनको आयुक्त के नीचे रहना पड़ेगा। उनके लिए कोई योग्यता का उल्लेख विधेयक के अन्दर नहीं दिया गया है। यह रखा गया है कि वह नगर प्रमुख होगा, लेकिन कहां का नगर प्रमुख होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ५ महा नगरपालिकायें हैं उनमें से कानपुर का नगर प्रमुख होगा, क्योंकि वहां कांग्रेस का बहुमत है, और कांग्रेस का नगर प्रमुख है। लखनऊ का वहां नामिनेट नहीं होगा।

श्रीमन्, अगर देखा जाय तो एक तरह से सरकार ने पूरे बिल के अन्दर अपना अधिकार ले रखा है। यह ९८ सेक्शन का कानून है। जिसमें से ४७ सेक्शन में सरकार ने अपना अधिकार ले रखा है जिसके अन्तर्गत सरकार जो निश्चित करेगी उसी को आयुक्त करेगा, जिस ढंग से सरकार काम कराना चाहेगी उसी ढंग से वह काम करेगा। इन सारी बातों को छोड़ दें तो सबका निचोड़ यही है कि परिषद् का गठन सरकार अपने तरीके से कर रही है। श्रीमन्, मण्डी विधेयक जब माननीय चरणसिंह जी लाये थे, तो उसमें उन्होंने रखा था कि सरकारी कर्मचारियों से जनता के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी ताकि किसानों का हित हो सके। उसी तरह से सरकार को चाहिये कि जब वह इतने बड़े प्रदेश के लिए कोई कानून बना रही है तो इस तरह से जो वे तीन पदेन सदस्य हों, उनको सरकार नियुक्त करे और इसका कांस्टीट्यूशन सरकार उस ढंग से करे कि इसमें जो गैर सरकारी सदस्य जो हों, वह बहुमत में हों। जो भी सदस्य हों, वह प्रतिनिधि हों, उनकी संख्या अधिक से अधिक चुनी हुई होनी चाहिये। अध्यक्ष जो है वह इन्हीं सदस्यों से चुना हुआ होना चाहिये। इसके जो ५ सदस्य होंगे उन के नामिनेशन की बात गलत है। वह हमारे चुने हुये प्रतिनिधि होने चाहिये। जो इस विधान सभा और विधान परिषद् के चुने हुये सदस्य हैं, वह जनता के प्रति जिम्मेदार सदस्य हैं उनमें एक में से ४ सदस्य और एक से दो सदस्य होना चाहिये। इस तरह से अगर व्यवस्था की जाय तो यह एक उचित व्यवस्था होगी, तभी उस व्यवस्था के अन्दर लाभ हो सकता है।

एक बात यह है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सम्पत्ति और सरकारी ऋण और सरकारी रुपया यह सारा का सारा सरकार द्वारा परिषद् में वेस्ट करने वाला है। वह योजना बना लेगी और योजना बनाने के बाद उसको बहुत अधिकार दिये हैं। नगरपालिका, टाउन

एरिया और नगरमहापालिका के क्षेत्र में यह परिषद् इन्टरफियर करने वाली है। उसमें उनकी राय को सुना नहीं जायगा। अगर कोई प्लान बनाया और किसी स्थानीय निकाय के लिए उस बोर्ड ने वह किया कि वहां पर लागू करना हैं तो उसके विषय में कोई विरोध करने का अधिकार किसी नगरपालिका को नहीं है। अगर न भी चाहें तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उस को लागू कर सकते हैं।

इसी प्रकार से टैक्स लगाने की बात है। वह नगरपालिका टैक्स नहीं लगाना चाहती है लेकिन इस परिषद् को अधिकार होगा कि वहां पर टैक्स लगाया जा सकता है। जिन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर उसको टैक्स लगाने का अधिकार होगा और वह अतिरिक्त टैक्स वसूल कर सकेगा। यह सारा विधेयक ऐसा है कि इसके उद्देश्य और कारण अच्छे होते हुये भी यह प्रदेश का लाभ नहीं कर पायेगा। इस बोर्ड को इतनी पावर दी गयी है कि जहां पर इसके अधिकार को संरक्षित किया गया है वहां पर कोई भी अन्य कानून लागू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में जहां पर दस्तखत बनाना पड़ेगा वहां पर लागू नहीं होगा। रेन्ट कन्ट्रोल भी वहां पर लागू नहीं होगा, जहां यह अधिकार लेना चाहेंगे किसी भी मकान पर कब्जा करने का उसको अधिकार होगा। लैंड एक्वाजिशन ऐक्ट के अन्दर जो काम होते हैं जरूरत पड़ने पर वह बोर्ड उन सब कामों को कर सकेगा। इस प्रकार से इसके अधिकारों को बढ़ाने का सवाल है कि जिससे बहुत कानून अप्रभावी हो जायेंगे। जहां पर टैक्स की मनाही होगी वहां पर भी इसको अतिरिक्त टैक्स लगाने का अधिकार होगा। इस लिए यह जो विधेयक लाया गया है इसके उद्देश्य अच्छे होते हुये भी इस तरह से लाया गया है कि समाज को इससे लाभ नहीं हो सकेगा। बहुत से कानून पहले से बने हुये हैं, लेकिन जब यह विधेयक पास हो जायगा तो वे कानून सब निरस्त हो जायेंगे। मलिन बस्ती कानून पहले यहां से पास हुआ था और उसके अन्दर जो व्यवस्थायें थीं वे सब उस कानून क अनुसार होती थीं पर इस कानून के पास होने पर वह कानून निरस्त हो जायगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो इतने अधिकार देने जा रहे हैं, इस बोर्ड को कि वह दूसरे भी काम करें, तो क्या वे सब काम पूरे हो जायेंगे और यह बोर्ड कर लेगा? जब तक इस कानून के अन्तर्गत बिलकुल स्पष्ट व्यवस्था न हो बड़े नगरों में रहने वाले श्रमिकों के लिए इसके अन्दर व्यवस्था न हो तब तक यह विधेयक सही नहीं है। जैसे हरिजन हैं, जिनके रहने की स्थिति बहुत खराब है, उनके लिए अगर लाभ नहीं होता है तो इस से प्रदेश का क्या लाभ हो सकता है? इस बात को स्पष्ट रूप से इसमें रखा जाय कि जिन लोगों के मकान और जमीन ली जायगी उनके लिए निश्चित रूप से मकान और जमीन की व्यवस्था की जायगी। इसमें आप उनकी जमीन और मकान को ले लेंगे, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था की जायगी? उसमें यह कहा गया है कि जो पुनर्वास योजना बनेगी वह ऐसी होगी जिसको परिषद निश्चित करे। इसमें कहीं भी उस पर बाइंडिंग नहीं है कि परिषद जिनके मकान लेगी या जमीन लेगी उन के लिये निश्चित रूप से मकान या जमीन को व्यवस्था करेगी। परिषद् को अधिकार होगा कि किसी प्रकार की व्यवस्था न करते हुये भी वह सुधार योजना के नाम पर कार्य कर डाले। जमीन तो वह एक्वायर कर ही लेगी, वह मकान भी गिरा सकती है। तो इस प्रकार कहना चाहता हूं कि यह पुनर्वास व्यवस्था ठीक नहीं है, निश्चित नहीं है।

इसके अतिरिक्त टैक्स लगाने वाली बात भी विरोध करने योग्य है। सुधार योजना बनेगी जिस जमीन के लिये उसकी आप कीमत आंकेंगे। पहले जमीन की जो कीमत थी और जो कीमत है उसके अंतर का १/३ टैक्स के रूप में सरकार ले लेगी। भावों के हिसाब में ही दस या बीस गुने का अंतर हो जायगा, लेकिन जितना अंतर होगा उसका १/३ सरकार को चला जायगा। यह श्रीमन्, बहुत ज्यादा है। स्टाम्प के नाम पर जो शुल्क लगता है वह तो लगेगा ही, और दो परसेंट तो तुरन्त लग जायगा और फिर ५ परसेंट तक उसे आप बढ़ा सकेंगे। जो सामान्य नियम हैं देश और प्रदेश में उनसे भी काम चल सकता है, लेकिन यह जानबूझ कर दो से ५ परसेंट तक का अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात की गयी है। पुनर्वास के लिये, मलिन बस्तियों में रहने वालों को यह बुरी तरह प्रभावित करने वाली चीज है। अगर उनके लिये कोई गुंजायश

[श्री रक्षपालसिंह]

की गयी होती तो भी मानता कि यह बिल उपयोगी है, लेकिन इस विधेयक में कहीं भी साफ तौर से नहीं कहा गया है कि उनके लिये आवास व्यवस्था की जायगी ।

इसके अलावा सरकार की सारी सम्पत्ति ट्रान्सफर कर सकती है । मजदूर का वेतन अटैच नहो होगा, लेकिन अगर वह इसमें अनुबन्ध कर लेगा तो हम उसका वेतन भी लेते जायेंगे । उनके लिये एक व्यवस्था बनी हुई है कि उसका ६० परसेंट से ज्यादा अटैच न होगा, नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने वर्तमान कानून हैं उनको एक किनारे रख कर आप इस बोर्ड को अधिकार देने जा रहे हैं । यह विकास आयोग होगा और उसे योजनायें बनाने तथा कार्यान्वित करने का हक होगा, कर्मचारियों को रखने का अधिकार होगा, और जैसी योजना चाहे, बनायेगा और जिसे चाहे समाप्त कर देगा । इसमें सारे अधिकार बोर्ड को होंगे और इसके माध्यम से सारी शक्ति एक विशेष व्यक्ति में निहित होन जा रही है । इसका नाम और उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन कार्य बड़ा अप्रजातांत्रिक होने जा रहा है, यह तानाशाही है और इसके बल पर नाना प्रकार के अत्याचार किये जा सकते हैं । इससे लाभ कम, नुकसान अधिक होने वाला है । इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी को कमलासिंह जी का जनमत संग्रह का संशोधन मान लेना चाहिये । इससे लोगों के विचार का पता लग जायेगें । इसके बाद प्रवर समिति का संशोधन है, लेकिन उसमें इसकी परिधि बढ़ाने की बात अवश्य स्वीकार होनी चाहिये वरना इसे लाभ होने वाला नहीं है । श्रमिक बस्ती और हमारे जो हरिजन भाई हैं उनके लिये आवास की उचित व्यवस्था करने के बारे में तो परिधि बढ़ाने के साथ-साथ अगर संशोधन कर लेंगे तो और भी उचित होगा । अगर जनमत की बात को न भी मानें तो कम से कम ऐसा संशोधन कर लिया जाय कि परिधि बढ़ाने का अधिकार उस प्रवर समिति को हो और उसमें विचार कर लिया जाय उसके पश्चात वह यहां पर लाया जाय ।

## प्रदेश में रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर डकैतियां पड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास ५ सूचनायें नियम ५२ के अन्तर्गत आयी हैं । इन में से माननीय राजेन्द्रसिंह और हिम्मतसिंह जी की सूचना जो ट्रेन डकैती के बारे में है वह स्वीकार की गयी है ।

एक सदस्य—

जरा पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो ट्रेन डकैतियों के बारे में है । माननीय गृह मंत्री, आप बता दें कि कब इस पर वक्तव्य होगा ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

२७ तारीख को दे दूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

समाचार पत्र में निकला था कि एक चीज की ही चोरी हो रही है ट्रेन्स में । तो चोरी जो गैंग कर रहा है उसके बारे में कल परसों में ही वक्तव्य दिया जा सकता है । परसों दे दें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२७ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

नियम ५२ का मेरा एक प्रश्न था ?

श्री उपाध्यक्ष—

तीन चार सूचनायें और हैं, वह अस्वीकार कर दी गयी हैं । उसके जो कारण हैं वह आप देख लीजियेगा ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

तीन पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी के आउट हो चुके हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आटोनामस बाडी है, सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है । इसलिये वह अस्वीकार किया गया है । आप वहां उठा सकते हैं ।

## लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूचना यह देनी है कि लोक लेखा समिति के २१ सदस्य, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्य, मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६, १६ सदस्य, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् के ३ सदस्य, और प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और जो नाम-निदशन पत्र वैध पाये गये हैं उनकी सूची विभिन्न दलों के कार्यालयों को भेजी जा रही है । माननीय सदस्य यह सूची विधान सभा सचिवालय के नोटिस आफिस में देख सकते हैं । चूंकि उक्त समितियों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं, अतः यदि अतिरिक्त नाम २३ अप्रैल, १९६५ के सायंकाल ५ बजे तक वापिस न ले लिये गये तो निर्वाचन २६ अप्रैल, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे क बीच होगा ।

## विधायक, श्री नियामतुल्ला अन्सारी के साथ बलरामपुर अस्पताल में हुये व्यवहार के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का पत्र

श्री उपाध्यक्ष—

एक यह पत्र माननीय मुख्य मंत्री ने भेजा है जिसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूं । यह उन्होंने श्री कल्पनाथसिंह, श्री रामसूरत प्रसाद, श्री यादवेन्द्रसिंह तथा श्री अब्दुल समी सदस्यों को लिखा है ।

"मैं आपका ध्यान सदन में श्री नियामतुल्ला, एम० एल० ए० जो कि ६ अप्रैल की रात में बलरामपुर अस्पताल ले जाये गये थे, उनके प्रति डाक्टरों की लापरवाही के विषय में आपके द्वारा उठाये गये प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं । इस विषय में मैंने बलरामपुर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से बात की थी । उन्होंने मुझे सम्पूर्ण परिस्थिति से अवगत कराया । इसके अतिरिक्त उनका लिखित उत्तर भी मुझे प्राप्त हुआ है । उन्होंने खेद प्रकट किया है कि जो डाक्टर उस समय एमरजेंसी में ड्यूटी पर था उसने समुचित ध्यान नहीं दिया । जैसे ही ज्येष्ठ चिकित्सक को इसके बारे में ज्ञात हुआ उसने श्री नियामतुल्ला जी को स्पेशल वार्ड में दाखिल कराया और चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किया । सुपरिंटेंडेन्ट ने डाक्टर तथा फारमेसिस्ट दोनों ही को जो उस समय ड्यूटी पर थे, चेतावनी दे दी है और भविष्य में इसका भलीभांति ध्यान रखा जायगा कि किसी भी माननीय सदस्य को ऐसी परेशानी न हो । मैंने सुपरिंटेंडेन्ट से भी कह दिया है कि इस दिशा में यथासम्भव ध्यान रखा जाय । फिर भी, इस बारे में आपको जो असुविधा हुई उसके लिये मुझे खेद है ।"

## साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता था कि सात रोज का जो कार्यक्रम होता है उसकी आज घोषणा हो जानी चाहिये थी । लेकिन हमको यह मालूम नहीं हुआ कि आज के बाद कल क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

कल सुबह ९ बजे कमेटी की मीटिंग है । तो कल ही एनाउंस होगा ।

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (क्रमागत)

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक चल रहा है उस पर माननीय कमलासिंह जी ने जो अपना संशोधन रखा है कि यह जनमत जानने के लिये घुमाया जाय, उसका तो मुझे समर्थन करना ही है । परन्तु मैं इस विधेयक को देखकर बड़े अफसोस में हूं । मैं तो अभी सन् ६२ में विधायक चुनकर यहां आया हूं । शायद मेरे अनुमान से यह विधेयक भूल से सरकार के किसी बक्से में पड़ा रहा क्योंकि यह अंग्रेजों के जमाने का लिखा हुआ मालूम देता है । तो इसमें आवास यानी मकान बनाने, विकास करने और गन्दी बस्तियों का सुधार करने की बात कहकर एक झांसा दिया गया था जिसे हमारी तरफ धोखा कहते हैं । गन्दी बस्तियों का सुधार, मकान बनाना, उनमें सड़क बनाना, उनका विकास करना, उसमें बिजली लगाना, यह इस विधेयक में थोड़े रूप में मैंने देखा, लेकिन यह कहीं नहीं पाया कि जब उन लोगों को उन मकानों से हटाया जायगा तो जब तक नये मकान बनेंगे तब तक वह कहां रहेंगे ? यह इसमें कहीं नहीं बताया गया । मुझसे पहले माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने अपने भाषण में बताया और इसका उल्था किया, लेकिन यह इसमें कहीं नहीं बताया गया ।

श्रीमन्, बहुत बड़ा अफसोस मुझे इस बात से हुआ कि जो परिषद् का गठन इसमें किया गया है, मेरे अनुमान से कोई भी समाजवादी सरकार ऐसा परिषद् नहीं बना सकती । आप बताइये एक तरफ गरीबों के तो मकान बनाये जा रहे हैं और यह लोग जो परिषद् के सदस्य बनाये जा रहे हैं यह बड़े-बड़े आदमी हैं । मेरे अन्दाजा में ये लखपति के लड़कों से कम नहीं होंगे । इसमें लिखा है---राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट ५ अशासकीय सदस्य जिनमें से एक किसी नगर-महापालिका का प्रमुख होगा और यथासाध्य कम से कम एक ख्यातिप्राप्त अभियन्ता होगा (ख) में सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश, सचिव आवास विभाग उत्तर प्रदेश, पदेन, सचिव स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन, मुख्य अभियन्ता नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, पदेन । यानी इसमें जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उन्हीं का परिषद् बनाया जा रहा है । तो इस तरह से बिलकुल साबित होता है कि यह मकान तो बनेंगे, नहीं, कोई सुधार तो होगा नहीं और भ्रष्टाचार का एक गिरोह इकट्ठा हो जायगा, क्योंकि छोट-छोटे पुल बनाने में, छोटी-छोटी नहरें बनाने में ही यह अभियन्ता बाकी नहीं छोड़ते । तो यह तो सारे उत्तर प्रदेश का मंत्री जी आप विकास करने चले हो, सारे प्रदेश की आवास की व्यवस्था करने चले हो । लेकिन एक बात मंत्री जी ने जरूर सोची है, और शायद इसमें नई आयी है, एकाध मंत्री ने पहले और सोची थी, सम्भवतः कृषि मंत्री जी ने भी संयुक्त प्रवर समिति में अपने विधेयक को भेजा था । आप पहले ही इसको ले आये । सुबहा तो आपको भी हो गया इसमें । मेरे अन्दाज में मंत्री जी को शक इस विधेयक में हुआ है और इसीलिये संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये इसमें कहा गया है, लेकिन हमारी राय में जो माननीय कमलासिंह जी ने जो संशोधन रखा है, यह और जोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिया जाय, तो यह साफ हो जाय और प्रवर समिति इस पर विचार करे । अगर यह वाकई टाउन एरिया, नगरपालिका, महापालिका की जो गंदी बस्ती हैं, जो गिरे हुये मोहल्ले हैं, जो गिरे हुय इलाके हैं, उनका सुधार हो, और उनमें सफाई और छोटे-छोटे गरीब मजदूरों के अच्छे मकान बनें, तो फिर अच्छा है । लेकिन हमें यह जंच रहा है कि कमिश्नर महोदय को इसमें दो एक जगह मैंने पढ़ा है, बेदखल करने का भी पावर है, इसमें लिखा हुआ है । अब कोई मकान एक दिन, दो दिन या चार दिन में तो बन नहीं सकता । जैसी सरकार की मशीन है, उससे अपने इतने कम समय में मकान बन नहीं सकता, तब तक वे बेचारे कहां रहेंगे ? अगर सरकार को यह काम करना था, तो पंजाब की सरकार से सबक सीखना चाहिये था । पंजाब की सरकार ने गरीब लोगों के लिये, हरिजनों के लिये, छोटे-छोटे लोगों के लिये, गंदी बस्तियों को मिटाने के लिये उनको वहां अनुदान दिया है और मेरा अनुमान है, मैं पंजाब की सीमा पर देखता हूं कि गांव में भी वहां हरिजनों के मोहल्ले, जाटवों के मोहल्ले में पक्के मकान बन गये ह और उनके लिये पानी, बिजली और सड़कों का इन्तजाम हो गया है । छोटे-छोटे मोहल्लों में पक्की सड़कें भी बन गयी हैं । तो वह चीज करनी चाहिये थी, लेकिन वह इसमें कहीं नहीं किया ।

सरकार को गांवों में जो हालत हो गई है, उसे भी देखना चाहिये । शहरों में तो ऐसी गंदी बस्तियां हैं ही, नगरपालिका और टाउन एरिया में भी हैं, लेकिन गांव भी ऐसे हैं, जो ८–१० साल की वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण विस्मार हो गये । उनके मकानों के लिये भी सरकार इसमें जोड़ दे कि वह भी अच्छे बने, उनके लिये सुविधा हो, उनके लिये भी सड़क और बिजली की सुविधा हो और उनके मकानों का भी विकास किया जाय । सरकार इस विधेयक में एक चीज और भी जोड़े, तब तो हम यह समझें कि यह प्रजातंत्रिय समाजवादी रूपरेखा का लक्ष्य है, नहीं तो जैसा माननीय रक्षपाल जी ने कहा कि यह एक अप्रजातांत्रिक विधेयक हमारे सामने आया है इसे हम एक तानाशाही विधेयक कहें, तो कोई हर्ज नहीं है । इसमें जनतंत्र और समाजवाद की जरा भी छाया मुझको नजर नहीं आ रहा है । चाहे यह कितनी बड़ी किताब में बनाया गया हो । मैं इतना ही कहकर एक बार फिर माननीय कमलासिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, यह विधेयक अपने प्रान्त के नगरों, महापालिकाओं, नगरपालिकाओं के और टाउन एरियाज के निवासियों के लिये सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । इसको देखते हुये यह आवश्यक था कि यह विधेयक बहुत पहले ही विधान सभा में आता, लेकिन जिस समय भी आया यह स्वागत के योग्य है और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं ।

श्रीमन्, हमारे यहां नगरपालिकाओं के विकास के लिये १९१९ में ही समय समय पर विधेयक, अधिनियम बनते रहे हैं, और उनका उद्देश्य यह रहा है कि शहरों में गंदी बस्तियों को हटा करके खुले हवादार मकान बना करके जनता को उपलब्ध कराये जायं । लेकिन जो अधिनियम १९१९ से १९६५ तक बने, उन पर कुछ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य नहीं हो पाया । हमारे नगरपालिका विधेयक में यह प्राविधान है कि जिस समय नक्शा दिया जाय, मकान बनने का नगरपालिका के बाईलाज हैं, ऐक्ट में भी ऐसा प्राविधान है कि उन मकानों का १/३ एरिया खुला रहना चाहिये और २/३ एरिया कवर होना चाहिये । जाहिर है कि जब किसी का मकान ऐसा बनेगा, तो वह हवादार होगा, लेकिन हमें अनुभव ने बताया और देखने में भी आया कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली नगरपालिकाओं में नहीं चली । वहां पर प्रभाव ने काम किया और ऐसे नक्शे पास हुये जिनमें १/१२ हिस्सा भी नहीं खुला था । पूरा का पूरा एरिया कवर्ड था जिसके कारण नगरपालिकाओं की आबादी स्लम्स में परिवर्तित होती चली गई और इसका नग्न रूप हम आज देख रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कन्हैयालाल]

इसी प्रकार से एक और बाई ला है कि जो नक्शा दिया जाय, उससे चार फीट छोड़कर, ४ फीट सड़क की तरफ काटकर पास किया जाय। मैं नगरपालिका का सदस्य रहा हूं, मेरे सामने कठिनाइयां आईं। कोई मकान मान लिया जाय, १० फीट चौड़े में है, और उसमें से अगर ४ फीट काट दिया जाय, तो केवल ६ फीट रह जाता है। इस प्रकार से वह मकान बन नहीं सकता। इन्हीं कठिनाइयों के कारण चार फिट वाला नियम प्रभावी नहीं हो पाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि १९१९ से इस प्रकार के नियम बनते रहे, लेकिन वह प्रभावी नहीं हुये और इसी कारण बड़े बड़े शहरों की आबादी अधिक से अधिक घनी होती गई और अन्ततोगत्वा मलिन बस्तियां हो गई। इसीलिये मौजूदा विधेयक की बड़ी आवश्यकता है।

एक बात और है कि अगर आबादी के बाहर नई जमीन में आदमी मकान बनाना चाहे तो उसको आज के समय में, जितनी चीजों की कमी है, जितने पैसे की दिक्कत है, वह चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसलिये आदमी मकान नहीं बना पा रहा है। मौजूदा विधेयक में इस प्रकार का प्राविधान किया गया है कि जो इस प्रकार की सुविधायें नागरिकों को मिलने की आवश्यकता है, वह मौजूदा विधेयक के द्वारा ने उन लोगों को मिले और शहरों का विस्तार हो। अभी उधर से कहा गया कि इस परिषद् में जन प्रतिनिधि कम होंगे, अफसर ज्यादा होंगे। देखने में तो यही लगता है कि ६ सचिव होंगे और ५ मनोनीत सदस्य होंगे, लेकिन जैसे एक विकास आयुक्त और स्वायत्त शासन आयुक्त दो व्यक्ति उसमें बताये गये हैं जब कि वे दोनों एक हैं इस प्रकार आफीसर भी केवल ५ ही रह जाते हैं और ५ जन प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा एक अध्यक्ष भी नान आफीशियल ही होगा।

इसके अलावा अभी यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में जा रहा है। उसमें भी रद्दोबदल की गुंजायश है। उसमें जो हमारी विधान सभा के सदस्य सुझाव देंगे माननीय मंत्रीजी उन सुझावों को उदारतापूर्वक मानने के लिये तैयार होंगे। इस प्रकार से हमें यह प्रयत्न करना है कि यह विधेयक अधिक से अधिक प्रभावी हो और इसके द्वारा नगरों को सुविधा प्रदान की जा सके।

एक बात माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने कही कि यह जो मकान जमीन लेकर या मलिन बस्तियों को निपातन करके बनाये जायेंगे, वह जमीन पट्टे पर दी जायगी, जो नहीं होना चाहिये। उन्होंने सदन के सामने रूस का आदर्श रखा जहां २–३ प्रतिशत किराये पर मकान बना कर दिये जाते हैं। रूस के रहने वालों और भारत के रहने वालों की संस्कृति और विचारों में बहुत अन्तर है। यहां पर अगर किसी का कोई कारिये का मकान है तो अपनी कोई हैसियत नहीं समझता। आदमी को हृदय से यह इच्छा होती है कि उसका स्वयं का मकान बने। किराये के मकान वाला लाखों की हैसियत वाला भी हो तो भी उसकी इज्जत नहीं होती। इसलिये अधिक से अधिक मकान स्टेट बना कर दे यह उचित नहीं मालूम होता।

अभी तक कोआपरेटिव बैंकों द्वारा मकान बनाने के लिये जो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को रुपया दिया जाता था, लेकिन रिजर्व बैंक का कहना था कि इन बैंकों के द्वारा यह काम नहीं होना चाहिये। कुछ हद तक रिजर्व बैंक वालों की यह बात सही थी। वे चाहते थे कि जो भी विकास हो वह योजनाबद्ध विकास हो। व्यक्तिगत रूप से जो कर्जा दिया जाता है उसमें योजनाबद्ध विकास नहीं होता, लेकिन अब जो परिषद् की ओर से मकान बनेंगे वे योजनाबद्ध बनेंगे। ऋण की व्यवस्था रिजर्व बैंक और परिषद् के द्वारा की जायगी। इन सब बातों के कारण मैं माननीय मंत्रीजी को इस प्रकार का विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं। जिस समय यह विधेयक प्रवर समिति से सूक्ष्म दर्शन के बाद लौटेगा मुझे आशा है कि उस समय यह बिल बहुत अच्छा होगा और नगरों की आवास की आवश्यकता बहुत हद तक हल होगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह संशोधन प्रस्ताव माननीय कमलासिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अपने किस्म का एक अलग रूप में ही आया है। यद्यपि अन्य प्रदेशों में यह काम पहले ही हो चुका है लेकिन यहां के लिये यह एक नई चीज आई है। इस के उद्देश्य और कारणों की प्रथम लाइन में ही लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नागर क्षेत्रों में लोगों के प्रवास करने, विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य के बढ़ते हुये प्रभाव के फलस्वरूप तथा अन्य कई कारणों से इस राज्य के नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। आज तमाम दुनिया की मिसालें दी गई जहां पर यह प्रयत्न होते हैं और लोग शहरों से देहातों की ओर जाना चाहते हैं लेकिन यहां की परिस्थितियां भिन्न हैं, अन्य देशों में उद्योग धन्धे इतने बढ़े हुये हैं कि शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़ चुकी है लोग शहरों से ऊब कर देहातों में शान्ति प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि ग्रामों में वास्तविकता है, शक्ति है और वास्तविक सुख है। यह भी हमें देखना चाहिये। आज यहां देहात से नगरों की ओर क्यों इतने आदमी चले आ रहे हैं इसका कारण यह है कि देहातों में कृषि के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है जिस से वहां के लोग छोटे-छोटे उद्योगों से जीविका चला सकें। ग्राम आज खुशहाल नहीं हैं, ग्रामीण हैं, गरीब, भूखे हैं, दुखी हैं इसी से परेशान होकर शहरों को भागते हैं। वह लोग इसीलिये नगरों में दौड़ते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि शहर में रोजगार मिलेगा और हमारे रहने का स्तर उठेगा और आय भी बढ़ेगी। पर शहरों में होता क्या है यहां जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि मलिन बस्तियां बढ़ती जाती हैं और जिनके सुधार के लिये यह कार्य किया जा रहा है। वह लोग अधिकतर देहात से आये होते हैं। अगर मलिन बस्तियों का सुधार ही करना था तो किसी एक कानून से ही किया जा सकता था। उनको स्वच्छ भी किया जा सकता था, लेकिन अब सरकार सारे दर्द को अपने कन्धे पर लेकर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर एक नया प्रयोग करने जा रही है। कुछ बेकार लोगों को काम देने जा रही है। आवास की समस्या तो आज प्रदेश में तीसरे नम्बर पर है, पहली समस्या तो, भोजन की और दूसरी कपड़ों की है, तीसरी सीढ़ी पर मकान का नम्बर आता है। जब कि सरकार रोटी, कपड़े, और रोजगार की समस्या को हल नहीं कर सकी है आज क्यों इस बेकार के काम को अपने ऊपर ले रही है। अगर देहातों में इस समस्या पर ध्यान दिया गया होता कि वहां भी लोग कितनी गन्दगी में रहते हैं, मंत्री जी स्वंय जानते हैं क्योंकि वह भी देहात के ही निवासी हैं वह जानते हैं कि देहातों में क्या हालत है और कैसे मकान में वह लोग रहते हैं। ग्रामीण किसान जो कि आप को खाने भोजन और देश की रक्षा के लिये सैनिक देते हैं। उनकी तकदीर में वही पुरानी दो सौ बरस पहले की झोपड़ी है। उधर सरकार दृष्टि नहीं जाती आज भाग्यवश मंत्री जी भी देहाती क्षेत्र के निवासी हैं—परन्तु फिर भी मंत्री जी का ध्यान शहरों की तरफ ही जाता है। जब श्री नेहरू ने कानपुर की स्लम की हालत के सुधार के बारे में जोर दिया दो उन्होंने पूंजीपतियों पर ही जोर दिया कि अगर वह इन गन्दी बस्तियों को सुधारने की कार्यवाही न करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी। उनका इतना ही कहना काफी था और उतने पर ही सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिये थी क्योंकि शहरों में जितने उद्योग धन्धे चल रहे हैं उन में गरीब मजदूर काम करते हैं जो इन मलिन बस्तियों में रहते हैं। आज श्रमिकों के लिये सरकार क्या स्वंय व्यवस्था करती है? क्यों नहीं इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को सरकार मजबूर करती है कि वह अपने मजदूरों के लिये मकान बनायें और सब्सीडाइज्ड रेट पर उन को दें।

कानपुर की मिसाल सरकार के सामने है कि वहां पर मकान बनाये गये, लेकिन उस लेबर कालोनी में किराया इतना अधिक रखा गया कि आज उन में मजदूरों की जगह दूसरे लोग रहते हैं। मकान उनके नाम पर अलाट होते हैं और दूसरे लोग उन में रहते हैं। माननीय कमलासिंह के सुझाव के अनुसार यह जरुरी है कि इन तमाम चीजों के विचार के लिये पहले यह बिल जनमत के लिये जनता के सामने जाना चाहिये। आज २७ करोड़ मालगुजारी के रूप में ग्रामीण जनता से आप लेते हैं, लेकिन उन पर व्यय न करके केवल शहर की २० प्रतिशत जनता पर आप कितना अधिक व्यय करने जा रहे हैं। इस बात की पुष्टि के लिये मैं आंकड़े देता पर समयाभाव के कारण उन्हें नहीं दे रहा हूं।

[श्री विजयसिंह]

देहाती जनता का धन शहरी लोगों पर व्यय करना कहां तक न्याय संगत है। आज आपने ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की है और शहरों को आप स्वच्छ करते जा रहे हैं पर गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस आकर्षण के साथ यह मनोवृत्ति लोगों को शहरो की ओर खींच रही है। ये देश की उन्नति के अच्छे लक्षण नहीं हैं। अगर आज सारे लोग इस प्रकार से देहतों से शहरों को ओर जाते रहे तो आपके देहात खाली हो जायेंगे जहां पर खेती होती है, भोजन की सामग्री होती है। देश का भोजन तैयार किया जाता है। अभी शहरों में आप राशन हीं दे पा रहे हैं। अगर भर पेट भोजन नहीं मिलता है तो आप चाहे जितने अच्छे-अच्छे मकान बनवा दीजिये, सिनेमा और स्कूल खुलवा दीजिये, देश की कोई उन्नति नहीं होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर आप और प्रदेश का ८० प्रतिशत लोग रहते हों वहां पर अच्छे मकान बनें। आपने देहातों में बिजली की व्यवस्था तो की लेकिन कौन से वहां पर उद्योग धन्धे चालू हो गये? उन्नति का क्या साधन जुटा– क्या फैक्ट्रियां खुली– ग्रामीण को क्या काम मिला– वह भूखे ही रहें और इसी कारण लोग देहातों से शहरों में आते हैं वह यहां आकर गंदी बस्तियों में रहते हैं और रिक्शा चलाते हैं। यह उनकी जीविका है। इस बिल में जिस परिषद् का निर्माण हो रहा है उसमें भी आपको एक सिद्धान्त रखना चाहिये था।

आप परिषद् की आवास समितियां बना रहे हैं जैसा कि खंड १०(२)(क) में दिया हुआ है। "किसी नगर की दशा में, उस नगर महापालिका का नगर प्रमुख (ख) किसी नगर पालिका की दशा में उस नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेन्ट (ग) किसी अन्य क्षेत्र की दशा में ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय आवास समिति का अध्यक्ष होगा" इस प्रकार जो नोटीफाइड एरिया हैं उनमें ऐसा व्यक्ति आवास समिति का अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा। मान्यवर, यह एक नीति नहीं है। नगर पालिकाओं में वहां के चेयरमैन की व्यवस्था की है पर नोटिफाइड एरियाज के लिये या दूसरी लोकल बोडीज के लिये कोई व्यवस्था नहीं रखी है। वहां पर अध्यक्ष सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जायगा। इस को नश्चित रूप से हम पोलिटिकल करप्शन कहते हैं। जो टाऊन एरिया आदि की छोटी-छोटी जगहें हैं जहां पर आपके दल के विरोध के लोग जीत कर आये हैं। इसी कारण भिन्नता रखी है। आपका एक व्यवहार होना चाहिये चाहे वह नगरपालिका में हो चाहे नोटीफाइड एरिया में हो। सभी में एक ही व्यवस्था हो। यह न हो कि नगर महापालिकाओं में वहां के मेयर, नगर पालिकाओं में वहां के चेयरमैन और छोटी छोटी जगहों पर सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय यह जनतंत्र का उपहास है।

मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं माननीय कमलासिंह जी ने कहा है कि इस बिल पर जन मत जान लिया जाय ताकि जन मत जान सके कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह कहां तक उचित है। अगर इस पर उचित मत प्राप्त होता है तो यह जरूरी है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय और उसे अधिकार दिया जाय कि वह इसे घटा बढ़ा सके। इन शब्दों के साथ में माननीय कमलासिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउसिंग कारपोरेशन का बिल जो पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिन परिस्थितियों से हमारा देश और प्रदेश गुजर रहा है उनमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा मकान बनाये जायं। ५–१० साल में गाजियाबाद की जो हालत मैंने देखी है उसके अनुभव से मैं कह सकता हूं कि हमारे लोग चाहे वैसे तो गरीग हों, लेकिन सभी श्रेणियों के आदमी अच्छे मकानों में रहना चाहते हैं। जो शहरों में भी पहले गलियों में रहते थे आज वे भी चाहते हैं कि वे बंगलों में रहें। और अमीर लोग मकान नहीं बना रहे हैं, क्योंकि किराया मन माफिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं मिलता। इसलिये सब जगह मकानों की किल्लत होती जा रही है। इसलिये जरूरत है कि कोई ऐसी एजेंसी हो जो लोगों के लिये मकान बनाये। आजकल कई जगह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मकान बना रहा है, लेकिन उनकी जो वर्किंग है उसके मुकाबले में मैं समझता हूं कि अगर कारपोरेशन बन जायगा तो शायद कुछ हालत सुधर जाय। इस वक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम देखने के लिये सिर्फ एक एल०एस०जी० का सेक्रेटरी है जो महीने या ६ महीने के बाद वहां जा कर काम देखते हैं और जो फाइलें वहां से आती हैं उनको देख कर वापस कर देते हैं। एक आदमी द्वारा सारे प्रान्त का सुपरवीजन होना बड़ा मुश्किल है। चतुर्भुज शर्मा जी को भी काफी तजुर्बा हो गया है। जब कभी वहां से शिकायतें आती हैं तो वहां वे पधारते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं दे सकते कि तमाम चीज को देख सकें। अगर कारपोरेशन बन गया और उसने काम ठीक से किया तो शायद हालत सुधर जाय।

यह बात जरूर है कि ५ नान आफिशियल मेम्बर्स रखे गये हैं और ६ आफिशियल रखे गये हैं। मेजारिटी आफिसियल्स की है। मुझे सरकारी अधिकारियों से कोई विरोध नहीं है और न मैं यह समझता है कि नान आफिशियल ज्यादा देशभक्त होता है और आफिशियल कम देशभक्त होता है, लेकिन नान आफिशियल्स के काम करने का ढंग कुछ ऐसा होता है कि वे कायदे कानून तथा फाइलों के बाहर नहीं निकल सकते। उनको दफ्तर का ज्ञान ज्यादा होता है, बाहर के हालत का ज्ञान नहीं होता।

मैं एक उदाहरण देता हूं कि गाजियाबाद के लिये यह तय हुआ और जुलाई, सन् ६० में एक विज्ञप्ति हुई गजट द्वारा कि ३६ हजार एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है। उसका असर ५५ गांवों पर पड़ता था जिसका नतीजा यह हुआ कि उन सब गांवों में हाहाकार मच गया। वे लोग यहां आये, पंडित जी के पास गये। अधिकारियों से पूछा गया कि क्या ३६ हजार एकड़ जमीन को डेवलप करने के लिये उनके पास पैसा है, उतनी जमीन को डेवलप करने के लिये उनके पास कोई एजेंसी है, कितने अर्से में वह उसे यूटिलाइज कर सकेंगे तो कोई जवाब नहीं मिल सका। बाद में किसानों ने जब बहुत शोर किया तब अधिकारियों व मंत्रियों की समझ में आया कि ३६ हजार एकड़ को ५० व १०० साल में भी यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे और दो साल की जद्दोजहद के बाद वह ३६ हजार एकड़ की जमीन फरवरी, ६२ में केवल ६ हजार रह गयी। आज ३ साल के बाद भी उस ६ हजार में आप देखें कि कितनी जमीन यूटिलाइज हो सकी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट रुपया दे रही है लेकिन उनके पास इतने इंजीनियर नहीं हैं, इमारती सामान नहीं है कि अलादीन की चिराग की तरह एक दम से सब जमीन पर मकान व सड़कें बन जायं। ६ हजार जो जमीन ली गयी है उसमें सिर्फ सड़कें ज्यादा बनी हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम में एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है, एक बड़ा एरोड्रोम है, एक बड़ी सड़क है। एरोड्रोम की जो जमीन है उसको यूटिलाइज कर लिया है क्योंकि वहां डिफेंस का काम था। वहां पर हवाई अड्डा बना दिया है और कुछ मकान बना दिये हैं। लेकिन इंस्ट्रियल कारपोरेशन की दो एस्टेटस हैं, उनमें टूटी फूटी सड़कों के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। अधिकारियों से कहा गया कि यह जमीन इतने जमाने से खाली पड़ी है और इस समय अन्न का संकट है, इसलिये आप इस जमीन को काश्तकारों को क्यों नहीं दे देते जब जरूरत हो तब ले लेना। इसका जवाब यह मिला कि कानून इजाजत नहीं देता। हम प्लाट बना कर इसको बेच चुके हैं इसलिये यह हम नहीं ले सकते और यह जमीन खाली ही पड़ी रहेगी। तीन साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, न जाने कब होगा। जो आफिसर्स होते हैं उनको बाहर की पोजीशन और लोगों के जजबात का पता नहीं होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि नान आफिशियल्स की इसमें ज्यादा तादाद रखी जाय ताकि वे जनता के हितों को अपने सामने रख सकें।

अब थोड़ा सा सवाल यह पैदा होता है कि जब कोई निर्माण का काम होता है तो उसके लिये सबसे पहले जमीन का इन्तजाम करना होगा और जमीन लेने के लिये लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट है,

[श्री तेजसिंह]

उसके मुताबिक जमीन ली जाती है और उसके मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। वैसे इसमें लिखा है कि मार्केट रेट से मुआवजा दिया जायगा। लेकिन यह एक बड़ा विस्तार का शब्द है। हमारे यहां चार एजेंसीज हैं और तीन लैंड ऐक्वीजीशन आफिसर्स काम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन और एस्टेट्स का, दूसरा एरोड्रोम का और तीसरा सड़कों के लिये जो जमीन ली गई है, उसका है। तीनों आफिसर्स सरकार के मातहत काम कर रहे हैं और अलग-अलग रेट्स से मुआवजा दिया जा रहा है।

माननीय शर्मा जी ने कहा था कि गाजियाबाद में जो जमीन ली जायगी चाहे वह किसी के मतलब के लिये ली जाय उनका सबका मुआवजा एक ही उसूल पर दिया जायगा। लेकिन ये तीनों आफिसर्स अलग-अलग रेटस से मुआवजा दे रहे हैं। एरोड्रोम का जो आफिसर है उसने तो ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि मुझे १० परसेन्ट दो तो मैं ज्यादा मुआवजा दिला दूंगा। हालांकि यह बात मानने के काबिल नहीं है कि कोई आदमी ओपनली कैसे ऐसी बात कह सकता है? हमने लोगों को समझाने की भी कोशिश की लेकिन लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके उनको दिया और आज कल भी वे काम कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी जांच करायें और अगर वह ऐसा आदमी है तो बेचारे किसान पहले से ही लुटे हुये हैं, उनसे दक्षिणा लेना शोभा नहीं देता है। कम्पेन्सेशन गाजियाबाद में मार्केट रेट पर नहीं दिया जाता है। गाजियाबाद में कानून के मुताबिक १७ नये पैसे फी गज मुआवजा दिया गया। हमने वहां के कलक्टर साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि सरकार जितना मुआवजा यहां दिया जा रहा है उतना तो कहीं नहीं दिया गया। प्रदेश में हम यहां पर सबसे ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं। इस से ज्यादा की कानूनन इजाजत नहीं देता है और न रेवेन्यू बोर्ड ही इजाजत देता है। १७ नये पैसे फी गज तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मुआवजा था। लेकिन जब किसानों ने बवेला किया, पंडित जी के पास गये। पंडित जी ने किसानों की बात गौर से सुनी, हमदर्दी से सुनी तो मेरी सूचना कि १३ बार १३ पत्र यू० पी० की सरकार को पंडित जी ने लिखे। जब-जब किसान जा कर उनसे मिले तो वह किसानों को आश्वासन देते रहे और यू० पी० की सरकार को लिखते रहे कि आप उनके साथ इंसाफ करें लेकिन फिर भी हमारी सरकार अड़ी रही और यह कहती रही कि हम तो कानून से ज्यादा मुआवजा दे ही नहीं सकते हैं। और आखिर में जब कुछ न हुआ और किसानों ने जाकर पंडित जी से भेंट की तो, पंडित जी वहीं त्रीमूर्ति में एक किसान के कंधे पर हाथ रख कर ४० मिनट तक उनकी बातें ध्यान से हमदर्दी के साथ खड़े-खड़े सुनते रहे और अन्त में उन्होंने कहा अब आपका काम हो जायेगा, २–३ दिन के बाद हो जायेगा और अब भविष्य में आपको आने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि उस समय कामराज प्लान चल रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि यू० पी० की सरकार में इस प्लान में चेन्ज हो जाने के कारण किसानों का काम बन जायेगा। तो किसानों की सौभाग्य की बात हुई और यहां पर तब्दीली हो गयी और नई मुख्य मंत्री जी आ गयीं तो उनके आदेश से एक सब कमेटी इसके पुनः निर्णय के लिये बनायी गयी और उसने यह तय किया कि जो कानून के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, उसे अन्य तरीके से दिया जाये। एक करोड़ ८४ लाख रुपये का जो मुआवजा था उसे बढ़ा कर इस कमेटी ने ५ करोड़ ८० लाख रुपया गाजियाबाद के किसानों के लिये कर दिया। लेकिन हमें अफसोस है हमारी जो सरकार है, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, क्योंकि मैं सरकारी पार्टी का आदमी हूं, लेकिन जो कुछ मेरे मुंह में आ जाये और आ भी गया है उसे कह देना चाहता हूं कि कहने को तो जरूर यह किसानों की सरकार है, लेकिन उनका हित नहीं चाहती है। जिस प्रकार मां अपने बच्चे को बिना रोये दूध भी नहीं पिलाती है उसी प्रकार से यह सरकार भी बिना प्रदर्शन, अनशन किये किसानों का लाभ नहीं करना चाहती है। तो गाजियाबाद के किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह एक्स ग्रेशिया ग्रांट के नाम से दिया गया ताकि कहीं उसी आधार पर और स्थान के किसान मुआवजा न मांगें और यदि मांगें भी तो हम कह सकें कि गाजियाबाद के किसानों को तो एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी गयी थी न कि मुआवजा दिया गया था।

जब गाजियाबाद के किसानों को मिल गया इस तरह से, तो कानपुर के किसान भी कुछ हमारे पास आये और कहने लगे कि सरदार जी, कैसे आपने इस प्रकार से मुआवजा पा लिया, हमें भी बताइये। मैंने कहा, जितने आदमी आये हो और जितने आदमी हो सब इतना प्रदर्शन करो, इतना विरोध करो कि मंत्रियों का सोना हराम हो जाय, तभी हो सकता है। मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि मुआवजा देने का जो कानून है उसमें पूरी तरह से तब्दीली किये बिना किसानों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। एक दफा श्री जगजीवन राम जी ने भी राबर्टसगंज में २ अक्तूबर, १९६२ को कहा था। उन्होंने कहा था यू० पी० में जिस भूमि का २५ रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, उस भूमि का बिहार में २,५०० रुपया दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम विवश हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, जो यू० पी० की सरकार ने कहा वह हमने दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

तेजसिंह जी, अभी क्या आप और बोलियेगा ?

श्री तेजसिंह—

हां, थोड़ा और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, अब आप खत्म करिये और कल बोलियेगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ अप्रैल, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७८ पर]

उत्तर प्रदेश में वर्ष १९६४–६५ के धान के क्षेत्रफल के जिलेवार आंकड़े

| जिला | क्षेत्रफल (एकड़ों में) |
|---|---|
| १ | २ |
| देहरादून .. .. .. .. | ३१,३३५ |
| सहारनपुर .. .. .. .. | २,०६,५३३ |
| मुजफ्फरनगर .. .. .. .. | ८२,३३१ |
| मेरठ .. .. .. .. | ४३,४१६ |
| बुलन्दशहर .. .. .. .. | १५,३५३ |
| योग, मेरठ कमिश्नरी .. .. .. | ३,७८,९६८ |
| अलीगढ़ .. .. .. .. | २०,२४५ |
| मथुरा .. .. .. .. | २,१०८ |
| आगरा .. .. .. .. | २,१८९ |
| मैनपुरी .. .. .. .. | १,३५,४९० |
| एटा .. .. .. .. | ५७,४०३ |
| योग, आगरा कमिश्नरी .. .. .. | २,१७,४३५ |
| बरेली .. .. .. .. | २,५५,८९३ |
| बिजनौर .. .. .. .. | २,०६,३४१ |
| बदायूं .. .. .. .. | ९४,३५७ |
| मुरादाबाद .. .. .. .. | १,९४,२०७ |
| शाहजहांपुर .. .. .. .. | २,२५,६२९ |
| पीलीभीत .. .. .. .. | २,३०,०३३ |
| रामपुर .. .. .. .. | १,१५,११४ |
| योग, रुहेलखंड कमिश्नरी .. .. .. | १३,२१,५७४ |
| फर्रुखाबाद .. .. .. .. | ७५,८२३ |
| इटावा .. .. .. .. | १,४१,८०२ |
| कानपुर .. .. .. .. | १,७४,७१२ |
| फतेहपुर .. .. .. .. | १,७५,७९७ |
| इलाहाबाद .. .. .. .. | ३,५९,७४९ |
| योग, इलाहाबाद कमिश्नरी .. .. .. | ९,२७,८८३ |

| जिला | क्षेत्रफल (एकड़ों में) |
|---|---|
| १ | २ |
| झांसी .. .. .. .. | ५१,२२८ |
| जालौन .. .. .. .. | १३,९८८ |
| हमीरपुर .. .. .. .. | १५,६५६ |
| बांदा .. .. .. .. | २,२८,२११ |
| योग, झांसी कमिश्नरी .. .. .. | ३,०९,०८३ |
| वाराणसी .. .. .. .. | ३,७७,५८१ |
| मिरजापुर .. .. .. .. | ३,६८,०६७ |
| जौनपुर .. .. .. .. | २,५४,२३० |
| गाजीपुर .. .. .. .. | २,३७,२२८ |
| बलिया .. .. .. .. | १,९८,५५४ |
| योग, वाराणसी कमिश्नरी .. .. .. | १४,३५,६६० |
| गोरखपुर .. .. .. .. | ५,९३,३०१ |
| देवरिया .. .. .. .. | ४,३८,७०५ |
| बस्ती .. .. .. .. | ८,१५,८५४ |
| आजमगढ़ .. .. .. .. | ४,८४,२०६ |
| योग, गोरखपुर कमिश्नरी .. .. .. | २३,३२,०६६ |
| नैनीताल (मैदानी भाग) .. .. .. | १,६३,८२० |
| लखनऊ .. . .. .. | १,०३,२५९ |
| उन्नाव .. .. .. .. | १,७४,८१७ |
| रायबरेली .. .. .. .. | २,७६,०६८ |
| सीतापुर .. .. .. .. | ३,१२,४८८ |
| हरदोई .. .. .. .. | १,७४,६९८ |
| खीरी .. .. .. .. | ३,४६,२६५ |
| योग, लखनऊ कमिश्नरी .. .. .. | १३,८७,५९५ |

सत्यमेव जयते विधान सभा

| जिला | क्षेत्रफल एकड़ो में |
|---|---|
| १ | २ |
| फैजाबाद .. .. .. .. | ३,५४,७३० |
| गोंडा .. .. .. .. | ५,९५,५०३ |
| बहराइच .. .. .. .. | ४,१८,९६० |
| सुल्तानपुर .. .. .. .. | ३,४९,०१४ |
| प्रतापगढ़ .. .. .. .. | २,१२,०८० |
| बाराबंकी .. .. .. .. | ३,१७,९३२ |
| योग, फैजाबाद कमिश्नरी .. .. .. | २२,४८,२५९ |
| कुल योग, मैदानी भाग .. .. .. | १,०७,२२,३४३ |
| योग, पर्वतीय भाग .. .. .. .. | २,११,४४३ |
| वृहत योग .. .. .. .. | १,०९,३३,७८६ |

टिप्पणी--उपर्युक्त सभी आंकड़ें परिवर्तनीय हैं ।

विधान सभा सचिवालय

# नत्थी 'ख'

[देखिये नियम २९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७८ पर]

| विभाग का नाम जिसके अधीन लाइवस्टाक सुपरवाइजर इस समय कार्य कर रहे हैं | संख्या | पद जिस पर कार्य कर रहे हैं | वेतनक्रम |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| | | | रु० |
| सामुदायिक विकास विभाग | ६७ | सहायक विकास अधिकारी (पशुपालन) .. | १२०–२५० |
| ,, | १०० | जैसा ऊपर है .. | ७५–५–१२० |
| पशु पालन विभाग .. | २ | कुक्कुट निरीक्षक .. | १२०–२५० |
| | १ | मैनेजर, गोसदन .. | १२०–२५० |
| | १ | पिग परचेज, सुपरवाइजर .. | १२०–२५० |
| | १ | वेयर हाउस मैन .. | १२०–२५० |
| योग .. | १७२ | | |

विधान सभा प्रदेश

## नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १९–२० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८१ पर]

संलग्नक

### वर्ष १९६२–६३ से १९६४–६५, तक नगर महापालिका, रायबरेली को दिये गये सड़क अनुदानों तथा उन से किये गये कार्यों का विवरण

| वर्ष | मद जिसमें अनुदान दिया गया | अनुदान की धनराशि | अनुदान से किए गए कार्यों का विवरण |
|---|---|---|---|
| | | रु० | |
| १९६२–६३ | १—सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए। | ३०,६०० | सड़कों की मरम्मत और गलियों में ईटों की जुड़ाई हुई। कुछ तारकोल की सड़कों तथा कंकड़ की सड़कों का निर्माण होगा। |
| १९६३–६४ | २—सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए। | ३०,६०० | सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत पर व्यय किया जायगा। |
| १९६४–६५ | ३—सड़कों के निर्माण तथा सुधार के लिए। | ५३,१०० | तारकोल की सड़कों के लिए तारकोल और गिट्टी तथा कंकड़ के टेंडर मांगे जा चुके हैं। |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८२पर]

### जिला मुजफ्फरनगर ब्लाक थाना भवन में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची

जिला मुजफ्फरनगर के ब्लाक, थाना भवन में निम्नलिखित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गयीं—

| क्रम-संख्या | दुकानदार का नाम | दुकान खुलने की तिथि |
|---|---|---|
| १ | श्री मित्रसेन, ओम प्रकाश, ग्राम बावरी .. .. | १०-१-६४ |
| २ | श्री भगत राम, ग्राम हिरनबारा .. .. | २३-१-६४ |
| ३ | श्री दर्लसिंह, ग्राम हसनपुर लोहारी .. .. | ११-३-६४ |
| ४ | श्री सुरेंद्र पाल, ग्राम गाढ़ी अब्दुल्ला .. .. | २३-१-६४ |
| ५ | श्री शिवचरण दास, ग्राम हसनपुर लोहारी .. .. | २३-१-६४ |
| ६ | श्री सुखबीर सिंह, ग्राम फतेहपुर .. .. | २८-१२-६४ |
| ७ | श्री कैलाश चन्द्र, कादरगढ़ .. .. | १-३-६४ |

उपर्युक्त दुकानों को निम्नांकित बार गल्ले का कोटा दिया गया :

दुकान नं० १ को १३ बार
दुकान नं० २ को ६ बार
दुकान नं० ३ को ३ बार
दुकान नं० ४ को ७ बार
दुकान नं० ५ को १३ बार
दुकान नं० ६ को १ बार
दुकान नं० ७ को ४ बार ।

ब्लाक थाना में ऐसी कोई दुकान नहीं है जिस पर ३१ जनवरी, १९६५ तक एक बार भी गल्ला न पहुंचा हो । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

अध्यक्ष सभा

## नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८२ पर]

### तालिका

### जिले में सीमेंट के व्यापारी तथा उन के व्यापार करने का स्थान और वर्ष १९६४ में प्राप्त सीमेंट की मात्रा की सूची

| क्रम-संख्या | नाम सीमेंट के व्यापारी | | व्यापार स्थान | १९६४ वर्ष में प्राप्त सीमेंट की मात्रा (मै० टन में) |
|---|---|---|---|---|
| १ | मेसर्स भगीरथ मुन्ना लाल | .. | बाराबंकी | १६७–९० |
| २ | मेसर्स मोहम्मद मूसा | .. | ,, | १४३–९० |
| ३ | मेसर्स रामासीमेंट स्टोर | .. | ,, | ४८–८० |
| ४ | मेसर्स बाल कृष्ण लाल पोद्दार | .. | ,, | ८५०–६० |
| ५ | मेसर्स दौलत राम माक्खन लाल | .. | मिटरिया | २३–४० |
| ६ | मेसर्स कृपा राम मुरलीधर | .. | बहरामघाट | ४८–८० |
| ७ | मेसर्स मदल लाल झुनझुनवाला | .. | दरियाबाद | ४८–८० |
| ८ | मेसर्स मेमोरियल सीमेंट स्टोर | .. | मसौली | ७१–०० |
| ९ | मेसर्स सी० बी० शुक्ल | .. | बाराबंकी | ७३–२० |
| १० | मेसर्स चन्द्रा ट्रेडिंग कंपनी | .. | ,, | ९७–३० |
| ११ | मेसर्स नन्द लाल जैन | .. | दरियाबाद | ९३–०० |
| १२ | मेसर्स नन्दनलाल जैन | .. | पटरंगा | .. |
| १३ | मेसर्स झूनझुनवाला ब्रदर्स | .. | रूदौली | २१४–८० |
| १४ | मेसर्स माता प्रसाद भूरामल | .. | फतेहपुर | २४–४० |
| १५ | मेसर्स सी० बी० शुक्ल | .. | फतेहपुर | ७१–०० |
| १६ | मेसर्स बंसल ट्रेडिंग कम्पनी | .. | बाराबंकी | ७३–२० |
| १७ | मेसर्स नन्द लाल वेद प्रकाश | .. | ,, | २४–४० |
| १८ | मेसर्स राम लाल गुरमुखराम | .. | सफदरगंज | २४–४० |
| १९ | मेसर्स राम लाल गुरमुखराम | .. | रानीगंज | .. |
| २० | मेसर्स रामलाल गुरमुखराम | .. | जैदपुर | .. |
| २१ | मेसर्स फतेहचन्द्र जगदीश राय | .. | सफदरगंज | ४८–८० |
| २२ | मेसर्स जगन्नाथ राम चन्द्र | .. | बाराबंकी | ७१–३० |
| २३ | मेसर्स रामानन्द सुरेंद्र कुमार | .. | दरियाबाद | ७१–०० |
| २४ | मेसर्स बाल कृष्ण लाल पोद्दार | .. | बहरामघाट | .. |
| २५ | मेसर्स बाल कृष्ण लाल पोद्दार | .. | हैदरगढ़ | ४८–८० |
| २६ | मेसर्स बाल कृष्ण लाल पोद्दार | .. | सफदरगंज | २३–४० |
| २७ | मेसर्स शिव प्रसाद शर्मा | .. | मोहम्मदपुर खाला | ४८–८० |
| २८ | मेसर्स राम किशोर राम चन्द्र | .. | सुमेरगंज | २४–४० |
| २९ | मेसर्स गुरुचरन लाल अग्रवाल | .. | हैदरगढ़ | ४८–८० |
| ३० | मेसर्स चौ० मोहम्मद हबीब | .. | कुरसी | ४७–८० |

# नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ१०८५पर]

मेसर्स सिंह इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्षों में जो भूमि वैगन फैक्ट्री के लिए दी गई है उसकी शर्तें निम्नलिखित हैं—

(१) लेसी इस भूमि के प्रीमियम के अलावा ९९९ साल तक १ रु० सालाना पट्टा भाड़ा अदा करेगा।

(२) लेसी से इस भूमि का प्रीमियम,

(क) भूमि का अर्जन मूल्य जो भी अर्जन अधिकारी देंगे तथा उस पर ट्रिब्युनल इत्यादि में किए गये खर्च को मिला कर और ब्याज लगा कर लिया जायगा।

(ख) इस भूमि के संबंध में जो भी मुकदमे बाजी होगी उस सबका खर्च लेसी से ही लिया जायगा।

(ग) उपरोक्त क व ख पर १५ प्रतिशत ओवर-हेड चार्ज भी लिया जायगा।

(३) इस भूमि से लगी हुई जो सड़क महापालिका द्वारा बचेगी इसका हिस्सा रसदी खर्च ३६,००० रु० लिया जायगा और इस के अतिरिक्त १,००० रु० प्रति एकड़ की दर से बाहरी विकास का मूल्य लिया जायगा।

(४) उपरोक्त क्रम से २ के (क) और (ख) में दिए हुए धन का २५ प्रतिशत शुरू मे अग्रिम धन के रूप में ये लेसी देंगे और बाकी पर ६ प्रतिशत ब्याज लगाकर १२ छमाही किश्त में अदा करेंगे। किश्त पहली जुलाई, १९६१ से शुरू होगी।

(५) सीवर ड्रेन और पानी सप्लाई की सुविधा जब महापालिका देगी तब भूमि के क्षेत्रफल पर निर्धारित किए हुए धन को भी ये देंगे।

(६) यह भूमि इनको जिस हालत में अर्जित की गई है उसी हालत में दे दी जायगी। इस भूमि के बीच में जो कच्चा रास्ता है उसको हटाकर बाहर से ले जाने में जो खर्च होगा वह लेसी स्वयं वहन करेंगे।

(७) यह भूमि इनको इस शर्त पर दी जा रही है कि वह इस सब भूमि को ५ वर्ष में इस्तेमाल कर देंगे अन्यथा महापालिका को यह हक होगा कि यदि यह भूमि ५ वर्ष में पूर्णतया प्रयोग में न आई हो तो इस पर कब्जा कर ले।

(८) पार्टी ने ५०,००० रु० इस बारे में पेशगी दे दिया है, इसमें से २७,००० रु० सड़क के खर्च का माना जावेगा और २३,००० रु० भूमि की कीमत में ऐडजस्ट किया जायगा।

(९) भूमि पर जो भी इमारत इत्यादि बनेगी वह उस समय तक महापालिका के पास मार्गेज रहेगी जब तक महापालिका का पूरा रुपया वसूल नहीं हो जावेगा।

## नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८५ पर]

### १ जून, १९६४ तथा १९ फरवरी, १९६५ को प्रदेश के प्रत्येक जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | १ जून, १९६४ को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानों की संख्या | | १९ फरवरी, १९६४ को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शहरी क्षेत्र में | ग्रामीण स्तर पर | नगर स्तर पर | ग्रामीण स्तर पर |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | देहरादून .. .. | ७८ | ६२ | ९२ | ६६ |
| २ | सहारनपुर .. .. | १२० | ९५ | १२८ | १०९ |
| ३ | मुजफ्फरनगर .. .. | १०२ | १२६ | ७५ | ४९ |
| ४ | मेरठ .. .. | २१४ | २५० | २०८ | २९० |
| ५ | बुलन्दशहर .. .. | ८८ | ७० | ८८ | १०० |
| ६ | अलीगढ़ .. .. | ९८ | १९५ | १०५ | १८४ |
| ७ | मथुरा .. .. | ५७ | १५८ | ६९ | १०९ |
| ८ | एटा .. .. | ६० | १४५ | ५४ | १३७ |
| ९ | मैनपुरी .. .. | ४५ | ६५ | ५२ | ११७ |
| १० | आगरा .. .. | ३०८ | ३६१ | २२१ | ३२६ |
| ११ | टेहरी गढ़वाल .. .. | १७ | १९१ | १७ | १९१ |
| १२ | उत्तरकाशी .. .. | ७ | ३६ | ६ | ४७ |
| १३ | इलाहाबाद .. .. | १८१ | ३९९ | १८९ | ४०० |
| १४ | इटावा .. .. | ३५ | १५१ | ३७ | १५० |
| १५ | फतेहपुर .. .. | २६ | १३६ | २६ | १३६ |
| १६ | कानपुर .. .. | ३२४ | १८९ | ३५० | २०५ |
| १७ | फर्रुखाबाद .. .. | ५२ | १३५ | ५३ | १६८ |
| १८ | झांसी .. .. | १०३ | १३८ | ९९ | १३७ |
| १९ | बांदा .. .. | ३५ | ९१ | २९ | १० |
| २० | जालौन .. .. | ५४ | १८ | ३९ | ७५ |
| २१ | हमीरपुर .. .. | ३० | ३६ | ३१ | ३६ |
| २२ | मिर्जापुर .. .. | ५० | १०९ | ६६ | १६४ |
| २३ | जौनपुर .. .. | ३६ | १५६ | ३७ | १८१ |
| २४ | गाजीपुर .. .. | ३४ | २०० | ३४ | २२२ |
| २५ | बलिया .. .. | ४६ | २२३ | ४४ | ३२९ |
| २६ | देवरिया .. .. | ६३ | ४३२ | ६३ | ३५६ |
| २७ | आजमगढ़ .. .. | ७२ | ३९४ | ६७ | ४३३ |

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | | | १ जून, १९६४ को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानों की संख्या | | १९ फरवरी, १९६४ को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | शहरी क्षेत्र में | ग्रामीण स्तर पर | नगर स्तर पर | ग्रामीण स्तर पर |
| १ | २ | | | ३ | ४ | ५ | ६ |
| २८ | गोरखपुर | .. | .. | ८४ | ६९६ | ९४ | ३७४ |
| २९ | गोंडा | .. | .. | ३० | २६२ | ३१ | २९० |
| ३० | बस्ती | .. | .. | २२ | २२० | २१ | १९९ |
| ३१ | बहराइच | .. | .. | ३८ | १४८ | ३५ | १६८ |
| ३२ | वाराणसी | .. | .. | १८२ | २२४ | १८९ | ३२५ |
| ३३ | उन्नाव | .. | .. | ३७ | १७१ | २७ | १७६ |
| ३४ | बाराबंकी | .. | .. | ३१ | ७७ | ४० | १४२ |
| ३५ | रायबरेली | .. | .. | २७ | १६ | २५ | १८० |
| ३६ | सीतापुर | .. | .. | ९२ | १५१ | १०४ | २३९ |
| ३७ | हरदोई | .. | .. | ७४ | .. | ७६ | १ |
| ३८ | लखीमपुर खीरी | .. | .. | ३० | १०६ | ३० | १०७ |
| ३९ | शाहजहांपुर | .. | .. | ६९ | ९० | ७० | ८० |
| ४० | पीलीभीत | .. | .. | २६ | ६२ | २९ | ८० |
| ४१ | बदायूं | .. | .. | ८४ | १९९ | ८१ | १६२ |
| ४२ | बिजनौर | .. | .. | १०३ | १७८ | ११८ | १७० |
| ४३ | रामपुर | .. | .. | ६२ | ६९ | ६१ | ७० |
| ४४ | मुरादाबाद | .. | .. | १५९ | ७४ | १६२ | १४२ |
| ४५ | सुल्तानपुर | .. | .. | १० | ३०५ | ९ | २४८ |
| ४६ | प्रतापगढ़ | .. | .. | १६ | १३१ | १६ | १४६ |
| ४७ | फैजाबाद | .. | .. | ४१ | ६८ | ५८ | २०७ |
| ४८ | नैनीताल | .. | .. | ५७ | १११ | ५४ | ११६ |
| ४९ | बरेली | .. | .. | १२२ | ८८ | ११६ | ८७ |
| ५० | लखनऊ | .. | .. | २०३ | १७९ | २३२ | ९८ |
| ५१ | अलमोड़ा | .. | .. | २६ | २९१ | २८ | २९९ |
| ५२ | पिथौरागढ़ | .. | .. | १३ | १३९ | ८ | १२२ |
| ५३ | चमोली | .. | .. | ८ | ८७ | ७ | ८३ |
| ५४ | गढ़वाल | .. | .. | २४ | १६७ | २२ | २२४ |
| | | योग | .. | ४,००५ | ८,८७० | ४,०२२ | ९,२६२ |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८७ पर)

प्रति क्विन्टल मूल्य

| प्रदेश का नाम | गुड़ | | | राब | | | शीरा | | | प्रकीर्ण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुपया न्यूनतम | रुपया अधिकतम | रुपया औसत | रुपया न्यूनतम | रुपया अधिकतम | रुपया औसत | रुपया न्यूनतम | रुपया अधिकतम | रुपया औसत | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १—उत्तर प्रदेश | ५०.५३ | ६०.०० | सायर गलावट | ५०.०० २७.०० | ५५.०० ३०.०० | .. | १९.०० | २२.०० | .. | |
| २—आसाम | .. | ६४.०० | १००.०० | .. | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| ३—बिहार | | ४९.२३ | ७५.०२ | .. | .. ५९.९४ | .. | ०.४३ | ०.६७ | .. | शीरे का नियंत्रित मूल्य। |
| ४—आंध्र प्रदेश | | ४२.०० | ६७.०० | .. | सूचना उपलब्ध नहीं | | ०.४० | ०.७७ | .. | ,, |
| ५—केरल | .. | ६५.०० | ८०.०० | .. | सूचना उपलब्ध नहीं | | ०.४० | ०.६७ | .. | ,, |
| ६—महाराष्ट्र | .. | | | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| ७—गुजरात | | | | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | ३.०० | |
| ८—मध्य प्रदेश | .. | ५०.०० | ९०.०० | | सूचना उपलब्ध नहीं | | ३२.०० | ३५.०० | | तदैव |
| ९—राजस्थान | | ५५.०० | ७०.०० | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| १०—पंजाब | | ७०.०० | ७५.०० | .. | सूचना उपलब्ध नहीं | | ३०.०० | ३५.०० | .. | |
| ११—उड़ीसा | | | | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| १२—पश्चिमी बंगाल | | ७०.०० | ७२.०० | .. | ७२.३४ ७७.७० | .. | २९.०० | ३२.०० | .. | |
| १३—मद्रास | .. | | | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| १४—मैसूर | .. | ४०.०० | ८०.०० | .. | ७२.०० ९०.०० | .. | .. | ०.६७ | .. | तदैव |
| १५—जम्मू कश्मीर | | | | | सूचना उपलब्ध नहीं | | | | | |
| १६—नागा लैंड | .. | .. | .. | १००.०० | सूचना उपलब्ध नहीं। | | | | | |

अतारांकित प्रश्न विधान सभा

# नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८८ पर)

संलग्नक

| क्रम-संख्या | जिलों का नाम | भूमि एकड़ों में जिसपर भूमि संरक्षण कार्य किया गया | सरकार द्वारा किया गया व्यय | लाभार्थियों द्वारा किया गया व्यय |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | आगरा | २२,४५१ | ५७,३८८ | ६,६३,९१६ |
| २ | मथुरा | २०,५४२ | .. | ३,७२,०६१ |
| ३ | मेरठ | १०,६५२ | १०,५७० | १,१८,६४५ |
| ४ | कानपुर | १०,८३८ | ४२,५३६ | ३,२०,००० |
| ५ | झांसी | १७,६१८ | १,१०,८०३ | ३,३२,५३८ |
| ६ | जालौन (उरई) | १८,९४३ | ६९,६६८ | ४,९८,६३१ |
| ७ | मिर्जापुर | १५,२८१ | ८६,७३७ | १,५५,३७४ |
| ८ | सुल्तानपुर | २१,११९ | १,१६,०४२ | ५,०८,९५५ |
| ९ | प्रतापगढ़ | १२,२३५ | ६,९५२ | १,२९,५४० |
| १० | इलाहाबाद | १०,८५३ | ४४,७३६ | १,८०,००० |
| ११ | बांदा | ५,८८६ | २०,३९४ | १,१०,००० |
| १२ | इटावा | ४,१०५ | १८,२६० | ५९,७३२ |
| १३ | बुलन्दशहर | ११,९५६ | .. | ३,७६,९६९ |
| १४ | फर्रुखाबाद | १२,१०८ | ४४,८५० | १,६३,०८० |
| १५ | सीतापुर | ६,९४७ | ८,३३६ | १,४३,४१४ |
| १६ | फतेहपुर | १२,५३० | ३३,३८५ | १,४३,२०२ |
| १७ | हमीरपुर (महोबा) | ८,१२० | ८९,१६९ | १,६०,००० |
| १८ | वाराणसी | १२,७९१ | ९०,०५४ | १,००,००० |
| १९ | सहारनपुर | १,७०२ | .. | ३१,२६२ |
| २० | उन्नाव | ४४७ | .. | १,१९४ |
| २१ | मुजफ्फरनगर | ३,३८३ | .. | ७२,००० |
| २२ | देहरादून | १,३१७ | १३,१५४ | ३५,३२७ |
| २३ | टेहरी गढ़वाल | १६९ | .. | ९७,०९८ |
| २४ | उत्तरकाशी | १०९ | .. | ४९,४०४ |
| | योग | २,४२,१०२ | ८,६३,०३४ | ४८,२२,३४२ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ञ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८८ पर)

### जिला खाद्य सलाहकार समिति के निर्माण के आधार तथा उसके सदस्यों की सूची

जिला खाद्य सलाहकार समिति का निर्माण शासकीय आदेश संख्या २८३९/२९–बी० डी० (१), दिनांक २६ नवम्बर, १९६३, संख्या ९१९/२९, दिनांक २६ फरवरी, १९६४, संख्या १६४५/२९, दिनांक १३ मार्च, १९६४ तथा संख्या ४८०६/२९, दिनांक १८ जुलाई, १९६४ के आधार पर किया गया है। उक्त समिति का अध्यक्ष जिलाधीश तथा जिला पूर्ति अधिकारी पदेन सचिव होता है।

जिला खाद्य सलाहकार समिति के निम्नांकित सदस्य होते हैं—

(१) विधान सभा के समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उसी क्षेत्र में हो।

(२) जिला के विधान परिषद् के समस्त सदस्य जो उसी जिले के हों।

(३) जिले के समस्त संसद सदस्य।

(४) नगरमहापालिका का नगर प्रमुख अथवा जिला मुख्यालय की नगरपालिका का अध्यक्ष, जैसी भी दशा हो।

(५) अध्यक्ष, जिला परिषद्।

(६) प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का एक प्रतिनिधि।

(७) स्थानीय खाद्यान्न व्यापार का एक प्रतिनिधि।

(८) उपभोक्ताओं का एक प्रतिनिधि।

(९) राज्य सरकार द्वारा २ से ३ और विशेष परिस्थितियों में ४ तक मनोनीत सदस्य।

उत्तर प्रदेश संसदीय

## नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८८ पर)

सूची उन जखीरे बाजों की जिनके यहां गल्ला बरामद हुआ

१—मेसर्स प्यारे लाल राधे लाल, बाजार मकबरा, मुरादाबाद।
२—मेसर्स शिवचरन लाल राम रतन, कटरा नाज, मुरादाबाद।
३—मेसर्स फकीर चन्द लक्ष्मी नारायन, कटरा नाज, मुरादाबाद।
४—मेसर्स बुद्धसेन जय किशन दास, कटरा नाज, मुरादाबाद।
५—मेसर्स रामअौतार पुत्र जगदीश सरन, कटघर मुरादाबाद।
६—मेसर्स दया शंकर गुप्ता, बाजार मकबरा।
७—मेसर्स जगदीश शरन ओम प्रकाश प्याऊ बाजार, चन्दौसी।
८—मेसर्स रामचन्द्र पुत्र लाला किशनलाल, मोहल्ला अब्दुल्ला, बिलारी।
९—मेसर्स नागर मल शादी राम, अमरोहा।
१०—मेसर्स नसरू पुत्र अमीर हुसेन, हिन्दुपुरा संभल।
११—मेसर्स मनजीर इस्लाम पुत्र श्री शमशुल हक, संभल।
१२—मेसर्स शिव शंकर पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्र वैश्य, फतेहउल्ला गंज ठाकुरद्वारा।
१३—मेसर्स कुन्दन लाल बिहारी लाल, चन्दौसी।
१४—मेसर्स मुरारीलाल, हसनपुर।

अवर पदेश सभा

## नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८९ पर)

### रुहेलखंड तथा मेरठ डिवीजनों के अन्तर्गत जिलों में सन् १९६३ तथा १९६४ में मुक्त क्षेत्रों में बांटे गये गन्ने के बीज की मात्रा

| डिवीजन | जिला | सन १९६३ | सन १९६४ |
|---|---|---|---|
| | | मन | मन |
| रुहेलखंड डिवीजन | बदायूं .. .. | ५,५०० | १२,०१८ |
| रुहेलखण्ड डिवीजन | शाजहांपुर (पुवायां विकास क्षेत्र) | .. | ४,६०३ |
| मेरठ डिवीजन | मुजफ्फरनगर (बुढ़ाना विकास क्षेत्र) | .. | ३,९३३ |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१–२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९०—१०९१ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं के अधीन भारत सरकार के आवास तथा निर्माण मन्त्रालय से प्राप्त धन तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का विवरण।

(रुपये लाखों में)

| योजना | १९६१–६२ | | १९६२–६३ | | १९६३–६४ | | १९६४–६५ | | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन | व्यय | केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन | व्यय | केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन | व्यय | केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन | व्यय | |
| Plan Schemes (प्लान योजनायें)— | | | | | | | | | |
| १—राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना | | | | | | | | | |
| २—अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना | १४०.४९० | १४९.४७३ | ४७.१२० | ११२.३८४ | ५९.६८० | ९१.५०५ | ८९.४६ | ९४.४२६ | यह आंकड़े tentative हैं। |
| ३—मलिन बस्ती निपातन योजना | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ४—ग्राम्य गृह निर्माण योजना | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

नोट—(१) मलिन बस्ती निपातन एवं सुधार योजना के अन्तर्गत हुए कुल व्यय का २५ प्रतिशत राज्य सरकार को अपने पास से लगाना होता है।

(२) राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर केन्द्रीय सरकार रुपया देती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का रुपया देने की कार्यवाही राज्य के वित्त विभाग के परामर्श से भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९२ पर)

### सूची

| क्रम-संख्या | वर्ष | काश्तकार का नाम | | बकाया की धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० पै० |
| | १९४८–४९ | सर्वश्री ओंकार सिंह, पुत्र श्री बिशेसर | .. | ३३.६२ |
| २ | १९४९–५० | कुशहर, पुत्र लीला पासी .. | .. | ११२.५० |
| ३ | १९५०–५१ | सरस्वती बख्श सिंह, पुत्र गजराज सिंह | .. | ६,२०१.८७ |
| ४ | .. | फैज बख्श सिंह, पुत्र गजराज सिंह | .. | ७७०.९४ |
| ५ | .. | हरिहर सिंह, पुत्र श्री गजराज सिंह | .. | ७८९.०६ |
| ६ | .. | नन्हें सिंह, पुत्र श्री गजराज सिंह | .. | २२६.५६ |
| ७ | .. | सादी सिंह, पुत्र श्री गजराज सिंह | .. | ९२.४४ |
| ८ | .. | लीला, पुत्र श्री नहिर .. | .. | २२.६९ |
| ९ | .. | सुक्खा, पुत्र लीला पासी .. | .. | २२.६९ |
| १० | .. | दुर्गा सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह | .. | १८०.०० |
| ११ | .. | बिक्रम सिंह, पुत्र श्री दुर्गा सिंह | .. | २०६.२५ |
| १२ | .. | बाबू लाल, पुत्र राम रतन | .. | १८०.०० |
| १३ | .. | कुशहर, पुत्र श्री लीला पासी .. | .. | ४०५.०६ |
| १४ | .. | जगदेव सिंह, पुत्र श्री बल्देव सिंह | .. | ५०८.५६ |
| १५ | .. | हरिश चन्द्र, पुत्र श्री विशेश्वर दयाल | .. | १,६४५.७४ |
| | | योग | .. | ११,३९७.९८ |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९६ पर)

| क्रम-संख्या | नाम व्यापारी | खाद्यान्न लाइसेन्स का वर्ग | वस्तुयें जिनमें खाद्यान्न के अतिरिक्त व्यापार करते हैं |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | सर्वश्री बालादीन पन्नालाल .. | बी | शक्कर थोक, गुड़ थोक, खांड़ थोक। |
| २ | ,, चुन्नीलाल गयासीलाल .. | बी | गुड़ थोक |
| ३ | ,, भवानीदीन भगवानदीन | बी | ,, |
| ४ | ,, लालमन रामचरन .. .. | बी | शक्कर थोक, गुड़ थोक, खांड थोक। |
| ५ | ,, वृजकिशोर अग्रवाल .. | बी | गुड़ थोक |
| ६ | ,, सेठ बद्रीप्रसाद .. .. | बी | ,, |
| ७ | ,, मनीराम रामनारायण .. | बी | ,, |
| ८ | ,, मिट्ठूलाल टेकचन्द .. | बी | ,, |
| ९ | ,, गोविन्दसिंह भगवानसिंह .. | बी | गुड़ थोक, खांड थोक |
| १० | ,, मातादीन ईश्वरीप्रसाद .. | बी | शक्कर फुटकर |
| ११ | ,, कुन्दीलाल गणेशप्रसाद .. | बी | शक्कर फुटकर |
| १२ | ,, बाबूलाल पंसारी .. | बी | शक्कर फुटकर |
| १३ | ,, महादेवप्रसाद चौधरी .. | बी | शक्कर फुटकर |
| १४ | ,, श्यामनारायण गिरजाशंकर .. | बी | शक्कर फुटकर |
| १५ | ,, म्युनिसिपल इम्प्लाइज कोआपरेटिव सोसाइटी। | बी | शक्कर फुटकर |

विशेष प्रष्टव्य—बी वर्ग के व्यापारी खाद्यान्नों का थोक में तथा सी वर्ग के व्यापारी खाद्यान्नों का फुटकर में व्यापार करते हैं।

## नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९६ पर)

| अनाज | असेम्बलिंग मंडियां | | औसत थोक मूल्य प्रति क्विंटल रुपयों में | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कन्ज्यूमिंग मंडियां | |
| | जनवरी, १९६५ का प्रथम पखवारा | जनवरी, १९६५ का दूसरा पखवारा | जनवरी, १९६५ का प्रथम पखवारा | जनवरी, १९६५ का दूसरा पखवारा |
| चना .. .. | ८७.५१ | ८३.७७ | ९२.०४ | ८७.३० |
| जौ .. .. | ७५.३३ | ७१.६२ | ७१.६६ | ७०.७२ |
| ज्वार .. .. | ४९.६२ | ४९.५३ | ६३.६४ | ५९.७७ |
| बाजरा .. .. | ६०.८४ | ५८.३८ | ६९.९३ | ६६.५३ |
| मक्का .. .. | ६०.५१ | ६२.१२ | ७४.९९ | ६६.९९ |

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९८ पर)

| क्रम-संख्या | ग्राम | | खेत नम्बर जो वन सीमा के अन्दर किया | खेत नम्बर जो काश्तकारों को दिया |
|---|---|---|---|---|
| १ | बैरगढ़ | .. | ६५, ७८, ७९, १०९ मि:, ११० मि:, १५१ मि:, १५५ मि:, । | .. |
| २ | मगरही | .. | १३६, २७१ मि:, २७४ मि:, २७५, २७६ मि:, २८७ मि:, २८८, २८९ मि:, ३०५, ३०८, ३३४ मि: । | ५८, २७३ |
| ३ | बिकनी | .. | १२, १३, ७० .. .. | .. |
| ४ | सोनेफूल | .. | १६ मि:, १८ मि:, ४१ मि:, ४४, ४५, ५३ । | .. |
| ५ | पड़रिया | .. | ९६ मि: | .. |
| ६ | सुखदेवपुर | .. | १२, २३ मि:, २६ मि:, २७ मि:, २८ मि:, ३० मि:, ३५ मि:, ४३, ४४, ५२ मि:, ५४ । | — |
| ७ | डुमरिया | .. | २८ मि:, २९ मि: .. | ८९, ९८ |
| ८ | जरहर | .. | १०६, १०८, १०९, १३६ मि: .. | .. |
| ९ | बसौली | .. | १५ मि:, २८ मि:, ४४ मि:, १४८ मि: । | .. |
| १० | बिजैपुर बिजौरा | .. | २, ६ मि:, २६ मि:, २७ मि:, २४ ४२ मि: । | .. |
| ११ | बौदलपुर | .. | ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, ७५ | .. |
| १२ | मलवरिया | .. | ८१ मि:, ८२ मि: .. | ६३ |
| १३ | गोलाबाद | .. | ३१० मि:, ३११ मि:, ३४३, ३४४, ३४७ | १२ |
| १४ | मखटिया | .. | ११३ मि:, ११४ मि: .. | .. |
| १५ | देवरी कलां | .. | १९९, २०६, २०९ .. | १६ |
| १६ | देवरी खुर्द | .. | १, २, ३, २२ मि:, २३ मि:, २८, ३२, ३३ मि:, ३८ मि: । | .. |
| १७ | अवरवाटांड | .. | १८, १९, २० .. .. | ९२ |
| १८ | पन्डी | .. | " .. | १, २, १२, १३, १५ । |
| १९ | अमसोत | .. | ८ मि:, ९ मि:, १२ मि:, १३ मि:, १४, १६ मि:, ४२, ५७ मि: । | .. |
| २० | पथरौर | .. | २, ४, ६, ८, १०, ११, १२, १३ | .. |
| २१ | सेमर साधोपुर | .. | २८३ मि:, ४३४, ४३८, ४९४, ४९९ | .. |
| २२ | धोबही | .. | ७५ मि: .. .. | ७१ |

## नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११०३ पर)

अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४—६५ में जिलेवार ऋण वितरण का विवरण

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | | | धन |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| १ | आगरा | .. | .. | २४,९०० |
| २ | इलाहाबाद | .. | .. | ३,६०० |
| ३ | अलीगढ़ | .. | .. | २९,९०० |
| ४ | आजमगढ़ | .. | .. | ४६,२५० |
| ५ | अल्मोड़ा | .. | .. | .. |
| ६ | बनारस | .. | .. | २,००० |
| ७ | बस्ती | .. | .. | .. |
| ८ | बिजनौर | .. | .. | २,४०० |
| ९ | बरेली | .. | .. | ३०,००० |
| १० | बाराबंकी | .. | .. | ८,९०० |
| ११ | बुलन्दशहर | .. | .. | ४,८०० |
| १२ | बलिया | .. | .. | १२,१०० |
| १३ | बहराइच | .. | .. | ४,३५० |
| १४ | देहरादून | .. | .. | १,५०० |
| १५ | एटा | .. | .. | ४,२०० |
| १६ | इटावा | .. | .. | ६,००० |
| १७ | फर्रुखाबाद | .. | .. | १३,९०० |
| १८ | गोंडा | .. | .. | १०,२०० |
| १९ | गाजीपुर | .. | .. | ४,२०० |
| २० | गोरखपुर | .. | .. | २१,४५० |
| २१ | हमीरपुर | .. | .. | ८,००० |
| २२ | जौनपुर | .. | .. | ४,२०० |
| २३ | झांसी | .. | .. | ४,५०० |
| २४ | कानपुर | .. | .. | १०,७०० |
| २५ | लखनऊ | .. | .. | ३२,७०० |
| २६ | लखीमपुर-खीरी | .. | .. | १,८०० |
| २७ | मुजफ्फरनगर | .. | .. | ८,००० |
| २८ | मेरठ | .. | .. | २९,०५० |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | | | धन |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० |
| २९ | मैनपुरी | .. | .. | ८,२०० |
| ३० | मिर्जापुर | .. | .. | १४,३०० |
| ३१ | मुरादाबाद | .. | .. | ४,३५० |
| ३२ | मथुरा | .. | .. | ३,६०० |
| ३३ | नैनीताल | .. | .. | १४,१०० |
| ३४ | उरई | .. | .. | १५,६०० |
| ३५ | पौरी-गढ़वाल | .. | .. | १०,४०० |
| ३६ | पीलीभीत | .. | .. | १,८०० |
| ३७ | रायबरेली | .. | .. | ३०,९०० |
| ३८ | रामपुर | .. | .. | २३,५०० |
| ३९ | सुल्तानपुर | .. | .. | १,२०० |
| ४० | सहारनपुर | .. | .. | १७,४०० |
| ४१ | शाहजहांपुर | .. | .. | २,४०० |
| ४२ | टेहरी-गढ़वाल | .. | .. | ४,००० |
| | | योग | .. | ४,८१,६५० |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६४–६५ में जिलेवार ऋण वितरण का विवरण

| क्रम-संख्या | जिले का नाम | धन |
|---|---|---|
| | | रु० |
| १ | आगरा .. .. | २,४२,३०० |
| २ | इलाहाबाद .. .. | २०,८०० |
| ३ | अलीगढ़ .. .. | ३,००० |
| ४ | आजमगढ़ .. .. | ४४,८०० |
| ५ | बनारस .. .. | ५२,००० |
| ६ | बस्ती .. .. | १८,००० |
| ७ | बिजनौर .. .. | १,०४,२०० |
| ८ | बरेली .. .. | १,१७,८०० |
| ९ | बांदा .. .. | ८,००० |
| १० | बाराबंकी .. .. | १३,२०० |
| ११ | देहरादून .. .. | १,९९,४०० |
| १२ | इटावा .. .. | १,८०० |
| १३ | फर्रुखाबाद .. .. | २४,८०० |
| १४ | गोंडा .. .. | ९,६०० |
| १५ | गाजीपुर .. .. | १८,७७५ |
| १६ | गोरखपुर .. .. | ४२,४५० |
| १७ | जौनपुर .. .. | ६,५०० |
| १८ | झांसी .. .. | १,४०० |
| १९ | कानपुर .. .. | १,४७,२०० |
| २० | लखनऊ .. .. | ६,०९,९०० |
| २१ | लखीमपुर-खीरी .. .. | ५,६०० |
| २२ | मुजफ्फरनगर .. .. | ७,६०० |
| २३ | मेरठ .. .. | २२,४०० |
| २४ | मुरादाबाद .. .. | १०,२०० |
| २५ | मथुरा .. .. | २,००० |
| २६ | नैनीताल .. .. | १२,००० |
| २७ | पीलीभीत .. .. | ५,०५० |
| २८ | रामपुर .. .. | १९,२०० |
| २९ | सहारनपुर .. .. | ९,६०० |
| | योग .. | १७,७९,५७५ |

विधान सभा सदस्य

## नत्थी 'ध'

(देखिये पीछे पृष्ठ ११०६ पर)

# कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

कानपुर तथा मेरठ दोनों स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने के लिये

विधेयक।

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

## अध्याय १

## प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और दोनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए भी विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—जब तक कि विषय या प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "सम्बद्ध कालेज" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है जो किसी विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध हो;

(ख) "विश्वविद्यालय क्षेत्र" का तात्पर्य उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में धारा ४ के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र से है;

(ग) "स्वायत्त कालेज" का तात्पर्य ऐसे सम्बद्ध कालेज से है जो धारा ३९ के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त कालेज घोषित किया जाय;

(घ) "संघटक कालेज" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संधारित तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामित संस्था से है;

(ङ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(च) "कार्यकारिणी परिषद्" और "विद्वत् परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् से है;

(छ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ज) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास-स्थान से है;

(झ) "प्रबन्धकारिणी" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्धक समिति या संस्था से है जिस पर किसी सम्बद्ध कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी सम्बद्ध कालेज या संघटक कालेज के अध्यक्ष, अथवा इस पद पर कार्य करने के लिए यथाविधि नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा नियत से है;

(ठ) "किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निबद्ध स्नातक" का तात्पर्य ऐसे स्नातक से है जो उस विश्वविद्यालय के परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अनुसार निबद्ध हो;

(ड) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ण) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय या संघटक कालेज में ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि स्थापित किसी उपाधि, डिप्लोमा या शिक्षा सम्बन्धी अन्य विशिष्टता के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सम्बद्ध कालेज में भर्ती हुआ हो;

(त) "अध्यापक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक कालेज या सम्बद्ध कालेज द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम के किसी विषय पर शिक्षण देने या शोध-कार्य का पथ-प्रदर्शन या संचालन करने के लिये सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत प्रिंसिपल भी है ;

(थ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संघटक कालेज में शिक्षण देने या शोध-कार्य में पथ-प्रदर्शन या संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त और वैतनिक हो, और

(द) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित, यथास्थिति "कानपुर विश्वविद्यालय" या "मेरठ विश्वविद्यालय" से है ।

## अध्याय २

## विश्वविद्यालय

**विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन**

३—(१) दो विश्वविद्यालय, एक कानपुर में जो कानपुर विश्वविद्यालय कहलायेगा और दूसरा मेरठ में जो मेरठ विश्वविद्यालय कहलायेगा ऐसे दिनांक से स्थापित किये जायेंगे जिसे राज्य सरकार प्रत्येक के लिए गजट में विज्ञापित करें ।

(२) प्रत्येक विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा प्रथम उपकुलपति तथा कोर्ट, कार्यकारिणी तथा विद्वत् परिषद के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों की जो एतद्पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक कि वे ऐसे पद पर रहें या सदस्य बने रहें, उस विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित संस्था संगठित होगी।

(३) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से ही वाद प्रस्तुत करेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायगा।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा सम्बद्धता

४—(१) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, कानपुर विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी और बाराबंकी के जिलों में जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नहीं हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा, और इसी प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और देहरादून के जिलों में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा।

(२) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी विश्वविद्यालय के संबंध में उपधारा (१) के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना तदर्थ कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जायगी।

(३) कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय के अधिकार तथा कृत्य

५—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्य होंगे, अर्थात्—

(१) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा शोध-कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) धारा ४ की उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर और कानपुर विश्वविद्यालय की दशा में इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय की भी सीमाओं के भीतर स्थित किसी कालेज को, नियत शर्तों के अधीन सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना;

प्रतिबन्ध यह है कि लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीमाओं के भीतर स्थित किसी कालेज को, यथास्थिति, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन के बिना, सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जायगा ;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना;

(४) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना--

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज या किसी सम्बद्ध कालेज में अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन शोध-कार्य किया हो, या

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक हों या शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से सेवायोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, या

(घ) जो महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो, या

(ङ) जो विश्वविद्यालय या संघटक कालेजों अथवा सम्बद्ध कालेजों के पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष हों और परिनियमों तथा अध्यादेशों में तदर्थ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों,

(५) परिनियमों में निर्धारित रीति से तथा शर्तों के अधीन सम्मान सूचक उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(६) ऐसे व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना और उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना;

(९) कालेजों की सम्बद्धता संबंधी शर्तें नियत करना और नियत कालिक निरीक्षणों द्वारा अथवा अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(१०) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियों (fellowships) छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषिकों की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना;

(११) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावासों का संधारण करना और उन्हें मान्यता देना;

(१२) ऐसे शुल्क और अन्य परिव्यय मांगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें,

(१३) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध कालेजों के छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण और विनियमन करना;

(१४) प्रशासकीय, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना; और

(१५) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित समस्त कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हो ।

---

## अध्याय ३
## निरीक्षण तथा जांच

निरीक्षण तथा जांच

१—(१) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दें, विश्वविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का अथवा किसी सम्बद्ध कालेज का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, प्रयोगशालायें तथा सज्जा ( equipments ) भी हैं और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या सम्पादित परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्य का निरीक्षण करने अथवा विश्वविद्यालय, संस्था या सम्बद्ध कालेज के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में उसी प्रकार जांच करवाने का अधिकार होगा ।

(२) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा संधारित संस्था की दशा में विश्वविद्यालय को और सम्बद्ध कालेज की दशा में विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को अपने इस आशय का एक नोटिस देगी कि वह निरीक्षण या जांच करवाना चाहती है, और यथास्थिति, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय तथा प्रबन्धकारिणी को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय अपना प्रतिनिधि भेजने तथा सुनवाई का अधिकार होगा ।

(३) विश्वविद्यालय अथवा उसके द्वारा संधारित किसी संस्था से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम तथा उसके संबंध में अपने विचारों को, उपकुलपति को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में परामर्श दे सकती है तथा उपकुलपति उसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखेगा ।

(४) किसी सम्बद्ध कालेज से सम्बद्ध निरीक्षण या जांच की दशा में, राज्य सरकार अपने विचारों के साथ ऐसे निरीक्षण या जांच का परिणाम प्रबन्धकारिणी को सूचित कर सकती है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में परामर्श दे सकती है ।

(५) यथास्थिति, उपकुलपति या प्रबन्धकारिणी, राज्य सरकार को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम पर की गयी अथवा की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो, की सूचना देगी ।

(६) यदि, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार, यथास्थित, विश्वविद्यालय प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे, और यथास्थित, विश्वविद्यालय या प्रबन्धकारिणी ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

## अध्याय ४
## विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी,

७—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:

१—कुलपति,

२—उपकुलपति,

३—कोषाध्यक्ष,

४—रजिस्ट्रार,

५—छात्र कल्याण के डीन,

६—फैकल्टियों के डीन,

७—विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलपति

८—(१) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह पदेन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष और कोर्ट का सभापति होगा और उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के कोर्ट की तथा किसी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(२) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार होंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें दिये जायें।

९—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उस विश्वविद्यालय के लिए उसे उप-धारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति द्वारा प्रस्तुत किये जायें:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति तथा कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे समिति के इस प्रकार संघटित होने के लिये करना अपेक्षित हो, कुलपति द्वारा की जा सकती है।

(२) उपकुलपति, अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह कुलपति को सम्बोधित लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। साधारतया यह त्याग पत्र उस दिनांक से जब उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायेगा।

(३) उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायें।

(४) (१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

(क) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय, संघटक कालेज, सम्बद्ध कालेज या छात्रावास की सेवा में न हो और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरन, बोर्ड या संस्था अथवा किसी ऐसे कालेज के प्रबन्ध समिति का सदस्य न हो,

(ख) उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति,

(ग) एक व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नियुक्ति किया जायेगा और वह समिति का संयोजक भी होगा।

(२) समिति, यथा संभव, उस दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व, जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति का पद कार्यकाल की समाप्ति अथवा पद त्याग करने के कारण रिक्त होने वाला हो, और जब कभी भी कुलपति द्वारा यह अपेक्षित हो, कुलपति को तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों । समिति, नाम प्रस्तुत करते समय कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायेंगी, किन्तु उसमें कोई अधिमान क्रम इंगित न होगा ।

(३) यदि खंड (२) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति उपकुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति तीन से कम व्यक्तियों में से चयन करना हो तो यदि वह चाहे तो समिति को नाम वापस भेज सकता है और तदुपरान्त समिति तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम, जो उपकुलपति के रूप में नियुक्ति के लिये सम्मत और उपलभ्य हों, पुनः प्रस्तुत करेगी ।

(५) यदि उपकुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा, पद त्याग या कार्य-काल की समाप्ति को छोड़कर, किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय अथवा उसके रिक्त होने की सम्भावना हो तो, रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो

(क) यदि रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिये हो अथवा होने की सम्भावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्ति के लिये कार्यवाही करेगा ।

(ख) यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि के लिये हो, अथवा होने की सम्भावना हो तो वह उपकुलपति के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(६) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में दिये गये उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस धारा में कहीं भी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति किसी आपातिक दशा में, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगा, अथवा किसी ऐसी दशा में जब की रिक्त पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा से तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिये न की जायगी,

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गयी नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायेगी ।

(७) जब उपधारा (६) के अधीन नियुक्ति की जाय तो कुलपति, यथा शक्य-शीघ्र, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा ।

(८) उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कुलपति द्वारा नियुक्ति की जाने तक, रजिस्ट्रार, उपकुलपति के नैत्यक कर्त्तव्यों को करेगा, किन्तु कोर्ट की किसी बैठक की अध्यक्षता न करेगा ।

उपकुलपति के अधिकार तथा कर्त्तव्य।

१०—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक अधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था की बैठकों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस उपधारा के कारण, उसे उस सभा में तब तक मत देने का हक न होगा जब तक कि वह उस प्राधिकरण या संस्था का सदस्य न हो।

(२) उपकुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ८ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उपकुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्युत् परिषद् की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

(४) उपकुलपति विश्वविद्यालय तथा संघटक और सम्बद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) यदि किसी ऐसे अत्यावश्यक मामले में, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो किन्तु जिस पर उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही न की जा सकती हो जो उसे करने के लिये इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अधिकृत हो, तो उपकुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह उचित समझे और अपने पद द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट कुलपति को तथा साथ ही कार्यकारिणी परिषद् को देगा, और कार्यकारिणी परिषद् या तो उपकुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकती है अथवा उसे विखंडित कर सकती है या उसे ऐसी रीति से परिष्कृत कर सकती है जो वह उचित समझे। यदि उपकुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही विखंडित या परिष्कृत की जाय तो वह इस प्रकार विखंडित या परिष्कृत किये जाने के दिनांक से या तो प्रभावी न रह जायगी अथवा परिष्कृत रूप में प्रभावी होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) प्रत्येक मामले में जिसमें इस उपधारा के अधीन उपकुलपति द्वारा कार्यवाही की जाय, वह ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा :

(ख) इस उपधारा की किसी बात से उपकुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो यथाविधि प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ;

(ग) यदि इस अधिकार के प्रयोग में उपकुलपति विश्वविद्यालय में कोई अधिकारी या अध्यापक नियुक्त करे तो ऐसी नियुक्ति, नियत रीति से नियुक्ति की जाने पर अथवा उपकुलपति के आदेश के दिनांक से छः महीने की समाप्ति पर, इसमें जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन उपकुलपति की किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो, वह व्यक्ति कार्यवाही की सूचना पाने के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् को अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(७) उपकुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ।

कोषाध्यक्ष

११—(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा:—

(क) कार्यकारिणी परिषद्, यथाशक्य शीघ्र, उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी भी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी ।

(ख) यदि ऐसे प्रस्तावित नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत किया गया हो, तीन से अधिक न हों, तो परिषद इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् प्रस्तावित नामों में से तीन नामों का निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा करेगी ।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो । अन्य दशाओं में, कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों ।

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम कोषाध्यक्ष की नियुक्ति और कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे कार्यकारिणी परिषद् के संघटित होने तक के लिये करना अपेक्षित हो, कुलपति द्वारा की जा सकती है ।

(२) कोषाध्यक्ष का कार्यकाल, उक्त पद धारण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगा, किन्तु वह कार्यकाल की समाप्ति पर भी, तब तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय । उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा जो नियत किया जाय ।

(३) कोषाध्यक्ष के त्यागपत्र, सेवा की शर्तें, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति और उसके साम्प्रतिक कर्त्तव्यों का पालन करने की व्यवस्थाओं से सम्बद्ध उपबन्ध वही होंगे जो नियत किये जायें ।

(४) कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनियोजित धनराशियों का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में परामर्श देगा । वह वार्षिक अनुमानों (जिन्हें आगे बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा:—

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कोई ऐसा व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जिससे किसी परिनियम या अध्यादेश की शर्तों का उल्लंघन हो अथवा जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो, किन्तु की न गयी हो ।

(६) कोषाध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ।

रजिस्ट्रार

१२—(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसे कार्यकारिणी परिषद् चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी, जिसमें (समिति में) निम्नलिखित होंगे, अर्थात्

(१) उपकुलपति,

(२) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक शिक्षाविद्, और

(३) उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा तदर्थ नामनिर्दिष्ट एक सदस्य ।

(२) रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उसे देय वेतन तथा भत्ते भी हैं, वही होंगी जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें ।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की यथोचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् विद्वत् परिषद् तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियों का पदेन सचिव होगा, और इन प्राधिकरणों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों । वह ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् या उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हो ।

(४) वह, विद्वत् परिषद् द्वारा किये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिये अन्य सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा तथा उससे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के यथोचित निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये, ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा, और न वह उसे स्वीकार करेगा ।

अन्य अधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य ।

१३—कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य वहीं होंगे जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किय जाय ।

## अध्याय ५
## विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

१४—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:

(१) कोर्ट,

(२) कार्यकारिणी परिषद्,

(३) वित्त समिति,

(४) विद्वत् परिषद्,

(५) फैकल्टियां,

(६) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियां, और

(७) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

कोर्ट

१५—कोर्ट में निम्नलिखित होंगे:—

वर्ग १—पदेन सदस्य—

(१) कुलपति,

(२) उपकुलपति,

(३) शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,

(४) सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,

(५) कोषाध्यक्ष,

(६) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य,

(७) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

(८) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

(९) विश्वविद्यालय में अथवा संघटक कालेजों में, यदि कोई हों, शिक्षण विभागों के सभी अध्यक्ष,

(१०) समस्त संघटक कालेजों के, यदि कोई हों, प्रिंसिपल, और

(११) सम्बद्ध कालेजों के प्रिंसिपल उतनी संख्या में जो नियत किये जायें;

वर्ग २—आजीवन सदस्य—

(१) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या शिक्षा के प्रति की गयी उत्कृष्ट सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायें;

प्रतिबन्ध यह है कि कोर्ट उनकी संख्या किसी समय चार से अधिक न होगी,

(२) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम बीस हजार रुपये का दान दिया हो;

(३) ऐसे व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल के लिये उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रह हों;

वर्ग ३—दानदाता एवं उनके प्रतिनिधि—

ऐसे व्यक्तियों के, जिनमें से प्रत्येक ने विश्वविद्यालय या उसके किसी संघटक कालेज के प्रयोजनार्थ कम से कम पांच हजार रुपये किन्तु बीस हजार रुपये से अनधिक का दान दिया हो, दस से अनधिक ऐसी संख्या में प्रतिनिधि जो परिनियमों द्वारा अवधारित की जाय;

वर्ग ४—विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति—

पांच से अनधिक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, कृषि, विद्वत् संस्थाओं तथा विद्वत् व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

वर्ग ५—निबद्ध स्नातकों के प्रतिनिधि—

विश्वविद्यालय के निबद्ध स्नातकों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि जो नियत की जाय।

वर्ग ६—उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि—

(१) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के दो सदस्य जो परिषद् द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;

(२) उत्तर प्रदेश विधान सभा के पांच प्रतिनिधि जो विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;

वर्ग ७—अध्यापकों, छात्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारिवर्ग तथा प्रबन्धकारिणी के प्रतिनिधि—

(१) विश्वविद्यालय, संघटक कालेजों, यदि कोई हों, और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के उतनी संख्या में प्रतिनिधि जो नियत की जाय;

(२) छात्रावासों के पर्यवेक्षी कर्मचारिवर्ग तथा विश्वविद्यालय के बाहर पाठ्यचर्यातिरिक्त (extra mural) कार्यकलापों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतनी संख्या में व्यक्ति जो नियत की जाय;

(३) सम्बद्ध कालेजों की प्रबन्धकारिणी के उतनी संख्या में प्रतिनिधि जो नियत की जाय;

वर्ग ८—कुलपति के नामांकित—

(१) कुलपति के दस से अनधिक नामांकिती;

(२) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की संख्या, उनका कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नाम निर्देशन की रीति वही होगी जो नियत की जाय;

(३) कोर्ट, पदेन अथवा आजीवन सदस्यों को छोड़कर किसी भी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो;

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन तब तक कार्यवाही नहीं की जायगी जब तक कि प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाय।

कोर्ट की बैठकें

१६—(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर जिसे उपकुलपति निश्चित करेगा, कोर्ट की एक बैठक होगी, जो कोर्ट की वार्षिक बैठक कहलायेगी।

(२) उपकुलपति, जब कभी भी वह उचित समझे, कोर्ट की विशेष बैठक बुला सकता है, और कोर्ट के कम से कम पैंतीस सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर कोर्ट की विशेष बैठक अवश्य बुलायेगा।

कोर्ट के अधिकार तथा कर्तव्य।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् या विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार होगा जिन्हें वह इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न पाये तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम के परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो। विशेषतया वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात्—

(क) परिनियम बनाना तथा उनका संशोधन और निरसन करना;

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना; और

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट और विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति के किसी विषय पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना।

कार्यकारिणी परिषद्।

१८—(१) कार्यकारिणी परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे—

(१) उपकुलपति;

(२) कोषाध्यक्ष;

(३) विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टियों के डीन;

(४) छात्र कल्याण के डीन, यदि कोई हों;

(५) सम्बद्ध कालेजों के तीन प्रिंसिपल, जो नियत रीति से चयन किये जायेंगे;

(६) कोर्ट के पांच ऐसे सदस्य, जो खण्ड (१) से (५) में उल्लिखित व्यक्ति न हों या विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक या सम्बद्ध कालेज के अध्यापक न हों और जिन्हें कोर्ट अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करे;

(७) खण्ड (१) से (६) के अधीन न आने वाला एक व्यक्ति जो विद्वत् परिषद् द्वारा नियत रीति से निर्वाचित किया जायगा; और

(८) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति।

(२) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के चयन, नाम निर्देशन, निर्वाचन तथा नियुक्ति के सम्बन्ध परिनियमों में ऐसे समुचित उपबन्ध होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि किसी एक सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक या कर्मचारी के रूप में अथवा प्रबन्धकारिणी के सदस्य के रूप में एक से अधिक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों।

(३) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा।

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार।

१९—(१) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कार्यकारिणी परिषद् के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों पर नियंत्रण रखना और उनका प्रशासन करना ;

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा संक्रमण करना ;

(ग) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी किसी निधि का प्रशासन करना ;

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(ङ) उसके परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना और उनके पदों के अस्थायी तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र तथा उपाधियां प्रदान करने के लिए परीक्षाओं के निमित पाठ्य-क्रम नियत करना ;

(ज) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षा-फल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निदेश देना ;

(झ) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुये, किसी कालेज को निर्दिष्ट उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिए सम्बद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी सम्बद्धता को वापस लेना ;

(ञ) सम्बद्ध कालेजों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना ;

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना ;

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों को विनियमित तथा निर्धारित करना ; और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(२) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कार्यकारिणी परिषद् बन्धक, बिक्री, विनिमय, उपहार या अन्य रूप से विश्वविद्यालय की किसी अचल सम्पत्ति का न तो संक्रमण करेगा और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार या अग्रिम लेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप में दिया गया पट्टा इस उपधारा के अर्थ में संक्रमण नहीं समझा जायगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद् किसी वित्तीय वर्ष में किये जानेवाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो वित्त समिति द्वारा निर्धारित की गयीं हों।

(४) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित रूप से विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिन्हें वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट को देगी। यदि किसी दशा में, कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को अपनी असमर्थता के कारणों की सूचना देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद्, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायें अपने किन्हीं अधिकारों का प्रतिनिधान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कर सकती है।

वित्त समिति

२०—(१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(१) उपकुलपति ;

(२) कोषाध्यक्ष;

(३) कोर्ट के तीन ऐसे सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे, जिनमें से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज, किसी सम्बद्ध कालेज या किसी छात्रावास की सेवा में न हों।

(४) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति।

(२) वित्त समिति का सभापति उपकुलपति तथा सचिव रजिस्ट्रार होगा।

(३) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्तक तथा कुल अनावर्तक व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें।

(४) वित्त समिति किसी विशेष कारण के वित्तीय वर्ष के दौरान में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

विद्वत् परिषद्

२१—(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की विद्वत् संस्था होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय में शिक्षण, अध्यापन, परीक्षा तथा शोध-कार्य के स्तर का नियंत्रण और सामान्य विनियमन करेगी और उसके संधारण के लिए उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे दिये या उस पर आरोपित किये जायें। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संघटन तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो नियत किया जाय।

फैकल्टियां

२२—(१) विश्वविद्यालय में ऐसी फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो नियत किये जायें। विभिन्न विभागों के लिए पाठ्य विषय, अध्यादेशों के अनुसार निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा जिसका संघटन तथा जिसके अधिकार वही होंगे, जो नियत किये जायें।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का एक डीन होगा जो ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिए चयन किया जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा शोध-कार्यों के प्रबन्ध तथा संचालन के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(६) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन बोर्ड स्थापित किये जायेंगे। इन बोर्डों का संघटन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा।

चयन समिति

२३--(१) प्रत्येक पाठ्य विषय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां होंगी।

(२) चयन समितियों का संघटन, उनके अधिकार तथा कृत्य और नियुक्तियां करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियत की जाये।

अन्य प्राधिकरण

२४--अन्य प्राधिकरणों का संघटन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायें।

## अध्याय ६

## बोर्डों के संघटन तथा अध्यापकों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

बोर्ड

२५--(१) विश्वविद्यालय में एक समन्वय बोर्ड, एक छात्र-कल्याण बोर्ड तथा ऐसे अन्य बोर्ड होंगे जो नियत किये जायें।

(२) बोर्डों के संघटन उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य वही होंगे जो नियत किये जायें।

अध्यापकों की नियुक्ति

२६--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के अध्यापक, उपधारा (३) में की गयी अवस्था को छोड़कर, सम्बद्ध चयन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रबन्धकारिणी द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक, प्रथमतः, ऐसी अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा जो नियत की जाय और तब तक स्थायी न किया जायगा जब तक कि--

(क) उसके विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, कुलपति तथा विभागाध्यक्ष, यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, और सम्बद्ध डीन के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसका आदेश न दे दे; और

(ख) उसके सम्बद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में प्रिंसिपल और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धकारिणी आदेश न दे दे:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रिंसिपल के स्थायीकरण की दशा में, इस खण्ड के अधीन कोई प्रतिवेदन आवश्यक न होगा, और ज्येष्ठतम अध्यापक की दशा में केवल प्रिंसिपल का ही प्रतिवेदन आवश्यक होगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद्, दस महीने से अनधिक अवधि के लिए किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृति किये जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर, यदि वह रिक्ति छः महीने से अनधिक के लिए हो तो, सम्बद्ध चयन समिति को बिना अभिदेश किये, और यदि वह रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए हो तो सम्बद्ध चयन समिति को अभिदेश करने के पश्चात्, स्थानापन्न नियुक्ति कर सकती है।

(४) किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज में, जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो, किसी अध्यापक को छः महीने या उससे अधिक अवधि के लिए मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की सूचना प्रबन्धकारिणी द्वारा ऐसी नियुक्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि के साथ उप कुलपति को दी जायगी। नियुक्ति का बना रहना उपकुलपति के अनुमोदन के अधीन होगा जो या तो नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति की सहमति से उसे अस्वीकार कर सकता है और उपरोक्त दशा में वह नियुक्ति, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परिवीक्षाकाल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायगी।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा की शर्तें।

२७—(१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा जो विश्वविद्यालय में रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक को दी जायगी।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिस में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णाता होगा और न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बिट्रेशन ऐक्ट, १९४० के सभी उपबन्ध यहां दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे।

ऐक्ट संख्या १०, १९४०

(३) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायें, ऐसा निवृत्त वेतन, आनुतोषिक (gratuity) बीमा तथा भविष्य निधि की व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझे।

सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें।

२८—(१) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न किसी सम्बद्ध कालेज का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा, जिसमें ऐसी शर्तें तथा प्रतिबन्ध होंगे जो नियत किये जायें। लिखित संविदा विश्वविद्यालय में रखी जायगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बद्ध प्रबन्धकारिणी तथा अध्यापक को दी जायगी।

(२) सम्बद्ध कालेज तथा उसके किसी अध्यापक के बीच उपधारा (१) में उल्लिखित संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसमें प्रबन्धकारिणी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और उपकुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णाता होगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बिट्रेशन ऐक्ट, १९४० के सभी उपबन्ध यहां पर दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे।

ऐक्ट संख्या १०, १९४०

(३) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न, किसी सम्बद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने अथवा हटाने

के लिए किये गये प्रत्येक निर्णय की सूचना उपकुलपति को तुरन्त दी जायगी और, परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उपकुलपति उसका अनुमोदन न कर दें।

कतिपय अन्य उपबन्ध

२९—ऐसे समय तक जब तक कि विश्वविद्यालय के संगत प्राधिकरण यथा-विधि संघटित न हो जायें, इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी समय उपकुलपति, कुलपति की पूर्व स्वीकृति से कोषाध्यक्षक के अतिरिक्त विश्व-विद्यालय के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

## अध्याय ७
## परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

३०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, परिनियमों में विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, और विशेषतः निम्नलिखित की व्यवस्था की जायगी:—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारिणों का संघटन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, निर्वाचन, नियुक्ति और कार्यकाल तथा रिक्तियों की पूर्ति और उनसे सम्बद्ध अन्य विषय ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनके अधिकार और कर्त्तव्य।

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ निवृत्ति वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था तथा बीमा योजना की स्थापना;

(ङ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति ;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमाओं की स्थापना ;

(छ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान; पत्रों तथा आशौषिक

(ज) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, अनुमेलन, उप विभाजन और उनका बन्द किया जाना ;

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनका बन्द किया जाना ;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थायें, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकें और जिनके अधीन सम्बद्धता वापस ली जा सके ;

(ड) सम्बद्ध कालेजों का निरीक्षण ;

(ढ) निबद्ध स्नातकों के रजिस्टर का रक्खा जाना और निबन्धन की अर्हताएं, शर्त तथा रीति ;

(ण) दीक्षान्त समारोह करना ;

(त) अधिछात्रवृत्ति (फेलोशिप), छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषकों की स्थापना ; और

(थ) अन्य सभी विषय जिनके लिए परिनियमों द्वारा व्यवस्था करना इस अधिनियम में अपेक्षित हो ।

परिनियमों का बनाया जाना

३१—प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके एक या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और वे ऐसे परिवर्तनों तथा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध परिनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(२) इस धारा में व्यवस्थित रीति से कोर्ट, समय-समय पर, अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा किसी परिनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है, और ऐसे प्रारूप पर कोर्ट अपनी अगली सामान्य बैठक में विचार करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का अथवा किसी परिनियम के ऐसे संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकरण की प्रस्थिति (status), अधिकार या संघटन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा।

(४) कोर्ट उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी ऐसे प्रारूप का अनुमोदन कर सकता है और परिनियम पारित कर सकता है अथवा उसे अस्वीकार कर सकता है या उसे कार्यकारिणी परिषद् को, पूर्णतः या अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकता है जिसका वह सुझाव दे।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम अथवा किसी परिनियम के संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव कर सकता है और कोर्ट या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, अथवा ऐसे प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है, जो कोर्ट को या तो यह प्रतिवेदन दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती अथवा उक्त प्रारूप को कोर्ट के समक्ष ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकती है जिसे कार्यकारिणी परिषद् अनुमोदित करे और इस धारा के उपबन्ध इस प्रकार प्रस्तुत प्रारूप पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तावित प्रारूप पर लागू होते हैं।

(६) कोर्ट द्वारा बनाया गया कोई परिनियम अथवा उसमें किया गया कोई संशोधन या निरसन तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि कुलपति उसका अनुमोदन न कर दे। कुलपति उसका या तो अनुमोदन कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उसे कोर्ट द्वारा और विचार करने के लिए वापस भेज सकता है।

अध्यादेश

३२—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की व्यवस्था की जा सकती है जिसके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इस प्रकार व्यवस्था की जाने की अनुज्ञा दी गयी हो तथा किसी ऐसे अन्य विषय की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके लिए कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक विषय की व्यवस्था की जा सकती है ,अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा नामांकन और उनका इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्र उपाधि, डिप्लोमाओं तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ;

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्त तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों का प्रबन्ध ;

(ङ) ऐसे छात्रावासों की जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों मान्यता और प्रबन्ध ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य वैतनिक अधिकारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं, उपलब्धियां, तथा सेवा की अन्य शर्तें, जिनके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की आयु भी है, तथा उनकी सेवा कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना ;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिए जा सकें ;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय ;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य ;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में सेवायोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ; और

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेशों का बनाया जाना

३३—(१) इस धारा में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे कार्यकारिणी परिषद् निदेशित करे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे विश्वविद्यालय की आय तथा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और उसके द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ; या

(ख) जिसमें विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए शर्तें निर्धारित हों अथवा जिस से किसी अन्य प्रकार से छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो ; या

(ग) जिससे किसी पाठ्यक्रम, किसी परीक्षा के संचालन या स्तर, अथवा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्त्तव्यों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो, और विद्वत् परिषद् तब तक ऐसे प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक कि सम्बद्ध फैकल्टियों के बोर्ड या फैकल्टी द्वारा अनुरोध न किया जाय; या

(घ) जिससे छात्रों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का, यदि कोई हों, पालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् की उपधारा (१) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे विद्वत् परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकती है जिसका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये अध्यादेश की एक प्रतिलिपि तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायगी और कोर्ट उस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को स्वीकार कर सकता है अथवा वह ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यादेश को रद्द कर सकता है और उस दशा में अध्यादेश, ऐसे संकल्प के दिनांक से निरर्थक हो जायगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को यथास्थिति, स्वीकार करने अथव रद्द करने की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने और उस पर सहमति दिये जाने के पश्चात् किसी समय, या तो उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है, और पश्चात्वर्ती दशा में, कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह निदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन उस समय तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक कि वह उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा स्वीकार अथवा रद्द न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश कुलपति को, अध्यादेश स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोर्ट की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायगा।

(६) यदि विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् ने अस्वीकार कर दिया हो तो, विद्वत् परिषद्, कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है, और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने

के पश्चात्, प्रारूप का अनुमोदन करे तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा, जो कोर्ट निर्दिष्ट करे। कुलपति अध्यादेश को या तो स्वीकार कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है और पश्चात्वर्ती दशा में कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द कर किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

विनियम

३४—(१) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकता है, जिनमें—

(क) उसकी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन, विनियमों द्वारा की जानी हों; और

(ग) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय जिनका सम्बन्ध केवल उक्त प्राधिकरण या बोर्ड से हो और जिनकी व्यवस्था इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों में न की गयी हो।

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों की बैठकों के दिनांकों की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के भिन्न, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या बोर्ड को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा बनाये गये किसी विनियम को इस प्रकार रद्द कर दे अथवा उसमें संशोधन कर दे जो निदेश में निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा प्राधिकरण या बोर्ड तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या बोर्ड किसी ऐसे निदेश से असन्तुष्ट हो तो वह कुलपति को अपील कर सकता है जो, कार्यकारिणी परिषद् का विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

## अध्याय ८
## प्रवेश तथा परीक्षायें

छात्रों का प्रवेश

३५—(१) छात्र किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे, जब तक उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की, अथवा तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा पास न कर ली हो तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं, यदि कोई हों, न रखते हों, जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें।

(२) विश्वविद्यालय, कुल पति की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधियों के समकक्ष, या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडियेट परीक्षा के समकक्ष मान्यता न देगा।

छात्रों की निवास व्यवस्था

३६—(१) विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्रावास में या ऐसी शर्तों के अधीन रहेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत की जायें।

(२) छात्रावासों के अभिरक्षक (वार्डन) तथा अन्य कर्मचारिवर्ग अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे छात्रावास की मान्यता को निलम्बित कर सकती है अथवा वापस ले सकती है जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व, छात्रावास का प्रबन्ध करने वाले प्रभारी व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जायगा।

परीक्षायें

३७—(१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्वत् परिषद् परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करने का निदेश देगी।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो तो उप कुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिए परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दी जायगी।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिए नियुक्त परीक्षकों की, यथाशक्य, आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय, अथवा उसके किसी संघटन या सम्बद्ध कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड, उस फैकल्टी में सम्मिलित किसी विभाग को सौंपे गये प्रत्येक विषय के लिए एक परीक्षा समिति नियुक्त करेगा। समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से नियुक्त करे। समिति को किसी परीक्षा के लिये तैयार किये गये प्रश्न पत्रों का परिमार्जन करने, किसी परीक्षा के लिये तैयार किये गये प्रश्न-पत्रों का परिमार्जन करने, किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा किये गये कार्य के गुण-दोषों की समीक्षा करने, साफल्य स्तर (standard of attainment) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गयी कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन अथवा सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

## अध्याय ९
## सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध कालेज

३८—(१) किसी कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वही होंगी जो नियत की जायें।

(२) कोई सम्बद्ध कालेज, उसी स्थान पर स्थिति किसी अन्य सम्बद्ध कालेज या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकता है।

(३) इस अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, किसी सम्बद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी कालेज के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगी और उसके संधारण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। प्रत्येक ऐसे कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(४) प्रत्येक सम्बद्ध कालेज ऐसे प्रतिवेदन, विवरणियां तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगें।

(५) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक सम्बद्ध कालेज का अपने द्वारा तदर्थ प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर पांच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर निरीक्षण करायेगी।

(६) कार्यकारणी परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध कालेज को ऐसी अवधि के भीतर, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों का अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन न करे तो उसकी सम्बद्धता परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस ली जा सकती है।

स्वायत्त कालेज

३९—विश्वविद्यालय, नियत रीति से, किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज को जो तदर्थ नियत शर्तों को पूरा करे, उस कालेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, उन पाठ्क्रमों में जो विश्वविद्यालय द्वारा नियत किये गये हों, परिवर्तन करने, और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार दे सकती है। ऐसे कालेज द्वारा पाठ्क्रम में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायगी। ऐसा कालेज नियत रीति से स्वायत्त कालेज घोषित किया जायगा।

कर्मकार कालेज।

४०—विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों के अधीन जो नियत की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ जो उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे रहने, अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में सेवायोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्र के रूप में अपना नाम लिखाने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध कालेज को कर्मकार कालेज के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि अन्य छात्रों के निमित्त ऐसे पाठ्यक्रम के लिए नियत अवधि की डेढ़ गुनी से कम न होगी। प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रम का आयोजन पृथक रूप से किया जायगा।

संघटक कालेज

४१—(१) विश्वविद्यालय में ऐसे संघटक कालेज हो सकते हैं जो परिनियमों द्वारा नामित किये जायें।

(२) किसी संघटक कालेज का प्रिंसिपल उस कालेज के छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका उस कालेज के लिपिकीय तथा निम्न वर्ग के कर्मचारियों पर सामान्य नियन्त्रण होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों द्वारा नियत किये जायं।

## अध्याय १०

## वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

४२—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायगा और कोर्ट की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायगा, जिसमें उस पर विचार किया जायगा। कोर्ट उस पर अपनी टीकायें, यदि कोई हों, कर सकता है और उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकता है जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जो वह उचित समझे।

लेखा तथा लेखा परीक्षा

४३—(१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा पक्का चिट्ठा कार्यकारिणी परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त समस्त धनराशियां और ऐसी समस्त धनराशियां जिनका वितरण अथवा भुगतान किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखे में दर्ज की जायेंगी।

(२) वार्षिक लेखे और पक्के चिट्ठे की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी जो उनकी लेखा परीक्षा करायेगी।

(३) वार्षिक लेखे तथा पक्के चिट्ठे की लेखा परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायगा और उनकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में यह पता चले कि उसके बजट में संगत मद के लिये व्यवस्थित धनराशि से अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करके अधिक धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस प्रकार व्यय की गयी अथवा व्यय करने के लिए अधिकृत धनराशि की भरपाई करे और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जो आवश्यक समझी जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति से ऐसी किसी धनराशि की भरपाई करने की अपेक्षा करने के पूर्व, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(६) व्यय की प्रत्येक नयी मद जो ऐसी धनराशि से अधिक हो जो नियत की जाय और जिसे बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा वित्त समिति को उसकी सिफारिशों के लिए अभिदिष्ट की जायगी।

(७) कार्यकारिणी परिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, कोर्ट को परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखे तथा बजट प्रस्तुत करेगी जिनके साथ ऐसी सिफारिशें भी होंगी।

(८) वार्षिक लेखे तथा बजट पर कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा, और वह इसके सम्बन्ध में संकल्प पारित कर सकता है और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) में अभिदिष्ट व्यय की किसी मद पर कार्यकारिणी परिषद् तथा वित्त समिति में मतभेद हो तो उसके सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा १९ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) में उल्लिखित निधियों में से कोई व्यय किया जाय, उप-कुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिए यह वैध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो।

## अध्याय ११
## विविध

अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के सदस्यों को नियुक्त करने की रीति

४४—(१) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा किसी प्राधिकरण के सदस्य ऐसी रीति से चुने जायेंगे जो नियत की जाय।

(२) यदि इस अधिनियम या परिनियमों में आवर्तन से (by rotation) या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध हो तो आवर्तन या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता निर्धारित करने की रीति वही होगी जो नियत की जाय।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

४५—(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति ,यथासम्भव सुविधानुसार, उसी रीति से की जायगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो, और आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या संस्था का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए पद रिक्त करने वाला व्यक्ति सदस्य रहता।

(२) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह संस्था विश्वविद्यालय की हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह उस संस्था का प्रतिनिधि बना रहेगा और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना और उपाधि डिप्लोमा आदि वापस लेना

४६—कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सिफारिश पर, किसी ऐसे सदस्य को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था की सदस्यता से हटा सकता है जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध-दोष हुआ हो जो कोर्ट की राय में नैतिक पतन समन्वित अपराध हो अथवा जो लोकापवाद जनकआचरण का दोषी हो अथवा जिसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो उस प्राधिकरण या संस्था के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, और उक्त किसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व सम्बद्ध सदस्य या व्यक्ति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का समुचित अवसर दिया जायगा।

विश्वविद्याल प्राधिकरणों तथा संस्थाओं के संघटन के सम्बन्ध में विवाद और निर्णयों की वैधता

४७—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या संस्था का यथाविधि सदस्य चुना गया है या नहीं, अथवा वह उसका सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं अथवा यह प्रश्न उठे कि विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुकूल है अथवा नहीं, तो वह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा और उस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

निवृत्ति-वेतन तथा भविष्य निधि

४८—यदि विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों या अन्य सेवकों के लाभार्थ कोई निवृत्ति-वेतन या भविष्य निधि की व्यवस्था की हो तो राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है और ऐसी निधि पर प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो। ऐक्ट संख्या १०, १९२

## अध्याय १२

## संक्रमणकालीन उपबन्ध

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना

४९--इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी--

(क) कालेज के किसी भी छात्र को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व आगरा विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, यथास्थिति कानपुर विश्वविद्यालय या मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा उस उपाधि के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायगी, तथा विश्वविद्यालय और कालेज आगरा विश्वविद्यालय की अध्ययन-विवरण पत्रिका (Prospectus) के अनुसार उस छात्र के शिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा, और

(ख) जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई छात्र, आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकता है तथा उसे उस विश्वविद्यालय की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी जिसके लिए वह परीक्षाफल के आधार पर अर्ह हो।

कठिनाइयों को दूर करना

५०--(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रचलित करने के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा--

(क) निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम और तदधीन बनाया गया कोई परिनियम, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि में, जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होगा; या

(ख) निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को किसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक पालन या सम्पादन किया जायगा जब तक कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण यथाविधि नियुक्त या संघटित न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष के पश्चात ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्यशीघ्र विधान मंडल क दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

## उद्देश्य और कारण

मेरठ में तथा कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग निरन्तर रही है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन ने १९५० में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में, जिसे आमतौर पर राधाकृष्णन रिपोर्ट कहा जाता है, मेरठ तथा कानपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार द्वारा १९६० में नियुक्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयोग ने भी यह सिफारिश की कि चूंकि आगरा विश्वविद्यालय अपने विस्तार के कारण सहज में चलाने योग्य नहीं रह गया है, अतः दो सम्भागीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उसके वर्तमान भार को कम कर देना चाहिये। इनमें से एक मेरठ में स्थापित किया जाना चाहिये जिसका क्षेत्राधिकार मेरठ डिवीजन में हो और दूसरा कानपुर में स्थापित किया जाना चाहिये जिसका क्षेत्राधिकार इलाहाबाद तथा झांसी डिवीजनों में हो।

यह महसूस किया गया है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य में उच्च शिक्षा के हित में मेरठ तथा कानपुर में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना करके, आगरा विश्वविद्यालय को, जिसमें १३५ सम्बद्ध कालेज हैं, अपने वर्तमान कार्य-भार से मुक्त किया जाय। यह प्रस्ताव है कि मेरठ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार मेरठ डिवीजन के जिलों में हो और कानपुर विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़ कर, इलाहाबाद, लखनऊ और झांसी डिवीजनों के जिलों में हो। दोनों विश्वविद्यालय शिक्षण एवं सम्बद्धक (एफिलिएटिंग) विश्वविद्यालयों के प्रति-रूप होंगे। फिर भी प्रारंभ में दोनों विश्वविद्यालय सम्बद्धक विश्वविद्यालय होंगे और शिक्षण कार्य, अर्थात् स्नातकोत्तर शिक्षण कार्य, अर्थात् स्नातकोत्तर शिक्षण और शोधकार्य बाद में शुरू किये जा सकते हैं।

तदनुसार, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ पुरःस्थापित किया जाता है।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र

प्रस्तावित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय सम्बद्धक एवं शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे। किन्तु प्रारम्भ में ये दोनों विश्वविद्यालय केवल सम्बद्धक होंगे। अतएव, इस समय कोई विशेष अधिक आवर्तक व्यय न होगा, क्योंकि दोनों विश्वविद्यालय व्यय का अधिकांश भाग परीक्षा शुल्क आदि से पूरा कर लेगें। यह अनुमान किया जाता है कि प्रारम्भ में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक लाख रुपये से अनधिक आवर्तक अनुदान पर्याप्त होगा। किन्तु पहले तीन या चार वर्षों में भवनों के निर्माण तथा अन्य अनावर्तक व्यय के लिए सरकार को दोनों विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करने होंगे जो ६० लाख रुपये तक हो सकते हैं।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री।

---

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

## ज्ञापन-पत्र जिसमें उन विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापना स्पष्ट की गयी है जो कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ में अन्तग्रस्त हैं

**कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ में निम्नलिखित ऐसे उपबन्ध हैं जिनके विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान के तत्व हैं :—**

**(१) खण्ड १ (२)**

इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अधिनियम उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार तदर्थ निश्चित करे। राज्य सरकार दोनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के सम्बन्ध में भी विभिन्न दिनांक निश्चित कर सकती है। यह उपबन्ध इसलिए रखा गया है जिससे कि राज्य सरकार इस अधिनियम को प्रचलित करने के लिए कोई उपयुक्त दिनांक या दिनांकों को निश्चित कर सके और किन्हीं विशिष्ट उपबन्धों को फिर समुचित अवसर पर प्रचलित करने के लिए स्थगित कर सके।

**(२) खण्ड ३१ (१)**

इस खण्ड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम बनाये। सरकार द्वारा बनाये गये परिनियमों की एक प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायेंगे। परिनियम ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन के अधीन होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों।

**खण्ड ५०**

इस खण्ड में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न हों, कोई आदेश जारी कर सकें। इस प्रकार का आदेश इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जा सकता है। इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार यह भी निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों को किसके द्वारा और किस रीति से उस समय तक प्रयोग, पालन या सम्पादन किया जायगा जब तक कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकरण यथाविधि नियुक्त या संघटित न हो जाय। प्रत्येक ऐसा आदेश गजट में प्रकाशित किया जायगा और विधान मण्डल के सदनों के समक्ष, यथाशक्य शीघ्र रक्खा जायगा। यह उपबन्ध इसलिये आवश्यक है कि अधिनियम के उपबन्धों के प्रचलित करने में सुविधा हो और अनपेक्षित कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

प्रस्तावित प्रतिनिधान नैत्यक प्रकार का है।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३४ एल० ए०—१९६५—८६२